सप्तम माला, खंड 50, अंक 17, मंगलवार, 14 अगस्त, 1984/ 23 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 14 अगस्त, 1984/23 श्रावण, 1906 (शक)

को

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 11, "आतंकवादी (क्षेत्र विशेष न्यायालय)" के स्थान पर "आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय)" पढ़िये।

पृष्ठ 15, प्रथम पंक्ति, "श्री के0एल0राजन" के स्थान पर "श्री के0ए0राजन" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति 14, "डा0सुब्रह्मण्यम स्वामी" के स्थान पर "डा0सुब्रह्मण्यम स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 26, पंक्ति 2, "(श्री वसंत साठ)" के स्थान पर "(श्री वसंत साठे)" पढ़िये।

पृष्ठ 26, पंक्ति 11, "श्री सूरज भान" के नाम से पूर्व अं0प्र0संख्या "338" पढ़िये।

पृष्ठ 29, पंक्ति 10, "(श्री वी0एन0गार्डीगिल)" के स्थान पर "(श्री वी0एन0 गाडगिल)" पढ़िये।

पृष्ठ 34, पंक्ति नीचे से 7, "श्री बालसाहिब विखे पाटिल" के स्थान पर "श्री बालासाहेब विखे पाटिल)" पढ़िये।

पृष्ठ 38, पंक्ति 2 तथा पृष्ठ 39, पंक्ति 8, "समारोह" के स्थान पर "समारोह" पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 16, "श्रीमती सुशीला गोपाल" के स्थान पर "श्रीमती सुशीला गोपालन" पढ़िये।

पृष्ठ 57, पंक्ति 14, "श्री अमर सिंह राठवा: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :" का लोप करें।

पृष्ठ 71, पंक्ति 12, "श्री चिरंजो लाल श्मा" के स्थान पर "श्री चिरंजो लाल शर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 79, पंक्ति 13, "श्री दौलत राम सारणा" के स्थान पर "श्री दौलत राम सारण" पढ़िये।

पृष्ठ 94, पंक्ति 17, अं0प्र0संख्या "33346" के स्थान पर "3346" पढ़िये।

पृष्ठ 106, प्रथम पंक्ति, "कामूलिशनों" के स्थान पर "कामूलिशनों" पढ़िये।

पृष्ठ 111, पंक्ति 2, "श्री नारायण चौथे" के स्थान पर "श्री नारायण चौबे" पढ़िये।

पृष्ठ 113, पंक्ति 15 व पृष्ठ 128, पंक्ति 17, "डा0प्रताप बाघ" के स्थान पर "डा0प्रताप वाघ" पढ़िये।

पृष्ठ 173, पंक्ति 10, अं0प्र0संख्या "3422" के स्थान पर "3432" पढ़िये।

पृष्ठ 238, पंक्ति 14, "एप्पाटमेंट" के स्थान पर "एपार्टमेन्ट" पढ़िये।

पृष्ठ 240, पंक्ति 4, "श्री एस0के0राय" के स्थान पर "श्री एस0के0राय" पढ़िये।

पृष्ठ 243, पंक्ति 2, "श्री एन0ई0होरा" के स्थान पर "श्री एन0ई0होरो" पढ़िये।

पृष्ठ 250, पंक्ति 2, "अध्यक्ष मदोदय" के स्थान पर "अध्यक्षमहोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 254, पंक्ति 9, "श्रीमती कृष्णा साहो" के स्थान पर "श्रीमती कृष्णा साहो" पढ़िये।

पृष्ठ 254, पंक्ति 14, "(बेमूसराय)" के स्थान पर "(बेगूसराय)" पढ़िये।

पृष्ठ 261, पंक्ति 8, "पंसकुरा" के स्थान पर "(पंसकुरा)" पढ़िये।

पृष्ठ 267, पंक्ति नीचे से 4, "श्रीमती गीता शुखर्जी" के स्थान पर "श्रीमती गीता मुखर्जी" पढ़िये ।

पृष्ठ 268, पंक्ति नीचे से 7, "{श्री पी०वी०नरसिंह राव}" के स्थान पर "श्री पी०वी०नरसिंह राव" पढ़िये ।

पृष्ठ 286, पंक्ति नीचे से 4, "एक स्थानीय सदस्य" के स्थान पर "एक माननीय सदस्य" पढ़िये ।

पृष्ठ 302, पंक्ति 2, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 327, पंक्ति 3, "श्री रामविलास पास्वन" के स्थान पर "श्री रामविलास पासवान" पढ़िये ।

पृष्ठ 335, पंक्ति 4, 6, 10, 16 व 19 "सभापति महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदया" पढ़िये ।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 50, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 14 अगस्त, 1984/ 23 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	8—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 334, 335 और 337	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25—247
तारांकित प्रश्न संख्या : 336, और 338 से 353	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3297 से 3351, 3353 से 3383 और 3385 से 3494	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	252—253
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	254
80 वां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति	254
21 वा प्रतिवेदन	
सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति	254
बैठकों का कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	254
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 57 वा प्रतिवेदन	

---

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

जीवन बीमा निगम विधेयक 255

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

जीवन बीमा निगम विधेयक 255—256

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

नियम 377 के अधीन मामले 256—260

(एक) इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच बरास्ता प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह 256

(दो) मध्य प्रदेश के शहडोल, सतना तथा रीवा जिलों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री दलबीर सिंह 257

(तीन) सशस्त्र सेनाओं के युद्धाभ्यास के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने हेतु राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सहायता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 257

(चार) अहमदाबाद और साबरमती के बीच चलने वाली 49 अप तथा 50 डाउन साबरमती शटल रेलगाड़ी को आगे कड़ी तक चलाने की आवश्यकता

श्री मोतीभाई आर० चौधरी 258

(पांच) नदियों के कटाव के कारण पीड़ित पटना के दानापुर दीघा तथा मनेर के दियारा क्षेत्र के गांवों के लोगों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री 259

(छः) केरल में खाना पकाने की गैस की अत्यधिक कमी

श्री जार्ज जोसेफ मुडाकल 259

(सात) गुलमर्ग स्थित पर्वतारोहण संस्थान की तरह गोवा में एक जल खेल संस्थान खोलने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो 259

(आठ) भाखड़ा नहर में पड़ी दरारों से पीडित राजस्थान के किसानों को मुआवजा

श्री बीरबल 260

(नौ) कृषि मंत्रालय में तथा राष्ट्रीय बीज निगम में कृषि और बीजों का ज्ञान रखने वाले व्यावसायिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा 260

आतंकवादी (क्षेत्र(विशेष न्यायालय) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक 261—299

विचार करने का प्रस्ताव

श्रीमती गीता मुखर्जी 261

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 268

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 272

श्री जगन्नाथ राव 279

श्री राजेश कुमार सिंह 283

श्री चिरंजी लाल शर्मा 286

श्री चित्त बसु 292

श्री राम नगीना मिश्र 296

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का 26 वां और 27 वां प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग का पहला और दूसरा प्रतिवेदन 299—348

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा 299

श्री वाजूबन रियान 301

श्री डी० पी० यादव 307

श्री मंगल राम प्रेमी 313

श्री आर० आर० भोले 316

श्री राम विलास पासवान 319

श्री अरविन्द नेताम 330

श्री सूरज भान 335

श्री राम प्यारे पनिका 343

(भाषण अपूर्ण)

लोक सभा

मंगलवार, 14 अगस्त 1984/23 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने कल श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे वरिष्ठ सदस्य का सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपमान किए जाने और एक सदस्य जिसने तीसरे वाचन पर बोलने का नोटिस दिया था,को रोकने सम्बन्धी उपाध्यक्ष महोदय के अभूतपूर्व व्यवहार पर चर्चा करने के लिए इस सभा की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु नियम 388 के अधीन एक नोटिस दिया था। हमने इतने वर्षों में किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का कोई उदाहरण नहीं देखा है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया हुआ है, कल शाम को जो कुछ हुआ वह बड़ा निन्दनीय है और आपत्तिजनक है। सारे नियम ताक पर रख दिए गए । थर्ड रीडिंग में बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया ?

(व्यवधान)

महोदय, आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : नियमों को अगर उपाध्यक्ष जी काटेंगे तो उन्हें संचालन कौन करेगा । हमें उपाध्यक्ष के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनके वर्ताव के बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कल जो बर्ताव उन्होंने श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे सदस्य के साथ किया और सारे नियमों को ताक पर रख दिया और डिवीजन की मांग की गई उसे भी उन्होंने इस तरह से किया कि आज तक इस हाउस में ऐसा नहीं हुआ । इस सदन में पहली बार ऐसी घटना हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : थर्ड रीडिंग पर पार्टी के हिसाब से बोलने का कोई नियम नहीं है।

श्री वसन्त साठे : आपको मालूम ही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जैसे आप यहां थे।

श्री राजेश कुमार सिंह : बिल पास हुआ ही नहीं है। मेरी मांग है बिल को दोबारा पास किया जाये इस सदन में।

प्रो० मधु दंडवते : मैं औपचारिक रूप से सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : विधेयक पारित नहीं हुआ था। विपक्ष ने मत विभाजन के लिए कहा था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी विधेयक को पारित करने की एक प्रक्रिया है। अध्यक्षपीठ को सभा की राय जाननी होती है। कल अध्यक्षपीठ ने सभा की राय नहीं ली और उन्होंने सभा की राय लिये बिना घोषणा की कि विधेयक पारित हो गया।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इससे पहले कि आप अपना विनिर्णय दें, मैं वाद-विवाद के परिसमापन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मेरे पास कौल तथा शकधर "लिखित प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट" खण्ड-2 है; मैं इसके पृष्ठ 788 और 789 से पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है :

> अध्यक्ष प्रश्न को सभा के मतदान के लिये रखते हैं और कहते हैं,
>
> प्रश्न यह है :
>
> कि विधेयक पारित किया जाए।"

और अध्यक्ष सदस्य द्वारा यथा प्रस्तावित प्रस्ताव को दोहराते हैं। जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो इसके विपक्ष में हों 'न' कहें।

यदि अध्यक्ष की राय को चुनौती न दी जाए तो वह दो बार कहता है 'हां' वाले जीते और सभा के विचाराधीन प्रस्ताव का निर्णय तदनुसार किया जाता है।

"यदि किसी प्रस्ताव पर निर्णय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय को चुनौती दी जाती है तो अध्यक्ष यह आदेश देता है कि भीतरी कक्ष (लाबी) से सभा के सदस्यों के अतिरिक्त सबको निकाल दिया जाए। लगभग तीन मिनट बीत जाने पर अध्यक्ष दोबारा प्रस्ताव रखता है और यह घोषणा करता है कि उसके विचार से 'हां' करने वाले जीते हैं या कि न' करने वाले। यदि उसकी इस प्रकार व्यक्त राय को फिर चुनौती दी जाती है,तो अध्यक्ष यह निर्देश देता है कि मत स्वचालित मत-यन्त्र के माध्यम से लिए जाए या सदस्यों द्वारा सभा में 'हां' या 'न' की पर्चियां डालकर अथवा सदस्यों द्वारा लाबी में जाकर मत डालकर मतदान किया जाए।"

मैं अपने कल के अनुभव से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तीसरे वाचन की स्थित पर श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकारा गया था और वे खड़े हो गए थे। जब वे खडे थे, तो श्री रामावतार शास्त्री ने उपाध्यक्ष को प्रक्रिया की अपेक्षा की याद दिलाई,"मैंने तीसरे वाचन पर बोलने के लिए पहले ही लिखित नोटिस दिया हुआ है। मैंने वे मुद्दे बताये हैं जिन पर मैं बोलना चाहता हूं।' उपाध्यक्ष उन दोनों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा 'मैं प्रत्येक दल के केवल एक सदस्य को अनुमति दूंगा।' इस पर हममें से अधिक लोग खड़े हुए और कहा कि जहां तक तीसरे वाचन का संबंध है, दल की सम्बद्धता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। एक ही दल के दस सदस्य तक बोल सकते हैं यदि वे अपने मुद्दे बतायें जिन पर वे बोलना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने श्री इन्द्रजीत गुप्त से कहा, "यदि आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।"

मैं आपकी अनुमति से निवेदन कर रहा हूं। इसके बाद श्री इन्द्रजीत गुप्त को जब कहा गया 'यदि आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं अनुमति नहीं दूंगा; वे मौन बैठ गये। वास्तव में श्री इन्द्रजीत गुप्त, एक वरिष्ठ सदस्य का अपमान किया गया था। इसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और प्रस्ताव को मतदान के लिए रख दिया और हमें उनके निर्णय को चुनौती देने अथवा मत-विभाजन के लिए कहने का कोई अवसर नहीं मिला···(**व्यवधान**)···इसलिए मेरी राय यह है कि विधेयक पारित नहीं हुआ है···

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : ये सब बातें बेकार हैं। चूंकि उपाध्यक्ष ने अपना विनिर्णय दे दिया है कि विधेयक पारित हुआ, हम इस पर और उपाध्यक्ष के विनिर्णय के प्रश्न पर फिर से विचार नहीं कर सकते हैं···(**व्यवधान**)···क्या आप इस पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं?··· (**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इससे पूर्व कि आप अपना विनिर्णय दें, हम 'टेप' सुनना चाहते हैं। हमें इसका अधिकार है। आप भी इसे सुनना चाहेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, एक तो उपाध्यक्ष महोदय का बिहेवियर बहुत खराब है। दूसर बिल पास नहीं हुआ है। तीसरे, इस तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग्ज चलाना नियमों का हनन है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कुछ टिप्पणी करेंगे अथवा अपना विनिर्णय देने लगे हैं ? मुझे नहीं पता । सबसे पहले मैं पूरी सभा से अपना खेद व्यक्त करना चाहता हूं। सामान्यतया मैं यहां पर आसानी से अपना संतुलन नहीं खोता हूं । कल मुझे उत्तेजित किया गया था। मैं थोड़ा क्रुद्ध हो गया था । इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।

आपको केवल दो बातों पर विचार करना है। एक यह कि क्या इस विधेयक को सभा में उचित ढंग से रखा गया था और इसे पारित घोषित करने से पूर्व इस पर मतदान कराया गया था अथवा राय ली गई थी। यह हमारा विचार है और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि सभा की राय नहीं ली गई थी··· (व्यवधान) आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में भी देख सकते हैं। इसे काफी पहले लिया गया था। इसे अन्तिम चरण में नहीं लिया गया था—। आपको टेप भी सुनना चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है ।

दूसरी बात उपाध्यक्ष के वर्ताव के संबंध में है। मैं इसे अशोभनीय बर्ताव मानता हूं। उन्हें इस तरह **बर्ताव नहीं करना चाहिये था। उन्हें ऐसा **अधिकार नहीं है सभा के एक सदस्य हैं···

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आप उचित प्रस्ताव के बिना उपाध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी तो कोई सुनता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, आप निर्णय दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बोल रहे हैं ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये । मेरी समझ में नहीं आता आप सब लोग एक साथ क्यों उठ रहे हैं ? कृपया मेरी बात सुनिये ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप सारे आदमी एक साथ बात कर रहे हैं। इससे कोई तत्व नहीं निकलता है। आप कर रहे हैं। आपकी बात एक ठीक है। उन्होंने अपने विषय में कहा है। बड़े सियाने

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

आदमी हैं। बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। हमेशा मैं देखता हूं, वे सन्तोष से बात करते हैं। उन्होंने जो कहा है उनको भी इस बात का खेद है। उन्होंने खेद व्यक्त किया है, मैंने भी टैम्पर लूज किया है। वे भी ऐसा महसूस करते हैं। हर एक बात को ठीक ढंग से सुनना चाहिए और करना चाहिये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। आप बीच में बोल रहे हैं। आप ने मेरी बात गड़बड़ कर दी।

...(व्यवधान)...

श्री हरीश कुमार गंगवार : उनकों नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वे सरकार में बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सुन लें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इनको सुनना चाहिए या नहीं। ये सुनने के लिए नहीं बने हैं तो और किस लिए बने हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जब उपाध्यक्ष जी होते हैं, तभी गड़बड़ी होती है, आपके समय में क्यों नहीं होती है।

श्री राम विलास पासवान : उनके समय में जीरो-ओवर में भी गडबडी हो जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमें उनके व्यवहार के लिए उनके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिये था। हमारे पास समय नही है क्योंकि चौदह दिन का नोटिस देना होता है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए दुनिया में भी कभी-कभी जो आदमी है...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : हम सारे एग्री करते हैं। इन्सान इन्सान हैं। उसमें गुस्सा भी आ जाता है और उससे गलतियां भी हो जाती हैं। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिये। मैं कभी-कभी बनावटी गुस्सा भी करता हूं। यह मैंने इसीलिए बता दिया कि सात दिन रह गए हैं। अगर मैं करूंगा भी तो आप माफ कर देंगे। मैंने हमेशा यह कहा है...

प्रो० मधु दंडवते : कभी-कभी आप बनावटी तौर पर भी हंसते हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी महानता है वैसे मैं इन्द्रजीत गुप्ता से जी प्रार्थना करूंगा कि

उनके दिल को जो चोट पहुंची है, मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं। यहां ऐसा सदन में हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सदन में चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सभी सदस्य हैं। अब सारे यह समझें कि अपोजीशन और गवर्नमेंट अलहदा हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे भारत पर आप सारे लोगों का राज है।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं उस हिसाब से सोचता हूं। वे समान उत्तरदायी हैं।

प्रो० मधु दंडवते : साथ में हम चाय पीते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि उसका निर्णय उस हिसाब से हो सकता है। अगर नर्मी रहती, कोई गर्मी हो जाती है, ऐसी बात नहीं थी कि यह बात बढ़ जाती। मैंने डिप्टी स्पीकर साहब से बात की है जब से रिकार्ड पर उपाध्यक्ष हैं, हमें उनके खिलाफ उस हिसाब से करना चाहिए, वह हमें नहीं तोड़ना चाहिए अगर वे दो मिनट के लिए नाराज हैं तो भी वे अपने हैं। हम उनको राजी कर लेंगे। आपको भी राजी कर लेंगे। मैं बुला कर राजी कर लूंगा। मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। मैं समझ लूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : वे समझने वाले नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात आप भी नहीं समझते मेरे भाई। एक प्रश्न है जिसके लिए चिन्ता है। मैंने पहले भी रात को यह सोचा था कि उसको सुन लें। रिकार्ड को सुनकर फिर जो व्यवस्था है, उसको कर दें। न होम मिनिस्टर को कोई व्यवधान था, न उनको शिकायत थी। वह समझते थे, यदि इसको दोबारा करना है तो उसमें भी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन प्रश्न इतना ही होगा कि सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारी कार्यवाही होगी मैं किसी विधेयक का पारित बिना पारित और फिर उसे पारित नहीं कर सकता हूं। यह मेरे लिए असम्भव है दूसरा एक और बिल आ रहा है, उसमें जितना चाहोगे, उतना बोल देंगे। मैं आपको बताऊं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूंगा। बुला कर सुनवा दूंगा। यह हाऊस की चीज है। मेरी थोड़ी ही है। न गवर्नमेंट की है और न आपकी है।

प्रो० मधु दंडवते : आप टेप क्यों सुनना चाहते हैं? कृपया हमारी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो रोज ही सुनता हूं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : एक बात और बताना चाहता हूं। आप देखते है किस तरीके से, मौहार्द से प्रेम से सब मिलकर काम करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम तय करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, आप कहते हैं नहीं स्पीकर साहब, इसमें तीन घंटे या चार घटे रख दीजिये लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि कल इस बिल पर 6 घंटे लग गये जबकि इसके लिये सिर्फ 2 ही घंटे रखे गये थे। अगर 10 मिनट और भी लग जाते तो आसमान नहीं गिर जाता। इसलिये मैं कहता हूं कि सारा काम मिलकर होता है। कल जार्ज साहब एक घंटा बोले जबकि 2 घंटे इस बिल के लिये एलाट किये गए थे। तो सभी मिलकर अपना-अपना विचार कर लें तो काम चल सकता है। अब सात दिन के लिये क्या किसी की बुराई करनी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप निश्चिन्त रहिये सब ठीक ढंग से चलेगा अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : हिन्दी में यदि कोई बोलता है तो वे बिल्कुल नहीं सुनते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, इसके अलावा कि आप और मैं क्या चाहते हैं विधेयक को पारित करने का प्रक्रियात्मक प्रश्न शेष रह जाता है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इस विषय पर फिर से विचार करना उपाध्यक्ष की निन्दा करना होगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। इससे उपाध्यक्ष का मनोबल गिरेगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी के खिलाफ कोई सेन्सर नहीं है। बात भाईचारे की है। सबको मिलकर एक साथ चलना है डिप्टी स्पीकर हमारे हैं और हम भी उनके हैं। हम भी कभी-कभी गुस्सा कर लेते हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। किसी के खिलाफ कोई सेन्सर नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय उनका तर्क गलत था। उन्होंने श्री शास्त्री को अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह अपने दल से दूसरे व्यक्ति थे। जबकि मैंने नोटिस दिया था और अपने दल का प्रतिनिधित्व करना चाहता था। उन्होंने मुझे अवसर नहीं दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर तर्क का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

श्री ईरा अनबारासु : महोदय, श्री लंका में 12,000 तामीलियन बेघर हो गए। रेड क्रास को वहां पर राहत कार्य आरम्भ करने को कहा जाए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मेरा निवेदन है कि तमिलनाडु में दल के नेताओं ने स्वतन्त्रता दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वाहन किया है। यह भारतीय राजनीति में नई बात नहीं है। यहां तक कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डा० बी० सी० राय जो कांग्रेस दल से थे। वे भी एक बार पश्चिम बंगाल के लोगों का स्वतन्त्रता दिवस को एक खास मौके पर शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वाहन किया था ··· (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह दलगत राजनीति है जो आप बाहर कर सकते हैं। मैं न उनके विचार से सहमत हूं और न आपके। मैं किसी भी दल के सदस्यों को किसी भी प्रकार से अपील नहीं करूंगा। यह उनका काम है। आप सब लोग बैठ जाइए। हमने पहले ही निर्णय कर लिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने कार्य सूची की दिशा में परिवर्तन कर दिया है ? यह शून्य काल जैसा लगता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके सिवाय कोई परिवर्तन नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाध्य किया गया है।

श्री के० माया तेवर : हम 21 तारीख को इस मामले पर चर्चा के लिए अनुमति देने के लिए आपके आभारी हैं। परन्तु अब काफी देर हो चुकी है। सब कुछ बर्बाद हो गया है; केवल पांच भवन बचे हैं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कर दिया है ; मैंने स्वयं ऐसा नहीं किया है। आप भी उसमें शामिल थे। आप जो चाहते हैं मैंने वही किया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औषधों के मूल्य कम करना

* 334. **श्री के० ए० राजन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सात औषधों के मूल्यों में कमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन औषधों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के मूल्य में कितनी कमी की गई है,

---

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) एक विवरण लोक सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1984 तक 4 बल्क औषधों और 17 प्रमुख सूत्रयोगों के मूल्यों में कमी की गई थी। संलग्न अनुबन्ध-1 में इन बल्क औषधों और सूत्रयोगों के नाम मूल्य में की गई कमी की मात्रा सहित, दर्शाये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में आई० डी० पी० एल० ने भी 7 सूत्रयोगों के मूल्यों में कमी की है। संलग्न अनुबन्ध-2 में इस बल्क औषधों और सूत्रयोगों के नाम, मूल्य में की गई कमी सहित, दर्शाए गये हैं।

अनुबन्ध-1

इन बल्क औषधों और सूत्रयोगों के ब्यौरे जिनके मूल्यों में जनवरी, 1984 के पश्चात कमी की गई है।

क्र० सं०	बल्क/औषध/सूत्रयोग का नाम	पूर्व मूल्य रु०/किग्रा०	संशोधित मूल्य रु०/किग्रा०	कमी की मात्रा रु०/किग्रा०
1	2	3	4	5
	बल्क औषध			
1.	सल्फामोक्सोल	269.88	235.23	34.65
2.	सालबुटामोल	35.65/ग्राम	19.63/ग्राम	16.02
3.	क्लोरमपेनीकोल पालमीटेड	806.00	733.00	73.00
4	इथम्बुटोल	750.00	681.00	69.00

सूत्र योग

क्र० सं०	फार्मूलेशन का नाम	पैक आकार	पूर्व मूल्य रु०	संशोधित मूल्य रु०	प्रतिशत कमी
1	2	3	4	5	6
1.	एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट ड्राइ सिरप 250 मिग्रा/मिलि	40 मिलि बोतल	13.16	11.74	(—) 10.79
2.	नेप्रोक्सिन गोलियां —- 250मिग्रा/गोलियां	10 का पत्ता	20.24	14.50	(+) 28.36
3.	रिफाम्पिसिन केपसुल्स 150 मिग्रा/केपसुल	1000 की बोतल	99.68	83.88	(—) 15.85
4.	—वही—	4 का पत्ता/ बोतल	4.98	4.32	(—) 13.25
5.	रिफाम्पिसिन केपसुल 150 मिग्रा/केपसुल	12 की बोतल	12.76	10.86	(—) 14.89
6.	रिफाम्पिसिन केपसुल 3000 मिग्रा/केपसुल	4 की बोतल/ पत्ता	8.28	7.02	(—) 15.22
7.	—वही—	1000 की बोतल	183.10	151.50	(—) 17.26
8.	रिफाम्पिसन केपसुल 450 मिग्रा/केपसुल	3 का पत्ता	8.16	6.73	(—) 17.52

1	2	3	4	5	6
9.	ट्राइमेथोप्रिम+सल्फा-मेथोक्साजोल 40 मिग्रा+20 मिग्रा/5 मिलि०	50 मिलि बोतल	6.16	6.02	(—) 2.27
10.	—वही— गोलियां 80+40 मिग्रा	10×10 की	61.20	51.08	(—) 16.54
11.	फ्लूकोर्ट मलहम	15 ग्राम ट्यूब	7.35	3.91	(—) 46.80
12.	फ्लूकोर्ट एन त्वचा मलहम	5 ग्राम ट्यूब	3.00	1.85	(—) 38.33
13.	—वही—	15 ग्राम ट्यूब	18.18	3.77	(—) 53.91
14.	फ्लूकोर्ट एच मलहम	5 ग्राम ट्यूब	7.92	2.91	(—) 63.26
15.	—वही—	15 ग्राम ट्यूब	21.94	6.97	(—) 68.23
16.	फ्लूकोर्ट त्वचा मलहम	0.01 प्रतिशत 15 मिलि बोतल	4.42	2.60	(—) 41.18
17.	फ्लूकोर्ट त्वचा मलहम	0.02 प्रतिशत 15 ग्राम ट्यूब	7.40	3.26	(—) 55.95

अनुबन्ध-2

इंण्डिन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० (कार्पोरेट आफिस)

मूल्यों में कमी दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	उत्पाद	पैकिंग	वर्तमान मूल्य	कम किये गये मूल्य	कमी की मात्रा
			स्टाकिस्ट और हास्पिटल के लिए रु०	स्टाकिस्ट और हास्पिटल के लिए रु०	स्टाकिस्ट और हास्पिटल के लिए रु०
1	2	3	4	5	6
1.	वेन्जाइल पेनिसिलिन सोडियम फ्लट आई पी 5 लाख आई यू	1 शीशी	1.72	1.50	0.22 (12.79 प्रतिशत)
2.	वेन्जाइल पेनिसिलिन सोडियम आई पी 10 लाख आई यू	,,	2.37	2.10	0.27 (11.39 प्रतिशत)
3.	फोर्टिफाइड प्रोकेन वेन्जाइल पेनिसिलिन 4 लाख आई यू	1 शीशी	1.57	1.35	0.22 (14 प्रतिशत)

1	2	3	4	5	6
4.	टेट्रासाइक्लीन केप० 250 मिग्रा	10 × 10	41.48** 40.30*	35.00	6.48* (15.62 प्रतिशत) 5.30**
5.	टेट्रासाइक्लीन केप० 250 मिग्रा	1000 का	383.10* 320.75**	290.00	93.10* (24.30 प्रतिशत) 30.75**
6.	ओ टी सी आई एम इन्जेक्शन ओक्सी टेट्रासाइक्लीन इन्जे०	10 मिलि	3.12	2.80	0.32 (10.25 प्रतिशत)
7.	इडिमेक्स केप० 250 मिग्रा (ओक्सीलिन कैप)	3 का	4.96	4.50	0.46 (9.27 प्रतिशत)

* स्टाकिस्ट

** इन्स्टीटयूशन

श्री के० ए० राजन : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1984 तक कतिपय बल्क औषधियों के मूल्यों में 34.65 रुपए से 69.00 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमी की गई है और कतिपय फार्मुलेशनों के मूल्यों में 10.29 प्रतिशत से 55.95 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम है, देश में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई है । यह केवल आवश्यक औषधियों की कमी का प्रश्न नहीं है। बल्कि मूल्यों का भी प्रश्न है, जो आम आदमी की पहुंच के बाहर है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि बड़ी संख्या में औषध एकक आवश्यक औषधियों के उत्पादन में अपनी क्षमता का 20 प्रतिशत का भी उपयोग नहीं करते हैं। विदेशी औषध कम्पनियों के लगभग 80 से 90 प्रतिशत उत्पादन में सामान्य घरेलू उपचार और विटामिन होते हैं क्योंकि उन्हें इन उत्पादों से अधिक लाभ मिलता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आवश्यक औषधियों के मूल्य में कमी करने के लिए छुटपुट उपाय करने की बजाय क्या वे सम्पूर्ण औषध विषय के सम्बन्ध में व्यापक योजना बनायेंगे। उन्होंने 19 जुलाई को हैदराबाद में एक घोषणा की थी जिसमें औषधियों की अनुपलब्धता के विषय में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक नई नीति का प्रस्ताव रखा जिससे आम जनता को दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह व्यापक नीति क्या है जिसे वे लाना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं कि लोगों को दवाएं निःशुल्क और आवश्यक औषधियां सस्ती दरों पर मिलें ?

श्री वसंत साठे : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इसमें कुछ भ्रान्ति है। 7 औषधियों के घोषित किए गए मूल्य कारखाना मूल्य के रूप में जाने-जाने वाले मूल्य हैं। यह स्टाकिस्टों अथवा अस्पतालों को भेजे जाते हैं। परन्तु स्टाकिस्ट उसमें अपना लाभ जोड़ते हैं जो कि 20 प्रतिशत है और वही उपभोक्ता मूल्य होते हैं। अतः जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है जो मूल्य कम किए गए थे वे भी उपभोक्ता मूल्यों में दर्शाए गए आनुपातिक मूल्य हो सके। अतः जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है, अब कोई भ्रान्ति नहीं है। जो आंकड़े समाचारपत्रों में दिए हैं वे मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों से भिन्न हैं। अंतर 'स्टाकिस्टों' के 'कमीशन' के कारण है। इसलिए वस्तुस्थिति यह है।

महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग पर हम 1978 की औषधि नीति का पालन कर रहे हैं जिसमें औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 'बी०आई०सी०पी०' में उसके ध्यान में आई लागत के अनुसार मूल्यों की सिफारिश की थी और मूल्य 'बी० आई०पी०पी०' की सिफारिशों के अनुसार घटाये अथवा बढ़ाए जाते हैं। अतः प्रत्येक अवसर पर जब यह रिपोर्ट आती है तब मूल्य घटाये अथवा बढ़ाये जाते हैं। हम स्थायी तौर पर मूल्य निर्धारण की कोई सामान्य नीति नहीं बना सकते। अन्यथा मूल्यों को बढ़ाने अथवा घटाने की कोई सम्भावना नहीं रह जायेगी।

अब श्रीमान, नई औषधि नीति में जो कि विचाराधीन है, हमें कर्णधार समिति की रिपोर्ट एक या दो दिन में प्राप्त होनी वाली है। उसके बाद वह राष्ट्रीय औषध परिषद के पास आएगी। तत्पश्चात ही संसद के समक्ष औषधि नीति प्रस्तुत कर पाऊंगा जिसका उद्देश्य जनता के लिए आवश्यक औषधियों के उत्पादन और उसकी किस्म को सुनिश्चित करना है।

श्री के० एल० राजन : दुर्भाग्यवश, देश में बीमारियों के स्वरूप और निर्मित औषधियों की किस्म में कोई तालमेल नहीं है। यदि आप एक दृष्टि से आंकड़ों पर ध्यान दें, तो इन परिस्थितियों के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिम्मेदार हैं। एक अनुमान के अनुसार, विश्व के 30 प्रतिशत कुष्ठरोगी भारत में हैं और एक करोड़ लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। परन्तु उत्पादन की प्रणाली क्या है ? इन सभी के विपरीत उत्पादन का 47.3 प्रतिशत भाग 'विटामिनों, टॉनिक्स' और एंटी बायोटिक, आदि का है। मैं माननीय मंत्री महोदय को केवल यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्हें इनमें परस्पर संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए जब तक वह सारी व्यवस्था को ध्यान में रख कर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे जब तक बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को एक ऐसी प्रणाली के अनुसरण करने के लिये सहमत नहीं कराया जाता जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए सहायक हो, स्थिति, और भी खराब हो जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर मन्त्री जी का क्या विचार है ?

श्री वसंत साठे : हमारा विचार यह है कि जो औषधियां तपेदिक और कुष्ठरोग के लिये आवश्यक हैं, उनके देशीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो, जिन औषधियों का निर्माण हम नहीं करते हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति हेतु हम उनका आयात भी करें हम रिफैपिसिन' जैसी औषधियों जो कि तपेदिक रोधी और कुष्ठरोग रोधी भी हैं के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं सदन को सूचित कर दूं कि हमने हाल ही में इस तपेदिक रोधी और कुष्ठ रोग रोधी औषधि के मूल्य में भारी कमी की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं कि सरकार ने इस तथ्य को महसूस किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, आवश्यक औषधियों के मूल्य में वास्तव में भारी वृद्धि हुई है। इस विचार से कि आवश्यक औषधियां लोगों को उपलब्ध हों, कुछ औषधियों के मूल्यों में कमी की गई है। परन्तु आज, यह सच है कि सामान्य व्यक्ति को औषधि के मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण कठिनाई होती है। आप केवल तपेदिक रोधी और कुष्ठ-रोग रोधी आवश्यक औषधियों की बातें करते हैं। ज्वर, सर्दी आदि के लिये जो औषधियां सामान्य व्यक्ति प्रयोग करते हैं और विटामिनों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है ; और सरकार के अच्छे इरादों के बावजूद वे सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार सोचती है कि अब समय आ गया है कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा नीति बनाई जाए ताकि सामान्य व्यक्ति का बीमा न केवल 5,6 अथवा 7 आवश्यक औषधियों जिनको आपने श्रेणीबद्ध किया है, के लिये हो वरन् उन आवश्यक औषधियों के लिये भी हो जिनका आज सामान्य लोग उपयोग करते हैं ? क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री वसंत साठे : जहां तक औषधि के क्षेत्र में अन्य मदों की लागत सूची की तुलना में मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, वास्तव में स्थिति यह है कि वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक औषधि और दवाइयों के मूल्य सूचकांक में 135.2 से 176 तक वृद्धि हुई है, जबकि अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में कुल मिला कर 217 से 288 तक की वृद्धि हुई है। अतः, जहां तक औषधियों और दवाइयों का सम्बन्ध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें सामान्य मूल्य सूचकांक के अनुपात में वृद्धि हुई है। (**व्यवधान**) आधार वही है ; 1970-71 : 100 (**व्यवधान**)

जहां तक सामान्य नीति का सम्बन्ध है, बीमे के बारे में यह सुझाव मुख्यतः स्वास्थ्य मंत्रालय

से संबद्ध है । परन्तु मैं इस पर सहमत हूं कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए। आज, बड़ी संख्या में रोगियों का औद्योगिक कामगारों आदि जैसे विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अन्तर्गत इलाज किया जाता है। उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो रहे हैं, परन्तु क्या सामान्य जनता के लिए इस प्रकार की कोई योजना चालू की जा सकती है । इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इस आशय के समाचार कि पश्चिमी देशों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबन्धित औषधियां जो हमारे देश में बेची जा रही हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। इनसे जो लोग इनका उपयोग करते हैं उनके लिये काफी गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या मंत्री जी ने यह समाचार पढ़े हैं ? क्या उन्होंने उन पर ध्यान दिया है ? यदि हां, तो क्या उनका इस पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री बसंत साठे : यह भी स्वास्थ्य मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रश्न है, क्योंकि मैं औषधियों पर नियंत्रण नहीं करता हूं । मैं नहीं जानता कि उनका उपयोग किया जाना चाहिए, और क्या वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं अथवा नहीं। अतः बेहतर यह होगा कि माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्री से यह प्रश्न पूछें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपके मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इस देश में यह औषधियां उपयोग की जा सकती हैं अथवा नहीं।

श्री बसंत साठे : मुझे खेद है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैं माननीय मंत्री जी को इन औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिये बधाई देता हूं। रेफेमेसिन, फेंमिबिटोल, फाइन डिनामाइड और आई० एन० एच० के मूल्यों में-जिसकी अलग-अलग लागत 15 रुपये से 21 रुपये तक है कितने प्रतिशत कमी हुई है। क्या वह इन सभी बल्क ड्रग्स, का आयात कर रहे हैं ? क्या उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम और प्रधानमन्त्री द्वारा 2000 ई० के लिये हस्ताक्षर किये गये घोषणा पत्र और जिसे बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, के अनुसार किसी अनुसंधान एजेंसी का अनुदेश दिये हैं कि इस मामले के ब्यौरे की जांच करें और बल्क ड्रग्स का उत्पादन करे तथा यह जांच करें कि यह भारत में उपलब्ध हो सकती हैं ताकि मूल्यों में अधिकतम संभावित सीमा तक कमी की जा सके ? तपेदिक और कुष्ठरोग संख्या 13 और 14—सभी के स्वास्थ्य के बारे में क्या किया गया है ?

श्री बसंत साठे : मैं माननीय सदस्य को इस सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूं। हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : यदि खाद्य पदार्थों पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 40 प्रतिशत से अधिक है तो, इन औषधियों की मूल्य सूचकांक की संरचना क्या है और औषधियों का मूल्य सूची में जीवन रक्षक औषधियों को क्या महत्व दिया जाता है।

श्री वसंत साठे : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि आधार क्या है। मैं मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के आधार पर काम करता हूं, वह सरकारी आंकड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 'पैकेज" आदि क्या हैं।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने 1970 से लेकर अब तक ड्रग नीति में परिवर्तन क्यों नहीं किया। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति से बनाई जाने वाली दवाइयों का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, या उनको बढ़ावा नहीं देना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हैल्थ मिनिस्ट्री बतायेगी।

श्री वसंत साठे : जहां तक ड्रग नीति में परिवर्तन का सम्बन्ध है, कोई भी नीति एकदम से एक या दो सालों में तो परिवर्तित नहीं हो सकती। उस के लिए देखना पड़ता है कि अमुक दवाई का क्या असर है, तीन-चार साल उसको देखा जाता है। फिर मैंने पहले ही कहा कि नई ड्रग नीति लाने के लिए हमने नेशनल ड्रग कौंसिल बनाई है, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज और इस लाइन में विद्वान लोगों को लिया गया है। उनकी सलाह पर ही हम नई पौलिसी बनायेंगे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति भी देश के लिये निहायत उपयोगी और आवश्यक है और उसको भी बढ़ाना चाहिए और हमारा यह प्रयास है कि उसको भी बढ़ाया जाए।

फिल्मों में छोटे बच्चों की भूमिकाएं

*335. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे बच्चों को फिल्मों में अभिनय करने के लिये भूमिकाएं दी जा रही हैं ;

(ख) क्या इससे फिल्मों को देखने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों को कुछ फिल्मों में अभिनय करने के लिए भूमिकाएं दी जाती हैं। मात्र इस बात से कि बच्चों ने फिल्मों में अभिनय किया है, फिल्में देखने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। तथापि, फिल्मों में संवेदनशील मस्तिष्कों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति अवश्य होती है।

(ग) कोई सरकारी उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के लास्ट में कहा है कि फिल्में देखने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तथापि फिल्मों में

संवेदनशील मस्तिष्कों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति अवश्य होती है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसी फिल्म में अगर बच्चे जेब काटते दिखाये जाएं, किसी फिल्म में बच्चों को भीख मांगते दिखाया जाए, यदि हमारे बच्चे इस तरह के बुरे कामों में जाते हैं, किसी का मर्डर करने में जाते हैं, किसी झगड़े में शामिल हो जाते हैं तो इस तरह के कृत्यों का क्या हमारे देश के छोटे बच्चों पर असर नहीं पड़ता, उससे पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित नहीं होते। उनके अन्दर भी ऐसे कामों को करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है मंत्री जी ने कहा कि मस्तिष्क ठीक होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका मस्तिष्क कैसे ठीक होता है, जब कि वे बुरे काम करने लग जाते हैं। बुरे कामों को रोकने के लिए, बहुत सी किताबों में भी और अखबारों तक में कई ऐसे लेख छपते हैं जिनको पढ़कर हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की, मैं उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। उसके कारण हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिये मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री एच० के० एल० भगत : अपने प्रश्न के उत्तर में मैंने स्वीकार किया है कि फिल्मों का असर माइंड पर जाता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि फिल्म किस प्रकार की है और उसका टोटल इफैक्ट माइंड पर क्या होता है। खाली चूंकि बच्चे फिल्म में काम कर रहे हैं, महज इसी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, यह नहीं है, इस मसले को सारी फिल्म के साथ जोड़ना पड़ेगा। कुछ फिल्मों में बच्चों को अच्छे रोल भी दिये जाते हैं और बच्चो को अवार्ड भी दिये जाते हैं। बच्चों के काम करने का अच्छा असर भी होता है। बच्चा फिल्म में काम करता है उसका इफैक्ट अच्छा है या बुरा, यह सारी फिल्म पर डिपैंड करता है।

फिल्म में ऐसी चीज न हो, उसके बारे में गवर्नमेंट ने रीसेंटली, मैंने खुद भी पत्र लिखा है जिसमें फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को कहा है कि गाइडलाइन्स को स्ट्रिक्टली एन्फोर्स किया जाये। उन्होंने कुछ प्रोसीजर भी स्ट्रीमलाइन किये हैं और एक्शन भी लिया है। जो फीलिंग इस हाउस में रही है कि फिल्म गाइडलाइन्स के मुताबिक हो, उसमें सैक्स ज्यादा न हो, वायोलैंस न हो, इस तरह की चीज न हो जिससे फिल्म का असर खराब हो, इसके बारे में मैंने पत्र लिखा है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मंत्री जी ने कहा है कि गाइडलाइन्स दिये हैं, तो वह गाइडलाइन्स क्या हैं ? मंत्री जी चाहते हैं कि बच्चे अच्छा काम अच्छी फिल्म में करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बुरे काम जो बच्चे करते हैं, उनके बारे में क्या गाइडलाइन्स हैं, वह मंत्री जी बतायें।

श्री एच० के० एल० भगत : आनरेबल मेम्बर गाइडलाइन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो गाइडलाइन्स के ओब्जैक्टिव्ज ये हैं : मैं उनमें कुछ गाइडलाइन्स पढ़ रहा हूं—

फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और स्तरों के प्रति जिम्मेवार और संवेदनशील होगा;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर अवांछित रोक न हो; और

(ग) प्रमाणीकरण सामाजिक परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाशील हो।

उसके डिटेल्स में जाकर जो चीजें एवायड करनी चाहिए उनके बारे में बहुत लम्बे प्वाइन्ट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं—

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि :

(1) हिंसा जैसी असामाजिक कार्यों को प्रतिष्ठित न किया जाए अथवा उसे उचित न ठहराया जाए;

(2) अपराधियों की कार्य प्रणाली अथवा दृश्य अथवा किसी प्रकार का अपराध उकसाने वाले अथवा दृश्यों का प्रयोग न किया जाए;

(3) हिंसा निर्दयता और भय के बेमतलब अथवा परिहार्य दृश्य न दिखाए जाएं;

(3.क) शराब पीने को उचित ठहराने अथवा उसे सम्मानजनक बनाने के दृश्य न दिखाए जाएं;

(4) मानवीय संवेदनशीलता को भद्देपन, अश्लीलता और चरित्रहीनता द्वारा कुंठित न किया जाए;

(4 क) दृश्य अथवा शब्दों.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बहुत पढ़ना पड़ेगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : ये मार्गदर्शी सिद्धान्त सभापटल पर पहले रख दिये गये हैं।

श्री के० माया तेवर : अध्यक्ष महोदय, सिनेमा और···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह कुमारी जयललिता के विरुद्ध नहीं बोल सकते।

श्री के० माया तेवर : वह हमेशा ही कुमारी जयललिता पर ध्यान दिए रहते हैं। मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में झगड़ा नहीं होने दूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : दूसरे सदन में क्या होता है उसका जिक्र यहां नहीं किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : वह सदन के बाहर की बात है।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मेरे विचार से, सिनेमी सिनेमा के क्षेत्र ने इस देश के समस्त

समाज की नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है । अध्यक्ष महोदय ने जैसा कि इस सदन को आश्वासन दिया है और इस सदन के माध्यम से सारे देश को कि हिंसा अश्लील दृश्य और ऐसी बातों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा । परन्तु यदि आप समाचार पत्र देखें तो आप इसका प्रभाव देखेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय का उत्तर केवल कागजी है क्योंकि वास्तव में इस पर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है मैं सरकार से भावी पीढ़ी की नैतिकता को बचाने के लिए इन सभी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता हूं । उसके अलावा··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस पर मंत्रालय ही कुछ कर सकता है न कि अध्यक्ष ।

श्री के० माया तेवर : प्रश्न यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो बच्चों को फिल्मों में अभिनय करने से रोके ? इसके अलावा सरकारी सेवा में भी पुरुषों और महिलाओ की सेवा निवृत्ति की आयु होती है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और उच्च न्यायालय के न्यायधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं । किन्तु सिनेमा-अभिनेत्रियों की सेवा निवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं होती । बहुत सी अभिनेत्रियां अपनी आयु कभी नहीं बताती । माताओं की आयु के कलाकार भी यही कहते हैं कि वे अभी हाल ही में पैदा हुए हैं । यह कठिनाई है । इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो चश्में तथा अन्य बातों के कारण युवा दिखाई देते हैं । और बहुत आकर्षक लग रहे हैं, कि क्या बच्चों द्वारा फिल्मों में काम करने पर रोक लगाने तथा फिल्मों में काम करने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया जाएगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : सरकार का बच्चों द्वारा फिल्मों में काम करने पर रोक लगाने तथा फिल्मों में काम करने तथा उन जैसे राजनीतिज्ञों के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : आप जानते ही हैं कि सिनेमा इंडस्ट्रीज कुछ परिवारों के लोगों की इंडस्ट्री बन गई है । मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रतिभा का विकास होना चाहिए । लेकिन प्रतिभा सिर्फ बम्बई में ही नहीं है और सिर्फ एक्टरों और एक्ट्रैसों के बच्चों में ही नहीं है, प्रतिभा गांवों में भी है । मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में जो लोग हैं, वे अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, इसके लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक फिल्म उद्योग का संबंध है यह निजी क्षेत्र में है । इसका विकास देश के सभी भागों में हो रहा है । आज दक्षिण में फिल्म उद्योग का विकास बम्बई से अधिक हो रहा है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की फिल्में बनाने के लिये ऋण प्रदान करता है । ऋण सहायता उन नये और युवा लोगों को भी दी जाती है जो अच्छे आलेख दे सकते हैं । इस क्षेत्र में युवा व्यवसायियों अव्यवसायियों में चाहे वे गांवों से हों या अन्य क्षेत्रों से, कई तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है । यह संतोष का विषय है कि हमारे कुछ नये निर्देशक, निर्माता और कलाकार बहुत अच्छे निकले हैं । वे लोग ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों से हैं ।

जहां तक गांवों में रहने वाले लोगों का सम्बन्ध है, उन्हें नाटक तथा अन्य बातों में प्रोत्साहन देने तथा वहां पर रेडियो और टेलीविजन पहुंचाने का प्रश्न है। उसके लिये भी सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इनाम जीतने वाली कुछ फिल्मों को छोड़कर अधिकांश वाणिज्यिक फिल्में अपराध, हिंसा और काम-वासना से भरी हुई हैं। मंत्री महोदय ने पहले भी कहा है। कि उन्होंने मार्ग निदेश दे दिये हैं यदि मार्ग निदेशों का उल्लंघन हुआ है तो सरकार द्वारा कार्रवाई क्या की गई है। क्या सरकार के पास मार्ग निदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र है। यदि नहीं तो क्या उनका विचार कार्रवाई करने के लिए तंत्र का गठन करने का है ताकि इसे रोका जा सके ?

श्री एच० के० एल० भगत : मार्ग निदेशों के अलावा, मार्ग निदेशों का पालन करने के लिये एक नियमित प्रक्रिया है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी है। उन्होंने हाल ही में प्रक्रिया में सुधार किया है स्क्रीनिंग, समिति फिल्म देखती है। यदि वह इससे संतुष्ट नहीं होती तो दूसरी समिति इस पर विचार करती है। इसके पश्चात यह मामला फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जाता है। तब भी यदि कोई संतुष्ट नहीं होता तो मामला न्यायाधिकरण को भेजा जाता है जिसकी अध्यक्षता उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश करता है। अन्त में सरकार को संशोधन करने का अधिकार होता है। यह प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है।

जहां तक प्रथम प्रश्न का संबंध है निश्चित रूप से मैं बाजार में उपलब्ध सभी फिल्मों से संतुष्ट नहीं हूं। कुछ फिल्मों में कामवासना और हिंसा दिखाई गई है जो मैं पसन्द नहीं करता। किन्तु कुछ मामलों में हमने कार्यवाही की है। वे अदालत में चले जाते हैं और बहुत से मामलों में हम हार गए।

बम्बई टेलीफोन के विस्तार तथा सुधार की योजनाएं

*337. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के पूर्वी उप-नगरों के लिये आगामी छः वर्षों में बम्बई टेलीफोन के विकास, विस्तार तथा सुधार संबंधी योजनायें क्या हैं;

(ख) कितने नये एक्सचेंजों के खोले जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या वर्तमान एक्सचेंजों के लिये कुछ विस्तार योजनायें हैं; और

(घ) उक्त अवधि में विभिन्न वर्गों के टेलीफोन आवेदकों को कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) आगामी तीन वर्षों के दौरान बम्बई के पूर्वी उप-शहरों में 2,2,00 लाइनों की क्षमता की वृद्धि करने की योजनाएं मंजूर की गई हैं 1990 तक अतिरिक्त क्षमता के आबंटन को अन्तिम रूप उस समय दिया जायेगा जब सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी हो जायेगी।

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित नए एक्सचेंज खोले जायेंगे

(एक) घाटकोपर—5000 लाइनें (इलैक्ट्रानिक)

(यूनिट-II)

(दो) शीव 10,000 लाइनें (इलैक्ट्रानिक)

(तीन) मुलुंड 10,000 लाइनें (क्रासबार)

(हाल ही में स्थापित किया गया है)

सातवीं योजना के दौरान मानखुर्द, थाणे एवं घाटकोपर में अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान मौजूदा ऐक्सचेंजों में निम्नलिखित विस्तार कार्य पूरा किये जाने की संभावना है

चेंबूर —1200 लाइनें

पवई —2600 लाइनें

थाण 3600 लाइनें

(घ) इस समय प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को ओ० वाई० टी० के लिए 1 से 2 वर्ष तथा गैर-ओ० वाई० टी० के लिए 3 से 4 वर्ष तक औसत अवधि के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मन्त्री महोदय कहते हैं कि अपना टेलीफोन खरीदें ओ० वाई० टी० के लिए प्रतीक्षा औसत अवधि एक से दो वर्ष है क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई के पूर्वी नगरों में हालांकि टेलीफोन काफी अर्से से लगे हुये हैं किन्तु वे ठीक काम नहीं करते। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह टेलीफोन ऐक्सचेंज की नई इमारतों का निर्माण करते समय इस बात पर भी विचार करेगी कि जब कोई टेलीफोन कनेक्शन लगाया जाय तो प्रणाली मशीनरी भी लगायी जाय ताकि फोन लगाये जाने के बाद तुरन्त काम करना भी आरम्भ कर दे और केवल प्रतिष्ठा का चिन्ह ही न बना रहे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं सदन को कई बार, सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत करा चुका हूं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि टेलीफोन तंत्र तीन स्थानों पर कार्य करता है। पहला स्थान है स्विपिंग जो कि एक्सपेंस में होता है और हम लगातार अधिकाधिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगा रहे हैं जिनका कार्य निष्पादन कहीं बेहतर है, कम शिकायतों की संभावना है, क्योंकि उसमें अन्तःनिर्मित कम्प्यूटर होता है जो प्रत्येक काल को रिकार्ड

करता है और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी भी शिकायत नहीं कर सकते कि उनका बिल गलत है क्योंकि प्रत्येक काल रिकार्ड होती है। दूसरा स्थान है केबल जिसे तकनीकी रूप से बाह्य संयंत्र (प्लांट) कहा जाता है। जहां तक केबलों का सम्बन्ध है हम फाइबर ग्लास के केबल डालने के बारे में सोच रहे हैं जो अधिक प्रभावी है। तीसरा आपके घर पर टेलीफोन है जिसे तकनीकी भाषा में टेलीफोन उपकरण कहा जाता है। हाल ही में हमने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा बनाये जाने वाले टेलीफोन उपकरणों की किस्म सुधारने के लिए कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अधिक बिल बनाने के सम्बन्ध में बम्बई में अत्यधिक शिकायत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विस्तार योजना के एक भाग के रूप में आप नई मशीनें--कम्प्यूटर आदि — भी लगाने जा रहे हैं जिससे इस प्रकार के गलत बिलों और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि पहले मैंने कहा है कि इस नए किस्म की इलैक्ट्रानिक टेलीफोन में इक्विपमेंट तकनालाजी में प्रत्येक काल चाहे वह मिले या न मिले, आंकड़ों में रिकार्ड हो जाती है और आपको छपी हुई मिलती है। यदि आप मेरे साथ बम्बई के टेलीफोन एक्सचेंज में चलें तो मैं आपको स्वयं दिखाऊंगा कि प्रिंट आउट आता है और आपको पता लगता है कि आपने कौन सी बात की है। इसलिए जहां तक इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग उपकरण का सम्बन्ध है गलत बिल की संभावना बहुत कम है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह केवल बम्बई में ही लगाया जा रहा है।

श्री वी० एन० गाडगिल : इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आरम्भ कर दिया गया है, और अधिक किए जायेंगे। उदाहरण के लिये बम्बई में इस वर्ष छः लगाये जाएंगे; दिल्ली में चार लगाये जाएंगे और धीरे-धीरे बड़े एक्सचेंज, इलैक्ट्रानिक डिजिटल एक्सचेंजों में तबदील कर दिये जायेंगे।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, बाम्बे में टेलीफोन सिस्टम में जो करप्शन चल चल रहा है उसके बारे में मैंने इस सदन में तीन-चार बार सवाल उठाये थे, उनके बारे में जवाब भी दिया गया था लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है।

मैं एक बात कहना चाहती हूं। मन्त्री जी ने कहा कि 10 हजार लाइन्स वहां दे रहे हैं, 20 हजार लाइन्स वहां दे रहे हैं लेकिन लोगों का अनुभव यह कहता है कि जब आप किसी से कहते हैं कि तुम्हें टेलीफोन मिल जायेगा तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है और जब किसी केस में जनरल मैनेजर से बात करते हैं तो कनेक्शन देने के बाद उसका टेलीफोन बिगड़ जाएगा। कहां-कहां पर करप्शन—यह भी मैं आपको बता सकती हूं। मेरा एक सुझाव है। खार एक्सचेंज में एक व्यवस्था की गई थी कि जिनके नाम पर इस महीने या नेक्स्ट मंथ में टेलीफोन लगने वाला है उनके नाम लिखे जा रहे थे और जब से नाम लिखे गए तब से मेरा अनुभव है, मैंने पूछ-ताछ की है, खार एक्सचेंज में जो करप्शन चल रहा था लाइन देने के समय, उसमें कुछ रोकथाम हो गई है और

मिनिस्टर ने भी कुछ लिखा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आगे चलकर आप जिन लोगों को नई लाइन देने वाले हैं, तो क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि बाहर बोर्ड पर उनके नाम और एड्रेस लिखे जायेंगे। मेरा अनुभव है कि टेलीफोन के बारे में लेटर आता है कि आपका नम्बर आ आ गया है; अगर आपको टेलीफोन जल्दी चाहिये तो एक हजार रुपए भरिए। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह जो करप्शन होता है; इसको रोकने के लिए आप कोई व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मेरी भी यही शिकायत है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पता लगा कि घर में एक मत है।

श्री वी०एन० गाडगिल : मुझे प्रसन्नता है कि प्रो० दंडवते कम से कम इस मुद्दे पर उनसे सहमत हैं।

जहां तक खार स्थिति एक्सचेंज का सम्बन्ध है, हमने कई कदम उठाए हैं जिसके परिणाम-स्वरूप तथा कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आयी है। उन्होंने एक सुझाव दिया है, किन्तु मुझे मालूम नहीं कि इसका और अधिक विस्तार संभव होगा। जब आप 10,000 कनैक्शन दे रहे हैं तो बोर्ड पर 10,000 नाम लिखना असम्भव होगा। किन्तु हम शायद यह कर सकते हैं, और मैं इस पर विचार करूंगा कि हम एक टाइप की गई सूची तैयार करें नोटिस बोर्ड पर लगा दें मैं इस पर विचार करूंगा।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने दो तीन मामले मेरी जानकारी में लाए हैं, जिन पर मैं तुरंत कार्रवाई कर सका। कुछ मामलों में जिनमें हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, और कम से कम युक्ति युक्त सन्देह नहीं है, जिसके आधार पर स्थानान्तरण किया जा सके, मैंने कुछ लोगों का स्थानान्तरण कर दिया है। मैं अपनी उसी कठिनाई को दोहराऊंगा, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। यह किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप नहीं है। होता यह है कि मैं किसी का स्थानान्तरण करता हूं तो तुरन्त कोई अन्य माननीय सदस्य आ जाता है और कहता है कि अभी आरोप मिथ्या है और आप कृपया इस स्थानान्तरण को रोक दें, इस प्रकार की स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। जहां तक कि मेरा सम्बन्ध है व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि जहां पर भ्रष्टाचार का थोड़ा सा भी सन्देह हो सम्बन्धित व्यक्ति का स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : भीमसिंह जी, क्या आप बम्बई में शामिल हैं।

श्री भीम सिंह : मैं बम्बई में तो शामिल नहीं हूं, लेकिन अभी मन्त्री महोदय ने जो कहा है, उसमें शामिल हूं। अभी मन्त्री महोदय ने तीन प्रकार की खामियों, इन्सट्रूमेंट, केबिल और मशीन के बारे में बताया। चौथे प्रकार की खामी पर मैं जानना चाहता हूं कि उनका ध्यान गया है या नहीं। टेलीफोन आपरेटर ट्रंकाल्स पर दुकानदारों से पैसा फिक्स कर लेते हैं। पैसा नहीं देते हैं, तो टेलीफोन ही नहीं

हैं या झगड़ा करते हैं। जब शिकायत रिजनल आफिसर के पास जाती हैं, तो ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्या मन्त्री जी कोई पालिसी बनायेंगे जो टेलीफोन आपरेटर्स तीन साल तक डिस्ट्रिक्ट में रह गए हैं, उनको दूसरे जिले में ट्रांसफर करें, ताकि करप्शन रुक सके ?

श्री वी० एन० गाडगिल : आप ठीक कहते हैं। अधिकारियों के एक स्तर तक बारी-बारी स्थानान्तरण करने की योजना है जो जारी है। जहां तक टेलीफोन आप्रेटरों का सम्बन्ध है, यह निर्भर करता है। भारत में 10,000 एक्सचेंज हैं और हजारों आप्रेटर हैं। यदि मुझे किसी विशेष मामले की जानकारी दी जाए तो मैं कार्यवाही करूंगा। सुझाव है कि एक समान नीति होनी चाहिए कि यदि एक आप्रेटर एक स्थान पर तीन वर्ष कार्य करता है हमें उसका स्थानान्तरण कर देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा। किन्तु इसमें सुधार की गुंजाइश के साथ जहां तक मुझे ध्यान है कि पहले इस प्रकार की नीति थी, किन्तु यूनियन के साथ बातचीत द्वारा इसे बदल दिया गया।

श्री सुन्दर सिंह : अध्यक्ष जी, टेलीफोन से मैं बहुत तंग हूं।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब से क्या तंग हो।

श्री सुन्दर सिंह : मैं यह कहता हूं कि इसको अपने हाथ में ले लूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इस-आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुन्दर सिंह : जब से मैं मेम्बर बना हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि गुरुदासपुर में टेलीफोन मिल जाए। टेलीफोन करता हूं, वहां से कोई जवाब नहीं मिलता है। कहते हैं कि चौधरी साहब आप लैटर लाते तो जवाब आ जाता। मैं हैरान हूं कि क्या करें। मैं कहता हूं कि आप टेलीफोन क्यों लगाते हो, जितना आप करते हैं, उतना ही करना चाहिए। इस तरह मैं समझता हूं कि हार्ट-एटैक हो जाता है, ऐसी निकम्मी चीज है। मैं सोचता हूं कि मैं तो गालियां निकालने वाला आदमी हूं, वे तो औरतें हैं, मैं तो गालियां भी नहीं निकाल सकता हूं।

···(व्यवधान)···

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रोक्सीवोन के अधिक मूल्य वसूल करना

*336. **श्री अनवार अहमद** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोक्सीवोन की छः गोलियां 4 रुपए में 84 पैसे में बेची जा रही हैं;

(ख) इन गोलियों का स्वीकृत मूल्य क्या है और इन्हें इतने ऊंचे मूल्यों पर बेचे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं की सहायता हेतु इसके मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) इण्डियन फ़ार्मास्यूटिकल गाईड, 1983 के अनुसार, पनामा इण्डस्ट्रीज एण्ड लेबोरेट्रीज के प्रोवसीवोन केप्सूलों का अधिकतम खुदरा मूल्य 6 केप्सूलों के लिए 4.58 रु० है। सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण), आदेश 1979 के अधीन इन केप्सूलों के लिए कोई मूल्य अनुमोदित नहीं किया है। मैं पनामा इण्डस्ट्रीज एण्ड लेबोरेटरीज जो कि लघु उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ने अभी तक सरकार से मूल्य अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, हालांकि यह सूचना मिली है कि उनकी कुल बिक्री 50 लाख रुपए से अधिक की है। कम्पनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा ये निर्देश दिए गए हैं कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन मूल्य निर्धारण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

निर्वाचनों में वायुयानों का उपयोग

339 ***श्री सूरज भान**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री 27 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5127 के उत्तर के प्रति निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 में पिछले लोक सभा निर्वाचनों और उसके बाद विधान सभाओं के निर्वाचनों में भी, राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिए वायुयानों का उपयोग किया गया था; और

(ख) क्या आगामी लोक सभा निर्वाचनों में वायु-यानों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है और विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जानकारी मांगी गई थी। यद्यपि बिहार और महाराष्ट्र सरकारों से उत्तर अभी प्राप्त होने हैं, तथापि अन्य सरकारों और प्रशासनों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि केवल मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वायुयान 1980 के लोक सभा निर्वाचनों के दौरान जनता पार्टी को भाड़े पर उपयोग करने की अनुज्ञा दी थी। उक्त अनुज्ञा सरकारी वायुयान का उपयोग और नियंत्रण नियम, 1959 के नियम 12 के अनुसार तत्कालीन मुख्य मन्त्री के प्राधिकरण के अधीन दी गई थी

(ख) आदर्श आचार संहिता में उपबन्धित मार्गदर्शक सिद्धान्तों को छोड़कर, कोई विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं।

पौराणिक और ऐतिहासिक इत्यादि फिल्मों का निर्माण

*339. **श्री भोखा भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पौराणिक, ऐतिहासिक, वीरता, पराक्रम और पुरातत्व सम्बन्धी विषयों पर फिल्म निर्माण का विचार है;

(ख) खलनायकों तथा हिंसा और सैक्स दर्शाने वाली फिल्मों के नायकों को पुरस्कृत करने के लिए फिल्म समारोहों का आयोजन करने के लिए क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश में फीचर फिल्मों का निर्माण अधिकांशतया निजी क्षेत्र में सीमित है। इसलिए, इस प्रकार के विषयों पर फिल्में बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ऐसे विषयों पर फिल्मों के लिए ऋण देने के बारे में विचार तब करता है जब उनके उपयुक्त आलेख प्राप्त होते हैं और वे निगम को स्वीकार हों।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्देश्य देश में उच्च कोटि की फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना है। पुरस्कार, फिल्मों की विषयवस्तु, सामाजिक संगतता और तकनीकी गुणों, आदि तथा सिनेमा की विभिन्न कलाओं में उत्कृष्ठता के लिए दिये जाते हैं। तथापि, इन पुरस्कारों में सेक्स तथा हिंसा पर फिल्मों को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं है और इसलिए इस प्रकार की फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने के कोई कारण नहीं हैं।

डाक व तार विभाग के कर्मचारयों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

* 340. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के नियम सम्पदा निदेशालय (निर्माण और आवास मंत्रालय) के आवंटन नियमों से भिन्न हैं;

(ख) डाक व तार विभाग ने कितने मामलों में वर्ष 1983-84 के दौरान दुहरा लाभ पहुंचा कर अर्थात तदर्थ आवंटन करके तथा नगर के मध्य में स्थित (डी० आई० जेड०) क्षेत्र में सरकारी आवास आवंटित करके, सरकारी आवासों का आवंटन किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नियमों में परिवर्तन करने का है;

(घ) क्या डाक व तार विभाग के मान्यता प्राप्त संघों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० वी एन० गाडगिल) : (क) जी हां। डाक तार पूल के लिए अलग नियम हैं। फिर भी, क्वार्टरों के आवंटन के बारे में संपदा निदेशालय द्वारा जारी किए गए/सामान्य दिशा निर्देशों को डाक-तार पूल में भी अपनाया जाता है।

(ख) वर्ष 1983-84 में कर्मचारियों को उनकी पात्रता के आधार पर "जी" प्वांइट (डी० आई० जैड० एरिया) में टाइप-I के तीन क्वार्टर तदर्थ आधार पर आवंटित किए गये थे ताकि वे उच्च टाइप के उन क्वार्टरों को खाली कर सकें, जो उनके अधिकार में थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

लिग्नाइट और ताप बिजली संयंत्रों में उसका उपयोग

*341. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में कपुरडी गांव में मेसर्स मिनेरल कारपोरेशन लिमिटेड और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुमान्तः लिग्नाइट के कितने भंडारों का पता चला है;

(ग) क्या उक्त लिग्नाइट का उपयोग करके लिग्नाइट पर आधारित ताप बिजली संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1983 से बाड़मेर जिले के कापुरडी क्षेत्र में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के सम्पूर्ण प्रभार में लिग्नाइट भंडारों का विस्तृत समन्वेषण किया जा रहा है। समन्वेषण कार्य का समन्वय योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ ग्रुप कर रहा है और समन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है। पिछले माह कोयला विभाग में हुई एक बैठक में समन्वेषण कार्य की पुनरीक्षा भी की गई थी। इस बैठक में सभी सम्बंधित व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भी थे। बैठक में समन्वेषण की गति तेज करने के उपाय तय किये गए और यह नोट किया गया कि 1984-85 के अन्त तक ही लिग्नाइट के संभावित भंडारों की पूरी और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। किन्तु फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 100 मीटर गहराई तक लगभग 55 मिलियन टन के भूतत्वीय भंडार अनुमानित किए जाते हैं जिसमें लिग्नाइट और ऊपरी मलवे का अनुपात 1:15 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

*342. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **संचार** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अधिक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) खारगौन जिले में किस-किस टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस राज्य में 1984-85 के दौरान प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़े जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन०गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) खारगौन जिले के उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम नीचे दिये गये हैं, जिनका 1984-85 के दौरान विस्तार किये जाने की संभावना है ।

	एक्सचेंजों का नाम	लाइनों का विस्तार
1.	बरवहा	50 लाइनें
2.	खारगौन	120 लाइनें
3.	भीकागांव	10 लाइनें
4.	सेंधवा	120 लाइनें

(ग) मध्य प्रदेश में 1984-85 में जोड़ी जाने वाली नई टेलीफोन लाइनों की संभावित संख्या लगभग 10,000 है । 1984-85 के दौरान जिन बड़े एक्सचेंजों का विस्तार किया जाना है । उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अनुबन्ध-"एक"

1984-85 में जिन एक्सचेंजों का विस्तार किया जाना है, उनकी सूची

क्रम सं०	एक्सचेंजों का नाम	लाइनों की संख्या	[से—तक]
1	2	3	4
	एम ए एक्स-1		
1.	जबलपुर एक्स बी	1000	(7000-8000)
2.	ग्वालियर एक्स बी	500	(4500-5000)

1	2	3	4
3.	भोपाल अरेरा	1200	(5100-6300)
4.	भोपाल सिटी	1500	(4500-6000)
5.	रायपुर	900	(5400-6300)
6.	उज्जैन	600	(2400-3000)
7.	बिलासपुर	600	(1800-2400)
	एम ए एक्स-II		
1.	नरसिंहपुर	300 मुख्य	सी बी एंन एम का परिवर्तन
2.	शहडोल	400 मुख्य	सी बी एन एम का परिवर्तन
3.	मुरैना	100	(500-600)
4.	मन्दसौर	100	(700-800)
5.	रीवा	100	(700-800)
6.	दमोह	100	(400-500)
7.	डेरागढ़	100	(300-400)
8.	देवास	200	(700-900)
9.	बुशनपुर	100	(1000-1100
	सी० बी० एम०		
1.	अम्बिकापुर	120	(360-480)
2.	भिंड	120	(360-480)
3.	कोरबा	120	(600-720)
4.	नीमच	120	(840-960)

1	2	3	4
5.	रतलाम	360	(1560-1920)
	सी बी एन एम से सी बी एम में बदली		
1.	बैदुल	60	(300-360)
2.	खारगौन	120	(240-360)
3.	छत्तरपुर	60	(300-360)
4.	शिवपुरी	180	(360-480)
5.	धार	120	(240-360)
6.	सेंधवा	160	(300-260)
	सी बी एन एम का विस्तार :		
1.	शाहजहांपुर	80	(220-300)
2.	नागदा	50	(200-250)
3.	मनिद्रगढ़	50	(150-200)
4.	उमरिया	40	(60-100)
5.	पारासिया	80	(220-300)
6.	जुन्नारदेव	50	(100-150)

शीरा, अल्कोहल तथा औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन

*343. श्री० ए० के० राय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में पेय और औद्योगिक किस्म के शीरे और अल्कोहल का पृथक-पृथक कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या इस अवधि में पावर अल्कोहल का भी उत्पादन हुआ है, यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है;

(ग) देश में गत चार वर्षों से औद्योगिक अल्कोहल को पेय अल्कोहल में बदलने की रही है; और

(घ) क्या राज्यों की प्रवृति औद्योगिक अल्कोहल को पेय अल्कोहल में बदलने की रही है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) गत तीन अल्कोहल वर्षों के दौरान देश में शीरा और अल्कोहल का उत्पादन और खपत, औद्योगिक प्रयोजनार्थ खपत सहित, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

2. यदि आवश्यक हुआ तो पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिये एबसोलूट अल्कोहल का प्रयोग परवर अल्कोहल के रूप में किया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार एब्सोलूट अल्कोहल (इथाइल अल्कोहल 99.5 प्रतिशत बी/बी) का निर्माण करने की सुविधाओं के साथ इस समय देश में 5 आसवनियां हैं। एब्सोलूट अल्कोहल के वास्तविक उत्पादन से संबंधित सचना अलग से संकलित नहीं की जा रही है ;

3. सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक अल्कोहल की माँग का अनुमान लगाया जाता है और प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय शीरा बोर्ड को सूचित किया जाता है। गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में लगाये गए ऐसे अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा लाख लीटर में
1979-80	2991.50
1980-81	3342.83
1981-82	3259.13
1982-83	3324.86

4. अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अल्कोहल का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। अल्कोहल वर्ष 1983-84 से औद्योगिक और पेय प्रयोजनों के लिये ऐसे आवंटन अलग-अलग किए जा रहे हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इस प्रकार आबंटित अल्कोहल का प्रयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए किया गया है। अल्कोहल की अधिकमा वाले राज्य इन प्रयोगों के लिये स्वयं आवंटन करते हैं।

विवरण

1980-81, 1981-82, 1982-83 के दौरान अल्कोहल का उत्पादन

(लाख लीटर में)

	1980-81	1981-82	1982-83
उत्पादन	4388.56	5153.74	5355.00
खपत			
औद्योगिक खपत	1988.89	2228.77	2183.97
पेय खपत	2079.15	2540.22	2862.55
अन्य	183.64	293.47	331.99
कुल खपत	4171.68	5062.45	5378.51

शीरा

(लाख टनों में)

उत्पादन	21.98	39.93	33.75
उपयोग			
अल्कोहल उत्पादन के लिए	18.872	22.061	23.255
अन्य प्रयोगों के लिये	1.956	2.705	5.592
कुल उपयोग	20.820	24.766	28.847

टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन

* 344. **श्री मोहन लाल पटेल**
श्री कृष्ण कुमार गोयल } : क्या संचार मन्त्री डाक और तार विभाग में टेलीफोनों की अत्यन्त कमी के बारे में 22 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन उपकरणों की भारी कमी है और दिल्ली स्थित ईदगाह और बम्बई स्थित वर्ली टेलीफोन एक्सचेन्ज की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों टेलीफोन एक्सचेंजों को टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) देश में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने वाले और अधिक एककों की स्थापना करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां, जहां तक समूचे देश के लिये टेलीफोन का उपस्करों का सम्बन्ध है। जहां तक ईदगाह (दिल्ली) और वर्ली (बम्बई) के लिए टेलीफोन उपकरणों का सम्बन्ध है, इनकी कोई कमी नहीं है।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि इन दोनों एक्सचेंजों में ऐसी कोई कमी नहीं है इसलिये कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय देश में इलेक्ट्रानिक अंकीय स्विचन उपस्कर की प्रतिवर्ष पांच-पांच लाख लाइनों का विनिर्माण करने वाली दो नई फैक्टरियां स्थापित की जा रही हैं। टेलीफोन उपकरण, संचारण उपस्कर और अन्य टेलीफोन उपकरणों की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

*345 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के लिये सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) केन्द्र द्वारा इसमें सहायता के लिये कितने योजना-परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत कार्यक्रम के आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मुख्य निर्वाचक आफिसरों के सम्मेलनों में की गई सिफारिशें

* 346. **श्री बी० वी०देसाई**
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचनों और आगामी निर्वाचनों के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में तारीख 13 जुलाई, 1984 को मुख्य निर्वाचक आफिसरों का एक तीन दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में बहुत सी सिफारिशें की गई थी जिनमें लोक सभा के साथ-साथ विधान सभाओं का निर्वाचन कराना भी सम्मिलित है;

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन सिफारिशों को आगामी निर्वाचनों के दौरान कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन आफिसरों के सम्मेलन में की गई विभिन्न सिफारिशों को सूत्रबद्ध किया जा रहा है। और ऐसी सिफारिशें, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति या विधायन की अपेक्षा होगी, सम्यक् अनुक्रम में सरकार को भेज दी जाएंगी।

(घ) सरकार आयोग के प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रही है।

बिहार में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

*347. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अधिकांश जिलों अर्थात् नालंदा, नवादा, औरंगाबाद आदि में अभी तक दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारित करने की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर, पटना और गया दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नहीं आते हैं क्योंकि उन सभी केन्द्रों के ट्रांसमीशन स्टेशनों की शक्ति बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में भी दूरदर्शन कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : नालंदा, नवादा और औरंगाबाद जिले के भागों में दूरदर्शन सेवा पटना जा रहे लगाए 10 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर जो चालू वर्ष के अन्त तक चालू हो जाएगा,से प्राप्त होने की उम्मीद है हाथ में ली गई योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर, 1984-85 के अन्त तक दूरदर्शन सेवा बिहार के 31 जिलों में उपलब्ध हो जायेगी और यह राज्य की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होगी।

कम्प्यूटरों का श्रमिकों पर प्रभाव

*348. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के आयात से श्रमिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कम्प्यूटर आयात करने के लिए पेश किए गये आवेदन-पत्र पर विचार करने से पहले आवेदक को कुछ इस प्रकार की गारन्टियां देनी पड़ेंगी कि किसी भी कर्मकार की छंटनी नहीं की जायेगी, यदि कोई कर्मकार फालतू रह जाता है तो उसे नौकरी में लगा लिया जाएगा, कमाई या मजदूरी में कोई हानि नहीं होगी, कार्य-दशाओं पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए जायेंगे, आदि। इन शर्तों को देखते हुए, कम्प्यूटरों के आयात से श्रमिक-कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिल्ली में बिजली एककों में सुधार की योजना

*349. **श्री चिंतामणि जैना**
श्री नवीन रावणी } क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बिजली एककों में सुधार लाने की कोई योजना बनाई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ख) यह कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है और इससे बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(ग) क्या सरकार देश में अन्य बिजली संयंत्रों विशेषकर गुजरात के बिजली संयंत्रों में सुधार करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इन्द्रप्रस्थ और राजघाट विद्युत केन्द्रों में अपने विद्युत उत्पादन संयंत्रों के नवीकरण के लिए स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 12.73 करोड़ रुपये है। नवीकरण कार्यक्रम के संबन्ध में कार्य 1983-84 में शुरू किया जा चुका है और 1985-86 में पूरा हो जाने की आशा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वित हो जाने के बाद प्रतिवर्ष 490 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की आशा है।

(ग) देश में लगभग 36 ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है, इस स्कीम पर तीन वर्ष के दौरान लगभग 500 करोड़ रुपये लागत आएगी। गुजरात बिजली बोर्ड के धुवारण, गांधी नगर और उकई ताप विद्युत केन्द्र भी इस स्कीम में नवीकरण के लिए शामिल हैं।

ताशकंद में होने वाले फिल्म समारोह के लिए चुनी गई फिल्में

*350. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस में भारतीय फिल्में बहुत लोक प्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में ताशकंद में होने वाले फिल्म समारोह में प्रदर्शन में होने वाले फिल्म समारोह में प्रदर्शन के लिए भारतीय फिल्मों के चयन हेतु कुछ प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो भारत में आये प्रतिनिधिमण्डलों ने कितनी भारतीय फिल्मों को चुना है तथा उन फिल्मों के नाम क्या हैं; और

(घ) भारत के दौरे पर आये हुये प्रतिनिधि मण्डलों ने समारोह में भाग लेने के लिये जिन भारतीय फिल्म अभिनेताओं/निर्देशकों/निर्माताओं आदि को आमंत्रित किया है उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल भगत): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। ताशकन्द फिल्म समारोह, जिसके 23 मई से 2 जून, 1984 तक होने का कार्यक्रम था, में प्रदर्शित करने के लिए भारतीय फिल्मों का चयन करने के लिए एक रूसी शिष्ट-मंडल ने भारत की यात्रा की थी।

ग) और (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1. ताशकंद फिल्म समारोह, 1984 के लिए आमन्त्रित भारतीय फिल्मों की सूची ।

1. दर्द का रिश्ता
2. रजिया सुल्तान
3. तकदीर
4. मशाल
5. कालका
6. बोक्सर
7. रंग बिरंगी
8. मंडी
9. आनन्द और आनन्द
10. मजदूर
11. तरंग
12. पुकार
13. तेरी कसम
14. वंकेर मारगय्या
15. तोहफा
16. अर्थ सत्य
17. एक जान हैं हम
18. उत्सव
19. अगर तुम न होते
20. सागर संगमम

21 36 चौरंगी लेन

22. ओलंगल

23. नमक हलाल

24. वो सात दिन

25. फटीक चन्द

26. बेताब

27. माँ

2. ताशकन्द फिल्म समारोह, 1984 में आमन्त्रित फिल्मी हस्तियों की सूची।

1. श्रीमती मालती ताम्बे वैद्य

2. श्री मृणाल सेन

3. श्री राज कपूर

4. श्री गुलशन राय

5. श्री गोविन्द निहलानी

6. श्री एस० बालचन्द्र

7. श्री गिरिश करनार्ड

8. श्री एम० सवानी

9. श्री एस० कृष्ण स्वामी

10. श्रीमती और श्री टी० एस० नरसिम्हन

11. श्री राम मूर्ति (एफ० पी० जी० एस० आई०)

12. श्री राजेन्द्र सिंह

13. श्री जे० धुखानी

14. श्री एस० के० जैन

15. कुमारी पूनम ढिल्लो

16. कुमारी स्मिता पाटिल

17. कुमारी जीनत अमान

18. कुमारी सविता

19. कुमारी सुरेखा

20. श्री अमिताभ बच्चन

21. श्री शशि कपूर

22. श्री देव आनन्द

23. कुमारी आशा सचदेव

24. श्री संजय खां

25. श्री गुल आनन्द

26. कुमारी सुजाता

27. श्री अली पीटर जोन

28. श्री हरभजन सिंह

29. श्री पी० पी० साठे

30. श्रीमती और श्री ए० के० मिश्र

31. श्री रवि मिश्र

32. श्री संजीव भार्गव

33. श्री राजीव भार्गव

34. श्रीमती और श्री एस० के० अग्रवाल

35. श्रीमती गीतां सैन

36. श्रीमती और श्री उप्पल दत्त

37. श्री अमल भट्टाचार्य

38. श्री तपस घर

39. श्री एन० घोष

40. श्री आर० ए० जलान

41. श्री शेखर चटर्जी

42. श्रीमती पुष्पा चोखानी

43. श्रीमती और श्री आर० डी० बंसल

44. श्रीमती और श्री कमल बंसल

"बम्बई हाई" से प्राकृतिक गैस का उत्पादन

*351. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई के तटदूर क्षेत्रों से इस समय प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन होता है; और

(ख) क्या "विद्युत उत्पादन के लिए बम्बई हाई" से प्राप्त प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमतिदिये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस का औसत दैनिक उत्पादन 1984-85 की पहली तिमाही के दौरान 10.7 मिलियन घन मीटर था ।

(ख) विद्युत उत्पादन हेतु बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस की सप्लाई सीमित मात्रा में की जा रही है।

रसायन और उर्वरक संयंत्रों के कारगर-ढंग से रख-रखाव संबंधी विचार गोष्ठी

*352. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और उर्वरक संयंत्रों के कारगर ढंग से रख-रखाव संबंधी दो दिवसीय विचारगोष्ठी में बताया गया था कि उर्वरक संयंत्रों में यांत्रिक खराबी के कारण संयंत्रों को अकस्मात बंद करने के फलस्वरूप वर्ष 1983-84 नत्रजनीय उर्वरक और फास्फेटिक पेंटाआक्साइड के उत्पादन में क्रमश: 4, 21, 000 टन और 50, 000 टन की कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस तरह की यांत्रिक खराबी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उर्वरक और रसायन संयंत्रों के प्रभावी रख-रखाव सम्बन्धी कथित दो दिवसीय विचार-गोष्ठी, की कार्यवाही मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है। संभवत:, संदर्भ उपस्कर समस्याओं के कारण, 1983-84 के दौरान 4,21,000 टन नाइट्रोजन तथा 50, 000 टन पी2 ओ5 के उत्पादन हानि की ओर है। इनमें यांत्रिक खराबियाँ, बिजली के झटके आदि के कारण उपस्करों की क्षति, तथा डिजाइन की त्रुटि शामिल है। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए, उर्वरक संयंत्रों द्वारा नियमित निवारक एवं पूर्व सूचक रख-रखाव के अतिरिक्त नवीकरण प्रतिस्थापन, अड़चनों को दूर करने आदि तथा जहां कहीं आवश्यक हो, संतुलन उपस्कर लगाने जैसी योजनायें तैयार की गयी हैं। जहाँ तक बिजली के झटकों के कारण क्षति का सम्बन्ध है, नीति के रूप में, मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रही है। जहां तक सम्भव हो आर्थिक दृष्टि से युक्ति संगत और अधिक से अधिक कैप्टिव जनरेटिंग क्षमता स्थापित करके पावर की कमी या वोल्टेज में गड़बड़ी के कारण होने वाली क्षति को कम किया जाये।

चंद्रपुर, नाग पुर और यवतमाल क्षेत्रों में कोयले का खनन

*353. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, नागपुर और यवतमाल क्षेत्रों में कोयले के विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में खनन कार्य कब प्रारम्भ होगा और उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में खनन कार्य प्रारम्भ होने से क्षेत्रवार कितने लोगों को रोजगार मिलने की आशा है और इन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में कोयले के उत्पादन की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र चन्द्रपुर और यवतमाल जिले में फैले हुए हैं और उमरेर, काम्प्टी सिलेवाड़ा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र के नागपुर जिले में फैले हुये हैं तथा इन क्षेत्रों में क्रमशः लगभग 1257 और 785 मिलियन टन के प्रमाणित कोयला भण्डार हैं।

(ख) इन कोयला क्षेत्रों में खनन-कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। कुछ नये खनन योग्य ब्लाक निर्दिष्ट किये गये हैं। इन नये कोयला ब्लाकों में कोयला निकालने के लिए परियोजनायें बना ली गई है। बनाई जा रही हैं।

(ग) इन कोयला क्षेत्रों के कार्यरत खानों में इस समय लगभग 33500 व्यक्ति काम कर रहे हैं। इन कोयला क्षेत्रों से उत्पादन वर्ष 1684-85 में 9.59 मिलियन टन होने का अनुमान है और उसके 1989-90 तक बढ़कर 14.93 मिलियन टन तक हो जाने की आशा है।

देश में विस्थापित व्यक्तियों की अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

3297. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभाजन के बाद देश भर में बनी विस्थापित व्यक्तियों की अनेक अनधिकृत कालोनियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता देकर इस प्रकार की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कालोनियों के क्या नाम हैं और योजना का क्या ब्यौरा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) यदि कहीं अनधिकृत कालोनियां हैं जहां कि स्थानीय अथवा विस्थापित व्यक्ति रह रहे हैं, उनको नियमित करना राज्य सरकारों का कार्य है।

(ग) पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार को 324 विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास कालोनियों में अनधिवासी विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि अर्जन के लिए प्राधिकृत किया गया था जिसका ब्यौरा संसद के पुस्तकालय में पहले ही रखी गई कार्यकारी दल की रिपोर्ट के परिशिष्ट X, XV से XVIII में दिया गया है।

खाना बनाने की गैस के कनेक्शनों के लिए आवेदन

3298. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से विभिन्न राज्यों से विशेष रूप से बम्बई और दिल्ली के संदर्भ में खाना बनाने की गैस के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन दिये हैं;

(ख) कितने कनेक्शन मंजूर किये गए हैं और कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) कनेक्शन मंजूर करने के मापदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली के उपभोक्ताओं को एक से अधिक कनेक्शन मिल रहा है, जबकि बम्बई जैसे नगरों के निवासियों को एक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) गैस कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में व्यक्ति के पंजीकरण की परिपक्वता के आधार पर तथा तेल उद्योग की चरणबद्ध नामांकन योजना के अनुसार जारी किये जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

जाम नगर में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

3299. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम नगर (गुजरात) में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण करने के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो औषधालय का भवन निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह औषधालय कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां, सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पहले ही जाम नगर में दो औषधालयों के निर्माण के लिये भूमि ले ली है।

(ख) जनवरी, 1984 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने औषधालयों के निर्माण के लिये योजनाएं और अनुमान अनुमोदित किये थे तथा निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होने की आशा है।

(ग) जाम नगर में किराये के भवनों में पहले ही तीन औषधालय कार्य कर रहे हैं। जैसे ही उक्त भवनों का निर्माण हो जाएगा, तो इनमें से दो औषधालयों को निगम के अपने भवन में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

लागत लेखाकारों द्वारा कम्पनियों की अनिवार्य लागत-लेखा परीक्षा

3300. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सच्चर समिति ने कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम के बारे में अपनी रिपोर्ट में निरंतर लागत परीक्षा करते रहने की

सिफारिश की थी तथा सरकार ने लागत-रेखा परीक्षा की रिपोर्टों की जांच के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त सिफारिश पर अमल नहीं किया था;

(ख) क्या यह सच है कि इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया से अर्हता प्राप्त लेखाकार अब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो लागत लेखा-परीक्षा केवल कुछ चुने हुए उद्योगों में ही कराने की बजाए सभी निर्माण उद्योगों में अनिवार्य रूप से लागत-लेखा परीक्षा शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) लगातार लागत लेखा-परीक्षा सहित कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में सच्चर समिति के सुझावों पर अभी भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। यह कल्पना करना कि लागत लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में सच्चर समिति के सुझावों पर लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की छानबीन अपेक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक हाथ में नहीं ली जा सकी, सही नहीं है।

(ख) 31 मार्च, 1984 तक, 676 अर्हता प्राप्त लागत लेखापाल हैं, जिनके पास भारतीय लागत एवं कर्मान्त लेखापाल संस्थान के व्यवसाय करने के प्रमाणपत्र हैं। इन वर्तमान परिस्थितियों में यह संख्या अपर्याप्त नहीं मालूम पड़ती है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा के आदेश देने के लिए धारा 209 (1) (ड) तत्वं के अन्तर्गत लागत लेखांकन रिकार्ड नियमों द्वारा यथा निर्धारित विनिर्माण आदि में लगी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त किसी भी श्रेणी की कम्पनी द्वारा लागत लेखा रिकार्ड रखा जाना आवश्यक है। लागत लेखांकन रिकार्ड नियमों के निर्धारण की प्रक्रिया सतत एवं समय लगने वाला कार्य है। जहां तक, कम्पनियों की 29 श्रेणियों को लागत लेखांकन रिकार्ड नियमों द्वारा आच्छादित किया गया है तथा इन श्रेणियों से सम्बन्धित कम्पनियों के सम्बन्ध में समय-समय पर लागत लेखा परीक्षा के आदेश दिये जाते हैं।

मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में खाली पद

3301. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में बहुत से पद खाली पड़े हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यह पद कब से खाली पड़े हैं तथा आकाशवाणी कैडर में श्रेणी-वार कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जगदलपुर आकाशवाणी केन्द्र के उद्घोषक तक भी दिहाड़ी के आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के 9 केन्द्र हैं। उन्हें नीचे दर्शाया गया है :—

1. भोपाल
2. इन्दौर
3. ग्वालियर
4. रीवा
5. रायपुर
6. छत्तरपुर
7. जगदलपुर
8. अम्बिकापुर
9. जबलपुर

आकाशवाणी के केन्द्र उद्घोषकों को दैनिक मजदूरी पर नहीं लगाते। अवकाश आदि पर नियमित कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण या रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग, आदि जैसे प्राधिकारियों से उपयुक्त नामांकनों की प्राप्ति में देरी होने के कारण हुई रिक्तियों पर, केन्द्र परीक्षा/मूल्यांकन आदि के पश्चात उपयुक्त अर्हक व्यक्तियों को नैमित्तिक आधार पर लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लगाये जाने। अनुबन्ध की अवधि प्रतिमास 6 दिन की होगी।

इन केन्द्रों पर समूह "क—घ" के पदों में तथा स्टाफ आर्टिस्टों के संवर्ग में (1) 1-8-1984 के दिन की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या (2) तारीख जिनसे वे खाली हैं, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जायेगी तथा सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करना

3302. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गएथे और इन लक्ष्यों को प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं और ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिये जायेंगे;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना और वर्तमान केन्द्रों के विस्तार के लिए बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में एस० टी० डी० प्रणाली शुरू करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और उन नये स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर यह प्रणाली शुरू की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश सर्किल के 79 एक्सचेंजों की सूची, जिनकी क्षमता का 1983-84 में विस्तार करने की एक योजना बनाई गई थी, माननीय संसद सदस्य को लोक सभा में 28-2-84 को पूछे गये प्रश्न संख्या 641 के उत्तर में प्रस्तुत कर दी गई थी। इनमें से विवरण में दिये गये 31 एक्सचेंजों का विस्तार क्यों नहीं किया जा सका, इसका उल्लेख भी कर दिया गया है। अब इन एक्सचेंजों का 1984-85 में विस्तार किया जाएगा बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त मांग हो।

(ख) 1983-84 के शेष 31 एक्सचेंजों का विस्तार करने के अलावा निम्नलिखित नए विस्तार कार्यक्रम बनाये गए है :

(एक) मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार

एक्सचेंज की किस्म	एक्सचेंजों की संख्या	जोड़ी जाने वाली कुल क्षमता (लाइनें)
एम ए एक्स-1	5	4300
एम ए एक्स-11	5	600
मैनुअल	10	1320

1984-85 के दौरान 25 से 50 लाइनों के बीच की क्षमता वाले लगभग 30 नए एक्सचेंजों की भी योजना बनाई गई है।

(ग) 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी :

1. दुर्ग
2. बुरहानपुर
3. रायगढ़
4. विदिशा

विवरण

जिन 31 एक्सचेंजों का 1983-84 में विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया था, उनका विस्तार कार्य पूरा क्यों नहीं किया जा सका, उसके कारण उनके सामने दिये गये हैं :

क्र०सं	एक्सचेंज का नाम	टाइप	लाइन	टिप्पणी
1.	ग्वालियर	एक्स बी	500	महत्वपूर्ण भंडार की सप्लाई में विलम्ब हो गया। अब कार्य पूरा हो गया है।
2.	रतलाम	मैनुअल	120	स्थान की व्यवस्था नहीं हो सकी।
3.	मंदसौर	स्ट्रोजर	100	महत्वपूर्ण भंडार की सप्लाई में बिलम्ब हुआ।
4.	मुरैना	स्ट्रोजर	100	—वही—
5.	सतना	स्ट्रोजर	100	—वही—
6.	नागदा	मैनुअल	20	भंडार प्राप्त नहीं हुआ।
7.	छाजापुर	मैनुअल	80	सी बी एन एम बोर्ड प्राप्त नहीं हुआ।
8.	मनेन्द्रगढ़	मैनुअल	50	—वही—
9.	उमरिया	एस ए एक्स	40	—वही—
10.	परसिया	मैनुअल	50	—वही—
11.	जूनारदेव	मैनुअल	50	—वही—
12.	महासमुन्द	मैनुअल	30	—वही—
13.	भीकनगांव	एस ए एक्स	10	—वही—
14.	चिरीमिरी	मैनुअल	50	—वही—

1	2	3	4	5
15.	अकलतारा	एस ए एक्स	10	सी बी एन सम बोर्ड प्राप्त नहीं हुआ
16.	नैला	एस ए एक्स	10	—वही—
17.	नागखेड़ा	एस ए एक्स	10	—वही—
18.	गारोच	एस ए एक्स	45	अब पूरा हो गया है। देर से सप्लाई होने के कारण विलम्ब हुआ।
19.	खांडला	एस ए एक्स	10	देर से सप्लाई होने के कारण
20.	हीरी माइन्स	एस ए एक्स	10	अपर्याप्त मांग
21.	बीरसिंह तुरपाली	एस ए एक्स	10	विलम्ब से सप्लाई होने के कारण
22.	पंड्रा रोड़	ए एस एक्स	45	यूनिट देर से प्राप्त हुई।
23.	बैकुंठपुर	एस ए एक्स	45	—वही—
24.	धनपुरी	एस ए एक्स	45	—वही—
25.	सैखेड़ा	एस ए एक्स	15	अपर्याप्त मांग
26.	कुर्द	एस ए एक्स	10	यूनिट देर से प्राप्त हुई
27.	नैनपुर	एस ए एक्स	25	अपर्याप्त मांग
28.	सुकमा	एस ए एक्स	10	अपर्याप्त मांग
29.	रायपुर	स्ट्रोजर	300	विद्युत संयंत्र दोषयुक्त और मीटर प्राप्त नहीं हुए।
30.	उज्जैन	स्ट्रोजर	300	प्रमुख वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई
31.	भोपाल	स्ट्रोजर	900	—वही—

बिजली घरों के लिए मरम्मत की क्षेत्रीय सुविधाएं

3303. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली घरों के क्षमता उपयोग में सुधार लाने के साथ साथ उनके अक्समात बन्द होने की अवधि कम करने की दृष्टि से बिजली घरों के भारी उपकरणों के लिये क्षेत्रीय मरम्मत सुविधाओं की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है; और

(ग) बिजली घरों के उपकरणों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिये अन्य क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के विद्युत केन्द्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विद्युत विभाग के अधीन 5.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विद्युत के भारी उपस्करों की मरम्मत शाला खोली जा रही है।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता का समुपयोजन करने के लिये उनका नवोकरण/आधुनिकीकरण करने के लिये एक स्कीम बनाई गई है।

गोहाटी दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

3304. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या सूचना और प्रसराण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन विस्तार की नई योजना के अधीन गोहाटी को भी अधिक सेवायें उपलब्ध कराई गई थी और उसका दर्जा बढ़ाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच के० एल० भगत) : (क) और (ख) छठी योजना के अंग के रूप में कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिये दूरदर्शन स्टूडियो तथा 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर से युक्त पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का कार्य चल रहा है। ट्रांसमीटर भवन तथा टावर निर्माणाधीन है। टावर के मुकम्मल होने तक मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर ट्रांसमीटर को 1 किलोवाट की शक्ति पर अक्तूबर, 1984 से चालू करने का प्रस्ताव है। ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर 1984-85 के दौरान चालू हो जायेगा। रंगीन संचालन के लिये स्टूडियो उपकरणों के लिये आर्डर दे दिया गया है और उनके 1985-86 के दौरान प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

गोहाटी में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और पोषक केन्द्र को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन के विस्तार की योजना के अंग के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र के लिए भी उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है।

उड़ीसा में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण श्रमिकों का बेरोजगार होना

3305. **श्री के० प्रधानी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत कुछ वर्षों के दौरान हड़ताल जबरी छुट्टी और तालाबंदियों के कारण लगभग 18 लाख श्रम दिवसों की हानि हुई है;

(ख) कृषि, खनन, निर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये;

(ग) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में लगभग एक करोड़ श्रमिक काम की तलाश में हैं जिनमें से 15,00,000 श्रमिक बिलकुल बेरोजगार हैं और लगभग 3,00,000 श्रमिक अर्ध-बेरोजगार हैं;

(घ) क्या इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये राज्य सरकार की सलाह से इस समय कोई ठोस योजना तैयार की गई है या तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पूर्वी क्षेत्र में एंटीबायटिक एककों की स्थापना

3306. **श्री अजित बाग** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पूर्वी क्षेत्र में सामान्य तौर पर और पश्चिम बंगाल में विशेषकर एंटीबायटिक दवाओं के उत्पादन के लिये कोई औद्योगिक यूनिट स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के दो औषध उपक्रम अर्थात् स्मिथ स्टेनेस्ट्रीट फर्मास्यूटिकल्स लि० तथा बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यू

टिकल्स लि० तथा इस समय सरकार के प्रबन्धाधीन एक कम्पनी बंगाल इयूनिटी कम्पनी लि० तथा पहले ही पश्चिमी बंगाल में एंटीबायोटिक्स सूत्रयोगों के निर्माण में संलग्न है।

हिमाचल प्रदेश की दूर संचार सलाहकार समिति का पुनर्गठन

3307. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिये बनी दूरसंचार सलाहकार समिति का इस बीच पुनर्गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इसके सदस्यों के नाम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे किस तारीख तक पुनर्गठित किए जाने की संभावना है और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं और पिछली समिति का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हुआ था ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिमाचल प्रदेश के लिये पिछली दूरसंचार सलाहकार समिति का कार्यकाल 31.5.1983 को समाप्त हो गया था। नई समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है तथा इसका गठन शीघ्र ही करने की संभावना है।

मोहीउद्दीन शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

3308. **श्रीमती सुशीला गोपाल** : क्या संचार मंत्री मोहीउद्दीन शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7841 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहीउद्दीन शाखा डाकघर में डाक खर्च का भार और सम्बद्ध आंकड़ों सम्बन्धी ब्यौरा एकत्र करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आंकड़े मोहीउद्दीन डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय डाकघर बनाए जाने के पक्ष में है;

(ग) क्या मोहीउद्दीन गांव के लोगों के प्रतिनिधियों से दिनांक 15-7-83, 10.10.83, 16-1-84, 7-2-84, 11-5-84 और 6-7-84 के कोई पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि मोहीउद्दीन शाखा कार्यालय के बारे में प्राधिकारियों ने सरकार को गलत आंकड़े प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) क्या उक्त पत्रों की जांच की गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जनता से प्राप्त दस्तावेजों के आंकड़ों की शुद्धता के बारे में जांच करने के लिये उप मंडल, मंडल एवं सर्किल स्तर पर एकत्र किये गये आंकड़ों के साथ उनकी जांच की जाती है।

कहन्वा गांव गुजरात में प्राकृतिक गैस का पता लगाना

3309. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गुजरात के भड़ौच जिले में जम्बूसार तालुका के कहन्वा गांव में एक कुएं से 1700 मीटर की गहराई पर प्राकृतिक गैस के मिलने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उक्त गैस-क्षेत्र में कितनी गैसउप लब्ध होगी; ओर

(ग) इस नए गैस क्षेत्र में कितने तेल कूप खोदे गये हैं और वाणिज्यिक स्तर पर कितनी गैस निकाली गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) :

(क) जी हां। यह कुआं पहले से ज्ञात "डबका" तेल और गैस क्षेत्र में स्थित है।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में अभी तक 16 कुओं की खुदाई की जा चुकी है। इस क्षेत्र का अभी तक पूरी तरह चित्रण तैयार नहीं किया गया है।

भारत हैवीइलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सैटों वाले ताप विद्युत केन्द्र और 1983-84 के दौरान उनकी क्षमता का उपयोग

3310. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किये गये 210 मेगावाट के उन ताप विद्युत केन्द्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिनमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तथा। अथवा आयात सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त बायलर टी० जी० सैट लगाये गये;

(ख) इन विद्युत केन्द्रों के कार्य आरम्भ करने की तारीख का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ग) 50 प्रतिशत से कम स्तर पर चल रहे केन्द्रों के मामलें में क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान 200/210 मेगावाट ताप विद्युत यूनिटों के ब्यौरे और उनका संयंत्र भार अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है। इन यूनिटों में से केवल रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-1 आयात की हुई है। सभी अन्य यूनिटों के बायलर और टी० जी० सेट भेल द्वारा सप्लाई किये हुए हैं।

(ग) भेल द्वारा सप्लाई की गई 200/210 मेगावाट की अधिकांश ताप विद्युत यूनिटों का संयंत्र भार अनुपात 1983-84 में 50 प्रतिशत से अधिक था। इन यूनिटों में से कुछ का संयंत्र भार अनुपात कम होने के कई कारण हैं, जैसे ओबरा ताप विद्युत केन्द्र में आग की दुर्घटना, सप्लाई किये गये कोयले की गुणवत्ता घटिया होना और मात्रा अपर्याप्त होना, उपस्कर में अनेक कमियां होना, प्रचालन और अनुरक्षण में कमियां तथा प्रणाली में आई बाधायें आदि।

विवरण

स्वदेशी तथा आयात किए गए 200/210 मेगावाट यूनिटों के ब्यौरे

क्रम संख्या	केन्द्र	यूनिट संख्या	चालू किए जाने की तारीख	क्षमता मेगावाट	संयंत्र भार अनुपात का प्रतिशत 1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	ओबरा	11	31.12.77	200	14.2
2.	कोराडी	5	15.7.78	200	58.6
3.	बदरपुर	4	2.12.78	210	40.0
4.	ओबरा	10	14.1.79	200	21.3
5.	अकई	3	21.1.79	200	52.1
6.	नासिक	3	26.4.79	210	61.6

1	2	3	4	5	6
7.	सतपुड़ा	6	27.6.79	200	51.2
8.	तूतीकोरिन	1	9.7.79	210	53.1
9.	भूसावल	2	30.8.79	210	54.4
10.	रुकई	4	11.9.79	200	47.5
11.	विजयवाड़ा	1	1.11.79	210	83.0
12.	ओबरा	9	26.1.80	200	13.9
13.	नासिक	4	10.7.80	210	42.3
14.	सतपुड़ा	7	20.9.80	210	25.4
15.	पारली	3	10.10.80	210	65.2
16.	विजयवाड़ा	2	10.10.80	210	85.4
17.	तूतीकोरिन	2	17.12.80	210	42.4
18.	नासिक	5	30.1.81	210	55.6
19	ओबरा	12	28.3.81	200	42.4
20.	दुर्गापुर	4	5.12.81	210	42.3
21.	बदरपुर	5	25.12.81	210	55.6
22.	सिंगरौली	1	14.2.82	210	72.7
23.	वानकबोरी	1	23.3.82	210	46.6
24.	कोराडी	6	30.3.82	210	32.3
25.	तूतीकोरिन	3	16.4.82	210	56.5
26.	भूसावल	3	4.5.82	210	30.6

1	2	3	4	5	6
27.	ओबरा	13	21.7.82	200	59.8
28.	बंडेल	5	8·10.82	210	44.7
29.	सिंगरौली	2	25.11.82	210	58.0
30.	सतपुड़ा	8	2.1.83	210	54.4
31.	कोराडी	7	13.1.83	210	*
32.	वानकबोरी	2	15.1.83	210	51.6
33.	कोरबा एस० टी० पी० एस०	1	10.3.83	210	61.9
34.	सिंगरौली	3	28.3.83	210	47.8
35.	कोरबा पश्चिम	1	21.6.83	210	64.8
36.	चन्द्रपुर	1	15.8.83	210	*
37.	रामागुण्डम एस० टी० पी० एस०	1	27.10.83	200	*
38.	कोरबा एस० टी० पी० एस०	2	31.10.83	210	62.8
39.	सिंगरौली	4	2.11,83	210	82.4
40.	सिंगरौली	5	26.2.84	210	*
41.	सतपुड़ा	9	27.2.84	210	*
42.	वानकबोरी	3	15.3.84	210	*
43.	कोरबा एस० टी० पी० एस०	3	17.3.84	210	*
44.	कोरबा पश्चिम	2	30 3.84	210	*

* नई यूनिटों के संबंध में संयंत्र भार अनुपात की अभी तक गणना नहीं की गई है ।

एक-समान "सिविल संहिता"

3311. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक-समान "सिविल संहिता" के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) सरकार का, इस सम्बन्ध में संविधान के निदेशक उपबन्ध को, कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल): (क) और (ख) एक-समान सिविल संहिता के अधिनियम के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में परिवर्तन अपेक्षित होंगे । सरकार की यह नीति रही है कि जब तक स्वयं किसी अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से पहल न की जाए तब तक उस समुदाय की स्वीय विधियों में कोई परिवर्तन न किये जाएं । जब और जैसे ही सरकार का समाधान हो जाएगा कि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिक्रिया अनुकूल है, वह एक-समान सिविल संहिता अधिनियमत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगी ।

खाना पकाने के गैस सिलेण्डरों में रेगुलेटर की वर्तमान प्रणाली को बदलने का प्रस्ताव

श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

3312. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाना पकाने के गैस-सिलेण्डर में रेगुलेटर लगाने की वर्तमान प्रणाली को बदल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक रेगुलेटर को बदलने पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) किन-किन शहरों में ये रेगुलेटर बदले जा रहे हैं;

(घ) देश में खाना पकाने की गैस के कुल कितने सिलेण्डर प्रयोग में हैं;

(ङ.) क्या रेगुलेटर की वर्तमान प्रणाली को देश भर में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन कब तक कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्यतः सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा मानकीकरण के प्रायोजन से विद्यमान "एफ० तथा "एम०बी०" किस्म के रेगुलेटरों को चरणबद्ध रूप में नये "एस०सी०" किस्म (स्वयं बन्द होने वाले) के रेगूलेटरों में बदला जा रहा है । मार्च, 1983 को विभिन्न मिस्म के रेगूलेटरों की तुलानात्मक कीमतें इस प्रकार थीं :

"एम० बी०" किस्म —45 रुपये (लगभग) प्रति रेगूलेटर

"एफ०" किस्म —32.28 रुपए प्रति रेगूलेटर

"एस० सी०" किस्म —41.98 रुपये प्रति रेगूलेटर

(ग) 776 शहरों में से जहां एल० पी० जी० की एजेंसियां कार्यरत हैं, 198 शहरों में परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(घ) लगभग 104 लाख।

(ङ.) और (च) जी हां। आशा है कि पूरे देश भर में इस परिवर्तन कार्यक्रम को पूरा करने में लगभग 3-4 वर्ष का समय लगेगा।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कोयला पट्टी का पता लगाना

3313. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-वैज्ञानिकों ने मध्य भारत के दक्षिणी पठार में सिंगरौली कोयला क्षेत्र के निकट भूमि के नीचे भारी मात्रा में तेल और गैस और सम्भवतः बहुत बड़े कोयला क्षेत्र की खोज का दावा किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में कोयला मिलने की सम्भावना है और दक्षिणी पठार से केवल 100 मीटर नीचे होने के कारण कोयले को सतही खनन से निकाला जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को दक्षिणी ट्रैप के नीचे ऐसे बड़े तलछट बेसिन की जानकारी नहीं है जिसमें विशाल मात्रा में गैस और तेल है। भा० भू० स० को सिंगरौली कोयला बेल्ट के निकट किसी विशाल कोयला क्षेत्र का पता भी नहीं लगा है।

(ख) और (ग) समन्वेषण की वर्तमान स्थिति से इस क्षेत्र में ट्रैप के नीचे कोयला होने की सूचना नहीं मिलती है। ऊपरी गोंडवाना तलछट और दक्षिणी ट्रैप की विशाल ऊपरी परत के नीचे सिंगरौली कोयला क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कोयलाधारी तलछट होने की सम्भावना अभी भावी समन्वेषण कार्य से प्रमाणित की जानी है।

बड़े औद्योगिक घरानों के पास अपने विमान होना

3314. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन बड़े औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं, जिन्हें विमानों का अपना बेड़ा रखने की अनुमति है, उनके विमान किस प्रकार के हैं और क्या उन्हें अपने विमानों का उपयोग, कम्पनी के वैध कारोबार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी करने की अनुमति है;

(ख) सरकार ने इन विमानों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किये जाने अथवा कम्पनी के बड़े अफसरों के परिवारों/रिश्तेदारों/मित्रों द्वारा उपयोग को रोकने के लिए क्या अंकुश रखा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन विमानों से यात्रा करने वालों की कोई सूची किसी सरकारी प्राधिकरण को दी जाती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं हैं; जिनमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को, कम्पनी कार्य विभाग से विमानों की खरीद और/या रखने के लिये या तो कोई अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करना या इनके प्रयोग के लिए कोई विवरणी/रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तदनुसार, इस विभाग के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

3315. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र काम कर रहे हैं; और

(ख) इन केन्द्रों का कितने क्षेत्र और जनसंख्या को लाभ पहुंच रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में 6 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) कवर किए जाने वाला क्षेत्र —21,300 वर्ग किलोमीटर। कवर की जाने वाली जनसंख्या—67.39 लाख।

बिहार में डीजल, पेट्रोल आदि की कमी

3316. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में डीजल, मिट्टी के तेल, यूरिया आदि की कमी के बारे में 28 फरवरी, 1984 के आतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी के जिला मुख्यालय में भी और इसके आस-पास डीजल, पेट्रोल आदि की कमी अभी बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दरभंगा जिले में कामतौल, जले तथा मधुबनी जिले वेनी पट्टी में नये डीजल-पेट्रोल सप्लाई पम्प खोलने की मांग की जाती रही है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

(ङ.) क्या बेनी पट्टी में मिट्टी के तेल आदि के सप्लाईकर्ता के बदलने तथा बेहतर सन्तोष-जनक वितरण करने की व्यवस्था करने के कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) भारी वर्षा और बाढ़ के कारण सड़कों के टूट जाने से मधुबनी जिले को दी जाने वाली सप्लाई में जुलाई 1984 में बाधाएं आई थीं। सप्लाइ की व्यवस्था वैकल्पिक मार्गों से की गई है और स्थिति अब सामान्य होती जा रही है।

(ग) और (घ) जी हां। दरभंगा जिले में कमतौल और मधुबनी जिले में वेनीपट्टी प्रखंड में वेसियाता का चयन पेट्रोल की खुदरा बिक्री हेतु एजेंसियां देने के लिए किया जा रहा है। जहां तक दरभंगा जिले के जाले का प्रश्न है, तेल उद्योग द्वारा अपनी भावी विपणन योजना के अन्तर्गत नये खुदरा पेट्रोल के बिक्री केन्द्र खोले जाने की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ङ.) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

वेल्डिंग प्रयोजनों के लिए खाना पकाने के गैस-सिलेण्डरों का उपयोग

3317. **श्री अशफाक हुसैन** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वेल्डिंग प्रयोजनों के बड़े पैमाने पर खाना पकाने के गैस-सिलेण्डों का उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की कमी हो जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वेल्डिंग तथा-अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिये इन सिलेण्डरों का उपयोग ऐसीटिलिन की तुलना में अधिक हानिकर और खतरनाक है; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) वर्तमान नीति यह है कि प्रौद्योगिकीय अनिवार्यता की दृष्टि से एल० पी० जी० को केवल औद्योगिक उपयोग के लिए दिया जाये। वेल्डिंग प्रयोजनों के लिए एल० पी० जी० देना वर्जित है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुये, प्रश्न ही नहीं उठता।

जेलौर, राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्र और रेडियो स्टेशन की स्थापना करना

3318 **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार राजस्थान के जैलोर जिले में दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित करने का है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) **आकाशवाणी**

जोधपुर का आकाशवाणी ट्रांसमीटर जालोर जिले के मुख्य भागों में प्राथमिक ग्रेड सेवा पहले ही उपलब्ध कर रहा है। इसलिए, वहां पर अलग केन्द्र स्थापित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

दूरदर्शन

जालौर जिले में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। तथापि, दूरदर्शन के विस्तार के लिए भावी योजनाएं बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्सैट—1 बी के माध्यम से समय संकेत सेवा (टाइम सिग्नल सर्विस)

3319. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्सैट—1 बी के माध्यम से समय संकेत सेवा (टाइम सिग्नल सर्विस) आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इनसैट—1 बी के जरिए टाइम सिग्नल सेवा के प्रसार के लिए नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी के अनुरोध पर इनसैट-समन्वय समिति ने तीन वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) प्रायोगिक सेवा एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ होगी।

(ग) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इनसेट-1 बी का उपयोग कर विशेष परीक्षणों सहित व्यवहार्यता अध्ययन कर रही है।

बिहार में बंद पड़ी कोयला खानों को पुनः खोलना

3320. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, बिहार सरकार को लगभग 200 बंद पड़ी कोयला खानों को पुनः खोलने की अनुमति दी है जैसा कि दिनांक 14 जुलाई, 1984 से "आर्यवर्त्त" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन 200 कोयला खानों के नाम क्या हैं और उनकी कार्य निष्पादन के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति

3321. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशासक ने फरवरी, मार्च, 1981 में यह आदेश दिये थे कि श्रेणी-I के वरिष्ठ पदों के लिए भर्ती नियमों में परिवर्तन करते समय विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और उनके मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1981 के बाद ऐसा किया गया था;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने एक वर्ष पहले यह सिफारिश की थी कि विभागीय कर्मचारियों की श्रेणी-I के लिए वरिष्ठ पदों के लिए पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिये;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) फरवरी/मार्च, 1981 में इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किए गये थे। तथापि प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय में वरिष्ठ श्रेणी-I के पदों के लिए भर्ती नियम अधिसूचना संख्या एफ-2(67)/76-एस, II-खण्ड-I दिनांक 19-7-81 द्वारा अधिसूचित किये गये थे और नियमों के अनुसार 1100-1600 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ श्रेणी-I के पदों पर पदोन्नति के लिये विचार किये जाने के सम्बन्ध में केवल डिग्रीधारी ही पात्र थे। उपर्युक्त भर्ती के नियमों की अधिसूचना के पश्चात विभागीय संशोधन की ओर से विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे और वर्तमान भर्ती नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था, और तदनुसार, नवम्बर, 1982 में यह मामला आयोग को भेजा गया था। तथापि, इन संशोधित भर्ती-नियमों में शैक्षिक योग्यताओं में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव नहीं था, लेकिन शैक्षिक योग्यता के नीचे निम्नलिखित नोट को जोड़ने की इच्छा व्यक्त की गई थी :

"संशोधन की घोषणा होने पर उन विभागीय उम्मीदवार, जो नियमित आधार पर फीडर पद धारण किये हुए हैं, के बारे में शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।"

(ख) जी, नहीं।

(ग) आयोग ने जुलाई, 1982 में सुझाव दिया था कि ऐसे उम्मीदवार जो नियमित आधार पर हैं और जिनके पास इंजीनियरी में डिग्री नहीं हैं, के सेवा हित को सुरक्षित रखने के लिए 1100-1600 रु० के वेतनमान में प्रधानाचार्य, आई० टी० आई० पूसा और अरब-की सराय, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), आदि, के पदों के बारे में भर्ती नियमों के स्तम्भ 10 के अन्तर्गत एक अनुबन्ध बनाया जाए कि संशोधन की घोषणा होने की तारीख को उन विभागीय उम्मीदवार, जो नियमित आधार पर फीडर-पद धारण किये हुए हैं, के बारे में शैक्षिक योग्यता संबंधी अपेक्षाएं लागू नहीं की जाएंगी।

(घ) और (ङ.) जैसा कि (क) और (ग) में बताया गया उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और वर्तमान भर्ती-नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं लेकिन आयोग का औपचारिक अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है।

उल्हास नगर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

3322. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्हास नगर टेलफोन एक्सचेंज के विस्तार कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है और

(ख) यह एक्सचेंज सम्भवत: कब तक बनकर पूरी हो जायेगी और चालू हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) वर्तमान 3600 लाइनों के वरचल एक्सचेंज के स्थान पर 7,000 लाइनों वाले आयातित क्रासबार एक्सचेंज का स्थापन कार्य चल रहा है।

(ख) इसके 1985 के दौरान चालू होने की संभावना है।

बादली, दिल्ली में गैस कनेक्शन

3323. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बादली, दिल्ली में अब तक गैस के कितने कनेक्शन जारी किये गए हैं और वहां पर गैस सप्लाई करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : बादली के 10 उपभोक्ता मैसर्स आलोक गैस एजेंसी, माडल टाउन, दिल्ली के गोदाम से एल० पी० जी० की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं।

जर-महल कालबादेवी, धोबी तालाब, बम्बई में डाक-तार विभाग द्वारा किराए पर इमारतों का लिया जाना

3324. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने ज़र-महल कालबादेवी, धोबी तालाब, बम्बई में 1,36,500/- रुपये प्रति माह की दर से किराये पर इमारतें ली हुई हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए हुए समझौते की अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके मालिकों तथा जिस पार्टी के साथ समझौता हुआ है उनका नाम क्या है; और

(घ) किन कारणों से इतने अधिक किराये पर विभाग को इमारतें लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इस सौदे के लिए कितने प्राधिकृत किया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1-10-83 से पट्टा सात वर्ष के लिए है। कोई भी अग्रिम या ऋण नहीं दिया गया। किराये में एक तथा अन्य व्यय शामिल हैं। अन्य शर्तें फार्म जनल-8 में विभागीय मानक पट्टा करार के अनुसार है।

(ग) श्री रूसी लाल तारापोरखाला और एच० डी० तारापोरखाला ट्रस्ट की संपदा के अन्य ट्रस्टी इसके मालिक हैं। पट्टा करार मैसर्स माधव अनन्तगिरि एसोसिएट्स, मैसर्स करसन दास भांजी और मैसर्स लुमाला इनवैस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्रा० लि० के साथ हुआ।

(घ) बम्बई आर०एम०एस०और केन्द्रीय पैकेट छंटाई कार्यालय, जिनके पास 25,500 वर्ग फुट स्थान की कमी थी, को कार्य करने के लिये पर्याप्त स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्थान किराये पर लिया गया था। फलस्वरूप डाक संचालन की क्षमता अत्यधिक सीमित हो गई थी। उचित किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर महाराष्ट्र के पोस्टमास्टर जनरल ने किराया मंजर किया था।

जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज

3325. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा लोधी कालोनी में टेलीफोन लाइनों का उचित रख-रखाव न होने के कारण वहां बड़ी संख्या में टेलीफान कनेक्शन बार-बार खराब हो जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त एक्सचेंज में दर्ज करवाई गई रिपोर्टों/शिकायतों पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोधी कालोनी में उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर करने के लिए जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज के कार्य को सुनियोजित बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : जी नहीं। जुलाई, 1984 में एक केबिल दोष के कारण लगभग 40 टेलीफोनों पर दुष्प्रभाव पड़ा और इस दोष को शीघ्र ही दूर कर दिया गया था। लोदी कालोनी के टेलीफोन कनेक्शनों पर प्रभाव डालने वाला कोई अन्य केबिल दोष नहीं था।

(ख) जी नहीं। जोरबाग एक्सचेंज में जो भी शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, उन्हें तुरन्त दूर कर दिया जाता है। एक्सचेंज में बुक कराई गई शिकायतों के निपटान पर उचित निगरानी भी रखी जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि केवल लोदी कालोनी में ही नहीं, बल्कि समूचे जोरबाग एक्सचेंज में टेलीफोनों के कार्य-करण में आगे और सुधार लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन

3326. **श्री एच० एन० नन्जेगौड़ा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से वित्तीय वर्ष 1983-84 और 31 जुलाई, 1984 तक की अवधि में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये;

(ख) जनपथ एक्सचेंज से वित्तीय वर्ष 1983-84 और 31 जुलाई, 1984 तक की अवधि में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत बिना बारी के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये;

(ग) इस एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सामान्य श्रेणी में किस तारीख तक के पंजीकृत व्यक्तियों को 31 जुलाई, 984 तक टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(घ) वर्ष 984-85 में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत और अधिक टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए आगे क्या कार्यक्रम है और प्रतीक्षा सूची में किस तारीख तक के व्यक्तियों को टेलीफोन मिलने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत मंजूर किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :

	वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान	1-4-84 से 31-7-84 की अवधि के बीच
ओवाइटी-विशेष	146	16
ओवाईटी-सामान्य	102	8
गैर-ओवाईटी-सामान्य	549	26
गैर-ओवाईटी-विशेष	83	8
गैर-ओवाईटी-एस एस	19	16

(ख) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत बिना बारी के मंजूर किये गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :

	वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान	1-4-84 से 31-7-84 की अवधि के बीच
ओवाईटी-विशेष	40	14
ओवाईटी-सामान्य	7	4
गैर-ओवाईटी-सामान्य	7	2
गैर-ओवाईटी-विशेष	8	3
गैर-ओवाईटी एस एस	8	16

(ग) इस एक्सचेंज में 16-9-1980 तक दर्ज सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 31-7-1984 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गये हैं ।

(घ) किदवई भवन 331 टेलीफोन एक्सचेंज के 1984-85 में चालू हो जाने पर विभिन्न श्रेणियों में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे । सामान्य श्रेणी में 1-8-1984 तक रजिस्टर्ड व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की सम्भावना है ।

तेल की खोज में सहयोग देने वाले देश

3327. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल की खोज में सहयोग देने वाले देशों के स्थान-वार नाम क्या हैं; और

(ख) इस क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस समय केवल यू० एस० एस० आर० ही एक ऐसा देश है जो पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा क्षेत्रों में द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत भारत के साथ तेल अन्वेषण संबंधी क्रियाकलापों में सहयोग कर रहा है ।

(ख) इस सहयोग से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इन क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी को लगाने तथा तेल संभाव्यता के अन्वेषण में सहायता मिली है ।

उत्प्रवास संरक्षक के कार्यालय द्वारा लोगों को परेशान किया जाना

3328. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि खाड़ी के देशों को जाने वाले लोगों को उत्प्रवास संरक्षक के कार्यालय और पारपत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। जनता की परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से उत्प्रवास अनुमति देने और और उत्प्रवास को स्थगित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई उपाय किये गये हैं।

फिल्म प्रभाग का मुख्य निर्माता

3329. **श्री नीरेन घोष** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म प्रभाग का मुख्य निर्माता किस तारीख को सेवानिवृत्त हुए थे;

(ख) क्या वह अब भी कार्यालय पर कब्जा किये हुए है;

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर;

(घ) क्या उन्हें कोई मानदेय अथवा पारितोषिक देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) श्री एन० एस० थापा, जो फिल्म प्रभाग के मुख्य प्रोड्यूसर का पद धारण करते थे, 31 मार्च, 1983 से सेवानिवृत्त हो गए थे।

(ख) से (ङ.) अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, श्री एन० एस० थापा ने यह अनुरोध किया था कि उनको कुछ उन फिल्मों को मुकम्मल करने की अनुमति दी जाए जो उनके द्वारा उस समय निर्मित और निर्देशित की जा रही थी जब वे मुख्य प्रोड्यूसर का पद धारण किये हुए थे। उन्होंने निर्माण, निर्देशन या आलेख एवं कमेंट्रियां लिखने के लिये बिना कोई शुल्क लेने के इन फिल्मों को मुकम्मल करने की पेशकश की थी। इस पेशकश को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसके

अलावा, फिल्म प्रभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम पर कुछ फिल्में श्री थापा के पर्यवेक्षण में बनाई जा रही हैं। उन्होंने इस काम के लिये भी अपनी सेवाएं बिना कोई शुल्क लेने के देने की पेशकश की। क्योंकि मुख्य प्रोड्यूसर का पद खाली पड़ा है, अत: श्री थापा को निर्माणाधीन फिल्मों पर उनके पर्यवेक्षण हेतु फिलहाल मुख्य प्रोड्यूसर के कमरे में बैठाया गया है।

कर्मचारियों को देय उपादान की राशि

3330. **श्री लाला राम केन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा बहाल रखे गये उस निर्णय की ओर दिलाया गया कि किसी वेतन भोगी कर्मचारी को देय उपादान की राशि की गणना उसके मासिक वेतन को 26 (कार्यदिवस) से भाग करके की जानी चाहिये और जहां वह पन्द्रह दिन के वेतन का अधिकारी है तो उसे 15 से गुणा करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में नियमों में संशोधन करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रलाय में राज्यमंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार उक्त निर्णय को मानती है और इस तरह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या उसके अधीन बनाये गए नियमों में किसी प्रकार का संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश की पन बिजली परियोजना और स्वीडन द्वारा सहायता

3331. **जी० भूपति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में स्वीडन की सहायता से पांच पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्थानों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीडन सरकार के विद्युत मंत्री की केन्द्रीय सरकार से बातचीत हुई थी;

(ग) क्या स्वीडन के बिजली मंत्री और ऊर्जा मंत्री की जून, 1984 में ऊर्जा क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए वार्ता हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) स्वीडन ने निदर्शन आधार पर भारत में कुछ माइक्रो-जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई है।

तदानुसार, स्वीडन के अनुदान से निधि देने के लिए आन्ध्र प्रदेश के 5 स्थलों, उड़ीसा के 3 स्थलों और राजस्थान के 1 स्थान का सुझाव स्वीडन के प्राधिकारियों को दिया गया है।

(ख) से (ग) स्वीडन के ऊर्जा मन्त्री जून, 1984 में भारत आये थे और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-स्वीडन सहयोग के बारे में ऊर्जा मन्त्री से विचार-विमर्श किया था। इस सहयोग के लिये निर्धारित किये क्षेत्रों में ये शामिल हैं : धौलीगंगा, जल विद्युत परियोजना के अन्वेषण कार्यों के लिए परामर्श देना और केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के लिए एच० वी० डी० सी० सिमुलेटर देना।

मैसर्स जानसन एण्ड जानसन की सहायक कम्पनी एथनर लिमिटेड

3332. **राम विलास पासवान**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स जानसन एण्ड जानसन ने अपनी सहायक कम्पनी के रूप में एथनर लिमिटेड नाम से एक लघु उद्योग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या एथनर लिमिटेड की स्थापना के लिए सरकार की पूर्वानुमति ली गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और;

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) कम्पनी कार्य विभाग के पास कोई सूचना नहीं है कि क्या मैसर्स जानसन एण्ड जानसन लिमिटेड ने मैसर्स एथनर लिमिटेड के नाम से कोई लघु उद्योग की स्थापना की है। अन्य कम्पनी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के 1-6-70 से प्रवृत्त होने से पहले ही भूतपूर्व कम्पनी की सहायक रही थी। इसलिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं हुआ था।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न ही नहीं होते।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की स्थापना

3333. **श्री राम लाल राही** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीरे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना संबंधी योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा किन-किन व्यक्ति को ये लाइसेंस प्रदान किये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) तथा (ख) लघु उद्योग में अल्कोहल पर आधारित रसायन एकक स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि ऐसे एककों का पंजीकरण करते समय संबद्ध राज्य का उद्योग निदेशालय राज्य में अल्कोहल की उपलब्धता को ध्यान में रखता है।

ऐसे पंजीकरणों से संबंधित विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य-वार बहुद्देशीय और पनबिजली परियोजनाओं की राज्यवार मंजूरी

3334. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी (राज्य वार) बहुद्देशीय और पनबिजली योजनायें मंजूर की गई हैं; और

(ख) कितनी परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहिद मोहम्मद खां) : (क) सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ख) वे परियोजनाएं जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दे दी गई है लेकिन जिनके निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना क्रमश: विवरण-2 और 3 में दी गई है।

विवरण-1

उन बहुद्देशीय परियोजनाओं की संख्या जिनमें विद्युत सम्बन्धी भाग शामिल हैं/जल विद्युत परियोजनाएं जिनको 1 अप्रैल, 1981 के बाद स्वीकृत किया गया।

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	1
2.	उत्तर प्रदेश	1
3.	केरल	2
4.	तमिलनाडु	1
5.	मध्य प्रदेश	2
6.	जम्मू व कश्मीर	2
7.	महाराष्ट्र	3
8.	बिहार	1
9.	पंजाब	1
10.	आन्ध्र प्रदेश	3
11.	कर्नाटक	1
12.	उड़ीसा	1
13.	नागालैण्ड	1
	जोड : 20	

विवरण-2

उन बहुद्देशीय परियोजनाओं की संख्या जिनमें विद्युत सम्बन्धी भाग शामिल है/जल विद्युत परियोजनाएं जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दिया है और जिनके लिये निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है :

क्रम संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	1
2.	पंजाब	1
3.	उत्तर प्रदेश	3
4.	मध्य प्रदेश	1
5.	कर्नाटक	2
6.	केरल	2
7.	उड़ीसा	2
8.	पश्चिम बंगाल	2
9.	सिक्किम	1
10.	महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/गुजरात	1
		जोड : 16

विवरण-3

उन बहुद्देशीय परियोजनाओं की संख्या जिनमें विद्युत संबंधी भाग शामिल है/जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है

क्रम संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	3
2.	पंजाब	4
3.	उत्तर प्रदेश	6
4.	जम्मू व कश्मीर	6
5.	मध्य प्रदेश	10
6.	महाराष्ट्र	6
7.	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	1

क्रम संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
8.	केरल	8
9.	तमिलनाडु	6
10.	आन्ध्र प्रदेश	3
11.	कर्नाटक	2
12.	उड़ीसा	2
13.	पश्चिम बंगाल	1
14.	बिहार	1
15.	अरुणाचल प्रदेश	2
	जोड़ :	61

कुवैत में भारतीयों की दुर्दशा

3335. श्री राम सिंह शाक्य
श्री शिव शरण वर्मा
श्री राम किंकर
श्री जगपाल सिंह
: क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन भारतीयों की बुरी दशा की जानकारी है जो जाली पासपोर्टों पर कुवैत तथा अन्य देशों को गये हैं, और यदि हां, तो उनकी दशा को सुधारने तथा पासपोर्टों की कड़ी जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कुवैत तथा अन्य देशों में कितने भारतीय नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें भारत वापस बुलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी तक ऐसी कोई शिकायत सरकार ध्यान में नहीं आई है। विदेश जाने वाले सभी व्यक्तियों के पासपोर्टों की जांच उत्प्रवास अधि-

कारियों द्वारा एयरपोर्ट पर की जाती है। ये अधिकारी विभिन्न संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रणाधीन हैं जहां पर उत्प्रवास-जांच स्थल (चेक-पोस्ट) मौजूद हैं।

(ख) कुवैत और पश्चिम एशिया के अन्य देशों तथा उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में लगभग 9 लाख भारतीय काम कर रहे हैं तथा सरकार को इन भारतीयों द्वारा व्ययतीत किये जा रहे नारकीय जीवन की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, मजदूरी का भुगतान न करने/देरी से भुगतान करने, घटिया रहन-सहन व कार्य दशाओं, ठेके के प्रतिस्थापन आदि से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय दूतावासों द्वारा इन शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती है। उस व्यक्ति को भारतीय दूतावासों द्वारा हर तरह की सहायता दी जाती है जो उन्हें भारत वापस आने के लिये अनुरोध करता है।

देश में प्रस्तुत की गई नई औषधियां

3336. **श्री बनवारी लाल बैरवा**
श्री सत्यनारायण जटिया } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत की गई औषधियों और उन्हें बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और क्या इन्हें प्रजाति नामों (जनटिक) या ब्रांड नामों से प्रस्तुत किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रांड नाम इस्तेमाल न करने देने की सरकार की नीति के कारण प्रस्तुत की गई नई औषधियों की संख्या हाल ही के वर्षों में बहुत कम गई है यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई औषधियों के लिए ब्रांड नाम इस्तेमाल करने की अनुमति देने का है; और

(ग) क्या इन औषधियों को देश में मूल अवस्था से बनाया जाता है या इनके बल्क में आयात करके गोलियां बनाकर देश में बेचा जाता है; और

(घ) मूल अवस्था बनाई जाने वाली औषधियां कौन सी हैं और आयातित बल्क औषधियों से बनाई जाने वाली औषधियां कौन सी हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना सूचित के अनुसार अप्रैल, 1981 से मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान देश में प्रारम्भ की गई नई औषधों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। उपलब्ध सूचना की सीमा तक, इन औषधों में से सोडियम वाल्पर डेनाजोल और सिसप्लेटिन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है।

डेनाजोल और रोसोक्सासिन को छोड़कर उपरोक्त औषधों के एकल घटक सम्राकों का

विपणन स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी की सीमा तक, स्वास्थ्य जातिगत नामों के अन्तर्गत किया जा रहा है। डेनाजोल और रोसोक्सासिन के संबंध में मै० बिन-मेडीकेयर प्रा० लि०, मोदीपुरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और वे इनका विपणन ब्रांड नामों से कर रहे हैं।

नई औषधों के एकल घटक सम्पाकों का विपणन ब्रांड अथवा जातिगत नाम से करने के समग्र प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

विवरण

नई औषध का नाम	कंपनी का नाम
1. कीटोप्रीपेन	मै० मे एण्ड बेकर, बम्बई,
2. इन्ट्रालिपिडस फेट इमलशन	मै० अस्ट्रा आई डी एल, बंगलौर
3. सोडियम वालप्रोएट	मै० रोकिट एण्ड कोलमन आफ इण्डिया प्रा० लि०, कलकत्ता
4. मै० मेट्रीजामाइड	मै० विन मेडीकेयर प्रा० लि० मोदीपुरम, यू० पी०
5. डेनाजोल	मै० विन मेडीकेयर प्रा० लि०, मोदीपुरम, यू० पी०
6. मेट्रोप्रोलोल टारटरेट	मै० आस्ट्रा आई डी एल, बंगलौर
7. मै० सिसप्लेटिन	मै० तमिलनाडु दाधा फार्मास्युटिकल्स, मद्रास
8. मै० यूरीकिनास फार इन्जेक्शन	मै० विन मेडीकेयर प्रा० लि०, मोदीपुरम, यू० पी०
9, मै० रोसोक्सोन	मै० विन मेडीकेयर प्रा० लि०, मोदीपुरम यू० पी०
10. सल्फोडोक्साइन	मै० वालटर बुसिसेल, बम्बई द्वारा पाइरीमेथो के साथ उपयोग किया गया
11. लयूमेन डिप्लाइड सेल रेबीज बेक्सीन	मै० सिरम इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया, पूणे

लेखा परीक्षा के लिए चार्टेड एकाउन्टेंटों की कमी

3337. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कानून के अन्तर्गत 40 लाख रुपये से अधिक लेन देन वाले मामलों की लेखा परीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में उपलब्ध चार्टेड एकाउन्टेन्टों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस काम के लिए कुल कितने चार्टेड एकाउन्टेंट उपलब्ध हैं और प्रत्येक राज्य में कानून के अनुसार चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा कुल कितने मामलों की लेखा परीक्षा करना अपेक्षित है ;

(ग) क्या सरकार का विचार जहां मांग पूरी करने के लिए चार्टेड एकाउन्टेंट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं वहां पर लेखों की लेखा परीक्षा के लिए आयकर वकीलों को मन्जूरी देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या विकल्प हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) 40 लाख रुपये से अधिक के कारोबार करने वाली कम्पनियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा की विद्यमानता के उपबन्ध वित्त अधिनियम, 1984 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में प्रविष्ट की गई धारा 44 क ख में है, ये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नहीं है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपनी लेखा परीक्षा कराने वाले लोगों की संख्या 1, 50, 000 से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 1984 तक कुल 32, 329 शासप्राप्त लेख पालों में से 21, 000 से अधिक इस व्यवसाय में हैं और उनकी लेखा परीक्षा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। प्रत्येक राज्य में इस व्यवसाय में लगे शासप्राप्त लेखपालों की संख्या के ब्यौरे और उनके द्वारा राज्य अनुसार की गई लेखा परीक्षाओं के ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) शासप्राप्त लेखपालों के पास लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और लाभ हानि लेखा के लिए परीक्षित लेखाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए व्यवसायिक योग्यता तथा तकनीकी सक्षमता होती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अन्तर्गत केवल शासप्राप्त लेखपाल ही कंपनी के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए सक्षम हैं। आयकर व्यवसायियों को आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्यों के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने की अनुमति प्रदान करना उचित नहीं समझा जाता है क्योंकि उनके पास इस उद्देश्य के लिए व्यवसायिक योग्यता नहीं है।

रावी तवी परियोजना में विलम्ब

3338. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब सरकार द्वारा थीन बांध और शाहपुर कंडी बराज के निर्माण में काफी विलम्ब हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप रावी-तवी सिंचाई परियोजना के कार्य में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) और (ख) जी, हां । थीन बांध परियोजना का क्रियान्वयन पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। तथापि, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कठिनाई के कारण प्रगति कुछ धीमी रही है। जहां तक शाहपुर कंडी परियोजना का सम्बन्ध है इसमें कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू निहित होने के कारण लम्बित पड़ी है, जिसमें जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा अपने हिस्से के बराबर परियोजना लागत के भुगतान की स्वीकृति दिए जाने को सुलझाना शामिल है और भारत सरकार द्वारा अभी इसे स्वीकृति दी जानी है।

रावी-तवी सिंचाई परियोजना में तवी लिफ्ट नहर और रावी नहर परियोजना शामिल है। तवी लिफ्ट नहर का कार्य पहले ही पूरा हो गया है। रावी नहर का कार्य जो कि प्रस्तावित शाहपुर कंडी बराज से एक निकली हुई नहर है उस पर कार्य चल रहा है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने बताया है, कि रावी नहर पर बनाई गयी 53,900 हैक्टेयर सिंचाई शक्यता में से थीन बांध और शाहपुर कंडी परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्व लगभग 40.000 हैक्टेयर शक्यता का सृजन कर लिया जाएगा। थीन/शाहपुर कंडी चरण से पूर्व रावी ब्यास के अधिशेष जल में से अपने 0.65 एम० ए० एफ० के कुल हिस्से में से जम्मू व कश्मीर की वर्तमान प्रणाली और रावी नहर परियोजना से जम्मू व कश्मीर के लिए 0.46 एम० ए० एफ० जल का समुपयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

केरल के तटवूर क्षेत्र में तेल की खोज

3339. **श्री स्कारिया थामस**
श्री जेवियर अराकल
श्री वी० एस० विजयराघवन } क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में केरल के तटवूर क्षेत्र में तेल की खोज के लिए कोई कार्य शुरू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा केरल क्षेत्र में तेल की खोज के कार्य को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी हाँ।

(ख) केरल के अपतट में दो अन्वेषी कुओं की खुदाई की गई थी, परन्तु यहां हाइड्रोकार्बन मिलने का कोई संकेत नहीं मिला। वर्ष 1984-85 के दौरान अपतटीय केरल-कोंकन क्षेत्र में एक अन्वेषी कुआँ खोदने का प्रस्ताव है।

चुनाव सुधार

3340. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री चित्त बसु
प्रो० मधु दण्डवते
श्री दिगम्बर सिंह
श्री दौलत राम सारण
श्री बी० डी० सिंह
श्री छीतू भाई गामित
श्री एन० के० शेजवलकर : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान दल बदल पर प्रतिबन्ध, चुनावों में होने वाले भारी खर्च पर नियन्त्रण, राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन और राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव खर्च के लेखे का रख-रखाव, कम्पनियों दिए जाने वाले चन्दे का हिसाब और मतै दाताओं को परिचय पत्र जारी करने जैसे चुनाव सुधारों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो सदन में इस प्रकार का विधान कब तक लाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को इस मामले में कि कठिनाईयों का सामना पड़ रहा है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सुधार करने के लिए प्रस्ताव-समूह की सिफारिश की है वह अभी विचाराधीन है। उनमें से कुछ के दूरगामी परिणाम होंगे और उनके बारे में गहराई से अध्ययन तथा

राजनैतिक दलों, राज्य सरकारों, आदि से और आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी। अतः विधायी प्रस्तावों के पुनः स्थापन के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

फोटो पहचान पत्र के मामले में तारीख 13.3.84 के अतारांकित प्रश्न सं० 2714 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्वाचन आयोग ने अभी इस स्कीम को अन्य राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों को लागू न करने का निश्चय किया है।

इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाएं

3341. **श्री के० टी कोसलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ की गई 350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं का सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि उपज बढ़ाने में ड्रिप सिचाई परियोजनाओं, कृषि में प्लास्टिक के विभिन्न प्रयोगों का विस्तार करने तथा अम्बर चर्खे पर एक्रिलिक धागे को कताई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मैसर्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड में लगभग 316.50 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर निम्नलिखित परियोजाओं को आरम्भ किया है :

इन परियोजनाओं का विस्तार :— हाइमिथ्याइल टेरीथालेट (डी० एम० टी०) संयंत्र का 10, 000 मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार

— पोली प्रोपीलीन संयंत्र का 25, 000 मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार

— एक्रेलिक फाईबर संयंत्र का 12,000 मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार

— आइलीन संयंत्र का 56, 000 मी० टन प्रति वर्ष तक

— विस्तार

— लिनियर अल्काइल पेंजीन संयंत्र का 13, 500 मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार इन सदों के निर्माण के लिए संयन्त्र

— पी वी सी : 55, 000 मी० टन प्रति वर्ष

— पेट्रोलियम रेसिन 5, 000 मी० टन प्रति वर्ष

(ख) प्लास्टिक के उत्पादन का कृषि तथा सिचाई पर विकासात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। अम्बर चर्खे में एक्रेलिक फाइबर का प्रयोग व्यवहार्य पाया गया है।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंज खोलना और सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

3342. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान उनके मन्त्रालय के उड़ीसा दूरसंचार मंडल द्वारा उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में नये छोटे एक्सचेंज खोलने और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के चुने गये स्थानों के जिलेवार नाम क्या है;

(ख) उक्त राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रस्तावित छोटे एक्सचेंज खोलने और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये स्थानों का चयन और निर्णय लेते समय क्या माप दण्ड अपनाये गये हैं और क्या प्राथमिकता दी गई है;

(ग) उन उक्त स्थानों के जिलेवार नाम क्या हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 1983-84 के दौरान छोटे एक्सचेंज खोले गये हैं और सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों में दूर संचार के लिये जनजातीय और पिछड़े जिलों के संबंधित अधिकारियों को उस मण्डल द्वारा क्या अनुदेश दिए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण एक में दी गई है।

(ख) विवरण दो में छोटे स्वचल एक्सचेंज खोलने और विवरण तीन में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने संबंधित जानकारी दी गई है।

(ग) जानकारी विवरण चार में दी गई है।

(घ) जनजातीय और पिछड़े इलाकों में दूरसंचार सेवाओ के विकास की नीति देश भर में एक जैसी है। उपर्युक्त विवरण-दो और तीन के अनुसार हिदायतें दी गई हैं।

विवरण-1

उन स्थानों के नाम जहां 25 लाइनों में नये छोटे एक्सचेंज खोलने के लिए चुना गया है।

क्र० सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
1.	बंत	बालासोर
2.	देहुंदा	—वही—

1	2	3
3.	बेलपाड़ा	बोलंगार
4.	महादेवपल्ली	—वही—
5.	औल	कच्छू
6.	बेंटकार	—वही—
7.	खुंटुनी	—वही
8.	मंगलपुर	—वही—
9.	पाटकुरा	—वही—
10.	सारुबली	—वही—
11.	भूबन	— वही—
12.	नलको नगर	—वही—
13.	राउगिडा	गंजम
14.	बिसमागिरी	—वही—
15.	रायसुन	क्योंझर
16.	बालीमेला	कोरापुट
17.	रारुन	मयूरभंज
18.	पापुर	पुरी
19.	निराकारपुर	—वही—
20.	सतासंखा	—वही—
21	फिरंगिया	फुलबनी
22.	कन्तामल	—वही—

1	2	3
23.	जी हेस्स	सम्बलपुर
24.	मैलछामुन्दा	—वही—
25.	पाडियाबहल	—वही—

(क) (II) 1984-85 के दौरान 130 नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने का प्रस्ताव है। अभी स्थानों का निर्धारण किया जाना है।

विवरण-2

ग्रामीण पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के सम्बन्ध में नीति

डाक-तार विभाग के सामान्य नियमों के अन्तर्गत, टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने हेतु परियोजनाओं के वित्तीय मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात् ही स्वीकार की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो। हालांकि उपस्कर, भण्डार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंजों हेतु अत्यधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारम्भिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात् भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने। विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 से अपनाई गई है;

(एक) प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजनाओं पर यह दबाव डाले बिना कि वह लाभ-प्रद हो, ग्रामीण केत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे एक्सचेंजों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु मांग द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा।

(दो) 10 लाइनों का एक एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम समूह में ऐसे कनेक्शनों हेतु कम से कम 5 (पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिए। (फिलहाल इस समय यह लागू नहीं हैं क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंजों को अभी विकसित किया जा रहा है। इसको कृपया नीचे पैरा (5) के सन्दर्भ में भी देखा जाए।

(तीन) 10 लाइनों के एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की पांच किलो मीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम समूह में ऐसे 10 कनेक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो।

(चार) 25 लाइनों का एक्सचेंज 50 लाइनों के एक्सचेंजों में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाए और 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार किया जा सकता है जब मांग 46 तक पहुंच जाये बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमशः 60 और 70 प्रतिशत हो।

(पांच) सामान्य रूप में नए स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेंज की प्रारम्भिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर भी, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि 10 लाइनों के इलैक्ट्रोनिक एस० ए० एक्स० का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सबसे छोटा एक्सचेंज 25 लाइनों की नाम मात्र की क्षमता का है। 25 लाइनों के एक्सचेंज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेंज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनेक्शनों (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिए लागू हैं।

2. छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने के लिए कम से कम 5 ओपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि सप्ताह भर दिन-रात सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने में काफी घाटा होता है अतः सामान्यतः 100 लाइनों से कम से कम हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने पर विचार नहीं किया जाता।

3. इस समय दूरसंचार सर्किलों के अध्ययक्ष 25 लाइनों के उन छोटे स्वचल एक्सचेंजों को खोलने की योजनाओं की मन्जूरी दे रहे हैं जहां कम से कम 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने 100 रुपये की निर्धारित अग्रिम जमा के साथ अपनी मांग पंजीकृत करा ली हो। इस उद्देश्य हेतु प्रत्याशित उपभोक्ता खेत्र के उपमंण्डल अधिकारी फोन्सा/तार से सम्पर्क करें।

4. ऐसे एक्सचेंजों को खोलने में किराए पर उचित भवन और एक्सचेंजों उपस्कर, पावर संयंत्र बैटरी, केबल लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित है। अतः एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात् एक्सचेंज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं।

विवरण-तीन

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तार घर खोलने से सम्बन्धित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि (अनुबन्ध-एक) के दौरान घाटे पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय

से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए वगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानी पूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात् तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समानरूप से विकास सुनिश्चत करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(एक) अनुबंध में बताई गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही, परन्तु इसके साथ ही देश की आवादी वाले अधिकांश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 किलो मीटर के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन-घर आवश्यक होंगे। उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सैस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकि को अपनाया जाए और प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों वे ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इन्डक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थिति है और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी-एक्सैस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जायेंगे।

(तीन) गैर-विभागीय एलडीपीटीएजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाक घर के कार्य घन्टे अपर्याप्त हैं, जहां अवश्य होगा नियुक्त किए जायेंगे। गैर विभागीय एलडीपीटी एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबन्धक दूरसंचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर-विभागीय एलडीपीटी एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति. काल होगा लेकिन प्रति माह 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) से अधिक होगा। और एलडीपीटी के कार्य घन्टे कम से कम 8 घन्टे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एलडीपीटी एजेन्ट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम समूहों के षटभुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजावाले षटभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जायेंगे जो निर्जन है जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केंद्र स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित

करने के लिए ग्राम समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

उक्त अनुसन्धान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरे वार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली तार प्रणाली और मल्टी एक्सैस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे ।

हालांकि मल्टी एक्सैस रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आवंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे ।

विवरण-4

1983-84 के दौरान खोले गये जनजातीय क्षेत्रों में 25 लाइनों के छोटे एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन घर

(क) **छोटे एक्सचेंज**

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
1.	मित्रापुर	बालासार
2.	बोलानी	क्योंझर
3.	धेन की कोटै	—वही—
4.	जाजंगा	—वही—
5.	स्वामपत्रा	—वही—
6.	अम्बाडोला	कोरापुट
7.	बड़ागांव	सुन्दरगढ़

(ख) सार्वजनिक टैलीफोन घर

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
1.	छतरपुर	बालासोर
2.	कान्सा	—वही—
3.	बादा कोला कोली	गंजम
4.	छैली गड़ा	—वही—
5.	खजूरीपाडा	—वही—
6.	बड़ाघागरा	क्योंझर
7.	बसन्तापुर	—वही—
8.	बिन्जीबहल	—वही—
9.	चमकपुर	—वही—
10.	एरेंडी	—वही—
11.	खामघाघर	—वही—
12.	पारासला	—वही—
13.	पोडांगा	—वही—
14.	सांघरगरा	—वही—
15.	सितबिंजी	—वही—
16.	भैजाहांडी	कोरापुट
17.	चन्दीली	,,
18.	गिरला	,,
19.	मैदलपुर	,,

1	2	3
20.	सिकापल्ली	कोरापुट
21.	अम्बागोंडिया	,,
22.	बादामतलिया	मयूर भंज
23.	भीमदा	—वही—
24.	बुआसुनी	—वही—
25.	झाराडीही	—वही—
26.	कुण्डाबाई	—वही—
27.	पुरुनिया	—वही—
28.	सारात	—वही—
29.	सुलेपात	—वही—
30.	बाराखामा	फुलबनी
31.	गुमागदा	—वही—
32.	सुन्दरकुम्पा	—वही—
33.	बरसौन	सुन्दरगढ़
34.	खुंतागांव	—वही—
35.	हांजी बेराना	—वही—

अनुबन्ध—एक

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोनघर प्रदान करने की नीति :

स्थानों की श्रेणियां :

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मण्डलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोनधर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इन्चार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें।	संयुक्त डाकघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(8) आम रास्ते से दूर का स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तार घर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40	(क) मौजूदा तार घर से 20

कि० मी० से अधिक (आरीय दूरी) होना चाहिए।	कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/ रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000/—से अधिक नहीं होना चाहिए।

(9) पर्यटन/तीर्थ/केन्द्र/कृषि/सिंचाई-पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के शर्तें	संयुक्त डाक घर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्ययका प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000-रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(10) सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारन्टी के आधार पर	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराये और गारन्टी के आधार पर

टिप्पणी : (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समेह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए। न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट इसकी शर्त के अन्तर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिये निम्न क्रम में वरीयता दी जायेगी :

(एक) जनजातीय विकास खन्ड मुख्यालय

(दो) जिन स्थानों पर एल० ए० एन० पी० एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं, और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तार घर के 8 कि० मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो बाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिये।

गलत बिल बनाने के बारे में शिकायतें

3343. **श्री जगपाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के संसद सदस्यों की ओर से गलत टेलीफोन बिलों के लिए प्रभारों

की कटौती के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने संसद सदस्य हैं, जिन्होंने शिकायतें भेजी हैं और उन शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या उन्होंने कुछ संसद सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि गलत टेलीफोन बिलों के लिए, उनके वेतन में से प्रभारों की कटौती नहीं की जाएगी और यदि हां, तो गलत टेलीफोन बिलों से सम्बन्धित ऐसे प्रसारों की इन सदस्यों के वेतन में से अब भी कटौती करते रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गलत टेलीफोन बिल बनाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। 1-4-1983 से 30-6-1984 की अवधि के दौरान पचासी (85) संसद सदस्यों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसमें से सतहत्तर (77) शिकायतें अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में थीं, और शेष आठ (8) ट्रंककाल प्रभार के बारे में थीं।

(ख) और (ग) बिल मीटर रीडिंग और ट्रंक काल टिकटों के आधार पर बनाए जाते हैं। जब तक कोई जांच नहीं की जाती, तब तक यह निर्णय करना संभव नहीं होता है कि बिल गलत है। जब कोई विशेष मामला जानकारी में आता है, तो औचित्य सिद्ध होने पर स्थगन आदेश जारी किये जाते हैं।

उड़ीसा में दूर संचार सेवायें

3344. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उड़ीसा में हाल ही में वर्षा और बाढ़ के कारण दूर संचार सेवाओं को पहुंचे नुकसान का कोई जायजा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राज्य में आवश्यक दूर संचार सेवायें पुनः स्थापित करने के उनके मन्त्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (विजय एन० पाटिल : (क) जी हां।

(ख) दूर संचार सेवाओं को हुई क्षति की सीमा इस प्रकार है :

(एक) 25 4.84 को धेनकनाल शहर के नजदीक हल्दीबारी में 90 मीटर लम्बी माइक्रोवेव टावर भारी तूफान के कारण उखड़ गया था अनुमानित घाटा 15 लाख रुपये है ।

(दो) 25.5.84 को तूफान के कारण पश्चिम उड़ीसा की दूर संचार सेवायें अस्त व्यस्त हो गई थीं। ब्यौरा इस प्रकार है :

(I) बोलनगीर जिले के सोनपुर स्थित 100 लाइनों का एक छोटे स्वचल एक्सचेंज उस समय क्षति पहुंची, जब तूफान से किराये की इमारत की छत उखड़ गई थी। विद्युत संयन्त्र और बैटरी को भी क्षति पहुंची थी अनुमानित घाटा 1 लाख रुपए है।

(II) कटक और भुवनेश्वर की स्थानीय लाइनों के नेटवर्क पर प्रभाव पड़ा था। प्रत्येक स्थान में लगभग 500 टेलीफोन खराब हो गये थे। टेलीफोनों को पून : चालू करने पर प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत 30,000 रुपए है।

(III) भद्रक ओवर हैड एलाइनमेंट क्षतिग्रस्त हो गया था। पुनः स्थापना की अनुमानित लागत 15,000 रु० है

(ग) अन्य कार्यों पर लगे कर्मचारियों और साज सामग्री भेजकर संचार व्यवस्था को युद्ध स्तर पर पुन : चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए।

(घ) टावर को हुई क्षति के कारण पश्चिमी उड़ीसा में जो दूर संचार सेवायें अस्तव्यस्त हो गई थीं, उसे कलकत्ता, बम्बई के मुख्य माइक्रोवेव मार्ग से परियात भेजकर पुन : चालू कर दिया गया था।

(दो) कटक, भुवनेश्वर, सोनपुर भद्रक की स्थानीय टेलीफोन सेवायें तुरन्त चालू कर दी गई थी। तुरन्त ही सोनपुर में एक नई इमारत किराए पर ली गई तथा नया स्विच बोर्ड, विद्युत संयंत्र और बैटरी स्थापित कर दी गई।

उड़ीसा के सभी गांवों को बिजली देने की योजना

3345. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार (उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड) ने उड़ीसा राज्य में सभी 52,000 गांवों को बिजली देने के लिए केन्द्रीय सरकार को किसी योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि घरेलू और कृषि क्षेत्र अभी भी बिजली की कटौती से संतप्त हैं;

(ङ.) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और राज्य सरकार का किस प्रकार मार्गदर्शन किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार (उड़ीपा राज्य राज्य बिजली बोर्ड) ने राज्य में सभी गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए और इसके लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता हेतु किसी विशिष्ट योजना का सुझाव नहीं दिया है ।

(घ) से (च) राज्य के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं आदि की किस्म के अनुसार विद्युत सप्लाई करने की व्यवस्था का काम मुख्य रूप से सम्बंधित राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्ड का उत्तरदायित्व है । जब कभी विद्युत की उपलब्धता इसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है तो उपभोगता पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है; तथापि, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है । और कृषि पम्पिग को उपभोक्ताओं की आवश्यक श्रेणी के समूह में शामिल किया गया है । राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए प्रतिदिन 6 से 8 घंटे विद्युत सप्लाई की जाए ।

ऊंझा गुजरात में नया क्रासबार टेलोफोन एक्सचेंज

13346. **श्री मोती भाई आर चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में ऊंझा टेलीफोन एक्सचेंज राज्य में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एक्सचेंज है;

(ख) क्या इस एक्सचेंज में अधिक कार्य भार को देखते हुए क्रासबार एक्सचेंज की मंजूरी दी गई है और नए एक्सचेंज के शुरू न होने के क्या कारण हैं और क्या इस "काएक्शियल" प्रणाली की स्वीकृति भी दी गई है और यदि हां, तो इस प्रणाली को शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं, क्या स्थानीय केबलों के लिए टेलीफोन केबिनेट पिलर प्रणाली की भी स्वीकृति दी गई है लेकिन अभी तक शुरू नहीं की गई है; और

(ग) पहले ही स्वीकृत की जा चुकी सभी प्रणालियों के कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) (एक) 3000 लाइनों का क्रासबार एक्सचेंज स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है । एक्सचेंज की इमारत तैयार न होने तथा उपस्कर प्राप्त न होने के कारण स्थापना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

(दो) इस समय तक कोएक्सिअल केबिल प्रणाली, जिसका ड्राफिंग स्टेशन ऊंझा में है, का कार्य चल रहा है।

(तीन) ऊंझा के लिए केबिनेट-पिलर योजना की मंजूरी दे दी गई है तथा 1985 के दौरान आपेक्षित साज-सामग्री की सप्लाई हो जाने के बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

(ग) योजना का क्रियान्वयन चल रहा है तथा इसके 1987 में पूरे हो जाने का कार्यक्रम है।

सोडा ऐश सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट

3347. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडा ऐश संबंधी उच्च प्राप्त समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और इसके द्वारा सरकार को कब तक रिपोर्ट दिए जाने की आशा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है; कि सोडा ऐश के मूल्यों में कमी का प्रश्न उच्च शक्ति प्राप्त समिति के विचाराधीन सम्पूर्ण मामले से जुड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादकों के मध्यवर्ती अवधि के दौरान मूल्यों को न बढ़ाने की सलाह दी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सोडा ऐश सम्बन्धी उच्चधिकार प्राप्त समिति ने अभी तक केवल एक बैठक की है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उच्चाधिकार समिति की दो-उपसमितियां गठित की जाए। सोडा ऐश सम्बन्धी उच्चाधिकार समिति की ये दो उपसमितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं और दोनों ने कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है। यही आशा की जाती है कि उनके विचार-विमर्श शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे ताकि उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को शीघ्र प्रस्तुत कर सके।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय सोडा ऐश के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। तथापि, उत्पादन के मूल्यों पर अनौपचारिक निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में, जब नियोजकों ने सरकार को सोडा ऐश के अपने बढ़े हुए मूल्यों की सूचना दी, जिसके लिये कोयला, भाड़ा तथा जूट वेगों जैसे इन्पुट्स में वृद्धि को उक्त वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, उत्पादकों से यह कहा गया कि ये इस बात की पुनः जांच करें कि क्या वृद्धि की मात्रा न्यायोचित थी।

बदरपुर विद्युत केन्द्र द्वारा दिल्ली को बिजली की पूर्ति और सप्लाई की गई बिजली के लिये देय बकाया राशि

3348. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर विद्युत केन्द्र में उत्पादित 720 मेगावाट की समस्त बिजली दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बिजली प्रति यूनिट किस मूल्य पर दी जाती है;

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली प्रति यूनिट किस मूल्य पर दी जाती हैं;

(ङ) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की खरीद और बिक्री के बीच इस अंतर की पूर्ति किस प्रकार की जाती है;

(च) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने बदरपुर विद्युत् केन्द्र को वर्षों से अदायगी नहीं की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

3349: **श्री सुधीर गिरि** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1984 तक उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में पृथक-पृथक रूप से कुल कितने मामले लंबित थे; और

(ख) उचित समयावधि में लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा की गई जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा नियत करना संभव नहीं है । लंबित मामलों के निबटारे के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण-2 में बताए गए हैं ।

विवरण-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम		लंबित मामलों की संख्या
		(1-6-84 को)
उच्चतम न्यायालय	नियमित सुनवाई वाले मामले	44,579
	ग्रहण किए जाने वाले और प्रकीर्ण मामले	93,724
	योग :	1,38,303

उच्च न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या
	(31-12-83 को
इलाहाबाद	1,97,516
आन्ध्र प्रदेश	69,691
बम्बई	93,410
दिल्ली	57,889
गुजरात	32,159
हिमाचल प्रदेश	9,053
जम्मू-कश्मीर	22,290
कर्नाटक	1,16,564

1	2
केरल	72,724
मध्य प्रदेश	45,486
मद्रास	1,11,491
उड़ीसा	17,591
पटना *	54,582
पंजाब और हरियाणा	33,285
राजस्थान	42,936
सिक्किम	71 (30-6-83 को)
कलकत्ता	1,09,031
गोहाटी	12,541

विवरण-2

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) उच्च न्यायालय एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क) ।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई है।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कम दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है।

* केवल मुख्य मामले ।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 से बढ़ाकर 1 अगस्त, 1984 को 423 कर दी गई है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैम्बर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चत न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) कुछ मामलों में पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैंच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाये।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ समय सेन्यायालय ने जहां कहीं भी सम्भव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित है, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224 क के अधीन सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाये।

(9) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिये, वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई है और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(10) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासक प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से :—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिये; मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर को सुनिश्चित करने के निपटारे उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिये;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के लिये साधन के रूप में कार्य करे;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिये; न्यायिक प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(11) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिये और उसके लिये उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अप्ररूपित समिति गठित की है।

भारत में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण

3350. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 भारत में 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है, जो भारत में प्रजातांत्रिक समाजवादी आंदोलन की सूचक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम तथा रूपक प्रसारित करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इस प्रकार की कोई सूचना आकाशवाणी या दूरदर्शन को प्राप्त नहीं हुई है; तथापि, माध्यम घटनाओं, यदि कोई हो, को समाचार बुलेटनों और कार्यक्रमों में उनके समाचारिक महत्व के आधार पर कवर करेंगे।

एरथ्रोमाईसिन तैयार करने के लिए टी० आई० ओ० सी० का आयात

3351. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एककों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष में खेपवार इतनी मात्रा टी० आई० ओ० सी० का आयात किया गया, आयात का स्रोत और आयात मूल्य क्या था;

(ख) प्रत्येक एकक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में एरथ्रोमाइसिन का कितना उत्पादन किया गया और वह किस दर पर बेची गई।

(ग) क्या यह सच है कि टी० आई० ओ० सी० के आयात तथा एरथ्रोमाइसिन की बिक्री दर में अनेकों अनियमितताएं की गई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि टी० आई० ओ० सी० पर रियायती सीमा शुल्क लगाया गया है, यदि हां, तो रियायती शुल्क रखने का औचित्य क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है उपरोक्त कारणों से लगभग चार करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद आई० डी० पी० एल० का एरथ्रोमाइसिन संयन्त्र बेकार पड़ा है और उनके मन्त्रालय द्वारा अपने निर्णयों में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) उपलब्ध सीमा तक सूचना संलग्न-विवरण-एक में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न एककों द्वारा एरथ्रोमाइसिन का उत्पादन विवरण-दो में दिखाया गया है। मैसर्स बम्बई पैक्सवेल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लि० ने सूचना दी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्य पर एरथ्रोमाइसिन और इसके एटसँ नहीं बेचे हैं। अन्य एककों द्वारा एरथ्रोमाइसिन की बिक्री मूल्य के संबंध में वर्षवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) टी० आई० ओ० सी० के आयात के मामले में अनियमितायें सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

विवरण-1

एकक का नाम	वर्ष								
	1981-82			1982-83			1983-84		
	मात्रा	सी आई एफ मूल्य	स्त्रोत	मात्रा	सी आई एफ मूल्य	स्त्रोत	मात्रा	सी आई एफ मूल्य	स्त्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कम्विक कैमिकल्स			शून्य		शून्य			शून्य	
1. बम्बई पेक्सवेल फार्मा० लि०	6186	378	4843077.58X	5236.775	4337918.93	X	4715.91	4353504,06X	
			(Xब्राजील/इटली/यू एस ए/पश्चिम जर्मनी/फ्रांस)					(फरवरी 84 तक)	
2. स्वाती आर्गेनिक प्रा० लि०	300		217000.00XX	4459.214	40010000.00XX		5534.263	5048000.88	
			(XXकम्पनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	स्वाती कैमिकल्स	शून्य			469.883	434801.37XXX		198.75		185628.02
					(XXXप० जर्मनी/इटली)					
4.	आई डी पी एल	,,	शून्य							शून्य
5.	कैमी फाइन	19254.54	डालर 78.95 प्रति किग्रा		8240.69	डालर 95 प्रति कि० ग्रा०				उ० न०
					यू एस ए/इटली और प० जर्मनी					
6.	*थेकिम्स फार्मा० लि०	5309.42								
		10226.18			रु० 598.20/किग्रा०	131.99.10		रु० 725.56 रु प्रति ग्रा०		
		* "जून को समाप्त वर्ष"			(हंगरी, इटली और पश्चिम जर्मनी)					

विवरण-2

क्रमांक	उत्पादक का नाम	औषधि का नाम	उत्पादित मात्रा कि० ग्रा०		
			1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6
1.	मै० थेमिस कैमिकल्स लि०	इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट	6274	6551.40	7046
		इरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट	4644	4917.41	6971.70
			1981-82	1982-82	1982-83
2.	मै० बम्बई पेक्सबेल प्रा० लि०	इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट	3819.8	4822.3	4141.2
		,, स्टीरेट	3672.8	1681.3	2093.1
		,, बेस	333.3	36.7	1.4
3.	मै० कैमिफाइन	,, एस्टोलेट	17052.42	19933,80	17005.40
		,, स्टीरेट	शून्य	1818.0	133.60
		,, बेस	शून्य	शून्य	226.50

डाक्सीसाईक्लिन फार्मूलेशनों का उत्पादन और आयात

3353. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्सीसाईक्लिन फार्मूलेशनों के उत्पादों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार डाक्सीसाईक्लिन के अनुमोदित मूल्य और बिक्री मूल्य क्या थे;

(ख) निजी कम्पनियों को डाक्सीसाईक्लिन के उत्पादन के लिए लाईसेंस दिया गया है। उनकी लाइसेंस गुदा क्षमता निर्माण के चरण तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से डाक्सीसाईक्लिन की कितनी मात्रा की खरीद की गई इस प्रकार की गई खरीद का कितना मूल्य अदा किया और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा इन कम्पनियों को वर्षवार कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(घ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से डाक्सीसाईक्लिन का आयात करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) डाक्सीसाइक्लीन के प्रमुख फार्मूलों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. आरिस्टो फार्मा, बम्बई
2. डालफिन लेब्स
3. यू० एस० विटामिन
4. आई० डी० पी० एल०
5. बंगाल केमिकल्स
6. बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इन्ड०
7. फार्मास्यूटिकल कम्पनी आफ इन्डिया
8. यूनीक फार्मा
9. रैनबेक्सी लेब०

विभिन्न पैकों के लिए अधिसूचित किये गये लीडर मूल्य दशाने वाला विवरण-एक संलग्न है। गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ख) संगठित यंत्र के एककों, उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता और गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन दशाने वाला विवरण-दो संलग्न है। इन एककों द्वारा आक्सीटेट्रा-साइक्लीन से उत्पादन किया जाता है।

(ग) मैं० वायोकेम फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीज ने विभिन्न स्रोतों से की गई खरीद के ब्यौरे भेजे हैं। वर्ष, 1983-84 के दौरान उन्होंने मैं० रेनबैक्सी लेब्स लि० से 55 कि० ग्रा० डाक्सीसाइक्लीन की खरीद की और प्रत्येक प्रेषण का खरीद मूल्य अलग-अलग इससे पूर्व के वर्षों में निर्यात घरानों और अन्यों से खरीद की हैं। वर्ष 1979-80 से 1983-84 के दौरान राज्य व्यापार निगम से उन्होंने कोई खरीद नहीं की है। अन्य कम्पनियों से इसी प्रकार के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(घ) आयातों के विरुद्ध मूल अवस्था से स्वदेशी उत्पादन को सुरक्षा प्रदान करने और इन औषध को उपयुक्त और तर्क संगत मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से डाक्सीसाइक्लीन के आयातों को सरणीवद्ध किया गया था।

विवरण-I

क्र० सं०	फार्मुलेशन और मिश्रण का नाम	पैक आकार	लीडर	घोषणा की तिथि
1	2	3	4	5
1.	डोक्सीसाइक्लीन ड्राइसीरप	25 मि० लि०	5.28	8.7.1981
	50 मि० ग्रा०/5 मि० ग्रा० (वेस)		5.32	29.10.1983
2.	डोक्सीसाइक्लीन केप्सूल 100	2 केप्सूल वायल	4.34	8.7.1981
	मि० ग्रा० वेस केप०		3.52	29.10.1983
3.	वही	3 केप्सूल वायल/	5.48	8.7.1981
		एस	4.88	29.10.1983
4.	वही	4 का एस/बोतल	7.44	8. 7.1981
			5.34	29.10.1983
			7.34	15.6.1984
5.	डोक्सीसाइक्लीन केप०	6 का एस/बोतल	10.56	22.7.1981
	100 मि० ग्रा० वेस/केप०		7.54	29.10.1983

1	2	3	4	5
6.	डोक्सी साइक्लीन कैप० 100 मि० ग्रा० वेस/कैप०	10 का पत्ता/वी	16.62 12.82	8.7.1981 29.10.1983
7.	डोक्सी साइक्लीन इन्जेक्शन 50 मि० ग्रा०/मि० लि०	10 मि० लि० वायल	11.76 6.88	21.6.1982 27.10.1983
8.	वही	2 मि० लि०	2.92 2.52	21.8.1982 29.10.1983
9.	डोक्सीसाइक्लीन इन्जेक्शन 100 मि० ग्रा०/ 5 मि० लि०	5 मि० लि० वायल	4.44 4 38	21.8.1982 29.10.1983
10.	डोक्सी साइक्लीन एच० सी० एल० 0.5%	15 ग्रा० ट्यूब	10.06	3.12.1983

विवरण-2

क्र० सं०	एकक का नाम	क्षमता मी० टन	1981-82 के दौरान उत्पादन	1982-83 के दौरान उत्पादन	1983-84 के दौरान उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1.	आई० डी० पी० एल०	5.00	0.61	0.01	शून्य
2.	*मै० रेनवेक्सी लेब्स	2.50	0.55	0.60	1.66
3.	मै० गुजरात सिंथैटिक ड्रग्स	5.00	—	—	—
		12.50	1.16	0.69	1.66

*10 मी० टं० क्षमता के लिए डी० जी० टी० डी० पंजीकरण के भी धारक हैं।

बदरपुर के कर्मचारियों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में स्थानांतरण

3354. **श्री केशवराव पारधी :** क्या ऊर्जा मंत्री बदरपुर के कर्मचारियों का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में स्थानांतरण के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न सं०709 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के केन्द्रीय सरकार के बदरपुर स्थित उन कर्मचारियों को, जिन्हें ताप विद्युत निगम में नहीं रख लिया गया है और जो वहां प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, उनके मूल विभाग ने अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उसी ग्रेड के अन्य कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नत करते समय उन कर्मचारियों की प्रोफ़ार्मा पदोन्नति देने पर कभी विचार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का इन कर्मचारियों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सातवीं योजना में मेंजिया ताप विद्युत परियोजना

3355. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बांकुरा जिले में मेंजिया ताप विद्युत परियोजना की स्थापना पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

ऊर्जा मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना के लिये अभी योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त की जानी है । स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य में कम से कम 5-6 वर्ष का समय लगेगा । 1983-84 की कीमतों के आधार पर 3 × 210 मेगावाट की इस परियोजना पर अनुमानित लागत 566 करोड़ रुपये है ।

"योजना" और "आकाशवाणी" का स्थानीय भाषाओं में प्रकाशन

3356. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान में दी गयी व्यवस्था के अनुसार "योजना" और "आकाशवाणी" का प्रकाशन स्थानीय भाषाओं में करने के लिये क्या आधार है;

(ख) ये पत्रिकायें किन-किन भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थानीय भाषाओं में "योजना" और "आकाशवाणी" की लोकप्रियता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) "योजना" में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सूचना दी जाती है तथा यह आप लोगों को आयोजना के माध्यम से हुई प्रगति से परिचित कराता है। "आकाशवाणी" में लोगों को आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में अग्रिम सूचना दी जाती है। इन पत्रिकाओं को व्यापक कवरेज उपलब्ध करने के लिये कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) "योजना"	"आकाशवाणी और अन्य शीर्षक"
अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बंगला, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, असमिया, बंगला, तेलुगु, तमिल और गुजराती।

(ग) और (घ) "योजना" संस्करणों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आकाशवाणी पत्रिकाओं के संबंध में, इनके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये 1979 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। उनकी सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8593/84]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

3357. **श्री चित महाटा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करने पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यूनतम वेतन क्या निर्धारित किये जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948" के अधीन उन अनुसूचित रोजगारों के लिए "न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित की जाती है जिनसे वे सम्बन्धित हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए समूचे तौर पर कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की जाती।

खड़गपुर पश्चिम बंगल में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3358. **श्री नारायण चौबे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहले कहा था कि खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 1984-85 में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब काम करना शुरू करेगा; और

(ग) क्या इसे इतनी जल्दी स्थापित किया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों का प्रसारण देखा जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी, हां। खड़गपुर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर ने 4.8.84 से कार्य करना शुरू कर दिया है और यह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से टेली-कास्ट होने वाले ओलम्पिक खेलों तथा खेल कार्यक्रमों को इनसेट--1 बी के माध्यम से रिले करता है।

बोइको लारी कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन

3359. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "बोइको लारी" लिमिटेड कलकत्ता के उचित प्रबंध और प्रशासन के संबंध में बोइको लारी कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त उपक्रम द्वारा बंद की धमकी के संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री श्री (गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ग) जी हां।

(ख) और (घ) लगभग 10 वर्ष से कम्पनी का कार्य निष्पादन असंतोषजनक रहा है और 31.3.84 को इसे 12.36 करोड़ रुपये की समन्वित हानि हुई। गत कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने पुराने उपस्करों को हटाने और कम्पनी के सहायतार्थ बहुत बड़ी धनराशि का निवेश किया है। सरकार तथा कम्पनी के प्रबन्धकों के प्रयासों के बावजूद ह्रास प्रवृत्ति को रोकना संभव नहीं हुआ है। इस समय इस कम्पनी के भविष्य के प्रश्न पर सरकार जांच कर रही है और अंतिम निर्णय लेना बाकी है।

बम्बई हाई में विशाल प्लेटफार्म काम्प्लेक्स के लिए भारतीय और विदेशी फर्मों द्वारा प्रस्ताव

3360. **श्री माधवराव सिन्धिया**
श्री आनन्द सिंह } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भारतीय और विदेशी फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बम्बई हाई में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशाल प्लेटफार्म काम्पलेक्स के लिये प्रस्ताव भेजे हैं तथा उनके द्वारा उल्लिखित तुलनात्मक शर्तें क्या हैं; और

(ख) यह ठेका किस फर्म को दिया गया है तथा किन शर्तों पर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दक्षिण बेसिन प्लेटफार्म के लिये जारी की गयी खुली निविदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित आठ कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

1. निप्पन स्टील कारपोरेशन, जापान
2. हूनदई हैवी इंडस्ट्रीज, कोरिया
3. सनाम प्रोगेटी, इटली
4. रेड पाथ डोरमन लॉंग, यू० के०
5. देयवू शिप बिल्डिंग एण्ड हैवी मशीनरी लिमिटेड, कोरिया
6. मैक्डरमोट इंटरनेशनल, यू० ए० ई०
7. ऐटलांटिक गल्फ एण्ड पैसेफिक कम्पनी
8. सैमसंग दक्षिण, कोरिया

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्तमान में इन निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इस अवस्था में कोई तुलनात्मक ब्यौरे देना उचित नहीं होगा।

समाचार वाचकों (न्यूज रीडर्स) की नियुक्ति

3361. **श्री आनन्द सिंह** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन में समाचार वाचकों (न्यूज रीडर्स) की नियुक्ति सम्बन्धी नियम और शर्तें क्या हैं; और

(ख) क्या उनके अनुबंधों के नवीकरण में भेदभाव के कुछ मामले हुये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय, दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा समाचार वाचकों को, अपनी-अपनी कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, निर्धारित कसौटी के अनुसार समिति द्वारा चयन के बाद कार्य के आधार पर लगाया जाता है। उनको लगाने की शर्तें मुख्यतया प्रत्येक कार्यनिष्पादन के लिये देय शुल्क तथा समाचार कक्ष का सुचारू रूप से कार्यक्रम सुनिश्चित करने

के लिये अनुशासन के पालन से संबंधित हैं। भूतकाल में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में लगाये गये समाचारवाचकों के लिये, शर्तें सामान्तया शुल्कमान, आचरण, छुट्टी आदि से संबंधित हैं।

(ख) जी, नहीं।

विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों की स्थापना

3362. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इलाहाबाद, गौहाटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के संबंध में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायापीठों की स्थापना किन-किन स्थानों में करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

टेलीफोनों की सप्लाई और उपलब्धता के संबंध में सरीन समिति की रिपोर्ट

3363. **डा० प्रताप बाघ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरीन समिति ने आगामी दो वर्षों के टेलीफोन के उत्पादन, उपलब्धता और आवश्यकता के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरीन समिति ने टेलीफोनों की सप्लाई और उपलब्धता में सुधार करने के लिए सिफारिशें की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) सरीन समिति ने टेलीफोनों के उत्पादन और उपलब्धता से संबंधित छठी पंचवर्षीय योजना के दूरसंचार लक्ष्यों को पहले ही पूरा करने की सिफारिश की है।

(ग) समिति ने यह सिफारिश की है कि स्थानीय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग और और सुविधा प्रदान करने के अंतराल को निर्धारित समय से घटाकर मार्च, 1988 किया जाए। (जैसा कि छठी योजना में मार्च, 1990 का प्रस्ताव है)।

(घ) संसाधनों और वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने यह सिफारिशें स्वीकार नहीं की।

लेह में शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना

3364. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी केन्द्र लेह का ट्रांसमीटर पुराना और कमजोर हो गया है जिसके परिणामस्वरूप कारगिल, जमसकार, नुबरा और चेंगथांग में रहने वाले अधिकतर लोग लेह केन्द्र से प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रमों और समाचारों से वंचित रह जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि लद्दाख की जनता तथा कथित आजाद कश्मीर रेडियो, रेडियो बीजिंग और बी० बी० सी० द्वारा जोरदार प्रचार का मुकाबला करने के लिये तथा लेह केन्द्र के कार्यक्रम लद्दाख के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर तरीके से सुनने के लिए लेह में एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने की मांग लगातार करती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी, लेह का 10 किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांसमीटर 1971 में चालू किया गया था और यह निर्धारित शक्ति पर रेडियेट कर रहा है। तथापि, कारगिल, जसकार, नुबरा और चंगथांग इस ट्रांसमीटर के प्राथमिक सेवा क्षेत्र में नहीं आते।

(ख) और (ग) जी, हां। इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के अंग के रूप में किया जाएगा।

तालचेर में उच्च ताप विद्युत केन्द्र

3365. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर में एक उच्च ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव छठी योजना में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के अब तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे छठी योजना के अन्त में किए जाने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने तालचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण में 500--500 मेगावाट के दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना हेतु एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन कर दिये जाने के बाद ही निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जा सकता है। परियोजना के लिये आवश्यक कोयला लिंकेज सुनिश्चित करने जैसे प्रारम्भिक कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

हिमालय क्षेत्रों में तेल मिलने की संभावनाएं

3366. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अपनी तरफ से हिमालय क्षेत्रों में तेल के प्रचुर भण्डारों का पता लगाने में सफल हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की तरफ से हिमालय क्षेत्रों में तेल मिलने की कोई संभावनाएं हैं;

(ग) क्या चीन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस ओर के हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय रूप से तेल की खोज करने सम्बन्धी कोई योजना उनके मंत्रालय के पास है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) ऐसी किसी वाणिज्यक खोज के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हिमालय की तलहट्टियों में हाइड्रोकार्बन मिलने की संभावना है।

(ग) और (च) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने विस्तृत सर्वेक्षण किया है और हिमालय की तलहट्टियों में 9 स्थान खुदाई के लिए पहचाने हैं। खुदाई कार्य के 1985 में शुरू किये जाने की आशा है।

फ्रांस की सी० एफ० पी० के साथ ठेके की अवधि का बढ़ना

3367. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या फ्रांस का संस्थान सी० एफ० पी० भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बम्बई हाई के लिए अपने 4 वर्ष के ठेके को और 6 वर्षों के लिए बढ़ाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए नए करार का पूरा ब्यौरा क्या है और नया ठेका करने की आवश्यकता किन कारणों से पड़ी; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और सरकार पहले के दो ठेकों से प्राप्त परिणामों और उनके लाभों से संतुष्ट है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पहली संविदा तथा 5.4.1985 को समाप्य चल रही दूसरी संविदा के परिणाम अभी तक संतोषजनक रहे हैं।

विद्युत योजनाओं विशेषकर उड़ीसा के लिए छठी योजना परिव्यय

3368. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विद्युत-क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए छठी योजना में कितने परिव्यय का प्रावधान किया गया था;

(ख) विद्युत-क्षेत्र में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए किए गए कुल आवंटन में से प्रत्येक राज्य ने अब तक कितनी राशि व्यय की है;

(ग) उपर्युक्त योजनावधि के दौरान विद्युत-क्षेत्र में उड़ीसा में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई है और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) उड़ीसा में उन योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौर क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के लिए छठी योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा योजना अवधि के पहले चार वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा वर्षवार किए गए व्यय विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) छठी योजना के विद्युत कार्यक्रम में उड़ीसा में 560 मेगा० नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का विचार था, जिसमें से तलचेर (विस्तार) ताप विद्युत केन्द्र में 110-110 मेगावाट के दो यूनिट चालू कर दिए गए हैं। इस वर्ष के दौरान रेंगाली जल विद्युत परियोजना (50 मेगावाट) का पहला यूनिट चालू किए जाने की उम्मीद है। शेष क्षमता जिसमें रेंगाली जल विद्युत परियोजना यूनिट-2 (50 मेगावाट) तथा अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना (3×80 मेगावाट), सातवीं योजना में चालू किए जाने की संभावना है। अपर इन्द्रावती (4×150 मेगावाट) और हीराकुड चरण-3 (1×37.5 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

निर्माणाधीन स्कीमों पर किए गए व्यय और कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

करोड़ रुपए में

क्र० सं०	राज्य का नाम	छठी योजना अनुमोदित व्यय	व्यय			
			1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (संभावित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	789.70	138.06	132.75	136.66	146.00
2.	असम	370.30	78.71	77.10	78.14	108.35
3.	बिहार	800.00	107.10	140.57	132.49	98.02
4.	गुजरात	941.50	127.85	163.11	166.23	234.42
5.	हरियाणा	545.00	69.46	36.20	118.14	121.64
6.	हिमाचल प्रदेश	139.73	21.59	23.37	36.79	38.45
7.	जम्मू व कश्मीर	170.00	19.81	22.20	24.36	27.75
8.	कर्नाटक	601.40	106.68	139.36	139.82	166.74
9.	केरल	312.73	69.40	70.10	48.23	62.50
10.	मध्य प्रदेश	1500.00	221.08	259.33	296.76	344.60
11.	महाराष्ट्र	2157.00	327.85	330.90	399.17	418.29
12.	मणिपुर	18.65	3.10	2.29	2.60	4.50
13.	मेघालय	45.00	6.51	5.97	4.50	9.50
14.	नागालैण्ड	15.25	2.50	2.95	2.77	3.43
15.	उड़ीसा	410.00	71.27	82.79	79.19	88.20
16.	पंजाब	732.94	103.10	139.66	200.30	214.05
17.	राजस्थान	675.00	110.01	119.37	105.68	115.08
18.	सिक्किम	12.00	2.64	2.44	2.49	2.30
19.	तमिलनाडु	1022.80	8159.89	174.52	191.04	180.00
20.	त्रिपुरा	22.11	3.91	4.19	4.67	5.55
21.	उत्तर प्रदेश	2125.90	265.18	347.07	388.79	432.03
22.	पश्चिमी बंगाल	886.55	137.47	130.56	116.32	141.01

विवरण-दो

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	वास्तविक व्यय				अनुमोदित परिव्यय	निर्माण कार्य की प्रगति
		1980-81	81-82	82-83	83-84		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तलचेर ताप विद्युत केन्द्र (विस्तार) यूनिट-5 और 6 (2×110 मेगावाट)	1.00	6.27	5.30	1.58	0.60	यूनिट-5 को 1981-82 में चालू किया गया था। यूनिट-6 को 1982-83 में चालू किया गया था।
2.	रेंगाली जल विद्युत परियोजना (2×50 मेगावाट)	11.71	13.21	14.11	17.42	10.72	बांध की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और चिनाई/कंक्रीट का कार्य भी पूरा होने के करीब है। पेन स्टाक तथा पेन स्टाक गेटों को प्रतिष्ठापित कर दिया गया है और 24 में से 17 स्पिल वे द्वारों का प्रचालित किया जा सकता है। यूनिट-2 के लिए स्क्रोल केस के उत्थापन का कार्य पूरा हो गया है। सर्विस बे के यूनिट-1 में रोटर के क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है और स्टेटर सेक्टर की एसेम्बली का कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना (3 × 80 मुगावाट)	20.57	19.58	20.86	21 00	20 00	बांध का कंक्रीट तथा चिनाई कार्य पूरा होने वाला है। हैड रेस सुरंग की खुदाई कार्य चल रहा है और सर्ज सेफ्ट और पेन स्टाक सुरंग का कार्य पूरा हो गया है। यूनिट-1 की ड्राफ्ट ट्यूब का कंक्रीट सम्बन्धी कार्य कर दिया गया है। विद्युतघर के सिविल निर्माण कार्य चल रहे हैं।
4.	हीराकुंड बांध चरण-3 (यूनिट नं० 7) (1 × 37.5 मेगावाट)	0.25	0.25	0.34	5.00	7.00	पिट क्षेत्र की खुदाई और टेल रेस चेनल को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है और उपस्कर के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।
5.	अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4 × 150 मेगावाट)	8.42	6.80	4.04	7.79	14.00	आधार भूत निर्माण कार्य पूरे होने के करीब हैं। बांध की नींव और हैड रेस चेनल तथा बिजली-घर की खुदाई का काम चल रहा।

वर्ष 1980 से 1984 के बीच बिड़ला, बंगुर और गोयनका घरानों से सम्बद्ध औद्योगिक एककों का बन्द होना

3369. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1984 के बीच बिड़ला, बंगुर और गोयनका घरानों के बड़े और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों के कितने औद्योगिक एककों को बन्द कर दिया गया है उनके नाम क्या हैं तथा इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं; और

(ख) इन एककों के पुनः खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किए हैं तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : श्रम मंत्रालय में, औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारणों से कामबन्दी के बारे में केवल सूचना रखी जाती है। वर्ष 1980-1983 के लिए ऐसी कामबंदियों और उनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी विवरण संलग्न है। इन वर्षों के दौरान बड़े और एम० आर० टी० पी० यूनिटों की, जो बन्द हो गई, संख्या से संबंधित विशेष सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	बन्द हुई यूनिटों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की सं०
1980	338	18,164
1981	349	37,377
1982(अ)	286	26,602
1983(अ)	193	34,557

(अ) = अंनतिम

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

3370. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य को ब्याज की घटी दरों पर ऋण उपलब्ध करा कर सहायता न किये जाने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम एक विकास वित्त संस्थान है और यह राज्य बिजली बोर्डों को जिन राज्य में बिजली बोर्ड कार्य नहीं कर रहे हैं, उनमें राज्य सरकारों और राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण बिजली सहकारिताओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता करता है। पिछड़े क्षेत्रों को दी गई ऋण सहायता की शर्तें अन्य क्षेत्रों की शर्तों की अपेक्षा अधिक उदार होती हैं।

ग्राम विद्युतीकरण निगम ग्रामीण बिजली सहकारिताओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा यर शे पूंजी में योगदान के लिए 2 से 5% के बीच सामान्य ब्याज की दर पर ऋण देता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण बिजली सहकारिताओं के लिए उपलब्ध कराया गया रियायती वित्त पोषण का मध्य प्रदेश में काफी अधिक लाभ उठाया गया है। इस राज्य में अब तक 2441 लाख रु० की वित्तीय सहायता से 13 ग्रामीण बिजली सहकारिताएं स्वीकृत की गई हैं।

उत्तर प्रदेश में टांडा में ताप विद्युत केन्द्र

3371. **श्री राम अवध** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टांडा में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण मार्च, 1984 तक पूरे हो जाने थे परन्तु अभी तक इसका प्रथम चरण भी तैयार नहीं हुआ है;

(ग) क्या निर्धारित समय के भीतर इस योजना के पूरे न होने का कारण धन की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी नवीनतम स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) टांडा ताप विद्युत परियोजना, जिसमें 110-110 मेगावाट की चार यूनिटें प्रतिष्ठापित की जानी हैं, 159.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च, 1979 में स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना को पूरा होने में विलम्ब हुआ है जिसका मुख्य कारण निधियों की कमी होना है। चालू करने का मूल कार्यक्रम, छठी योजना के अनुसार और अब प्रत्याशित कार्यक्रम नीचे दिए गए है—

यूनिट का नाम	मूल कार्यक्रम	छठी योजना का कार्यक्रम	अब प्रत्याशित कार्यक्रम
टांडा यूनिट-1	9/83	9/83	3/86
यूनिट-2	4/84	6/84	9/86
यूनिट-3	10/84	11/84	3/87
यूनिट-4	3/85	3/85	9/87

खोज हेतु कुएं खोदने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यक्रम

337 **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृति कगैस आयोग का विचार बंगाल की खाड़ी के वेशिन में खोज हेतु कुएं खोशने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा कितने कुएं खोदे गए और उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम बिभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बंगाल बेसिन के छिछले समुद्री क्षेत्र में खुदाई के लिए 5 अपतटीय स्थानों का पता लगा लिया है। खुदाई कार्य के 1985 के दौरान आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बंगाल बेसिन के अपतटीय भाग में अभी तक कोई कुआं नहीं खोदा गया है।

केउंझर गढ़ उड़ीसा में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में प्रगति

3373. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के केऊंझर गढ़ में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) केऊंझर गढ़ में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) केऊंझर गढ़ रेडियो स्टेशन से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1984-85 में इस केन्द्र के लिए 13.2 लाख रु० का बजट अनुदान है।

(ख) और (ग) उपयुक्त स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है। भवन प्राक्कलन मंजूर किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य हाथ में लेने की कार्रवाई चल रही है।

केन्द्र के 1985-86 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

"ए पैसेज टू इण्डिया" फिल्म के निर्माण लिए अनुमति

3374. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वरिष्ठ ब्रिटिश फिल्म निर्देशक श्री डेविड लीन को रामनगर बंगलौर मैसूर रोड (कर्नाटक) के निकट पहाड़ियों में "ए पैसेज टू इंडिया" फिल्म का निर्माण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि फिल्म निर्देशन में और उनके दल के लोग बडी चट्टानों को विस्फोट द्वारा उडा कर गुफाएं बना रहे हैं जो स्मारक चिन्ह है और विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें बतायी जाती है;

(ग) क्या दुर्लभ चट्टानों अथवा वन सम्पदा को नष्ट करने के लिए भूसर्वेक्षण विभाग अथवा वन संरक्षण आदि से अनुमति नहीं ली गयी; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाये, एक विस्तार जांच करवाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) मैसर्स जी० डब्ल्य० फिल्म्स लिमिटेड, लन्दन को "ए पैसेज टू इण्डिया" नामक फिल्म की भारत में शूटिंग करने की अनुमति दी गई थी। फिल्म का निर्देशन ब्रिटिश फिल्म निर्देशक श्री डेविड लीन ने किया था ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किन्हीं बडी चट्टानों के विध्वंश किए जाने की कोई जानकारी नहीं है जिन्हें विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें कहा जाता है। कर्नाटक राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए मैसर्स जी० डब्ल्यू०, फिल्म्स के अनुरोध को राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था। मैसर्स जी० डब्ल्यू० फिल्म्स ने सम्बन्धित प्राधिकारियों से सीधे सम्पर्क किया और गुफाओं को काटने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली।

(घ) क्योंकि गुफाओं को काटने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, इसलिए जांच के प्रश्न पर विचार करने से पहले राज्य सरकार से यह पता किया जायेगा कि किन परिस्थितियों में गुफाओं को काटने की अनुमति दी गई थी।

भारत में दूरदर्शन

3375. **श्री भीखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

देश में आज तक राज्यवार कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा चुके है और उनके क्या नाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : 13-8-84 के दिन की स्थिति के अनुसार, देश में 94 दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

लोक सभा के 14 8.84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3375 के उत्तर में उल्लिखित 13-8-84 के दिन की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित दूरदर्शन केन्द्रों की सूची

सं० क्र०	राज्य	दूरदर्शन केन्द्र का स्थान
1	2	3
1.	असम	1. गोहाटी
2.	आंध्र प्रदेश	2. विजयवाड़ा
		3. विशाखापतनम
		4. काकीनाड़ा
		5. वारंगाल
		6. राजामुंद्री
		7. नेल्लौर
		8. निजामाबाद
		9. कुर्नूल
		10. तिरूपति
		11. कुड्डपा
		12. करीमनगर
3.	बिहार	1. मुजफ्फरपुर
		2. पटना
		3. गया
		4. मुंगेर
4.	गुजरात	1. अहमदाबाद
		2. पिज
		3. सूरत
		4. वदोदरा

1	2	3
5.	हरियाणा	1. हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश	1. कुल्लू 2. शिमला
7.	जम्मू व काश्मीर	1. श्रीनगर 2. जम्मू
8.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा 2. बंगलौर 3. मंगलौर 4. देवनागरे 5. भद्रावती
9.	केरल	1. त्रिवेन्द्रम 2. कोचीन 3. कालीकट
10.	मध्य प्रदेश	1. भोपाल 2. इन्दौर 3. रायपुर 4. जबलपुर 5. ग्वालियर 6. बिलासपुर
11.	महाराष्ट्र	1. बम्बई 2. पुणे 3. नागपुर 4. नासिक 5. कोल्हापुर 6. अकोला
12.	मणिपुर	1. इम्फाल
13.	मेघालय	1. शिलांग
14.	नागालैंड	1. कोहिमा

1	2	3
15.	उड़ीसा	1. सम्बलपुर 2. भुवनेश्वर
16.	पंजाब	1. भटिंडा 2. जलंधर 3. अमृतसर 4. पठानकोट
17.	राजस्थान	1. जयपुर 2. सूरतगढ़ 3. जोधपुर 4. कोटा 5. बीकानेर 6. उदयपुर 7. अलवर 8. गंगानगर 9. खेतड़ी
18.	सिक्किम	1. गंगतोक
19.	तमिलनाडु	1. मद्रास 2. तिरुचिरापल्ली 3. सलेम 4. वेल्लौर
20.	त्रिपुरा	1. अगरतला
21.	उत्तर प्रदेश	1. गोरखपुर 2. मसूरी 3. लखनऊ 4. कानपुर 5. इलाहाबाद 6. आगरा 7. देवरिया 8 बरेली 9. झांसी

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	10. सुल्तानपुर
		11. राय बरेली
		12. शाजहांपुर
		13. नैनीताल
22.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता
		2. आसनसोल
		3. खड़गपुर
		4. बर्द्धमान
		5. माल्दा

संघ शासित क्षेत्र

1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. पोर्ट ब्लेयर
2.	अरुणाचल प्रदेश	2. इटानगर
3.	दिल्ली	1. दिल्ली
4.	गोवा दमन और दीव्	1. पणजी
5.	मिजोरम	1. ऐजवाल
6.	पाण्डिचेरी	1. पाण्डिचेरी

आयात के कारण बल्क ड्रग्स के देश में उत्पादन में कमी

3376. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बल्क-ड्रग्स का उत्पादन करने वाली ऐसी कम्पनियों को जिन्हें यदि और अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिल जाए तो वे अपना उत्पादन बढ़ाने में समर्थ है, अनुमति न प्रदान करने सम्बन्धी सरकार की नीति के कारण बल्क-ड्रग्स की आयात की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता रहा है; और

(ख) विद्यमान उत्पादकों द्वारा इस समय पहले से स्थापित संयंत्र और उपकरण से किन-किन औषधों का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है तथा ये औषधियां कितने मूल्य की होंगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन आयातित बल्क औषधों की मात्रा और मूल्य का सही मूल्यांकन करना कठिन है, जिनका निर्माण विद्यमान निर्माताओं द्वारा पहले से ही स्थापित संयंत्र और उपकरण से ही किया जा सकता है।

तथापि, इन औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से, आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी के आयात सहित सरकार द्वारा समस्त सहायता प्रदान की जा रही है।

बोध घाट पन बिजली परियोजना

3377. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रस्तावित "बोधघाट" पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए एक घने और महत्वपूर्ण जंगल को काटना पड़ेगा और यदि हां, तो उक्त वन को अनुमानत: कितनी क्षति पहुंचेगी और उसका परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की जायेगी, और इसको पूरा करने की निर्धारित अवधि अधिस्थापित क्षमता और उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) और (ख) बोधघाट जल विद्युत परियोजना की, जिसमें प्रारम्भ के वर्षों में 1357 मेगावाट आवर का कुल ऊर्जा उत्पादन समेत 125 मेगावाट की चार यूनिटें प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, इनके 1990-91 तक चालू किए जाने की आशा है। नवम्बर, 1983 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में वार्षिक योजना पर विचार विमर्श के अनुसार परियोजना की लागत 475.6 करोड़ रुपये है।

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बोधघाट बांध से 12640 हैक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा जिसमें 5676 हैक्टेयर वन भूमि है। जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या तथा इनकी लागत के बारे में अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है तथापि पर्यावरण विभाग ने बोधघाट परियोजना से पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

दूरसंचार के लिए आवश्यक "इन्सुलेटर्स" की सप्लाई के लिए क्रयादेश

3378. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर-संचारों के लिए अपेक्षित "इन्सुलेटर्स" की सप्लाई के लिए क्रयादेश देने के संबंध में क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) क्या कुछ ऐसे व्यापार संगठनों को पर्याप्त संख्या में "इनसुलैटर्स" सप्लाई करने के लिए क्रयादेश दिए गए हैं जो कि वास्तविक निर्माता नहीं हैं;

(ग) यदि हां, उन पार्टियों का ब्योरा क्या है जिनको इस प्रकार के क्रयादेश दिए गए हैं लेकिन क्रयादेश मिलने के दो वर्ष पश्चात भी वे कार्य पूरा नहीं कर सके हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभाग द्वारा आमन्त्रित की गई प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर सामान प्राप्त करने का निर्णय लिया जाता है। सफल निविदाकारों द्वारा निर्दिष्ट दरों के अनुसार सामान की मात्रा का निर्णय लिया जाता है। मात्रा का निर्णय लेते समय इससे पहले सामान की सप्लाई में उनके कार्य निष्पादन को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जुलाई, 82 (अर्थात दो वर्ष पहले) जिन पार्टियों को भारी मात्रा में आर्डर दिए गए थे, उन सभी ने अधिकांश रूप से सप्लाई पूरी कर दी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध कम्पनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया निवेश

3379. **श्री के० प्रधानी**
डा० प्रताप बाघ } : **क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में गैर-सरकारी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों की कम्पनियां आवश्यक औषधों के मामले में अनुसंधान और विकास कार्यों पर धनराशि खर्च करने की इच्छुक नहीं है जबकि वे (गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों) सदा अपने उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि करने की दुहाई देती रहती है और अपने बिक्री अधिकारियों और अन्य लोगों को ऊंचे वेतन और अन्य सुविधाएं देती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई औषधों के विकास के लिए मूल अनुसंधान करने के लिए औषध उद्योग में बहुत ही कम प्रयास किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार गैर सरकारी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों को इस बात के लिए राजी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि वे आवश्यक औषधों का इंटरमीडिएट अथवा केवल पेनुलटीमेंट चरण पर तैयार करने की बजाय औषधों की लागत कम

करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दें ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भेषज कपनियां अनुसंधान और विकास कार्यकलाप में लगी हुई है। उनके अनुसंधान और विकास कार्य मुख्यतः नई औषधों, आयात प्रतिस्थापन, प्रक्रिया विकास आदि पर अनुसंधान से सम्बन्धित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के रिकार्ड के अनुसार, इन कम्पनियों का अनुसंधान और विकास व्यय अनुबंध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8594/84]

उड़ीसा में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रम

3380. **श्री के० प्रधानी : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 (30-6-1984 तक) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षण तथा श्रमिक अध्यापक प्रशिक्षण, श्रमिक प्रशिक्षण, अल्प कालीन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम और लघु क्षेत्र/असंगठित श्रमिकों हेतु कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्तरों पर चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रकार कितने श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) इस समय कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत चालू वर्ष की बकाया अवधि में अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम सभी श्रमिकों के लिए सुलभ होते हैं चाहे वे किसी भी जाति और समुदाय के हों। वर्ष 1983-84 और 1984-85 (30.6.84 तक) के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने उड़ीसा में श्रमिकों, जिनमें अनुसूचित जाति के श्रमिक भी शामिल हैं, के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं :—

(1) श्रमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (3 माह)

(2) यूनिट स्तर कक्षाएं

(3) अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

(4) क्रियात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं

(5) ग्रामीण श्रमिक शिक्षा

(i) पांच दिवसीय शिविर

(ii) दो दिवसीय शिविर

(6) असंगठित क्षेत्र-पांच दिवसीय शिविर

(7) श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के लिए संयुक्त सेमीनार

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 (जून, 1984 तक) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिन अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है उनकी संख्या निम्न प्रकार से है :—

	1983-84	1984-85
(i) कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	197	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन आंकड़ों को वार्षिक आधार पर संकलित किया जाता है ।
(ii) ग्रामीण श्रमिक शिक्षा		
(क) पांच दिवसीय शिविर	1319	
(ख) दो दिवसीय शिविर	18	
(iii) असंगठित क्षेत्र पांच दिवसीय शिविर	262	
(iv) श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के लिए संयुक्त सेमीनार	11	

उक्त 1 से 3 श्रेणियों अर्थात् श्रमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यूनिट स्तर कक्षाएं और अल्प-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट सभी कार्यक्रम इस वर्ष की बाकी अवधि के दौरान भी जारी रहेंगे । अनुसूचित जनजातियों के बारे में लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।

कोरापुट उड़ीसा में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना

3381. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1984 को बम्बई में 25वें आल इंडिया प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर्स कान्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करके राष्ट्रीय प्रयत्नों में हिस्सा बटाने के लिए प्लास्टिक उद्योग को आह्वान किया था;

(ख) क्या वह उड़ीसा के पिछड़े जनजातीय क्षेत्र जैसे कोरापुट अथवा उसके आसपास इस प्रकार की यूनिट स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कोरापुट में अथवा इसके आसपास एक यूनिट की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न हां नहीं उठता।

एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची और उड़ीसा में एल० पी० जी० की नई एजेन्सियों का खोला जाना

3382. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची आए वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघशासित प्रदेश और विशेषकर उड़ीसा की वर्तमान प्रतीक्षा सूची क्या है जिसमें दर्ज लोगों को अभी गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 में प्रत्येक राज्य को कितने कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) तत्सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) किसी शहर में एल० पी० जी० एजेंसी खोलने का मानदण्ड क्या है; और

(च) गैस एजेंसी सम्बन्धी प्रतीक्षा सूची में कितने ऐसे शहर हैं जहां अभी 1984-85 में

भी एल० पी० जी० एजेंसी नहीं है और उड़ीसा में ऐसे शहरों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान देश भर में 16 लाख उपभोक्ताओं को दर्ज किया जाए । प्रत्येक राज्य में रिलीज की जाने वाली वास्तविक संख्या नई एजेन्सियों के चालू किए जाने और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों और नये उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं

(1) सिलेण्डरों, प्रैशर रेगूलेटरों और बाल्वों की पर्याप्त संख्या में प्राप्त करना ।

(2) पर्याप्त संख्या में टैंक वैगन और गाड़ियां प्राप्त करना ।

(3) नये बाटलिंग संयंत्र चालू करके और विद्यमान कुछ संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर पर्याप्त बाटलिंग क्षमता की स्थापना करना ।

(4) अगले दो वर्षों में पर्याप्त संख्या में एजेंसियां चालू करना ।

(ङ) तेल उद्योग प्रत्येक वर्ष अपनी एल० पी० जी० विपणन योजना स्थान की जनसंख्या एक एल० पी० जी० की एजेंसी की मांग क्षमता और सप्लाई संभार के आधार पर आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर तैयार करता है ।

(च) उड़ीसा में एल० पी० जी० की एजेंसियां खोलने के लिए 1984-85 की विपणन योजना में निम्नलिखित स्थान विचाराधीन हैं :—

राउरकेला, कुलाड, भुवनेश्वर, राजगंगपुर, तितलागढ़, कटक, और बीरमित्रापुर ।

विवरण

राज्य का नाम	30.6.1984 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	290799
बिहार	56783

1	2
गुजरात	350090
हरियाणा	146380
हिमाचल प्रदेश	9000
कर्नाटक	73815
केरल	6896
मध्य प्रदेश	209439
उड़ीसा	19800
पंजाब	109798
राजस्थान	151798
तमिलनाडु	49461
उत्तर प्रदेश	414607
पश्चिम बंगाल	32000
चण्डीगढ़	60699
दिल्ली	563459
पांडिचेरी	2000
जम्मू और कश्मीर	11502
महाराष्ट्र	826234
गोवा	31894
दादरा नगर हवेली	680
योग :	3417134

रसायनों के उत्पादन की राज्यवार तुलना

3383. श्री अजित बाग : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1964, 1977 और 1983 में उत्पादित रसायनों के कुल मूल्य में पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र का भाग कितना है;

(ख) उसी अवधि के दौरान उसमें बम्बई और गुजरात का हिस्सा कितना था; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि इसमें कुछ राज्य आगे हैं और कुछ पिछड़ रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) देश में रसायनों के उत्पादन के मूल्य की राज्यवार, सांख्यिकी का प्रकाशन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण में किया जाता है। इस संगठन द्वारा राज्यवार ऐसी सांख्यिकी 1976-77 से 1980-81 तक संकलित की गई है। देश में उत्पादन के कुल मूल्य में पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात का प्रतिशत अंश निम्न प्रकार है :

	1976-77	1980-81 (अस्थाई)
पूर्वी क्षेत्र (पश्चिमी बंगाल सहित)	10.48 प्रतिशत	8.75 प्रतिशत
महाराष्ट्र	40.00 वही	36.26 वही
गुजरात	15.31 वही	17.64 वही

(ग) किसी भी राज्य का औद्योगिक विकास कच्चे मालों की समीपता, राज्य द्वारा प्रस्ताविक आर्थिक प्रोत्साहन, इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं की उपलब्धता, औद्योगिक सम्बन्ध और उद्यम वरीयता जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा। विभिन्न राज्यों के बीच वृद्धि दर में पारस्परिक अन्तर इन सभी पहलुओं अथवा किसी एक से सम्बन्धित होगा।

तेल और गैस की प्रोसेसिंग के लिए महाराष्ट्र में दूसरे ताप संयंत्र की स्थापना

3385. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस बात की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि हाजिरा स्थित मौजूदा उरान गैस ताप परियोजना तथा अन्य संयंत्रों की क्षमता इस क्षेत्र में तेल और गैस के बढ़े हुए उत्पादन का प्रोसेसिंग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और उरान के दक्षिण में राज्य में एक दूसरा ताप संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है जहां कि प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन तेल की और प्रतिदिन 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की प्रोसेसिंग होगी;

(ख) क्या राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए अत्यन्त प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं द्वारा किए गए कुछ उपयुक्त सर्वेक्षण पहले ही प्राप्त हो गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस स्थान पर अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और दूसरे संयंत्र का अधिक कठिनाई के बिना तेजी से निर्माण किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

देश में वायरलैस टेलीग्राफिस्टों की कमी

3386. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेष रूप से पश्चिमोत्तर दूरसंचार सर्किल में वायरलैस टेलीग्राफिस्टों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस प्रकार की और कितनी है तथा उक्त सर्किल के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में इस कमी के कारण राज्यवार कुल कितने बायरलैस कार्यालय बन्द पड़े हैं और वे कब से बन्द पड़े हैं;

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार इन कार्यालयों के बन्द रहने की अवधि का किराए और गारण्टी की राशि सम्बन्धित पार्टियों को वापस करेगी ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभाग में वायरलैस टेलीग्राफिस्टों का कोई संवर्ग नहीं है विभाग में केवल वायरलैस आपरेटर होते हैं तथा उत्तर पश्चिम सर्किल सहित उनकी सामान्य कमी है न कि भारी कमी।

(ख) वायरलैस आपरेटरों की कमी कुल मिलाकर केवल 25 प्रतिशत तक ही है। लेकिन केवल उत्तर पश्चिम सर्किल में वायरलैस आपरेटरों की कमी के कारण कुछ वायरलैस कार्यालय बन्द पड़े हुए हैं। उत्तर पश्चिम सर्किल में बन्द पड़ें स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं :—

स्टेशन का नाम	राज्य	बन्द करने की तारीख
धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	24.5.83
बिलासपुर	—	13.12.81
भरोली कलां	—	29.12.81

(ग) नए वायरलैस आपरेटरों की भर्ती कर ली गई है तथा वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर, 1984 तक स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

(घ) जी नहीं। किराया और गारण्टी जिसमें रकम लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर/रिले केन्द्रों की स्थापना

3387. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के नए दूरदर्शन ट्रांसमीटर/रिले केन्द्र स्थापित करने में पहाड़ी राज्यों के क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है और उत्तर पश्चिमी और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में स्थापित किए गए ऐसे नए ट्रांसमीटरों/रिले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए देश के दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों को यथोचित प्राथमिकता दी गई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक में तथा गंगतोक में भी अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर नवम्बर, 1982 में स्थापित किए गए थे। गोहाटी और अगरतला में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और डिब्रूगढ़, तेजपुर, लोकतक तथा तुरा में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा, 36.43 करोड़ रुपये की लागत पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन के विस्तार की एक योजना स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं सहित उच्च शक्ति वाले 8 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा अल्प शक्ति वाले 6 ट्रांसमीटरों की इस क्षेत्र में व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की व्यवस्था की जा रही है। इस समय, श्रीनगर को उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर और शिमला जम्मू और कुल्लु के अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर उत्तर-पश्चिमी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कसौली और पुन्छ में 10 किलोवाट के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और लेह तथा कारगिल में 100 वाट के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर 1984-85 के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जम्मू के मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर 1984-85 के दौरान 10 किलोवाट का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। जिन क्षेत्रों में इस समय दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनर्वास उद्योग निगम को घाटा

3388. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास-उद्योग निगम की प्रदत्त पूंजी 4.11 करोड़ रुपये है और उसे आज तक 29 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है;

(ख) क्या यह सच है कि चमड़े का कार्य करने वाले एककों में, जहां उत्पादों का बिक्री मूल्य प्रयोग की गई सामग्री से कम था, उत्पादन करने के बजाय श्रमिकों को खाली बैठे मजदूरी देना अधिक लाभप्रद होता; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चमड़ा कार्य एकक को हानि अपने खराब कार्य निष्पादन के कारण हुई जो मुख्यत: पुनः निम्न कारणों से थी :—

(1) अपनी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने में निगम द्वारा असफल रहना;

(2) एकक को चालू रखने के लिए निम्न दरों पर आदेश लेना;

(3) अपेक्षित विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल का उपलब्ध न होना/कमी होना;

(4) ऊपरी व्यय में वृद्धि होना;

(5) अनियमित तथा लम्बे समय के लिए बिजली की कटौती;

(6) मजदूरी और मंहगाई भत्ते में वृद्धि होना।

तथापि एकक को बिना कार्य के मजदूरी के भुगतान से बचने के लिए नहीं, बल्कि कभी-कभी निम्न दरों पर आदेश प्राप्त कर अनुमोदित सप्लायर के रूप में चालू रखा गया। अब उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और कम्पनी को प्रतियोगी दरों पर आदेश प्राप्त हो रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में बंदेल ताप बिजली केन्द्र के सुधार की योजना

3389. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने बंदेल ताप बिजली केन्द्र के सुधार हेतु एक

योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की है जिसमें चार एककों की घटी निर्धारित क्षमत को मूल स्तर तक लाने तथा वार्षिक उत्पादन में 30 करोड़ यूनिटों की वृद्धि की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में वर्तमान स्थिति क्या है तथा योजना की स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को बंडेल ताप विद्युत केन्द्र की 80-80 मेगावाट की चार यूनिटों की मरम्मत करने के लिए एक स्कीम भेजी है, जो इस समय 65-70 मेगावाट पर कार्य कर रही हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन 1525 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में राज्य बिजली बोर्ड इन यूनिटों का वार्षिक विद्युत उत्पादन 1900 मिलियन यूनिट तक बढ़ाने का विचार रखतलहै।

(ख) स्कीम की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई है और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियरों के साथ विचार विमर्श किया गया है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्कीम के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण/ब्यौरे दिए जाने हैं। इन स्पष्टीकरणों/ब्यौरों के प्राप्त हो जाने के बाद स्कीम को मंजूर करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

नाइलोन टायर कोर्ड और पोलिबूटाडोन रबड़ के मूल्यों में वृद्धि

3390. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलोन टायर कोर्ड और पोलिबूटाडोन रबड़ के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि का घरेलू टायर उद्योग पर 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्य वृद्धि की अनुमति देने का क्या औचित्य है;

(ग) इस मद की लागत की लेखा परीक्षा अन्तिम बार कब की गई थी और इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं और इस लेखा परीक्षा में इस वृद्धि को कहाँ तक औचित्यपूर्ण बताया गया है;

(घ) क्या लागत की लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है तो क्या उनके मन्त्रालय का संबंधित मन्त्रालयों/प्राधिकारियों के परामर्श से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) नाइलोन टायर कोर्ड और पोलिबूटाडीन रबड़ के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। हाल के महीनों में इन मदों के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई हैं।

(ग) (घ) और (ङ) नाइलोन टायर कोर्ड उद्योग का लागत अध्ययन किया जा रहा है।

पोलिबूटाडीन रबड़ (जिसका वर्तमान में केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्माण किया जा रहा है) का लागत अध्ययन करना इस समय आवश्यक नहीं समझा गया है ।

औद्योगिक घरानों द्वारा तेल हेतु छिद्रण कार्य

3391. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लार्सन और टुबरो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा जैसे कुछ औद्योगिक घरानों को देश में कुछ विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से तेल हेतु छिद्रण कार्य करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और उन्हें छिद्रण के लिए कितना क्षेत्र दिया गया है और उनकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या बेकर इंटरनेशनल जैसे कुछ बड़े सहयोगकर्ताओं से संयुक्त उद्यम लगाने के लिए ही बहुत प्रयास कर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में छिद्रण कार्य शुरू करने वाली कम्पनी का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभागीय तौर पर पश्चिम बंगाल में तेल की खोज की जा रही है ।

कलकत्ता में तेल की खोज

3392. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 जुलाई, 1984 के "स्टेट्समैन" के नई दिल्ली संस्करण में "सर्च फार आयल इन कलकत्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो तेल की खोज के लिए उनके मंत्रालय या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को क्या तकनीकी या अन्य प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) 22 जुलाई, 1984 के "स्टेट्समैन", नई दिल्ली में "सर्च फार आयल इन कलकत्ता" शीर्षक के अन्तगत प्रकाशित समाचार में मैसर्स वर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड की अपतटीय प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कलकत्ता पत्तन न्यास से भूमि के अधिग्रहण की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसलिए कलकत्ता पत्तन न्यास को तेल की खोज के लिए सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

3393. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के प्रत्येक जिला-मुख्यालय में एक-एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की है; और

(ख) बिहार के ऐसे जिला-मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां अभी तक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं किए गए हैं; और इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 20 जिला मुख्यालय, ऐसे हैं जहां अभी तक स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं किए जा सके हैं। इन स्थानों में 7वीं योजना के दौरान स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है।

बिहार में बिहार शरीफ और हिल्सा में गैस एजेंसियों का आबंटन

3394. **श्रीविजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न शहरों में आबंटन हेतु कुकिंग गैस एजेंसियों की संख्या को निर्धारण करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में नालन्दा जिले के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में केवल एक एजेंसी है और हिल्सा सब-डिवीजन में एक भी नहीं है; जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार शरीफ में एक और एजेंसी तथा हिल्सा एक एजेंसी देने का है और यदि हां तो कब तक ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल उद्योग हर वर्ष अपनी विपणन योजना को तैयार करने से पूर्व स्थान की जनसंख्या एल० पी० जी० एजेंसी के लिए संभावित मांग तथा सप्लाई संभार के आधार पर वहां की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखता है ।

(ख) और (ग) विद्यमान विपणन क्षमता को देखते हुए बिहार शरीफ में एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना उचित नहीं है । विद्यमान डीलरशिप के माध्यम से निर्धारित अधिकतम संख्या तक कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं । हिल्सा की विद्यमान संभावित विपणन क्षमता को देखते हुए वहां आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का औचित्य नहीं है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को लगा आघात

3395. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को गत दो वर्षों के दौरान भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में प्रधान मन्त्री के नए विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को नए अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं । पिछले दो वर्षों (1982-84) के दौरान 51,000 से अधिक गांव विद्युतीकृत किए गए हैं और 6.60 लाख से अधिक पम्पसैट/ट्यूबवल अर्जित किए गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपने अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत तैयार और क्रियान्वित की

जा रही हैं, जिसकी अनुपूर्ति ग्राम विद्युतीकरण निगम और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता देकर की जाती है। यद्यपि ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करने और क्रियान्वित करने का कार्य मुख्य रूप से राज्य बिजली बोर्डों का है, ग्राम विद्युतीकरण निगम भी इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करता है। उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है जो कि संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है।

(ङ) छठी योजना के पहले चार वर्षों (1.4.80 से 31.3.84 तक) के दौरान देश में 97,900 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं और 13,44,936 पम्पसैट/ट्यूबवेल अर्जित किये गये हैं। ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यों की गति में और तेजी लाने के लिए उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने और वितरण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

लघु बिजली केन्द्रों की स्थापना

3396. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग और कृषि के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में विशेषकर बिजली की कमी वाले राज्यों में लघु बिजली केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास पर बल दिया जा रहा है। अलग-थलग और सुदूरवर्ती क्षेत्रों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की स्कीमें स्थापित करने के लिए बारहमाशी पहाड़ी सरिताओं, सिंचाई नहरों, प्रभातों का उपयोग किया जाता है।

इस समय, कुल 159 मेगावाट क्षमता की 80 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमें देश के विभिन्न भागों में प्रचालन में है। इसके अतिरिक्त अनेक स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण और जांच की जा रही है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण और जांच की जा रही है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	श्रेणी	स्कीमों की संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)
1.	क्रियान्वयन/निर्माणाधीन स्कीमें	63	137
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें, और जिन पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाता है।	28	102.8
3.	ऐसी स्कीमें जिन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।	55	190
4.	ऐसी स्कीमें जिन पर अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।	143	381

खाना पकाने की गैस-एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को अपने यहां से ही गैस चूल्हा खरीदने के लिए बाध्य किया जाना

3397. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि खाना पकाने की गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को उनके यहां से ही गैस का चूल्हा खरीदने के लिए बाध्य करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उन एजेंसियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983 और जनवरी से जून 1984 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने बाहर से चूल्हा खरीदने वालों को सिलेण्डर देने से इन्कार कर दिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। कभी-कभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) ऐसी शिकायतों का संकलन नहीं रखा जाता है।

(घ) स्थायी निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्रोत से गैस स्टोव खरीद सकता है बशर्ते कि यह स्टोव आई० एस० आई० द्वारा प्रमाणित हो। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को उससे गैस स्टोवों को खरीदने के लिए बाध्य करने की किसी भी शिकायत की पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल की जाती है तथा निर्धारित मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

खाना पकाने के गैस-सिलेण्डरों में रिसाव का पता लगाने के लिए गैस-अलार्मों (सतर्कता घंटी) का निर्माण

3398. **श्री भीखा भाई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों में रिसाव का पता लगाने के उद्देश्य से, गैस-अलार्मों (सतर्कता घंटी) का निर्माण करने की अनुमति/लाइसेंस दिए हैं;

(ख) इनमें से कितने निर्माताओं ने गैस-अलार्मों की सप्लाई की है;

(ग) क्या यह सच है कि दोष पूर्ण गैस अलार्म देकर जनता को ठगा गया है;

(घ) क्या यह तथ्य सरकार की जानकारी में आया है और ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और अन्य सरकारी तेल कम्पनियों ने क्या भूमिका निभाई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल उद्योग ने ऐसे किसी सतर्कता घंटी (गैस अलार्म) के निर्माण की अनुमति नहीं दी है जो एल० पी० जी० सिलेंडरों के रिसाव का पता लगा सकता हो।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न विदेशी समाचार माध्यमों द्वारा प्रसारित समाचार और विचार

3399. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पंजाब सुरक्षा सेनाओं की तैनाती और विशेषकर सेवा द्वारा की

गई कार्यवाही के बाद, विभिन्न विदेशी समाचार माध्यमों द्वारा प्रसारित समाचारों और विचारों को ध्यानपूर्वक संवीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रसारित किए गए इन विचारों का देश-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन देशों के साथ यह मामला उठाया है जिनके प्रसारणों और माध्यमों ने जानबूझकर आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया था और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आकाशवाणी विश्व के विभिन्न रेडियो स्टेशनों के कुछ चुनींदा कार्यक्रमों को मानिटर करता है। इस प्रकार की मानिटरिंग करते समय, पंजाब की स्थिति पर रेडियो पाकिस्तान और बी० बी० सी० के प्रसारणों में झुकावपूर्ण या तोड़-मरोड़ कर दिए गये समाचार ध्यान में आए हैं।

रेडियो पाकिस्तान के प्रसारणों में आतंकवादियों के विरुद्ध सीमित कार्रवाई की बढ़ी-चढ़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। बीं० बी० सी० ने इस विषय को इस प्रकार प्रतिबिम्बित किया जैसे कि कार्रवाई सामान्य रूप से सिखों के विरुद्ध की गई हो और इस प्रकार की धारणा उत्पन्न की कि समस्या एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय की है। सिखों द्वारा मांगी गई अधिक स्वायत्तता की कथित अस्वीकृति के बारे में भी आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई थी। संयोगवश, जगजीत सिंह चौहान का प्रसारण, जिसकी बी० बी० सी० द्वारा अनुमति दी गई थी, अत्यधिक उत्तेजक और भारत के लिए अपमानजनक था।

अन्य प्रसारण संगठनों ने कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत नहीं की।

(ग) जी, हां। सूचना निम्नानुसार है :—

(1) इंगलैंड में स्थित हमारे दूतावास ने मामले को बी० बी० सी० के अध्यक्ष और गृह कार्यालय तथा विदेश कार्यालय में राज्य मन्त्री के साथ प्रबलता से उठाया। तत्काल शोधक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। हमारे विरोधों के परिणामस्वरूप, इंगलैंड के विदेश कार्यालय के राज्य मन्त्री ने इंगलैंड में स्थित हमारे कार्यवाहक उच्चायुक्त से अपना खेद व्यक्त किया और यह भी कहा कि डा० चौहान के वक्तव्य "अत्यन्त आपत्तिजनक" थे।

(2) जहां तक पाकिस्तानी रेडियो/टी० वी० का सम्बन्ध है, सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री ने यह मामला जुलाई, 1984 में अपनी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान उठाया था और उन्होंने पाकिस्तानी प्राधिकारियों का ध्यान पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन के इस प्रकार के आपत्तिजनक कवरेज की ओर आकर्षित किया था।

(3) कनाडा में भी सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया था कि आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की उत्तेजक घोषणाओं को कनाडा माध्यमों द्वारा कवर किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ट्रेड यूनियन अधिकार

3400 **श्री अमर राय प्रधान** :क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य विधान मंडलों के कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकार दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को राज्य के ट्रेड यूनियन अधिकार दिए हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) इस समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एसोसिएशन या संघ बनाने के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। तथापि कर्मचारियों के केवल ऐसे ही एसोसिएशनों या संघों को अधिनियम के अधीन ये अधिकार प्राप्त हैं जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के उपबंधों को पूरा करते हैं। अन्य कर्मचारी सेवा एसोसिएशनें बना सकते हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की योजना के अधीन मान्यता दी जा सकती है।

जहां तक राज्य विधान मण्डलों तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3401. **श्री भीखाभाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के कितने गांवों/पंचायतों ने विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए आवेदन किया था लेकिन लम्बी दूरी के टेलीफोन एक्सचेंजों की कमी के कारण अभी तक जिनकी व्यवस्था नहीं हो सकी है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण गरीब गांवों और पौश धनाढ्य नगरों और

कस्बों के बीच दूर संचार विकास के मामले में भेदभाव पूर्ण नीति अपना रही है;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पष्ट नीति क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण दूर संचार और शहरी दूर संचार के विस्तार पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बाइस ग्रामों ने सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए आवेदन किया हैं। इनमें से पांच ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोनघर सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। एक ग्राम के लिए लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर और एक दूसरे ग्राम में छोटा स्वचल एक्सचेंज 1984-85 में खोलने की योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार अन्य लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने की योजना है। शेष ग्यारह ग्राम आर्थिक सहायता के आधार पर लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० के पात्र हैं।

(ख) ग्रामीण पिछड़े ग्रामों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार उदारीकृत नीति अपना रही है।

(ग) नीति विषयक मानदण्ड अनुबन्ध "क" में दिए गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8595/84]

(घ) शहरी और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार विकास सम्बन्धी व्यय का अलग-अलग हिसाब नहीं रखा जाता। फिर भी टेलीफोन जिलों जो पूर्णत: शहरी इलाकों के लिए हैं और सर्किलों जो ग्रामीण इलाकों के लिए हैं का व्यय निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

	1982-83 के दौरान व्यय	1983-84 के दौरान व्यय (अन्तिम अनुदान)
समूचे क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों	256.27	187.30
समूचे टेलीफोन जिले	227.18	332.36
प्रचालन सर्किल जिनके क्रियाकलाप से सर्किलों और जिलों को लाभ होता है।	72.13	114.94

टी० वी० लाईसेंस शुल्क का समाप्त किया जाना

3402. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टी० वी० का वार्षिक लाइसेंस शुल्क क्या है और क्या गांवों में टेलीविजन की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सरकार का टी० वी० लाइसेंस शुल्क कम अथवा समाप्त करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : टी० वी० सैटों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क इस प्रकार है :

घरेलू	50.00 रुपये
सामुदायिक/	
स्कूल/अस्पताल	10.00 रुपये
वाणिज्यिक	100.00 रुपये
प्रदर्शन	50.00 रुपये
विक्रेता	60.00 रुपये

टी० वी० सैटों के लाइसेंस शुल्क को कम/समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सनावत शहर में बीड़ी श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

3403. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिला खरगोन, मध्य प्रदेश के सनावत शहर में कार्यरत बीड़ी श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार की निधि से अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो वहां पर एक अस्पताल कब तक खोला जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) उपलब्ध

सूचना के अनुसार खरगोन जिले में लगभग 900 बीड़ी श्रमिक हैं। अतः सनावत शहर में किसी प्रकार का अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

कैलो परियोजना के अन्तर्गत कोयला खानों में अन्वेषणात्मकह छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य का प्रस्ताव

3404. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कैलो परियोजना के अन्तर्गत अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 5 दिसम्बर, 1983 को मध्य प्रदेश सरकर ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०/भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को रामगढ़ जिले में कोयला भंडारों की खोज के लिए समन्वेषी ड्रिलिंग कार्य शुरू करने के निर्देश दिए जाएं ताकि मध्य प्रदेश सरकार अपनी कैलो सिंचाई परियोजना सरकार अपनी कैलो सिंचाई परियोजना पर काम कर सके। परन्तु बाद में वे० को० लि०/भा० भू० स० ने यह सूचित किया कि 27 दिसम्बर, 1983 को राज्य सरकार के साथ हुई बैठक के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के खान और भूतत्व निदेशालय ने, भा० भू० स० के कोयला स्कन्ध के अधीन क्षेत्र में कोयला भंडारों के निर्धारण के लिए कैलो परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में अपनी दो रिग पहले ही लगा दी हैं।

मध्य प्रदेश को कोयले/कोक की सप्लाई

3405. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को, राज्य की कोयला/कोक की वार्षिक सप्लाई में वृद्धि करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य उद्योग और खनिज साधन मंत्री ने एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश के लिए रेलवे के वैगन आवंटन की जो संख्या निश्चित की है वह अपर्याप्त है। पत्र में यह भी कहा गया था कि औद्योगिक उपभोक्ताओं—विशेषकर कटनी—मेहर बेल्ट के उपभोक्ताओं—को पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है।

इस मामले की जांच की गई थी और मध्य प्रदेश वाणिज्य उद्योग और खनिज साधन मंत्री को उत्तर भेजा गया था जिसमें यह बताया गया था कि रेलवे ने वैगन संख्या को बढ़ाकर 1983 जितना ही कर दिया है तथा वैगनों की संख्या में और वृद्धि केवल रेल मंत्रालय ही कर सकता है। पत्र में यह भी बताया गया था कि कोलियरियों से रेल द्वारा सीधे प्रेषण के अलावा कोल इंडिया लि० स्व-प्रेषित रेकों के जरिए कटनी को कोयला भेजता रहा है ताकि कटनी, सतना और मैहर के उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जा सके। इसके अलावा कोल इंडिया लि० रेल प्रेषण में रहने वाली कमी का कोयला सोहागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा भी भेजता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि को देखते हुए मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना

3406. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 1984-85 में 14 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अब 1985-86 में इन संस्थानों के खोले जाने का प्रावधान किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर) : जी, हां।

(ख) महिलाओं हेतु एक आई० टी० आई० और हरिजन कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत एक आई० टी० आई० के लिए निधियों की स्वीकृति दी गई थी।

(ग) साधनों पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में आई० टी० आई० खोलने के लिए नई स्कीम क्रमबद्ध की जानी चाहिए।

(घ) अभी तक वर्ष 1985-86 के लिए योजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

आशय पत्रों को औषधों के लिए औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन करना

3407. **श्री अनवार अहमद** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में ऐसे कितने आशय पत्र हैं जिनके बारे में औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) उनमें निहित उत्पादों के नाम क्या हैं, आशय-पत्रों को मंजूर करने की तारीखें क्या क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष कितने आशय-पत्रों की लाइसेंसों में परिवर्तित करने के अनुरोध लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन औषधियों के नाम क्या हैं जिसके लिए वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को स्वीकार कर दिया गया था और प्रत्येक आवेदन को अस्वीकार किए जाने के अलग-अलग क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) 1-8-84 की स्थिति के अनुसार, औषधों एवं भेषजों के उत्पादन के लिए 117 आशयपत्र लाइसेंस में परिवर्तन के लिए लंबित पड़े हैं। इनमें से 20 एक वर्ष की आरंभिक वैध अवधि के अन्दर है। शेष कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं।

(ख) और (ग) परिवर्तन के लिए कोई ऐसा आवेदन पत्र लंबित नहीं है जिसमें कंपनी ने आशयपत्र की सारी शर्तें पूरी की हो।

आशयपत्र के कार्यान्वयन की निगरानी रखी जाती है और कंपनी द्वारा संतोषजनक प्रगति करने पर ही वैधता अवधि में समय वृद्धि स्वीकृत की जाती है, जहां प्रगति संतोषजनक नहीं होती, आशयपत्र रद्द कर दिया जाता है।

(घ) नीति मापदण्डों के अनुरूप न होने के कारण वर्ष 1982-83 के दौरान 35 तथा 1983-84 के दौरान 21 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनपत्र प्रत्यक्ष रद्द कर दिए गए थे।

विभिन्न औषध कम्पनियों द्वारा छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत बेचे जाने वाले फार्मूलेशनों की बिक्री आदि

3408. श्री अनवार अहमद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरगानन, सिएलरे (इंडिया), रोश फेयरडील कार्पोरेशन, जर्मन रेमीडीज, पार्के डेविसि, वार्नर हिन्दुस्तान और ग्लैक्सो लैब द्वारा छूट वर्ग के अन्तर्गत बेचे जा रहे फार्मूलेशनों का का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक फार्मूलेशन की कीमतें डी० पी० सी० ओ०, 1979 से पूर्व क्या-क्या थी और उनका वर्तमान मूल्य कितना है तथा प्रत्येक उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) प्रत्येक कम्पनी के प्रत्येक फार्मूलेशन की वार्षिक बिक्री कितनी है;

(घ) छूट प्राप्त श्रेणी के फार्मूलेशनों की बिक्री उनकी कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है, और

(ङ) उक्त प्रत्येक कम्पनी को गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कितना मुनाफा हुआ तथा इन कम्पनियों को अपने फार्मूलेशनों में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उपलब्ध सीमा तक मै० फेयरडील कार्पोरेशन, मै० वार्नर हिन्दुस्तान और मै० आगेंनान से सम्बन्धित ब्यौरे अनुबंध—I पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 8596/84]

(ग) और (घ) फार्मूलेशन वार कुल वार्षिक बिक्री के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ङ) लाभ, अनुबंध-II पर संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों का अनुमत मूल्य संशोधन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

जर्मन रेमीडीज के प्रबन्ध निदेशक

3409. **श्री अनवार अहमद** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन रेमीडीज के प्रबन्ध निदेशक, जिनका सेवा काल 2 अप्रैल, 1984 को समाप्त हो गया था, कि इस पद पर पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान दी गई है;

(ख) क्या उक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध मंत्रालय में बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी नहीं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करने के मामले से कम्पनी कार्य विभाग सम्बन्धित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में नई टेलीफोन लाइनों को जारी करने के सम्बन्ध में शिकायतें

3410. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब बम्बई में टेलीफोन की नई लाइनों को जारी किया जाता है तब ही ऐसी शिकायतें प्राप्त होने लगती हैं कि टेलीफोन विभाग के कर्मचारी इस स्थिति का

अनुचित लाभ उठा रहे हैं और शीघ्र टेलीफोन स्थापित करने के बहाने प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों से जबरदस्ती धन ऐंठ रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आवेदक को कार्य सूची की एक भी प्रति नहीं भेजी जाती है;

(ग) बम्बई टेलीफोन विभाग द्वारा सामाचार पत्र में "बल्क रिलीज" जो बहुत ही अस्पष्ट भी होता है कि वर्तमान सामान्य विज्ञापन प्रक्रिया अपनाने के बजाय प्रत्येक लाइन को स्थापित करने की सही तिथि की सूचना तथा प्रत्येक व्यक्ति को सूचित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बम्बई टेलीफोन विभाग द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जी नहीं। बंबई टेलीफोन द्वारा सभी आवेदकों को व्यक्तिगत रस से सूचना भेजी जाती है जिसमें कनेक्शन जारी करने तथा कार्य आदेश संख्या निर्दिष्ट की जाती है।

(ग) स्थापना की सही तारीख सूचित नहीं की गई क्योंकि तकनीकी औपचारिकताओं के कारण इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(घ) समाचार पत्रों में बड़ी संख्या में टेलीफोन प्रदान करने सम्बन्धी विज्ञापन देने जैसे उपाए दिए गए हैं तथा प्रत्येक को डाक द्वारा सूचना भी भेजी जाती है।

मुलंद तथा पोवई टेलीफोन एक्सचेंज से नई लाइनों को जारी करना

3411. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन मनखुर्द एक्सचेंज को चालू करते समय और घाटकोपर पोबई तथा चैम्बूर एक्सचेंजों के विस्तार के समय आवेदकों को पत्र भेजे गये थे कि उनके टेलीफोन 30 मई, 1983 तक स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन्स द्वारा इस कार्यक्रम तथा आश्वासन के अनुसार कार्य नहीं किया जा सका और इससे भारी भ्रष्टाचार के मामले हुए;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब बम्बई टेलीफोन का मुलंद तथा पोबई एक्सचेंज क्षेत्रों में बहुत सी नई लाइनें दिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो स्थापना में विलम्ब को रोकने तथा फील्ड स्टाफ द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पोबई और घाटकोपर को छोड़कर जहां कि 30-5-83 तक कनेक्शन प्रदान कर दिए गए थे अन्य मामलों में यह सच है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कारण भ्रष्टाचार हुआ।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) समाचार पत्रों में प्रकाशित अवधि के भीतर प्रस्तावित नई लाइनें प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है बशर्ते कि समय पर अपेक्षित भंडार और साज सामान प्राप्त हो सके। अपेक्षित मात्रा में भंडार और साज सामान प्राप्त करने और पहले से ही वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

बम्बई टेलीफोन्स के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

3412. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन विभाग को बम्बई के पूर्वी उप नगरों में विभिन्न एक्सचेंजों में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ कर्मचारियों ने परितोषण की मांग की है।

(ग) जूनियर इंजीनियर 24-3-84 को किसी को अपने जाल में फंसाने के मामले में पकड़ा गया था। एक अन्य शिकायत की जांच की जा रही है।

कर्नाटक में मंगलौर तथा अन्य स्थानों पर दूरदर्शन रिले केंद्रों की स्थापना

3413. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का मंगलौर और कर्नाटक में अन्य स्थानों पर दूरदर्शन प्रेक्षेषण (रिले) केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केंद्रों द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रेक्षेषण किस निश्चित तारीख से प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के०एल० भगत) : (क) से (ग) जी, हां। मंगलौर, देवनागरे तथा भद्रावती में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर क्रमश: 21-7-84, 23-7-84 तथा 25-7-84 से चालू हो गए हैं। कर्नाटक में धारवाड़, मैसूर, बेलगांव, बैलेरी, बीजापुर, रायचूर, गडग बेतगिरी और हासपेट में भी अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। उनके अक्तूबर, 1984 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

निर्वाचनों में वायुयानों का उपयोग

3414. **श्री सूरजभान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में लोक सभा के गत निर्वाचनों में तथा उसके बाद राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में भी निर्वाचन प्रचार के लिए कौन-कौन से राजनैतिक दलों को वायुयान दिए गए थे तथा इस प्रयोजन के लिए क्या मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित किए गए हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रयोग करने वालों द्वारा देय राशि का पूरा भुगतान किया जा चुका है अथवा भुगतान किया जाना अभी शेष है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जानकारी मांगी गई थी। अभी तक बिहार और महाराष्ट्र से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, किन्तु अन्य राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त उत्तरों से यह पता चला है कि केवल मध्य प्रदेश सरकार ने, निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, अपने वायुयान का भाड़े पर प्रयोग करने के लिए जनता पार्टी को अनुज्ञात किया था। ऐसे प्रयोग की अनुज्ञा सरकारी वायुयान का प्रयोग और नियंत्रण नियम, 1959 के नियम 12 के अधीन तत्कालीन मुख्य मंत्री के प्राधिकार से दी गई थी। उस पार्टी से प्रभारों के रूप में 82,536.33 रु० की राशि वसूल कर ली गई है और कोई अन्य देय रकम बकाया नहीं है।

राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में शाखा डाक घरों का खोला जाना

3415. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार 1981 की जनगणना के आधार पर जैसेलमेर तथा बाड़मेर जिलों, राजस्थान के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में तथा जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में ली 1000 तथा उससे अधिक की आबादी वाले गांवों में शाखा डाकघरों को खोलेगी ताकि क्षेत्र की ग्रामीण जनता तथा देश के बाकी हिस्से के बीच सीधा संचार सम्पर्क स्थापित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक हजार अथवा उससे अधिक की आबादी वाले सभी स्थानों पर शाखा डाकघरों को खोल कर ग्रामीण लोगों की उचित मांग को चालू वर्ष के दौरान पूरा किया जायेगा और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) डाक सुविधाओं का विस्तार चरणबद्ध रूप में किया जाना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त वित्त उपलब्ध हो जाने पर इन दोनों जिलों के सभी पात्र ग्रामों में डाकघर प्रदान कर दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में खरगोन शहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण और माइक्रो टावर लगाना

3416. **श्री सुभाष चंद्र यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश खरगोन शहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज भवन बनाने तथा माइक्रो टावर लगाने का है ताकि खरगोन शहर से मध्य प्रदेश के अन्य शहरों और देश के दूसरे महत्वपूर्ण शहरों के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इस भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि इस कार्य के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, इंदौर को सीधे कनेक्शन की सुविधा देने के लिए यू० एच० एफ० एंटना सहित एक छोटे स्वचलन एक्सचेंज भवन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) एक्सचेंज भवन का प्रारंभिक नक्शा तयार किया जा रहा है। खरगोन और इंदौर के बीच 60 चैनल की यू० एच० एफ० प्रणाली के प्रस्ताव को सातवीं योजना में शामिल किया

गया है । सातवीं योजना में 400 लाइनों के कन्टेनराइज्ड एक्सचेंज के आयात का प्रस्ताव है ।

(ग) सातवीं योजना में ।

(घ) अभी कोई निधि आवंटित नहीं की गई क्योंकि समूची स्कीम के परियोजना को अभी मंजूरी दी जानी है ।

मध्य प्रदेश के खरगोन और भीखान गांव में टेलीफोन सेवा

3417. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश के खरगोन और भीखान गांव शहरों में टेलीफोन सेवा बहुत बिगड़ गई है और इन शहरों में टेलीफोन के ठीक कार्य न करने के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रबन्ध व्यवस्था बहुत खराब है और टेलीफोन अक्सर खराब रहते हैं;

(ग) क्या उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित बातों को ध्यान में रखकर अनेक उपभोक्ताओं ने टेलीफोन वापस कर दिये हैं और कुछ उपभोक्ता टेलीफोन वापस करने की सोच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थिति को सुधारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेलीफोन ठीक ढंग से काम करें क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) खरगोन टेलीफोन सेवाओं में गिरावट से सम्बन्धित कोई मामला जानकारी में नहीं आया है । यद्यपि कुछ उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवाओं पर 19-7-84 को खरगोन में केबिल में खराबी आजाने के कारण प्रभाव पड़ा था । हांलाकि, 19-6-84 को भीखागांव के कुछ उपभोक्ताओं से ट्रंक काल मिलने में विलंब और वर्तमान एम० ए० एक्स 3 एक्सचेंज को करचल एक्सचेंज में बदलने की बाबत प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खरगोन में इस प्रकार का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है, परंतु भीखा गांव के 61 टेलीफोन उपभोक्ताओं ने 26-6-84 को अपने उपकरण जमा करा दिए थे। द्वारा वर्तमान एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज को शीघ्र मैनुअल प्रणाली में बदलने का आश्वास दिए जाने पर उन्हें 4-7-84 को वापस ले लिया था ।

(घ) भीखान गांव एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज को मैनुअल एक्सचेंज में बदले जाने की मंजूरी दी जा चुकी है और स्टोर प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सम्बन्धित अधिकारियों को भी अनुदेश दे दिए गये हैं कि वे इन एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान रख।

मध्य प्रदेश में खारगोन से कसरावद तक सीधी टेलीफोन लाइन

3418. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में खारगोन और कसरावद के बीच कोई सीधी टेलीफोन लाइन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें संदवा के मार्फत टेलीफोन कनेक्शन लेना पड़ता है जिसमें बहुत समय लगता है; और

(ख) क्या खारगोन से कसरावद तक सीधी टेलीफोन लाइन जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल): खारगोन और कसरावद के बीच सीधी सर्किट उपलब्ध नहीं है। कसरावद एक छोटा स्वचल एक्सचेंज है जो मूलत: धामनोद से जुड़ा है जो खरगोन के साथ सीधे ट्रंक सर्किट द्वारा जुड़ा है। कसरावद छोटे स्वचल एक्सचेंज की काले सेंधवा की मार्फत नहीं भेजी जाती है। बल्कि इसके मूल ट्रक सेंटर यानी धामनोद की मारफत मिलाई जाती हैं।

(ख) खरगोन को कसारावद के साथ सीधी टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि ट्रंक परियात की दृष्टि से इसका औचित्य नहीं सिद्ध होता।

रेल विभाग के पंजीकृत संघों द्वारा उठाए गए विवाद

3419. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (सी) को अनुदेश दिए हैं कि वे पंजीकृत रेलवे संघों द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवादों को तब तक स्वीकार न करें जब तक उनके साथ हड़ताल का नोटिस न हों;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो हड़ताल के नोटिस के बिना विवादों को स्वीकार न करने के कारण सहायक श्रम आयुक्त (सी) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) चूंकि रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे में एक स्थायी बातचीत तंत्र कार्य कर रहा है, अतः ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि रेलवे कर्मकारों से संबंधित विवादों के मामले में, यदि निर्धारित प्रपत्र में हड़ताल का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तो संराधन कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए जब तक कि रेलवे प्रशासन ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का आदान-प्रदान

3420. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को यह सुझाव दिया है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का वाणिज्यिक आधार पर आदान-प्रदान किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) पाकिस्तान के सूचना मंत्री के साथ बातचीत के दौरान; दोनों देशों के बीच समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रों के आदान-प्रदान सहित पारस्परिक हित के अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था। सिद्धान्ततः समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों के आदान-प्रदान पर सहमति हुई थी, किन्तु इसकी पद्धति, तरीके और समय पर बाद में निर्णय लिया जाना है। भारत वाणिज्यिक आधार पर इस प्रकार के आदान-प्रदान के पक्ष में है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

3421. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 22 मई को, जबकि समाचार पत्रों ने मलीहाबाद से संजय मंच के उम्मीदवार श्री बृजलाल के विजयी होने का समाचार दिया था, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने, उस दिन उनका मंच के उम्मीदवार के रूप में वर्णन नहीं किया था;

(ख) क्या 30 मई को जबकि दूरदर्शन ने सिक्किम के राज्यपाल तलिवार खां की राष्ट्रपति शासन के लोगों की कहानी प्रसारित की थी, इसने अपदस्थ मुख्यमंत्री श्री भंडारी ने जो दल्ली में ही थे इस सम्बन्ध में विचार जानने के लिए सम्पर्क नहीं किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि 4 जून को, आकाशवाणी के सुबह के प्रसारण में "एडिटर गिल्ड आफ इंडिया" के प्रेजीडेंट श्री प्रेम भाटिया के इस वक्तव्य का समाचार नहीं दिया गया था कि पंजाब के समाचारों पर प्रतिबंध सेंसर की भारी ज्यादती है; और

(घ) क्या इनमें से प्रत्येक प्रसारण निष्पक्ष और उचित है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। जो क्षेत्रीय पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, उसके उम्मीदवार का आकाशवाणी/दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में वर्णन एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किया जाता है। निर्वाचन आयोग भी ऐसा ही करता है।

(ख) 30 मई के उल्लिखित समाचार को दूरदर्शन द्वारा सर्वथा उसके समाचारिक महत्व के आधार पर टेलीकास्ट किया गया था। समाचार कमेंट ऐसे समाचार को प्रस्तुत करने का मंच नहीं है जो बहस जैसा प्रतीत हो। इसलिए यह नहीं किया गया था।

(ग) यह सही है कि आकाशवाणी इस समाचार को शामिल नहीं कर सका। इसका कारण समय का अभाव तथा उस दिन अत्यधिक समाचारों का होना था।

(ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन समाचारों को अनिवार्य रूप से प्रसारण माध्यमों के लिए "समाचार नीति" में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर प्रसारित/टेलीकास्ट किया जाता है।

5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाएं

3422. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय विद्युत अधिनिय 1948 में संशोधन करने का विचार कर रहा है ताकि राज्य 5 करोड़ रुपये तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही शुरू कर सके;

(ख) यदि हां, तो देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने क्षमता का उपयोग, परियोजनाओं का धीमी गति से क्रियान्वयन, घिटिया स्तर की वित्तीय प्रबन्ध जैसे कुछ क्षेत्रों के बारे में राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन की कटु आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो किये जा रहे प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पूर्व अनुमति के बिना 5 करोड़ रु० तक की परियोजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु बिजली (प्रदाय) अधिनियम 148 में संशोधन करने का बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा इसी सूत्र में पारित कर दिया गया है और इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जानी है।

(ख) विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किये जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र प्रतिष्ठापित करना ।

2. निम्नलिखित उपाय करके मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता में सुधार करना ।

(क) ताप विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध भार अनुपातों में सुधार लाने के लिए उनकी मरम्मत करने में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना ।

(ख) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षक तकनीक बनाना ।

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करना ।

(घ) अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना तथा विद्युत केन्द्रों पर कोयले के संयुक्त सैम्पल लेना ।

(ङ) नई ताप विद्युत यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृतिक बलों की स्थापना करना वर्तमान यूनिटों में कमियों का पता लगाना और उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना ।

(च) प्रचालन प्रणालियों की मानिटरिंग करने और सलाह देने के लिए केन्द्रीयी विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दोरों क व्यवस्था करना । और

(छ) राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है ।

(ग) और (घ) समय-समय पर सरकार विद्युत सप्लाई की स्थिति में और बोर्डों/उपक्रमों

के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों को, जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य उपक्रमों को ध्यान में लाती रहती हैं। उपर्युक्त (ख) में बताये गये उपायों के अतिरिक्त सुधार करने के लिए किये जा रहे कुछ उपाय निम्नलिखित हैं--

1 परियोजना प्रबंध प्रणालियों, वित्तीय और प्रचालन सम्बन्धी कार्य निष्पादन, कार्मिकों को प्रशिक्षण आदि सहित राज्य बिजली बोर्डों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्हें मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना।

2. नई परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए विद्युत परियोजनाओं की मानिटरिंग को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है।

3. पारेषण और वितरण हानियो को कम करने के लिये बोर्डों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं।

4. राज्य बिजली बोर्डों के अपना मालसूची नियंत्रण में सुधार लाने के लिए अनुरोध किया गया है।

5. राज्य बिजली बोर्डों से अपने टैरिफों में ईंधन की लागत को समायोजित करने संबंधी धारा शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

6. एक प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

7. राज्य बिजली बोर्डों को अपनी ट्रैरिफों को स्वयं निर्धारित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1983 के जरिये विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को सशक्त बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे के किसी भी वर्ष में कुल राजस्व में प्रचालन, धनुरक्षण तथा प्रबंध व्यय, आय तथा लाभ पर करों (यदि कोई हो) मूल्यह्रास तथा सभी डिबेन्चरों, बोर्डों तथा ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज सहित राजस्व पर उचित रूप से प्रभारित सभी व्यय को पूरा करने के पश्चात् इतना अधिशेष बाकी रहे कि वह 3.3% या उस वर्ष के आरम्भ में बोर्ड को कार्यरत स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई ऐसी उच्च प्रतिशतता से कम न हो।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा हाइड्रो कार्बनों की खोज

3423. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड को हाइड्रो-कार्बनों की खोज के कार्य को तेज करने और व्यापक बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या पेट्रोलियम पदार्थों की मांग और उपलब्धता की स्थिति पर विचार करने के लिए हाल ही में हुई अन्तर-मन्त्रालय बैठक में यह कहा गया था कि यदि खोज कार्यों की गति तेज नहीं की जाती तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में गम्भीर कठिनाइयां आ सकती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि सातवीं योजना अवधि के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में 6 प्रतिशत से कुछ अधिक की दर से वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान कार्य को कहां तक तेज किया है और केन्द्रीय सरकार उन्हें क्या सहायता दे रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सातवीं योजनावधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। अशोधित तेल की मांग तथा घरेलू उपलब्धता के बीच अन्तराल को कम करने के लिए तदनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड दोनों द्वारा तेल की खोज तथा इसके उत्पादन के कार्यकलापों को तीव्र किया जा रहा है। सरकार द्वारा आवश्यक स्रोत उपलब्ध कराये जायेंगे।

उच्च न्यायालयों में आय-कर के लंबित मामले

3424. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय में दस वर्षों से अनिर्णीत पड़े आय-कर के लंबित मामलों के कारण निर्धारितियों को परेशानी हो रही है और राजकोष को हानि हो रही है;

(ख) (1) बम्बई, (2) मद्रास, (3) कलकत्ता, (4) बंगलौर, (5) अहमदाबाद, और (6) दिल्ली उच्च न्यायालय में आय-कर के कितने-कितने मामले लंबित हैं;

(ग) ये मामले कितनी अवधि अर्थात्, (1) 3 वर्ष और उससे कम, (2) 5 वर्ष, तथा (3) 7 वर्ष और उससे अधिक अवधि से लंबित पड़े हैं; और

(घ) क्या सरकार आय-कर के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए इन संस्थानों में,

उच्च न्यायालय के स्तर पर, पृथक आय-कर न्यायपीठें स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) आय-कर निर्देशों और आवेदनों के बारे में उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(घ) आय-कर संबंधी मामलों के लिए न्यायपीठों का गठन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, न कि सरकार।

विवरण—एक

10 वर्ष से अधिक के लंबित बड़े आय-कर सम्बन्धी निर्देशों और आवेदनों की संख्या

उच्च न्यायालय का नाम	10 वर्ष से अधिक के लंबित पड़े आय-कर सम्बन्धी निर्देशों और आवेदनों की संख्या
1	2
	(31.12.1983 को)
इलाहाबाद	—
आंध्र प्रदेश	—
बम्बई	11
दिल्ली	62
गुजरात	—
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू-कश्मीर	—
कर्नाटक	—
केरल	—
मध्य प्रदेश	—
मद्रास	—
उड़ीसा	1

1	2
पटना*	31
पंजाब और हरियाणा	—
राजस्थान	15
सिक्किम	— (30.6.1983 को)
कलकत्ता*	35
गौहाटी	—

* केवल मुख्य मामले

विवरण-2

आय-कर संबंधी लम्बित निर्देशों और आवेदनों की संख्या

उच्च न्यायालय का नाम	आय-कर सम्बन्धी लंबित निर्देशों और आवेदनों की संख्या			
	कुल लंबित मामले	वह समय जब से लंबित है		
		3 वर्ष से कम	5-6 वर्ष	7 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5
		(31.12.1983 को)		
बम्बई	4717	1662	569	997
मद्रास	4056	2769	165	10
कर्नाटक	1053	562	132	11
गुजरात	1926	1145	133	28
दिल्ली	3456	1737	385	381
			(30.6.1983 को)	
कलकत्ता*	2732	1194	162	274

* केवल मुख्य मामले

छोटे गांवों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार

3425. श्री राम विलास पासवान
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के छोटे गांवों में सड़क बत्तियों की व्यवस्था करने और टेलीविजन दिखाने के प्रयोजन हेतु सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने गांव हैं और उनके क्या नाम हैं जहां पर आगामी तीन वर्षों में इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी वित्तीय आशय क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन के लिए ऐसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पहले ही कई गांवों में प्रारम्भ की जा चुकी है। इन परियोजनाओं में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों द्वारा गली की रोशनी और टेलीविजन सेट लगाए जाने का प्रावधान सम्मिलित है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान 18 राज्यों के 220 गांवों को प्रकाशवोल्टीय विद्युत द्वारा गली की रोशनी प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस कार्य में लगभग 190 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। विभिन्न राज्यों में ऐसे गांवों का पता लगाने का कार्य प्रगति पर है। दूरदर्शन के साथ की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 200 टेलीविजन सेटों को प्रकाशवोल्टीय विद्युत द्वारा चलाए जाने का भी प्रस्ताव है और इस प्रकार से विद्युत यूनिटों की लागत लगभग 18 लाख रुपये होने का अनुमान है। अप्रैल, 1985 से प्रारम्भ होने वाली सातवीं योजना के दौरान गांवों में सौर ऊर्जा प्रणालियों को व्यापक रूप से स्थापित करने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है।

असम के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

3426. श्री राम विलास पासवान
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार

की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि विशेष रूप से असम के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त संशोधन कब से प्रभावी होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समाचार के प्रति निर्देश किया गया है वह तारीख 13.7.1984 के इंडियन एक्सप्रेस में "चेंज इन पीपुल एक्ट सॉट फार असम" शीर्षक के अधीन प्रकाशित हुआ है। यदि ऐसा है तो यह कहा जा सकता है कि उक्त समाचार में केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि संभवत: निर्वाचन आयोग अधिनियम में संशोधन का सुझाव दे। जैसा कि तारीख 31 जलाई, 1984 के तारांकित प्रश्न सं० 129 के उत्तर में बताया गया है, निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए 25 अगस्त, 1984 को राजनैतिक दलों के साथ एक बैठक करने की तैयारी कर रहा है। विधि को संशोधित करने की बाबत सरकार द्वारा विचार किए जाने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब आयोग सम्पूर्ण विषय पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक करने के पश्चात् अपनाए गए अन्तिम दृष्टिकोण के आधार पर, इस निमित्त, कोई सिफारिश करे।

सनत मेहता समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना

3427. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर संघ प्रतिद्वंद्विता के परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार करने के लिए सनत मेहता समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ख) व्यवसाय संघों के विनियमन प्रतिनिधि संघों अथवा बातचीत करने के अधिकारी संघों का निर्धारण करने के प्रश्न पर शिथिलता के वर्ष 1983-84 में 44.35 श्रम दिनों की हानि होने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं; और

(ग) प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सनत मेहता समिति की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई को अन्तिम रूप इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि उनमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में विचारों में भिन्नता है। यही कारण है कि ट्रेड यूनियन विनियमन

के बारे में और यूनियनों के प्रतिनिधित्व स्वरूप का पता लगाने की पद्धति के बारे में भी अभी तक निर्णय लेना संभव न हो सका ।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता के लिए एक नई व्यापक योजना 30 दिसम्बर, 1983 को प्रारम्भ की है । नई योजना के अनुसार एक वर्ष के अन्दर उक्त योजना को लागू करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त योजना शीघ्र लागू हो, कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, ट्रेड यूनियनों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं ।

अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता सम्मेलन की सिफारिशें

3428. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जुलाई, 1984 को बम्बई में उन्होंने जिस अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता सम्मेलन का उद्घाटन किया था उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों पर क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माताओं द्वारा सम्मेलन में दिए गए सुझावों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

20 जुलाई, 1984 को बम्बई में हुए अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माण सम्मेलन में दिए गए सुझाव

1. कम घनत्व वाली पोलिथिलीन, उच्च घनत्व वाली पालिथिलीन, पालीविनाइल क्लोराइड रेजिन, पालिप्रोपिलीन तथा पालीस्टाइरीन के सम्बन्ध में मांग उनकी स्थानीय सप्लाई की अपेक्षा अधिक है और इसलिए इनका आयात करना परम आवश्यक है । तथापि, वर्तमान आयात शुल्क की दरों के साथ अपेक्षित आयात संभव नहीं है । इसलिए, सरकार को चाहिए कि वे शुल्क की दरों को कम करे जिससे कच्चे माल की उतराई लागत स्थानीय कच्चे माल की लगभग लागत के बराबर हो जिससे संसाधक अपने अनिवार्य निवेश की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

2. सरकार को केवल सीमा शुल्क के बारे में नहीं अपितु प्लास्टिक के कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के बारे में भी कर ढांचे की पुनरीक्षा करनी चाहिए । उत्पादन शुल्क के बारे में, 15% की एक समान दर पर शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि पालीस्टाइरीन, ए० बी०

एस० और अन्य कच्चे माल पर है। इससे उद्योग का विकास तेजी से हो सकेगा। उसके साथ-साथ, शुल्क के कम प्रभाव से भी, खजाने में राजस्व पहले से अधिक आयेगा।

3. कृषि तथा सिंचाई में उपयोग में लाई गई प्लास्टिक के मामले में, मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ऐसे उत्पादों के उत्पादन में लगने वाले कच्चे माल के शुल्क को समाप्त कर देना चाहिए।

4. सरकार को जैसा कि आटोमोबाइल गाड़ियों के मामले में है, प्लास्टिक उद्योग में अनुसंधान तथा विकास के प्रयोजन हेतु एक निधि का सृजन करना चाहिए। उसे एक ऐसे प्लास्टिक आयोग के गठन पर भी विचार करना चाहिए, जो उद्योग के शीघ्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देने के लिए, उद्योग के विभिन्न पहलुओं का समन्वय करे।

सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने वाले सीमेंट संयंत्रों से जुड़ी कोयला परियोजनायें

3429. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जाने वाले सीमेंट संयंत्रों से जुड़ी कोयला परियोजनाओं की सूची को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) क्या इन कोयला परियोजनाओं के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू होने में विलम्ब होने का अन्देशा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सीमेंट संयंत्रों को कोयले का संयुजन कोयला विभाग द्वारा गठित विशेष संयुजन समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में अन्य लोगों के अलावा इनके भी प्रतिनिधि हैं—योजना आयोग, औद्योगिक विकास विभाग, रेलवे और कोयला कम्पनियां। विशेष संयुजन समिति ने सातवीं योजना अवधि के दौरान शुरू होने वाले सीमेंट संयंत्रों के लिए कोयला संयुजन करने पर अभी विचार नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन-भारत सीमा पर चीन द्वारा दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर की स्थापना

3430. **श्री जो० वाई० कृष्णन्** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हुई है कि चीन पश्चिमी नेपाल

और पिथौरागढ़ जिले के गांवों के लोगों को अपने दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश में तकलाकोट के निकट भारत-चीन सीमा पर एक उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोरापुट जिला, उड़ीसा में मानव चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

3431. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में इस समय कुल कितने मानव चालित एक्सचेंज है और अब तक जिला-वार कितने एक्सचेंजो को स्वचालित एक्सचेंजों में बदल दिया गया है;

(ख) इस सर्किल द्वारा मानव चालित एक्सचेंजों को विशेषकर आदिवासी जिलों के नगरों में न बदलने के क्या कारण हैं जब कि अन्य जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी विस्तार अधिक लाइनों और कनेक्शनों की जनता द्वारा मांग की गई थी जो कि सरकारी मानदण्डों को पूरा करती है; और

(घ) यदि हां तो कोरापुट जिले के उन नगरों के नाम क्या हैं जो स्वचालित एक्सचेंजों के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं और वहां पर मानव चालित एक्सचेंजों को बदलने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण-एक में दी गई है ।

(ख) जनजातीय जिलों के कस्बों में मैनुअल एक्सचेंजों को न बदलने के कारण या तो (एक) निम्न विकास दर (दो) भवन का उपलब्ध न होना या फिर (तीन) उपस्कर उपलब्ध न होना था । अन्य जिलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

(ग) जन जातीय क्षेत्रों में विस्तार एवं टेलीफोन कनेक्शनों की अधिकांश मांग संतोषजनक रूप में पूरी की गई है ।

(घ) जानकारी विवरण-दो में दी गई है ।

विवरण-एक

(1) उड़ीसा में जिलावार मैनुअल एक्सचेंजों की कुल संख्या

क्रम संख्या	जिले का नाम	संख्या
1.	बालासौर	2
2.	बोलंगीर	2
3.	कटक	7
4.	धेनकनाल	3
5.	गंजम	4
6.	कालाहांडी	2
7.	क्योंझर	4
8.	कोरापुट	4
9.	म्यूरभंज	3
10.	फुबनी	2
11.	पुरी	4
12.	सम्बलपुर	5
13.	सुन्दरगढ़	4

(2) स्वचल एक्सचेंजों द्वारा बदले गए मैनुअल एक्सचेंज जिलावार

1.	बोलंगीर	1
2.	कटक	3
3.	धेनकनाल	1
4.	गंजम	1
5.	कालाहांडी	1
6.	कोरापुट	1
7.	पुरी	2
8.	सम्बलपुर	2
9.	सुन्दरगढ़	1

विवरण-दो

कोरापुट जिले के उन कस्बों के नाम जो स्वचलीकरण के मानदण्डों को पूरा करते हैं तथा की गई कार्रवाई ।

1. कोरापुट

2. जैपोर

3. रायगढ़

इन जिलों के एक्सचेंजों का सातवीं योजना के दौरान क्रमश: 400, 800 और 400 लाइनों में विस्तार करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण में आने वाली बाधाएं

3422. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण में आने वाली बाधाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी एजेन्सियों के कार्यकरण में व्यापक परिवर्तन लाने हेतु नई नीतियां लागू करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं; और

(ग) उड़ीसा सरकार ने उक्त राज्य के ग्रामीण आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का लोड बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं में निम्नलिखित शामिल है; उपपारेषण सपोर्ट, विद्युत की उपलब्धता का पर्याप्त होना खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन आम तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना और भार वृद्धि कम होना है ।

समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों के साथ की जाने वाली समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त राज्य में 100% ग्राम विद्युतीकरण पूरा करने और पम्पसैटों का ऊर्जन करके भूजल क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए एक कार्यवाही योजना पर विचार विमर्श करने हेतु मई, 1984 में ग्राम विद्युतीकरण निगम और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एक संयुक्त गोष्ठी आयोजित की

गई थी। गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में अन्य विकास एजेंसियों के साथ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का प्रभावशाली समन्वय करने के लिए सिफारिश की गई है और राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए, जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, निम्नलिखित मुख्य-मुख्य सुझाव दिये गये थे —

1. पम्पसेटों के उर्जन की प्रथामिकता को सोपानबद्ध किया जाये और जिन क्षेत्रों में आधार ढांचे उपलब्ध है उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

2. पर्याप्त उप-पारेषण प्रणाली का विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्पादित विद्युत का 20% भाग आवंटित करना।

3. माइक्रो जल विद्युत साधनों का उपयोग करना

4. उपभोक्ता सेवाओं को सशक्त बनाना तथा भार विकास सैलों का सृजन करना।

उड़ीसा सरकार के प्राधिकारी राज्य में बिजली की लाइनों का विस्तार शीघ्र करने के लिए उपाय कर रहे हैं।

देश में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव

3433. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा अब तक प्रत्येक राज्य में लम्बी दूरी के कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं। ;

(ख) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये है ;

(ग) क्या यह सब है -कि उड़ीसा में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा उड़ीसा सर्किल द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सर्किलों के बीच विकास में संतुलन रखने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण-एक में दी गई है।

(ख) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित मानदण्ड विवरण-दो में दिए गए हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान उड़ीसा में दो सौ इकतालीस लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले गए। आर्थिक सहायता के आधार पर टेलीफोन सुविधा पाने के पात्र केवल 20 कैटेगरी स्टेशन ही ऐसे हैं, जिन्हें अभी यह सुविधा प्रदान की जानी है।

(घ) संबंधित नीति विवरण-दो में दी गई है। इसे उड़ीसा सर्किल में भी लागू किया जा रहा है।

(ङ) 5 कि० मी० षट भुजाकार की संशोधित नीति जो कि विवरण-दो में गई है, का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, दूरवर्ती स्थानों एवं न्यूनतम राजस्व की किसी शर्त के बगैर एक स्थानिक वितरण आधार पर देश का समन्वित विकास करना है।

विवरण-एक

1980-84 के दौरान खोले गए देश में लंबी दूरा के सार्वजनिक टेलीफोन घर

क्र०	सर्किल का नाम	वर्ष			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	627	659	639	495
2.	बिहार	222	122	89	495
3.	गुजरात (गुजरात, दादरा, नागर हवेली दिव दमन सहित)	79	39	25	10
4.	जम्मू एवं काश्मीर	6	14	6	14
5.	कर्नाटक	17	10	7	88
6.	केरल (माहे, मिनिकाय, लक्षद्वीप, अमीनदीवीद्वीप समूह सहित)	7	6	10	2
7.	मध्य प्रदेश	151	87	84	720
7.	महाराष्ट्र (गोआ सहित)	53	95	344	84

1	2	3	4	5	6
9.	उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सहित	18	27	25	28
10.	उत्तर पश्चिम (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ सहित)	106	109	74	21
11.	उड़ीसा	52	50	84	55
12.	राजस्थान	55	60	84	61
13.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	362	517	476	327
14.	उत्तर प्रदेश	439	214	244	290
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम एवं कार निकोबार द्वीप समूह सहित	57	73	73	78
	योग :	2251	2082	2264	2468

विवरण-दो

ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर।

संयुक्त डाक-तार घर खोलने से सम्बन्धित संशोधित नीति।

छठी योजना अवधि (अनुबंध "एक") के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तार घर खोलने से सम्बन्धित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनायेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष कर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं वे इस प्रकार हैं—

(एक) अनुबंध-"एक" में बताई गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही, परंतु इसके साथ ही देश की आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लंबी दूरी के सार्वजनिक

टेलीफोन ,5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व-शर्त को हटा दिया जायेगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इस प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरणा (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाईनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लंबाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित है और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जायेंगे।

(तीन) गैर-विभागीय एलडीपीटी एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा नियुक्त किए जायेंगे। गैर-विभागीय एलडीपीटी एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक दूरसंचार द्वारा किया जायेगा।

(चार) गैर-विभागीय एलडीपीटी एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 25/0- रु० (दो सौ पचास रुपये) से अधिक नहीं होगा। और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक-तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्रामसमूहों के षटभुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षटभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जायेंगे जो निर्जन है जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीले, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम-समूह में केंद्र-स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि०मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान

परिषद (इन सी० ए० ई० आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

उक्त अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम समूहों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरेवार नक्शे प्राप्त हो जाने के पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक-तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली तार प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए ब्यौरे-वार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे ।

हालांकि मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए परियोजना आकलन उपस्कर आदि का आवंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे ।

अनुबन्ध-एक

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोनघर प्रदान करने की नीति :

स्थानों की श्रेणियां :

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मण्डलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी ।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी ।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हो जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत तथा पिछले इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(8) आम रास्ते के दूर के स्थान :

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होना चाहिए ।	(क) मौजूदा तार-घर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए ।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाको में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/- रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000/- रु० से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(9) पर्यटन/तीर्थ केंद्र/कृषि/सिंचाई/पावर	परियोजना स्थल नगर क्षेत्र
सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/- रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000/- रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
(10) सभी अन्य स्थान	
सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारटी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी : (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केंद्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की

इस शर्त के अन्तर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोनघर नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी—

(एक) जन-जातीय विकास खंड मुख्यालय।

(दो) जिन स्थानों पर एल० ए० एम० पी० एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं, और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि० मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

सहारनपुर में झाबरेड़ा कस्बे में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

3434 **श्री जगपाल सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर में झाबरेड़ा स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था और यदि हां, तो इस एक्सचेंज को भली-भांति चलाने के लिए वहां कर्मचारी और उपकरण मुहैया न करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस एक्सचेंज को सहारनपुर जिले के अन्य एक्सचेंजों से कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) इस कार्य में विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। झाबरेड़ा में 25 लाइनों वाला एक छोटा स्वचल एक्सचेंज स्थापित किया गया है। मानदण्डों के अनुसार केवल इस 25 लाइनों वाले एक्सचेंज के लिए एक लाइनमैन की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त एक्सचेंजों के एक समूह के लिए नियुक्त किए गए एक जूनियर इंजीनियर एवं तकनीशियन इस एक्सचेंज का तकनीकी रख रखाव कार्य देखते हैं। अतिरिक्त पुर्जे भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ख) इस समय यह एक्सचेंज रुड़की ट्रंक एक्सचेंज के साथ 2 जंक्शनों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा ट्रंक परियात के आधार पर इस एक्सचेंज को अन्य एक्सचेंजों के साथ जोड़ने का औचित्य

नहीं बनता हैं। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए रुडकी के मूल एक्सचेंज से अन्य स्टेशनों के लिए पर्याप्त सम्पर्क उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में नए डाकघर खोलना

3435. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने नए डाकघर खोले गए हैं; और

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कितने नए डाकघर खोले गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में डाकघर विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार औचित्य पाए जाने पर खोले जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान यानी 31 3 84 तक इस प्रकार के डाकघरों की संख्या विवरण-एक में दी गई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान यानी 31.3.84 तक उड़ीसा में खोले गए इस प्रकार के नए डाकघरों की जिलेवार जानकारी विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान यानी 31.3.84 तक खोले गए नए ग्रामीण डाकघरों की सर्किलवार संख्या निम्न प्रकार है

	सर्किल का नाम	खोले गए नए ग्रामीण डाकघरों की संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	538
2.	बिहार	755
3.	दिल्ली	16
4.	गुजरात (दिव, दमन, दादरा, नगर हवेली सहित)	287
5.	जम्मू और कश्मीर	157
6.	कर्नाटक	275
7.	केरल (लक्षद्वीप और माहै (पांडिचेरी सहित)	219
8.	मध्य प्रदेश	752
9.	महाराष्ट्र (गोआ सहित)	624

1		2
10.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	480
11.	उत्तर पश्चिम (असम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित)	324
12.	उड़ीसा	374
13.	राजस्थान	450
14.	तमिलनाडु (पांडिचेरी और केरल सहित)	305
15.	उत्तर प्रदेश	812
16.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	385

विवरण-दो

छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान यानी 31.3.84 तक खोले गए ग्रामीण डाकघरों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है :

	जिले का नाम	खोले गए नए ग्रामीण डाकघरों की संख्या
1.	बालनंगीर	8
2.	बालासोर	30
3.	कटक	41
4.	धेनकनाल	21
5.	गंजम	33
6.	क्योंझर	29
7.	कोरापुट	53
8.	कालाहांडी	23
9.	मयूरभंज	35
10.	फूलबनी (ओ)	34
11.	पुरी	22
12.	सम्बलपुर	12
13.	सुन्दरगढ़	33

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

3436. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को मंजूरी देने में पहल की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके प्रबन्ध में निदेशक मण्डल के स्तर तक श्रमिकों की भागीदारी योजना को लागू गया किया है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें यह योजना अभी तक शुरू नहीं की गयी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में इस योजना को लागू करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 192 उपक्रमों में से, 124 उपक्रमों ने श्रमिक सहभागिता की दो स्वैच्छिक योजनाओं को (1975 या 1977 की) किसी न किसी रूप में लागू कर दिया है। इन संगठनों के नाम विवरण-एक में दिये गये हैं। उन उपक्रमों के नाम विवरण-दो में दर्शाये गये हैं, जिन्होंने इन योजनाओं को लागू नहीं किया हैं। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता की नई व्यापक योजना 30 दिसम्बर, 1983 को शुरू की। नई योजना के अनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों द्वारा योजना को एक वर्ष के अन्दर लागू करने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

विवरण-एक

उन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के नाम जो श्रमिक सहभागिता योजना को लागू कर रहे हैं।

1. आर्टिफिसिएल लिम्ब्स मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
2. बालमेर लॉरी एण्ड कं० लि०
3. भारत एल्युमिनियम कं० लि०
4. भारत कोकिंग कोल लि०
5. भारत डायनामिक्स लि०
6. भारत अर्थ मूवर्स लि०
7. भारत-गोल्ड माईन्स लि०

8. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०

9. भारत हैवी प्लैट्स एंड वेसेल्स लि०

10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

11. भारत पम्प्स एंड कम्प्रैशर्स लि०

12. भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कं० लि०

13. बाइक्को लारी एंड कं० लि०

14. बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०

15. कैशू कारपोरेशन आफ इंडिया

16. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

17. सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

18. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०

19. सेण्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०

20. सेण्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि०

21. सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

22. कोल इंडिया लिमिटेड

23. कोचीन शिपयार्ड लिमिटे

24, कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

25. साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया

26. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

27. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

28. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

29. इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

30. इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टैक्नीकल डेवेलपमेंट कारपोरेशन

31. इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड

32. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

33. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड

34. फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

35. फर्टिलाइजर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इण्डिया लि०

36. फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

37. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इन्जीनियर्स लि०

38. गोआ शिपयार्ड लिमिटेड

39. हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन (इण्डिया) लि०

40. हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

41. हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड

42. हिंदुस्तान एण्टीबाइटिक्स लिमिटेड

43. हिंदुस्तान केबल्स लि०

44. हिंदुस्तान काप्पर लिमिटेड

45. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन

46. हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाईड्स लि०

47. हिंदुस्तान लाटैक्स लि०

48. हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि०

49. एच० एम० टी० (इण्टरनेशनल) लि०

50. हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०

51. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन

52. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०

53. हिंदुस्तान प्रेफब लि०

54. हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

55. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कॉन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०

56. हिंदुस्तान टेलेप्रिंटर्स लि०

57. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड

58. होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

59. हाइड्रो कार्बन्स (इंडिया) लि०

60. इंडियन ड्रग्ज एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०

61. इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०

62. हस्को स्टेटर्न पाईप एंड फाउन्ड्री कं० लि०

63. इंडियन आयल ब्लैंडिंग लि०

64. इंडियन आयल कारपोरेशन

65. इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स लि०

66. इंडियन रेयर अर्थ्स लि०

67. इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज

68. इंडिया टूरिजम डेवलपमेंट कारपोरेशन

69. इन्ट्रूमेंटेशन लि०

70. इण्टरनेशनल-एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया लि०

71. जैस्सोप एंड कंपनी लि०

72. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

73. कुद्रेमुख आयरन और कं० लि०

74. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०

75. मद्रास रिफाईनरीज लि०

76. मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०

77. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड

78. मजगांव डाक लि०

79. मेटल्लूर्जिकल इन्जीनियरिंग कॉनसल्टेण्ट्स (इन्डिया) लि०

80. मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि०

81. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन

82. मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन

83. माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन

84. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज़ लि०

85. नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया

86. नेशनल फर्टिलाईजर्स लि०

87. नेशनल फिल्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि०

88. नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि०

89. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०

90. नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन

91. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०

92. नेशनल प्रोजेक्ट्स कॉन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०

93. नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि०

94. नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

95. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन, बंगलौर

96. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब और हरियाणा)

97. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (गुजरात) लि०

98. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (महाराष्ट्र नार्थ) लि०

99. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (साउथ महाराष्ट्र) लि०

100. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (तमिलनाडु एण्ड पांडिचेरी) लि०

101. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०

102. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा) लि०

103. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

104. नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि०

105. आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन

106. प्राग टूल्स लि०

107. प्राजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन

108. पीराईट्स, फोसफेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०

109. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लि०

110. रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

111. साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

112. स्कूटर्स इंडिया लि०

113. स्टेट कैमिकल्स एण्ड फारमासीयूटिकल्स

114. स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

115. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन

116. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०

117. टेन्नरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन (इण्डिया) ।

118. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०

119. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०

120. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

121. बोकारो स्टील प्लाण्ट

122. दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट

123. राउरकेला स्टील प्लाण्ट

124. भिलाई स्टील प्लाण्ट

विवरण-दो

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के नाम जो श्रमिक सहभागि[illegible] ना लागू नहीं कर रहे हैं।

1. एयर इण्डिया लि०
2. एयर इण्डिया चार्टर्स लि०
3. एन्ड्रयू यूले एंड कं० लि०
4. अण्डमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट्स एण्ड प्लान्टेशन डिवलेपमेंट कारपोरेशन
5. बनाना एण्ड फ्रूट डिवलेपमेंट कारपोरेशन
6. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०
7. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०

8. भारत लैदर कारपोरेशन

9. भारत ओप्थलमिक ग्लास लि०

10. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स लि०

11. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०

12. बोंगाई रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०

13. ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०

14. ब्रिज एण्ड रूफ कं० (इण्डिया) लि०

15. सेन्ट्रल काटेज इण्डस्ट्राज कारपोरेशन (आई०) लि०

16. सेन्ट्रल फिशरीज कारपोरेशन लि०

17. कोचीन रिफाइनरीज लि०

18. एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारन्टी कारपोरेशन

19. फेरो स्क्रेप निगम लि०

20. इण्डस्ट्रियल एश्योरेन्स कारपोरेशन

21. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन

22. हिंदुस्तान शिपयार्ड लि०

23. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन

24. इण्डियन एयरलाइन्स

25. इन्डियन डेरी कारपोरेशन

26. इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कं० लि०

27. इण्डियन मेडिसीन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लि०

28. इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कं० लि०

29. इण्डियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन

30. इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०

31. इन्डो-निप्पोन प्रीसीसन बियरिंग्स लि०

32. लेगन जूट मशीनरी कं०

33. लाइफ इन्सोरेन्स कारपोरेशन

34. लूब्रिजोल इण्डिया लि०

35. मारूति उद्योग लि०
36. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन (इण्डिया) लि०
37. मिश्र धातु निगम लि०
38. मोगुल लाईन्स
39. नागालैंड पेपर एण्ड पल्प मिल्स
40. नेशनल एल्यूमिनियम कं० लि०
41. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०
42. नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
43. नेशनल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन लि०
44. नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लि०
45. नेशनल रिसर्च डिवलेपमेंट कारपोरेशन लि०
46. नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि० (कारपोरेट आफिस)
47. नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि०
48. न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कं० लि०
49. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
50. नार्थ ईस्टर्न हेन्डीक्राफ्ट्स एण्ड हेन्डलूम डि० कारपोरेशन लि०
51. ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं० लि०
52. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लि०
53. रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लि०
54. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि०
55. सेमी कन्डक्टर काम्पलेक्स लि०
56. शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया
57. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिं०
58. साउदर्न पेस्टीसाइडस कारपोरेशन
59. स्पन्ज आइरन इण्डिया लि०
60. टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
61. टेलिकाम्नीकेशन्स (कन्सल्टेन्ट) इण्डिया लि०
62. ट्रेड फेयर अथोरिटी आफ इन्डिया लि०

63 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि०

64. वाटर एंड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज (इण्डिया) लि०

65. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

66. सलेम स्टील प्रोजेक्ट्स

67. बंगाल केमीकल्स एंड फर्मासियूटिकल्स कं० लि०

68. कम्प्यूटर मेन्टीनेन्स कारपोरेशन ।

अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, बिहार के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकायें

3437. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन बिहार के कर्मचारियों द्वारा इसकी स्थापना से अब तक कितनी रिट याचिकायें दायर की गई हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले सरकार के पक्ष में गये तथा उक्त संगठन को मुकदमें हार जाने के कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार खर्च की राशि और मुकदमों की संख्या कम करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मुकदमा हार जाने की स्थिति में दोषी अधिकारी को दण्ड देने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, बिहार की स्थापना होने के बाद से इस संगठन के कर्मचारियों द्वारा दायर किए गये मामलों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है । फिर भी, 1977 से 1984 के बीच, अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, बिहार के खिलाफ 13 अदालती मामले दायर किए गये हैं ।

(ख) एक मामला सरकार के पक्ष में गया है । जिन मामलों में सरकार मुकदमा हार गई, उनके कारण सरकार को हुई वित्तीय हानि का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी इन सभी मामलों में वकीलों की फीस तथा अदालत की फीस अदा करने के लिए 5000/- रुपये खर्च किये गये ।

(ग) सरकारी अधिकारियों को दण्डित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रार्थियों ने उन आदेशों के खिलाफ मामले दायर किए जो कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और आदेशों के अनुसार जारी किये गये थे और मामलों की भी कानून की अधिकारिता के अनुसार तथा वरिष्ठ स्थाई काउन्सेल तथा सरकारी वकील की सलाह पर पैरवी की जाती है ।

इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में पदोन्नति संबंधी विशेष उपबन्ध

3438. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में औचित्य-करण या पुनवर्गीकरण नाम से विशेष उपबन्ध है, जिसके अन्तर्गत 12 से 13 महीनों के अन्दर पदोन्नति कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस उपबन्ध का किस प्रकार उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या इस उपबन्ध का दुरुपयोग करने के कुछ मामले हुए हैं; और

(घ) वर्ष 1981 से 1984 तक 700-1300/- रुपए तथा इससे अधिक के वेतन-मानों में कितने इंजीनियर नियुक्त किए गए और इस उपबन्ध का कितने व्यक्तियों को लाभ दिया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) औचित्य-स्थापन नाम का एक ऐसा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत कम्पनी में 12 से 21 महीने तक कार्य करने के पश्चात् उसके निष्पादन की समीक्षा के आधार पर चुने हुए अभ्यर्थियों का अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। यह समीक्षा वार्षिक निष्पादन समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जिन व्यक्तियों ने 800-1300 रुपये के वेतनमान में (इंजीनियर्स इंडिया में 700-1300 रुपये का वेतनमान नहीं है) कार्यभार ग्रहण किया है, की कुल संख्या तथा औचित्य स्थापन का लाभ दिये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या	औचित्य स्थापन का लाभ दिये गये व्यक्तियों की संख्या
1981	127	46
1982	183	21
1983	102	38
1984	34	(निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक अभी होनी है तथा 1984 के लिए मामलों का निर्णय किया जाना है)

विभिन्न पैट्रो-रसायन परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपनाए गए मानदण्ड

3439. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पालिएस्टर स्टैपल फाईबर/मोनो इथिलीन/ग्लाइकोल/पोलिस्टर फिल्म/पी० ओ० पी० पी० फिल्म/कैप्रोलैक्टम/नायलोन फिलामेंट/फैरिट्स परियोजनाओं हेतु लाइसेंस देने/उन्हें स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी न्यूनतम क्षमता लाभप्रद व्यवहारिक और उपयुक्त है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) ऐसी पैट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिए लाइसेंस देने/उन्हें स्थापित करने के बारे में उसकी योजना प्राथमिकताओं तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर उसकी तकनीकी-आर्थिक प्रतिफल को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं ।

(ख) इन उद्योगों के न्यूनतम आर्थिक आकार के बारे में अभी हाल में कोई हिसाब नहीं लगाया गया है।

ऊझां गुजरात में डी० ई० टी० कार्यालय खोलना

3440. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक कार्यभार देखते हुए ऊझां में डी० ई० टी० कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है और यह कार्यालय अब तक न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या वहां 3,000 लाइन के एक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज और 100 लाइनों वाला सैटेलाइट एक्सचेंज खोलने की भी मांग है; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां । ऊझां में 3000 लाइनों वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा सब मार्किट यार्ड में 400 लाइनों की क्षमता का एक उपग्रह एक्सचेंज खोलने की मांग के बारे में इस कार्यालय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं । परन्तु ऊझां में 3000 लाइनों वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा 100 लाइनों वाला उपग्रह एक्सचेंज संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके लिए 3000 लाइनों की क्षमता वाले क्रासबार एक्सचेंज की योजना बनाई गई है जिसे सातवीं योजना में संस्थापित किये जाने की संभावना है ।

मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि

3441. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 को मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल के प्रति लिटर मूल्य क्या थे;

(ख) उपरोक्त वस्तुओं के वर्तमान मूल्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने 1 जनवरी, 1980 से मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की है;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में मालूम है कि उपरोक्त वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण आम आदमियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है ।

(घ) और (ङ) जबकि मूल्य वृद्धियां पेट्रोलियम क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य होती हैं, सरकार की नीति इस बात को सुनिश्चित करना है कि समाज के महत्वपूर्ण भाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कम से कम रखा जाए ताकि उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ।

विवरण

1.1.1980 और 1.7.1980 को दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में मिट्टी के तेल, डीजल और पैट्रोल की कीमतें निम्न प्रकार हैं :

रुपये/लीटर

	बम्बई		कलकत्ता		दिल्ली		मद्रास	
	1.1.80	1.7.84	1.1.80	1.7.84	1.1.80	1.7.84	1.1.80	1.7.84
मिट्टी का तेल	1.39	1.85	1.49	1.92	1 54	1.92	1.55	1.88
डीजल	1.50	3.27	1.60	3.30	1.58	3.22	1.59	3.34
पेट्रोल * (83/87)	4.43	6.41	4.42	6.24	4.41	6.12	4.25	6.44

[* 1.9.83 से आरम्भ किये गये]

(ग) उपर्युक्त मदों के अधिकतम बिक्री मूल्य 1.1.1980 से निम्न प्रकार संशोधित किये गये थे :—

उत्पाद	बिक्री इकाई	कीमतें	रुपये/बिक्री इकाई से प्रति बिक्री इकाई में वृद्धि				
		1 1.80 को मंडारण स्थल पर (बम्बई में)	8.6.80	13.1.81	11.7.81	15.2.83	1.9.83
पेट्रोल–83/87* पेट्रोल	के० एल०	3888.07	650.00	370.00	530.00	शून्य	100:00
डीजल	के० एल०	1309.55	650.00	370.00	320.00	200.00	शून्य
मिट्टी का तेल	के० एल०	1294.93	शून्य	100.00	150.00	100.00**	शून्य

** 18.3.83 से दोहरे मूल्य निर्धारण को वापिस लेने और सभी उपभोक्ताओं को प्रति किलोलिटर में 100 रुपये तक वृद्धि देने पर।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा औद्योगिकी तथा अन्य औषधियों के आयात पर धन की बरबादी

3442. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी तथा अन्य औषधियों के आयात पर धन की बरबादी के बारे में 24 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा जापान की टायों जोजों से पेंसिलीन के लिए स्ट्रेन का आयात किये जाने से उत्पादन लागत तथा उपज में कितना विशेष सुधार हुआ है;

(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने अपने संयंत्र तथा मशीनों में एक मुश्त भुगतान के साथ-साथ कितनी वृद्धि की है और लगाये गये उपकरणों के नाम तथा उनकी लागत क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को जेन्टामाइसिन स्ट्रेपटोमाइसिन और अन्य औषधियों के उत्पादन के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान वेनुलटिमेटस को आयात करना पड़ा था यदि हां, तो पिछले चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में आयात किया गया। आयात मूल्य तथा आयात का स्रोत क्या है तथा इन दो औषधियों का पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना उत्पादन किया गया;

(घ) मंत्रालय द्वारा जेन्टामाइसिन का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा कितना वसूल किया जा रहा है तथा प्रतिकिलो लागत-बीमा भाड़ा मूल्य क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने अपने उपयोग के लिये 6 ए० पी० ए० का आयात किया था और उसे दूसरों को बेच दिया था यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) टोयो जोजो स्टेन के परिणामस्वरूप टाइटर, उत्पादकता और एक्सट्रेक्शन दक्षता में सुधार हुआ है।

(ख) टोयो जोजो प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु सिविल कार्यों और संयंत्र तथा मशीनरी में 258.15 लाख रुपये का निवेश किया गया था।

(ग) दिसम्बर, 1983 में जेन्टामाइसिन संयंत्र प्रारम्भ होने से पूर्व, एच० ए० एल० ने मैटिमपेक्स/चिनोइन, हंगरी के साथ हुये विदेशी सहयोग करार की शर्तों के अनुसार सी० सी० ए०/सी० ए० वी० एक्स का आयात किया।

परीक्षण प्रचालन करने और एच० ए० एल० संयंत्र के फर्मेन्टेशन, खाण्ड में समस्याओं को

सुलभाने हेतु एच० ए० एल० द्वारा मध्यवर्ती स्ट्रैप्टोमाइसिन सी० सी० सी० कुछ मात्राओं का भी आयात किया गया था।

स्रोत्र, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान एच० ए० एल० द्वारा आयातित मध्यवर्तीयों/उपानितमों की मात्रा और मूल्य से सम्बंन्धित ब्यौरे दिनांक 7.8.84 के लो० स० अ० ता० प्रश्न सं० 2413 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिये गये हैं।

एच० ए० एल० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जेन्टामाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	जेन्टामाइसिन	स्ट्रेप्टोमाइसिन
1981-82	—	107.54 मीटर
1982-83	410 कि० ग्रा०	120.12 "
1983-84	402 "	112.00 "

(घ) जेन्टामाइसिन सल्फेट के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य और एच० ए० एल० द्वारा वसूल किया गया मूल्य 35,617 रुपये प्रति कि० ग्रा० था। 1982-83 के पश्चात् बिक्री में वृद्धि करने के लिए एच० ए० एल० कुछ छूट दे रहा था। तथापि, मूल्य 35,617 रुपये प्रति कि० ग्रा० ही है। जेन्टामाइसिन सल्फेट का सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 550 अमेरीकी डालर प्रति कि० ग्रा० था।

(ङ) एच० ए० एल० ने सूचित किया है कि उन्होंने 6 ए० पी० ए० का आयात केवल कैपिटव खपत हेतु किया है।

एम० एन० सी० द्वारा आयातित इन्टरमीडिएटस/पेनुलटिमेंट्स से वल्क ड्रग्स का उत्पादन

3443. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री 24 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लैक्सो लेवस भोरींगर नोल फेयर डील कारपोरेशन जर्मन रेमेडीज अस्ट्रा-आई० डी० एल०, राष्टो सन्डोज, सिपंल, वएहु वेलकोस तथा वीम्प जैसी कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आयातित इन्टरमीडिएट्स/पेनुलटिमेट्स में औषधियों का उत्पादन किया, न कि मूल अवस्था से;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये कम्पनियां औषधियों के उत्पादन हेतु भारी मात्रा में इण्टरमीडिएट्स का आयात कर रही हैं; और

(ग) इन कम्पनियों के द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इण्टरमीडिएट्स का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया था अनधिकृत आयातों के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उन बल्क ड्रग्स का क्या ब्यौरा है जिनके लिए इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा इन इण्टर-मीडिट्स का उपयोग किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) मैं० वायथ लिमिटेड ने सूचित किया है कि गत 3 वर्षों के दौरान उन्होंने इथोहेप्टा जाइन का निर्माण साइनोपेस नामक मध्यवर्ती से किया है। साइनोवेस के आयात के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (कि० ग्रा०)	मूल्य (सी० आई० एफ०) (रु० लाखों में)	स्रोत
1981–82	1,803	19.60	यू० एस० ए०
1982–83	594	7.25	—वही—
1983–84	1,587	20.13	—वही—

अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे।

जर्मन रेमेडीज द्वारा आक्सीफेड्रीन और उसके फार्मूलेशनों का आयात

3444. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1974 के बाद जर्मन रेमेडीज किसी वैद्य अनुमति के बिना ही अपनी मुख्य कम्पनियों से आक्सीफेड्रीन का आयात कर रहा है;

(ख) अनधिकृत रूप से इस प्रकार का आयात करने के लिए उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष छः कम्पनियों ने अपनी मुख्य कम्पनियों से इस औषध का कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर आयात किया;

(घ) इस औषध पर आधारित उनके फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं, उनके घटक क्या-क्या हैं, सरकार द्वारा निर्धारित उनके प्रत्येक फार्मूलेशनस का मूल्य और बिक्री मूल्य क्या है;

(ङ) बल्क औषध के किस मूल्य पर इस कम्पनी के फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किये गए हैं, बन्दरगाह पर, उतरने पर उनके मूल्य क्या होते हैं अन्य कम्पनियां किस दर पर इनका आयात कर रही है और इनका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है; और

(च) क्या उनके मन्त्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (च) हाल ही में इस मंत्रालय के ध्यान में आया है कि मै० जर्मन रेमेडीज सबद्ध औद्योगिक अनुमोदनों की शर्तों का उल्लंघन करके आक्सीफेडरीन एच० सी० एल० का आयात कर रहे हैं। चूंकि इन मामलों की जांच जारी है, उल्लंघन के लिए कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्थिति अभी नही आई है। मै० जर्मन रेमेडीज (इल्डामेन) ब्रांड नाम से आक्सीफेड्रीन हाईड्राक्लोराइड पर आधारित सूत्रयोगों का निर्माण कर रहे हैं। कम्पनी द्वारा आक्सीफेड्रीन एच० सी० एल० की मात्रा और उसका सी० आई० एफ० मूल्य तथा इस औषध पर आधारित मूल्य, प्रपुंज औषध मूल्य जिसके आधार पर इस कम्पनी के सूत्रयोग के मूल्य निर्धारित किए गए हैं तथा वर्तमान अवतरित मूल्य आदि संलग्न विवरण में दिए गए हैं इस प्रपुंज औषध का वर्तमान/अवतरित मूल्य 26385.14 रु० प्रति कि० ग्राम० हैं।

विवरण

क्रमांक	सूत्रयोगों के नाम	पैक साईज	प्रपुंज औषध का स्वीकृत मूल्य (प्रति कि० ग्रा०)	संशोधित उत्पादन शुल्क सहित अनुमोदित मूल्य	खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	इल्डामेट 8 मि० ग्रा०	10×10 गोलियां	रुपये 20970.13	60.50	रुपये 5.25 10 का पत्ता
2.	इल्डामेट फोर्ट 24 मि०ग्रा०	3×10 "	" 226761.85	43.47	" 12.75 10 का पत्ता
3.	इल्डामेट ड्राप्स 10 मि० ग्रा०/मि० लि०	10 मि० ग्रा०	" 24598	8.94	" 8.05
4.	इल्डामेट एम्पयूल्स 4 मि० ग्रा०/मि० लि०	5×2 मि०लि०एम्प	" 24599	7.05	" 1.19 एम्प
5.	इल्डामेट एम्पयूल्स 4 मि० ग्रा०/मि० लि०	50×2 मि०लि	" 24598	67.86	" 1.19 एम्प

मै० जर्मन रेमेडीज द्वारा आयातित आक्सीफेडीन एच० सी० एल० के आयात के ब्यौरे

वर्ष	आक्सीफेडीन एच० सी० एल० की मात्रा	आयात का स्रोत	सी०आई० एफ० मूल्य
1981	200	कैमीवर्क हेम्बर्ग, पश्चिमी जर्मनी	26,95,591
1982	190	वही	24,00,305
1983	290	वही	37,58,007

सागर ताप ऊर्जा परिवर्तन और तरंग ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन

3445. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर ताप ऊर्जा परिवर्तन और तरंग ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या इस मामले में विदेशी तकनीकी सहायता की मांग की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्राथमिक सैद्धान्तिक अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में महासागर ताप ऊर्जा परिवर्तन और तरंग ऊर्जा के माध्यम से क्रमश: 50,000 मेगावाट और 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा भूमिहीन आदिवासियों के पुनर्वास हेतु भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना

3446. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा में कोरापुट जिले की मलकानगिरि सब-डिवीजन में भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा उस पर भूमिहीन आदिवासियों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक इसके लिए सहायता की कितनी धन-राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या कोरापुट जिले में समीपवर्ती आदिवासी गांवों के लिए दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण परियोजना के कृषि विस्तार कार्यों में गति लाने तथा समीपवर्ती आदिवासियों की अलग-अलग रहने की भावना को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की विस्तार सेवा उपलब्ध कराने के लिए चयन आधार पर पुनर्वास क्षेत्रों के आसपास कुछ आदिवासी गांवों को अपनाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रमुख रूपरेखा क्या है और इस प्रकार किन-किन आदिवासी गांवों का चयन किया गया और अब तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) 13,613 एकड़ भूमि क्षेत्र का उद्धार किया गया है और अब तक 2010 परिवार बसाए गए हैं।

(ख) 32.67 लाख रुपये।

(ग) जी, हां।

(घ) फसल योजना, बीजों के उपचार सम्बन्धी तकनीकी जानकारी, ऊंचे क्षेत्रों में पंक्तियों में बुवाई, समय पर निराई तथा अन्तर-बुवाई क्रियाकलाप, पौध संरक्षण उपाय, कम्पोस्ट बनाना तथा आर्गेनिक खाद का प्रयोग तथा फार्म प्रदर्शन इत्यादि जैसी विभिन्न कृषि विस्तार सेवाओं को 10 चुने हुए गांवों में लागू करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1984-85 के लिए अखबारी कागज के आबंटन की नीति

3447. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के लिए अखबारी कागज के आबंटन की नीति तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर विभिन्न प्रेस सर्किलों में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1984-85 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति की घोषणा 21-7-1984 को की गई थी।

(ख) अखबारी कागज आबंटन नीति, 1984-85 की प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 8597/84]

(ग) प्रेस रिपोर्टों से यह पता चलता है कि आल इण्डिया एडिटर्स कान्फ्रेंस तथा इण्डियन लैंग्वेज न्यूजपेपर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों ने अपनी यह आशंका व्यक्त की है कि 300 मीट्रिक टन से अधिक अखबारी कागज प्राप्त करने वाले "मझौले" समाचार पत्रों पर स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज के बीच क्रमश: 65:35 के वितरण के अनुपात से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि से यह अनिवार्य है कि समाचारपत्रों को स्वदेशी अखबारी कागज अधिक-से-अधिक स्वीकार करना होगा।

कच्छ की खाड़ी में तेल का पाया जाना

3448. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने, पाकिस्तानी समुद्र तट से 50 किलोमीटर दूर पर कच्छ की खाड़ी में तेल का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तेल के इस खोज की वाणिज्यिक दृष्टि से क्या सम्भावनाएं हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में तेल भंडार की मात्रा का अनुमान लगाने तथा उसका दोहन के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल कच्छ के अपतटीय क्षेत्र में मिला है।

(ख) और (ग) हाइड्रोकार्बन संचय की मात्रा के निर्धारण के लिए खोज कार्य चल रहा है, ताकि उत्पादन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन

3449. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं तथा कोई विशेष प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है और क्या किसी दूरसंचार सर्किल के अन्तर्गत किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस दिशा में इस बीच कोई शुरूआत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों को वहां की कम जनसंख्या को देखते हुए टेलीफोन के प्रावधान के लिए कोई प्राथमिकता दी जा रही है और किस प्रकार की प्राथमिकता दी जा रही है; और

(ङ) देश में राज्यवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के वास्तविक आँकड़े क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) ओपन वायर लाइनों पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है।

स्वदेशी मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली का चरणबद्ध कार्यान्वयन शीघ्र आरम्भ होने वाला है।

(ग) पांच किलोमीटर की षटभुजाकार नीति के अनुसार लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर अभी तक निम्नलिखित सर्किलों में प्रदान किए गए हैं :—

सर्किल	संख्या
आंध्र प्रदेश	180
गुजरात	11
महाराष्ट्र	3
मध्य प्रदेश	694
राजस्थान	15
तमिलनाडु	47

(घ) पांच कि० मी० की षटभुजाकार नीति के आधार पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति में स्थानिक आधार पर सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जिसमें जनसंख्या और न्यूनतम राजस्व की शर्त पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(ङ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	सर्किल/जिले का नाम	टेलीफोन कनेक्शन		
		शहरी	ग्रामीण	जनजातीय/पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	80058	40789	1548
	(क) विजयवाड़ा	9973	757	—
	(ख) हैदराबाद	41898	4587	—
		131929	46133	1548
2.	बिहार	42805	4025	1551
	पटना	14564	—	—
		57369	4025	1551

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	57720	53929	11574
	अहमदाबाद	68850	—	—
	बड़ौदा	16429	—	—
	सूरत	20526	—	—
	राजकोट	11517	—	—
		175042	53929	11574
4.	जम्मू एवं काश्मीर	12762	4184	—
5.	कर्नाटक	74923	13299	8751
	बेंगलूर	67457	—	—
		142380	13299	8751
6.	केरल	49761	18137	22667
	त्रिवेन्द्रम	13257	—	—
	कालीकट	9565	764	—
	एर्नाकुलम	17170	—	—
		89753	18901	22667
7.	मध्य प्रदेश	63220	4465	1585
	इन्दौर	15457	45	—
		78677	4510	1585
8.	महाराष्ट्र	101129	30224	8331
	बम्बई	365586	—	—

1	2	3	4	5
	नागपुर	15957	—	—
	पुणे	37171	844	—
		519843	31068	8331
9.	उत्तर पूर्व	23008	4573	4117
	गुवाहाटी	7840	54	—
		30848	4627	4117
10.	उत्तर पश्चिम	92820	16976	18
	चंडीगढ़	17651	—	—
	अमृतसर	14570	—	—
	जालंधर	10556	187	—
	लुधियाना	18328	—	—
		153926	17163	18
11.	उड़ीसा	27224	3497	494
12.	राजस्थान	30926	6696	25749
	जयपुर	24103	—	—
		55029	6696	25749
13.	तमिलनाडु	89388	37993	4361
	मद्रास	93123	—	—
	कोयम्बतूर	13495	—	—
	मदुराई	12550	—	—
		208556	37993	4361

1	2	3	4	5
14.	उत्तर प्रदेश	69061	24002	2458
	लखनऊ	20199	—	—
	इलाहाबाद	8170	—	—
	कानपुर	24599	36	—
	आगरा	11490	—	—
	वाराणसी	10259	24	—
		143778	24062	2458
15.	पश्चिम बंगाल	18503	9718	13267
	कलकत्ता	188276	—	—
		206779	9718	13267
16.	दिल्ली	245301	2075	—

चरखी, दादरी, हरियाणा में टेलीफोन केन्द्र के भवन का निर्माण

3450. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में चरखी-दादरी टेलीफोन केन्द्र के वर्तमान भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान भवन के विस्तार अथवा नए भवन के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा विभागीय भवन पर्याप्त है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मौजूदा भवन का ऊर्ध्वाधर विस्तार शुरू किया गया है ।

दिसम्बर 1983 तक पंजीकृत किए गये ग्राहकों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन दिया जाना

3451. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में दिसम्बर, 1983 तक पंजीकृत किये गये ग्राहकों को खाना बनाने की गैस कब तक उपलब्ध करायी जाएगी; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/अथवा उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) आशा है कि नई दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन दिसम्बर, 1983 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं को 1987 तक चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को तथा नये उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) पर्याप्त संख्या में सिलेंडरों, दबाव रेगूलेटरों तथा वाल्वों की प्राप्ति ।

(2) पर्याप्त संख्या में टैंक वैगनों तथा टैंक लारियों की प्राप्ति ।

(3) नये बॉटलिंग संयंत्र स्थापित करके तथा विद्यमान बॉटलिंग संयंत्रों की क्षमता में विस्तार करके पर्याप्त बॉटलिंग क्षमता स्थापित करना ।

(4) दिल्ली में अगले दो वर्षों के दौरान लगभग 38 नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करना ।

एकाधिकार घरानों द्वारा पूंजीगत निवेश

3452. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 27 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से उक्त कम्पनियों ने कुल कितना ऋण ले रखा है तथा निजी शेयरधारिता सहित उन कम्पनियों के नियंत्रणाधीन कुल कितनी परिसम्पत्तियां हैं; और

(ख) इन एकाधिकार प्राप्त घरानों पर अंकुश रखने और उनके विस्तार को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिबन्धित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 31-12-83 तक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । लोक वित्तीय संस्थाओं और निजी शेयरधारियों से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार वाली कम्पनियों से लिए गये ऋण की राशि के सम्बन्ध में सूचना भी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

उन कम्पनियों (औद्योगिक घरानों के अनुसार) जो 31-12-1982 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, की परिसम्पत्तियां संलग्न विवरण में दर्शायी जाती हैं।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य एकाधिकार घरानों की वृद्धि को स्वत: निषिद्ध करना नहीं है, किन्तु केवल एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों और सरकार की आर्थिक, सामाजिक नीतियों के अनुसरण में उनकी वृद्धि करना है।

विवरण

वर्ष 1982 को समाप्त अवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, के अन्तर्गत जो पंजीकृत हैं, उन कम्पनियों (औद्योगिक/घरानों) की परिसम्पत्तियां

क्रम संख्या	औद्योगिक घरानों के नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	टाटा	2430.83
2.	बिड़ला	2004.74
3.	जे० के० सिंहानियां	620.31
4.	मफतलाल	610.69
5.	रिलियान्स टैक्सटाइल	512.34
6.	ए० सी० सी०	413.07
7.	थापर	464.55
8.	आई० सी० आई०	378.31
9.	साराभाई	374.21
10.	मोदी	359.20
11.	किर्लोस्कर	337.35
12	वांगुर	336.82
13.	बजाज	333.57

1	2	3
14.	श्रीराम	333.34
15.	लार्जन एण्ड टोब्रो	323.09
16.	अशोक लेलैण्ड	293.21
17.	हिन्दुस्तान लीवर	286.72
18.	टी० वी० एस०	282.80
19.	वालचन्द	269.93
20.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	259.53
21.	आई० टी० सी०	238.84
22.	डनलप	219.15
23.	सिंधिया	207.63
24.	खटाऊ	199.29
25.	चौगुले	192.41
26.	कस्तूरभाई लालभाई	190.97
27.	थिबन्डीवाला (ए० एच०)	186.21
28.	सिम्पसन	166.87
29.	एस्कोर्टस	166.72
30.	यूनाइटेड ब्रेवरीज	195.66
31.	फिलिप्स	148.89
32.	जी० के० डब्ल्यू०	136.72
33.	गोदरेज	133.56
34.	अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी	132.40
35.	नाइडू जी० वी०	132.06
36.	वी० रामाकृष्ण	128.65
37.	यूनियन कार्बाइड	127.03

1	2	3
38.	गरवारे	122.66
39.	मैकनील एण्ड मैगोर	115.09
40.	ई० आई० डी० पैरी	113.70
41.	ओबराय (एम० एस०)	110.55
42.	रौनक सिंह	108.05
43.	मैटल बाक्स	105.87
44.	सालगावकर	104.34
45.	नौरोजी वाडिया	103.11
46.	वी० एस० डेम्पो	102.46
47.	ब्रुक बांड	102.09
48.	गोइन्का के० पी०	95.79
49.	श्री अम्बिका	90.86
50.	कमानी	90.13
51.	मुरुगप्पा	88.65
52.	कोठारी	87.30
53.	जी० ई० सी०	84.29
54.	मदुरा कौट्स	83.97
55.	गोल्डन टौबाकू	82.80
56.	साहू जैन	81.47
57.	एम० ए० चिदम्बरम्	80.29
58.	घिया	77.70
59.	एपीजे	77.28
60.	वजीर सुलतान	77.22
61.	किलाचन्द	76.48
62.	रैलिस	76.15

1	2	3
63.	सौमैया	71.21
64.	सूरजमल नागरमल	69.45
65.	शॉ वालेस	63.95
66.	बर्ड	63.78
67.	स्वेडिश मैच	59.45
68.	भीलवाड़ा	58.13
69.	एन० आर० सी०	57.87
70.	उड़ीसा सीमेन्ट	55.13
71.	फेरो अलायज	52.01
72.	भारत विजय मिल्स	50.92
73.	गुजरात स्टील ट्यूब	47.94
74.	ओसवाल वूलेन मिल्स	47.58
75.	मद्रास सीमेन्ट	47.08
76.	प्रतापलाल भोगीलाल	47.03
77.	फाइगर	46.49
78.	ऊषामार्टिन ब्लैक	45.47
79.	साहनी	44.13
80.	ज्योति	43.68
81.	एस० पी० जैन०	43.35
82.	ट्रांस पोर्ट कारपोरेशन	42.95
83.	स्वान मिल्स	42.67
84.	पंजाब ट्रक्टर	42.66
85.	गारडिन हेन्डरसन	42.43
86.	सोमानी	42.00
87.	आंध्र शुगर	40.45
88.	शेषाशायी	40.21

1	2	3
89.	वेस्ट एण्ड क्राम्पटन	39.92
90.	ठाकरसी	39.82
91.	क्लोराइड इंडिया	39.14
92.	सैन्ट्रल पल्प	38.07
93.	एस्बेस्टोस	38.00
94.	थरमसी मोरारजी	37.24
95.	टीटागर जूट	34.61
96.	मोहन मीकिन	34.50
97.	नाइडू वी० आर०	34.20
98.	पीरामल	33.46
99.	देवी अशमोर	32.83
100.	गोकाक पटेल	31.38
101	वर्धमान ओसवाल	31.31
102.	सरस्वती इन्डस्ट्रियल सिंडीकेट	30.28
103.	वी० डी० सोमानी	30.11
104.	गिलेन्डर अर्बुदनाट	29.39
105.	आई० एम० एफ० ए०	28.98
106.	गोइन्का आर० एन०	28.48
107.	डब्ल्यू० जी० फोर्ज	27.59
108.	अमर डाइ कैम	25.69
109.	सेनडर मैगनीज	24.25
110.	मेक ल्योड रसल	22.34
111.	मलयालम प्लान्टेशन	21.21
112.	50 एकाकी बृहद उपक्रम	3374.30
113.	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य गैर-प्रमुख उपक्रम	77.69

कोसी, कमला, बोगमती आदि पन-बिजली परियोजनाओं की अनुमानित बिजली उत्पादन क्षमता

3453. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री भारत-नेपाल बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में 8 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10340 के उत्तर देने के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी, कमला, बागमती, करनाली, पंचेरवर तथा राप्ती परियोजनाओं की कुल अनुमानित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ख) क्या नेपाल सरकार ने बागमती नदी पर नूनथेर बांध परियोजना का निर्माण करने के लिए सोवियत संघ से अनुरोध किया था; यदि हां, तो उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) निम्नलिखित परियोजनाओं की अनुमानित उत्पादन क्षमता प्रत्येक के सामने दी गई है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1. कोसी उच्च बांध	3300
2. कमला पर बांध	—
3. बागमती परियोजना	140
4. करनाली (चिसापानी उच्च बांध परियोजना	3600
5. पंचेश्वर (चरण-1) परियोजना	1000
6. पश्चिमी राप्ती (भालुबंग) परियोजना	58

(ख) नेपाल को महामहिम सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय को इस संबंध में कुछ नहीं बताया है ।

उड़ीसा और अन्य राज्यों में प्रवासी/दादन श्रमिक समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता

3454. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सहित अनेक राज्यों को धन की कमी के कारण प्रवासी अथवा दादन श्रमिक समस्या से निपटने में हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रवासी अथवा दादन श्रमिक समस्या से निपटने के लिए छठी योजना में अब तक (वर्ष-वार) उड़ीसा सहित इन राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) प्रवासी अथवा दादन श्रमिकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्यों को मदद करने हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) उड़ीसा सरकार या अन्य राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या से निपटने के लिए धन की कमी के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

(ख) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

(ग) नवम्बर, 1982 में दो अध्ययन दल गठित किए गए जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो :—

(i) उन कार्य-स्थलों का दौरा करने, जहां प्रवासी श्रमिक काम करते हैं और जिनके बारे में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ii) प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का, उनकी विशिष्ट शिकायतों के संदर्भ में, मौके पर अध्ययन करेंगे; और

(iii) सामान्य निरीक्षण करेंगे ताकि प्रवासी श्रमिकों की अन्य शिकायतों को यदि कोई हों, (विशिष्टि शिकायतों को छोड़कर) मौके पर दूर किया जा सके।

संयुक्त अध्ययन दल नं० 2, जिसमें उड़ीसा सरकार का भी प्रतिनिधित्व है, ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें प्रवासी श्रमिकों का पता लगाने और उनके कल्याण के उपायों का सुझाव दिया गया है। यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

बम्बई शहर में गैस की कम सप्लाई

3455. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि बम्बई शहर में प्रायः ही गैस की कम सप्लाई रहती है;

(ख) भारत पेट्रोलियम निगम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम खाना पकाने की गैस के भरे हुए सिलेण्डर उपभोक्ताओं को बारी-बारी सप्लाई करने में क्यों असमर्थ रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या इस देरी के लिए सिलेण्डरों की कमी ही मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति मे सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पिछले कुछ महीनों में बम्बई के उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० की सप्लाई में कुछ कमी रही है ।

(ख) मई, 1984 में बम्बई में जन अशान्ति "एक" किस्म के वाल्वों को "एससी" किस्म के वाल्वों में बदलने मे लगा समय, बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों का कार्यक्रमानुसार/अकार्यक्रमानुसार बन्द रहना तथा स्थानीय औद्योगिक संबंध से संबंधित कठिनाइयां इस कमी के कारण रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाचार चित्र (न्यूज रील्स) के उत्पादन में गिरावट

3456. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने समाचार चित्र (न्यूज रील) बनाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि फिल्म प्रभाग द्वारा 1984-85 में बनाए जाने वाले समाचार चित्रों (न्यूज रील) की संख्या में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि समाचार चित्रों के लिए निर्धारित किया गया धन कांग्रेस पार्टी के शताब्दी समारोह के लिए फिल्मों के निर्माण पर व्यय किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1-2-1984 से पहले फिल्म प्रभाग प्रति सप्ताह एक न्यूज रील बनाता था । वार्षिक रूप से लगभग 52 न्यूज रीलें बनाई जाती थी जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर किया जाता था ।

(ख) और (ग) फिल्म प्रभाग ने न्यूजरीलों, जो समाचार घटनाओं के कई अंशों का संकलन मात्र होती थी, के बजाय समाचार डाकुमैंट्रियां बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें महत्वपूर्ण और सामाचारिक महत्व की घटनाओं/विषयों/निकासों और फीचर कहानियों का व्यापक कवरेज होता है । समाचार कवरेज के इस नए रूप को फरवरी, 1984 से अपनाया गया है । फिल्म प्रभाग अब हर पखवाड़े में एक समाचार डाकुमैंट्री बना रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

कुटुंब न्यायालय

3457. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये कुटुंब न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की बात सरकार के ध्यान में है। इस विषय पर काफी हद तक विचार किया जा चुका है।

बिहार में विद्युत उत्पादन का वांछित क्षमता से कम कार्य निष्पादन और नई परियोजनाओं का चालू होना

3458. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में उद्योग और कृषि को प्रभावित करने वाले विद्युत संकट का सामना करने के लिए 4000 मेगावाट के बिजली घर के बारे में 3 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6230 और बिहार और पूर्वी राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली की उपलब्धता के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विद्युत एककों के द्वारा अपेक्षित क्षमता से कम उत्पादन किये जाने की स्थिति को समाप्त करने के लिए इस बीच क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ख) उपरोक्त प्रश्नों के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित विशिष्ट, पन बिजली उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और उनके निर्माण की गति तेज करने तथा उन्हें शीघ्र चालू करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बिहार में विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) एक विशेष कृतिक बल, जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० और इन्स्ट्रुमेंटेशन लि०, कोटा के इंजीनियर्स शामिल थे, बिहार के पतरातू और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया था और कम विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं पर कार्यवाही करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार की गई। कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(2) पतरातू ताप विद्युत केन्द्र में प्रतिष्ठापित रूसी यूनिटों की विभिन्न समस्याओं को

दूर करने के लिए यहां पर रूसी विशेषज्ञों का एक दल कार्य कर रहा है। रूसी विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न यूनिटों का कार्य दिसम्बर, 1984 तक पूरा किए जाने की आशा है।

(3) पतरातू, बरौनी और करबीछिया के वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एक स्कीम तैयार की गई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस स्कीम को मार्च, 1984 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है। इस स्कीम की अनुमानित लागत 3712.0 लाख रुपये है और इन केन्द्रों के घटिया कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य बाधाओं के दूर हो जाने की आशा है।

(4) वर्तमान केन्द्रों के कार्य निष्पादन की ओर निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत विभाग द्वारा समुचित मानीटरिंग की जाती है। सदस्य (प्रचालन) की अध्यक्षता में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक उच्चस्तरीय दल ने हाल ही में विभिन्न केन्द्रों का दौरा किया था और राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था। भारत सरकार और उपस्कर निर्माताओं से सभी प्रकार की संभव सहायता प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है।

(ख) 3 अप्रैल, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6230 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रत्येक के सामने बताई गई है :—

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की संभावित तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1. पूर्वी गंडक	3 × 5	1987-88 1988-89	भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। परियोजना 1984-85 के दौरान येन ऋण के लिए भी अनुमोदित कर दी गई है।
2. उत्तरी कोइल	2 × 12	1987-88 1988-89	परियोजना हाल ही में स्वीकृत कर दी गई है।

1	2	3	4
3. सोन पश्चिमी लिंक नहर	4 × 1.65	1986-87	आधार भूत कार्य प्रगति पर है।
4. कोइल कारो जल विद्युत परियोजना	710	कार्य शुरू होने के 8 वर्ष बाद	परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण करने में स्थानीय लोगों द्वारा संगठित रूप से बिरोध करने के कारण तथा परियोजना स्थलों को जाने वाली सड़कों पर रुकावटें आदि डालने के कारण परियोजना के प्रमुख कार्य अभी तक शुरू नहीं किए जा सके। तथापि बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पहले से अधिगृहित और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंप दी गई भूमि पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवासीय तथा गैर-आवासीय स्थानों, भंडार शैडों आदि जैसे कुछ आधारभूत कार्यों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
5. कोसी उच्च	3300		परियोजना के बारे में नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

राजस्थान में जालोर जिले के सापला में मानवचालित (मैनुअल) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

3459. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जिला जालौर के सापला स्थान पर एक मानव चालित (मैनुअल) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि सापला की पंचायत-समिति मुख्यालय है और क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो वहां यह मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) ऐसा बतलाया गया है कि जालौर जिले में सापला नामक कोई स्थान नहीं है। वहां सापला नाम का एक स्थान है जहां मैनुअल एक्सचैंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) सयाला (न कि सापला) पंचायत समिति का मुख्यालय है। यहां टेलीफोन सुविधाओं की कमी नहीं है, क्योंकि सयाला में 50 लाइनों के स्वचल एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है।

(ग) मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज के 1984-85 में स्थापित किए जाने की संभावना है है बशर्ते कि आवश्यक स्टोर उपलब्ध हों।

मंजूरी के लिए लंबित पड़ी मध्य प्रदेश की लघु पनबिजली परियोजनाएं

3460. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई छोटी और लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए कितनी परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को किस तारीख तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए विकसित देशों से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के विचाराधीन मध्य प्रदेश को 7 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन स्कीमों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने तथा निवेश संबंधी निर्णय हो जाने के बाद इन स्कीमों के लिए विदेशी सहायता हेतु विचार किया जा सकेगा।

विवरण

मध्य प्रदेश को विचाराधीन माइक्रो/लघु जल विद्युत परियोजनाएं

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रु० में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1. चम्बल दायां तट नहर	0.93	2.00	स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। तथापि पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति की प्रतीक्षा है, जिस के प्राप्त होने पर इस स्कीम की निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए योजना आयोग को सिफारिश की जाएगी।
2. मोरान्ड	1	1.81	—वही—
3. तवा बायां तट नहर	12	13.86	—वही—
4. भीमगढ़	4×0.5	2.88	परियोजना रिपोर्ट की जांच काफी हद तक हो चुकी है। स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इस पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।
5. बारना	2×0.75	2.12	रिपोर्ट मार्च, 1984 में प्राप्त हुई थी, जिसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। स्कीम को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इस पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।
6. कोलार	2×2	4.14	परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की

1	2	3	4
			टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थी और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इस पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।
7. सिकसर	2×3	5.75	राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/ केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर परियोजना प्रस्तावों को संशोधित करें। संशोधित परियोजना प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इस पर स्वीकृति के लिए विचार किया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों को आवंटित किये गये फ्लैट

3461. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये फ्लैटों के बारे में खुफिया विभाग द्वारा कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या निष्कर्ष निकले और क्या यह सच है कि अनेक कर्मचारियों ने अपेक्षित दस्तावेज शपथ-पत्र प्रस्तुत किये बिना ही गृह निर्माण ऋण प्राप्त कर लिया है;

(ग) क्या यह सच है कि 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपने मकानों को ऊंची दरों पर किराये पर दे रखा है;

(घ) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने उन्हें अपने मकानों को किराये परदे ने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर और उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इंडियन आयल कारपोरेशन से अनुमति नहीं ली है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) विभिन्न लोगों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के सतकर्ता विभाग ने 15 मामलों के बारे में जांच की थी। इनमें से 9 मामले ठीक पाये गये थे। 6 मामलों में कुछ अनियमितताएं पायी गयीं। इन छः मामलों में से तीन मामलों में विभागीय कार्रवाही की गयी है। एक मामले में, सम्बन्धित कर्मचारी को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है। शेष दो मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। 300 में से केवल 44 कर्मचारियों को, जो दिल्ली के बाहर नियुक्त हैं और जो दिल्ली में अपने घरों में नहीं रह सकते हैं, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन विद्यमान बाजार दर पर अपने मकान किराये पर देने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, दिल्ली में नियुक्त सात कर्मचारियों को नियमों के अधीन अपने मकान के एक भाग को जिसे सम्बन्धित कर्मचारी ने अपनी आवश्यकता से अधिक घोषित किया है, किराये पर देने की भी अनुमति दी गई है।

टांडा में ताप विद्युत संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण और भू-स्वामियों को दिया गया मुआवजा

3462. **श्री राम अवध** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में टांडा (फैजाबाद जिला) में ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए भू-स्वामियों को पर्याप्त मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि उन परिवारों के सदस्यों को रोजगार दिया जाएगा परन्तु उस क्षेत्र के लोग अभी तक भी बेरोजगार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मौजूदा पैट्रो-रसायन परियोजनाओं का विकास

3463. **श्री चित्त महाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूदा पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के अग्रेतर विकास के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सरकार ने अनेक मौजूदा पेट्रो-रसायन संयंत्रों की क्षमता के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। केन्द्रीय क्षेत्र के मौजूदा जिन मुख्य संयंत्रों के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

(मी० टन/वर्ष में)

मद	मौजूदा क्षमता	विस्तार सीमा
डिमिथाइल टेरेफेथालेट (डी० एम० टी०)	30,000	10,000
एक्रिलिक फाइबर	12,000	12,000
लोनियर एल्काइल बेन्जीन (एल० ए० बी०)	30,000	13,500
जाइलीन	40,500	56,000
पालीप्रोपिलीन	30,000	25,000

राजस्थान में तापीय संयंत्र के लिए वित्तीय मंजूरी

3464. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के प्रस्तावित तापीय संयंत्र के वित्तीय पहलू पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विद्युत केन्द्र को वित्तीय मंजूरी किस तारीख तक दी जाएगी और यह कार्य करना अब आरम्भ करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) बीकानेर जिले में पालाना में 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले लिगनाइट पर आधारित एक ताप विद्युत

केन्द्र की प्रतिष्ठापना के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 22.5.1980 को 67.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया था। चूंकि अपेक्षित मात्रा में लिगनाइट की उपलब्धता स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाई थी इसीलिये परियोजना को निवेश के लिये अनुमोदित नहीं किया जा सका था। तथापि लिगनाइट के पर्याप्त भंडार नवम्बर, 1983 में सुनिश्चित किये गये हैं। परियोजना की अब लागत का अनुमान लगभग 277 करोड़ रुपये लगाया गया है। राजस्थान सरकार को सलाह दी गई है कि परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत के संदर्भ में परियोजना की व्यवहार्यता पुनः मूल्यांकन कराये और राज्य का योजना में परियोजना के लिये और लिगनाइट की खानों के विकास के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में बताये ताकि परियोजना को मंजूरी के बारे में विचार किया जा सके।

बम्बई-पुणे पेट्रोलियम प्राडक्ट कैरिंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट

3465. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-पुणे से पेट्रोलियम उत्पाद लाने वाली पाइपलाइन बम्बई-पुणे पेट्रोलियम प्राडक्ट कैरिंग पाइपलाइन संबंधी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त पाइपलाइन सम्भवतः कब तक पूरी हो जाएगी और चालू हो जाएगी;

(ग) इस पाइपलाइन के द्वारा कौन-कौन से उत्पादों को कितनी-कितनी मात्रा में लाया ले जाया जाएगा; और

(घ) पाइपलाइन से उत्पादों की प्राप्ति के स्थान पर पुणे स्टोरेज डिपो द्वारा कितने क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) बम्बई-पुणे पाइपलाइन पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) 1984 के अन्त तक निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है। 1984-85 को अंतिम तिमाही के दौरान सुविधाओं के चालू होने की संभावना है।

(ग) मोटर स्पिरिट, सुपिरिअर केरोसीन आयल, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल आयल का परिवहन पाइपलाइन द्वारा किया जायेगा। उत्पाद की मात्राएं निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	एमएस	एसकेओ	एचएसडी	एलओडी	योग
1985-86	124	363	776	51	1314
1990-91	174	526	1167	51	1918
2000-01	342	1103	2636	51	4132

(घ) लोनी में न्यू रिसीविंग टर्मिनल द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों की मांग पूरी की जायेगी :

1. पुणे/सिराज/कोल्हापुर
2. शोलापुर/गुलबर्ग
3. बिजापुर
4. रायचुर
5. सिकन्दराबाद

इरान में भारतीय निर्माण कंपनी मैसर्ज सोमदत्त बिल्डर्स को वित्तीय सहायता देना

3466. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 2 मई, 1984 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिए गए अपने वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्यम द्वारा मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में ताजा स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : श्री सत्यम के वेतन, आयकर की धन-वापसी और 16 दिसम्बर, 1983 तक के छुट्टी के वेतन के रूप में 29,947.30 रुपये (816.556 ईराकी दीनार) की राशि उनके खाते में जमा कर दी गई है। उन्हें 17-12-1983 से उनके भारत पहुंचने की तारीख अर्थात् 5-1-1984 तक की अवधि के लिए वेतन और छुट्टी के वेतन के उनके दावे के प्रति 7 जून, 1984 को 756.62 अमरीकी डालर भी अदा किए जा चुके हैं।

मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्ज द्वारा बगदाद के निकट कार्यान्वित की जा रही सी० टी० वी० परियोजना में श्रमिकों की हड़ताल

3467. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बगदाद के समीप कार्यान्वित की जा रही सी० सी० बी० परियोजना में कुछ श्रमिकों ने 15 से 20 अगस्त, के दौरान हड़ताल कर दी थी क्योंकि नियोक्ता आप्रवासी श्रमिकों को उपदान, मजदूरी, समयोपरि भत्ता आदि का भुगतान न करके उनका शोषण कर रहा था और त्रिपक्षीय सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार रहन-सहन का न्यूनतम स्तर प्रदान नहीं कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो अप्रवासियों की शिकायत दूर करने के लिए मंत्रालय ने क्या भूमिका निभाई थी; और

(ग) मंत्रालय ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन में ठेके के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों तथा पदोन्नति संबंधी प्रावधानों में संशोधन

3468. **श्री राम अवध** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दूरदर्शन महानिदेशालय के दूरदर्शन प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेके के आधार पर काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं, वेतनमानों और अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधानों के संशोधन के लिये कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी अर्थात् स्टाफ आर्टिस्ट दो श्रेणियों में आते हैं। प्रथम श्रेणी उन स्टाफ आर्टिस्टों की है जो वे कार्य करते हैं जो दूरदर्शन के कार्यक्रम संवर्ग के नियमित सरकारी कर्मचारी करते हैं। दूसरी श्रेणी "आर्टिस्टों" की है। कर्मचारियों की ये दोनों श्रेणियां अब पेंशन के लिए पात्र है। जहां तक स्टाफ आर्टिस्टों की प्रथम श्रेणी का संबंध है, सरकारी कर्मचारी समझे जाने के लिए उनके द्वारा विकल्प दिए जाने तथा इस प्रकार समझे जाने के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग के अधीन रहते हुए, वे कार्यक्रम संवर्ग के नियमित सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध मौजूदा पदोन्नति अवसरों के लिए पात्र होंगे। जहां तक आर्टिस्टों का संबंध है, नई शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। मौजूदा स्टाफ आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट समझे जाने के लिए विकल्प देते हैं और स्क्रीनिंग के बाद इस प्रकार समझे जाने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, उपयुक्त तदनुरूपी उच्च शुल्कमानों में शुल्क लेने के हकदार होंगे। इसके अलावा, वे अन्य भत्ते प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। जिस आर्टिस्ट ने नई शर्तों के लिए विकल्प दिया है वह भी उसी या अन्य श्रेणी के किसी भी अन्य उच्च शुल्कमान के ग्रेड के लिए दूरदर्शन द्वारा जारी किसी विज्ञापन के उत्तर में आवेदन कर सकता है। यह उसके द्वारा अपेक्षित अर्हता, अनुभव, ग्रेडिंग, इत्यादि रखे जाने के अधीन है।

गुजरात से प्राप्त लघु पन बिजली योजनाएं

3469. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बिजली की कमी और ईंधन के ऊंचे दामों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सर्वेक्षण करने के बाद केन्द्रीय सरकार को वित्तीय और तकनीकी मंजूरी के लिये प्रस्तुत

की गई लघु पन बिजली योजनाओं के नाम क्या हैं और ये प्रस्ताव किन तारीखों को भेजे गये थे और इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितनी बिजली के उत्पादन की संभावना है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) क्या गुजरात में मुख्यत: ताप बिजली घर हैं जो घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किये जाने के कारण बन्द पड़े रहते हैं और क्या यह भी सच है कि ऐसी स्थिति में दूरस्थ स्थानों से कोयले की ढुलाई पर काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और यदि हां, तो क्या उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस राज्य के लिए शीघ्र ही माइक्रो पन बिजली परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गुजरात की अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी तीन मिनी जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गुजरात में कुल 2753 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता में से 2453 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन है। पिछले एक वर्ष के दौरान घटिया ग्रेड के कोयले के कारण विद्युत केन्द्रों को पूर्ण रूप से बंद किए जाने के संबंध में गुजरात बिजली बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि गुजरात में विद्युत केन्द्र पिट-हैड पर स्थित नहीं है अत: राज्य में विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई की लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

विवरण

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
गुजरात			
1. पानम	2 मेगा०	333.41	स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और निवेश सम्बन्धी निर्णय हेतु सिफारिश योजना आयोग को की गई है।
2. धारोई	2 मेगा०	370.00	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल विद्युत आयोग

1	2	3	4
			में जांच की जा रही है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद स्कीम स्वीकृत कर दी जाएगी।
3. दमन-गंगा	2 मेगा०	380.00	परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। तथापि, स्कीम में दमन, दादर, नगर-हवेली के साथ अन्तर्राज्यीय मामले निहित हैं और विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में उन की सहमति की प्रतीक्षा है अन्तर्राज्यीय मामले हल हो जाने और इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद स्कीम पर विचार किया जायगा।

बम्बई गैस कम्पनी द्वारा बाम्बे हाई गैस का वितरण

3470. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई गैस कम्पनी ने बाम्बे हाई से प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन के माध्यम से वितरण करने का कार्य करने की पेशकश की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार की विशेषज्ञ समिति ने बाम्बे हाई गैस का वितरण करने के लिये बम्बई गैस कम्पनी की मुख्य सप्लाई लाइन "नेट वर्क" तथा मूलभूत ढांचे की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बाम्बे हाई गैस का वितरण करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि घरेलू उपभोक्ताओं को वितरण के लिए तेल एवं

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट स्थानों पर प्राकृतिक गैस की डिलीवरी की जायेगी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन स्थानों से घरेलू उपभोक्ताओं को वितरण के लिए उपयुक्त प्रबंध करे। राज्य सरकार इस संबंध में कार्यवाही कर रही है।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

3471. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में 27 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत वर्ष 1983-84 के दौरान और भी कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो नवीनतम तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर तथा उत्तरी बिहार को पूरे बिहार के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच पन बिजली परियोजना के बारे में समझौता

3472. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 600 करोड़ रुपए लागत की पन बिजली परियोजना के बारे में कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह महत्वपूर्ण परियोजना कब तक तैयार हो जाएगी तथा इसकी अनुमानित बिजली उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) उसके कुल बिजली उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना होगा; और

(घ) इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 600 मेगा० की कुल क्षमता की कोल बांध परियोजना के बारे में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच 30 जून 1984 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। समझौते के अनुसार कोल बांध परियोजना की लागत राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में बांटी जायगी। परियोजना से पैदा की जाने वाली विद्युत का बंटवारा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच क्रमश: 63:37 के अनुपात में किया जायगा।

वर्तमान सूचना के अनुसार परियोजना को सातवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू किये जाने की आशा है ।

आबू पन बिजली परियोजना

3473. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में आबू पन बिजली परियोजना अधर में लटकी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का परित्याग कर देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्य को शुरू करने का सरकार का विचार है; और

(घ) इस संबंध में क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) राजस्थान में माउंट आबू बहुउद्देशीय परियोजना की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अक्तूबर, 1979 में प्राप्त हुई थी जिसमें 1.25-1.25 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित की जानी है और इसकी अनुमानित लागत 534.10 लाख रुपये है । परियोजना से विद्युत, सिंचाई, पर्यटन और मछली-पालन के लाभ प्राप्त होंगे । चूंकि परियोजना के विभिन्न लाभ प्राप्तकर्ताओं के बीच लागत के बंटवारे का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था, अत; राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था, अत: राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागत और लाभों को ध्यान में रखकर परियोजना के प्रस्ताव को संशोधित करें । तदुपरान्त माउन्ट आबू परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सितम्बर, 1983 में प्राप्त हुई थी जिसमें 5-5 मेगावाट की 2 यूनिटें प्रतिष्ठापित की जानी है और इसकी लागत 1546.55 लाख रुपये है । परियोजना रिपोर्ट में विभिन्न लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के बीच लागत के बंटवारे के अनन्तिम आंकड़े दिए गए हैं जिनको राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था । विभिन्न लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के बीच लागत के बंटवारे के संबंध में राज्य सरकार का अनुमोदन जुलाई, 1984 में प्राप्त हुआ है और परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है । स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इसकी स्वीकृति के बारे में विचार किया जाएगा ।

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल की सप्लाई

3474. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख इस्पात मिलों को अपर्याप्त मात्रा सप्लाई किये जाने के कारण कोकिंग कोल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल कम मात्रा में सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) 1983-84 और 1984-85 में अब तक इस्पात संयंत्रों को कितना कोकिंग कोल सप्लाई किया गया है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) कोल इंडिया लि० से और इस्पात कारखानों की ग्रहीत खानों से इस्पात खानों को 1983-84 में कोककर कोयले की सप्लाई कुछ 14.50 मिलियन टन हुई जबकि उनका उपभोग कुल 14.22 मिलियन टन रहा जिसमें आयात किया गया कोयला भी शामिल है। वर्ष 1984-85 (अप्रैल से जुलाई, 1984) में सप्लाई 4.47 मिलियन टन रही जबकि उपभोग 4.56 मिलियन टन (आयातित कोयले सहित) रहा। इस्पात कारखानों में कोककर कोयले के जो स्टाक 1.8.1983 को 1.66 लाख टन थे वह बढ़कर 2-5-1984 को 5.13 लाख टन हो गए। परन्तु यह स्टाक 9-8-1984 को घटकर 2.25 लाख टन (6 दिन के उपभोग के बराबर) रह गए हैं। इसका मुख्य कारण जून, 1984 के महीने में असाधारण वर्षा और फलस्वरूप खानों में पानी भर जाना है। दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में अक्सर रुकावट होने से भी पानी निकालने के काम में बाधा पड़ी तथा स्थिति और भी खराब हो गई। कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सचिव (कोयला) और कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष, भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में स्वयं गए और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्य-दल बनाया जिसे विभिन्न स्रोतों से कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करने का काम किया गया है। दामोदर घाटी निगम भी कोयला क्षेत्र को बिजली सप्लाई में अधिक अग्रता देने के लिए सहमत हो गया है। पानी निकालने के काम की और सभी उपलब्ध स्रोतों से कोयले का खनन करने के काम की लगातार निगरानी की जा रही है।

आई० टी० आई०, दिल्ली में अधिकारियों की पदावनति

3475. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० आई०, दिल्ली के एक तदर्थ उप निदेशक को दो वर्ष के भीतर ही पदावनत कर दिया गया जबकि श्रेणी I के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सात वर्षों से अपने पदों पर हैं और उन्हें पदावनत नहीं किया गया है यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग ने उनको नियमित नहीं किया है

और डेढ़ वर्ष पूर्व संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी सेवाओं को बढ़ाने से इन्कार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। उप-निदेशक के पद के पदधारी को, जो तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे, उप-निदेशक/प्रशिक्षण के पद के लिए भर्ती नियमों की अधिसूचना के शीघ्र बाद पदावनत कर दिया गया था। जहां तक अन्य वरिष्ठ श्रेणी-I के अधिकारियों का संबंध है, केवल दो विभागीय अधिकारियों, नामतः सर्व श्री कुंदन लाल और जे० डी० कपूर, जो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते थे, जो कि रु० 1100-1600 के वेतनमान में श्रेणी-1 के वरिष्ठ पद के लिए एक अनिवार्य योग्यता थी, को लोकहित में तदर्थ आधार पर काम करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) रु० 1100-1600 के वेतनमान में श्रेणी-I वरिष्ठ पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव अभी भी संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। आयोग ने कभी भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे उपर्युक्त वरिष्ठ श्रेणी-I के अधिकारियों के संबंध में सतत् तदर्थ नियुक्ति के लिए इन्कार नहीं किया।

लॉस एंजिलिस ओलम्पिक खेलों का दूरदर्शन पर दिखाया जाना/ आकाशवाणी से प्रसारण

3476. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लॉस एंजिलिस ओलम्पिक खेलों को इन्सेट-1 बी के माध्यम से दूरदर्शन पर दिखाने/आकाशवाणी से प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनके द्वारा इन खेलों का कितना प्रसारण किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

इन्सेट-1 बी का उपयोग आकाशवाणी या दूरदर्शन के केन्द्रीय रूप से मूल रूप से तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को अन्य केन्द्रों को वितरित करने के लिए किया जा रहा है। लॉस एंजिलिस

ओलम्पिक खेलों को कवर करने के लिये की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

आकाशवाणी

लॉस एंजिलिस ओलम्पिक खेलों के कवरेजों को दिल्ली से प्रसारित किया जा रहा है। इनको 28 केन्द्र रिले करते हैं जिन्हें इन्सेट-1 बी से पुनः प्रसारण करने हेतु रेडियो संजाल संग्रहण सुविधायें प्राप्त हैं। आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्र इन कमेंट्रियों को टेलीफोन लाइनों पर ले रहे हैं और इनको क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटरों पर भी प्रस्तुत करते हैं ताकि अन्य इच्छुक केन्द्र उन्हें रिले करं सकें। ओलम्पिक खेलों को कवर करने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

1. रेडियो न्यूजीलैण्ड के माध्यम से 16 दिन के लिये प्रतिदिन 1615 बजे और 1645 बजे के बीच 30 मिनट का अंग्रेजी में सारांश।

2. आकाशवाणी द्वारा 16 दिन के लिये 1945 बजे और 2015 बजे के बीच 30 मिनट का हिन्दी में सारांश।

3. 0636–0645 बजे के बीच हिन्दी तथा अंग्रेजी में ओलम्पिक समाचार बुलेटिन।

4. 0821 और 0830 बजे के बीच अंग्रेजी और हिन्दी में ओलम्पिक समाचार बुलेटिन।

5. उन पूल हाकी मैचों, जिनमें भारत की भागेदारी हो, सेमी-फाइनलों, फाइनलों का अंग्रेजी और हिन्दी में आंखों देखा हाल (अंग्रेजी में न्यूजीलैण्ड के माध्यम से तथा हिन्दी में आकाशवाणी के केमेंटेटर के माध्यम से)।

6. समाचारों में कवरेज।

दूरदर्शन

दूरदर्शन ने लॉस एंजिलिस ओलम्पिक खेलों की घटनाओं के 2 घंटे के महत्वपूर्ण अंशों के लिए हांगकांग टी० वी० के माध्यम से व्यवस्था की थी। हांगकांग टेलीविजन द्वारा तैयार किये गये केप्सूल को दूरदर्शन द्वारा उपग्रह के माध्यम से प्राप्त किया गया था तथा सभी ट्रांसमीटरों से साथ-साथ टेलीकास्ट किये जाने के लिये इन्सैट-1 बी के माध्यम से दिल्ली केन्द्र से रिले किया गया था। महत्वपूर्ण अंशों को सायं 7.45 बजे से रात 8·45 बजे तक, रात 9.20 बजे से रात 9.50 बजे तक तथा रात 10.10 बजे से रात 10.40 बजे तक टेलीकास्ट किया गया था। दूरदर्शन के हाकी के पूल मैचों जिनमें भारत ने भाग लिया था, तथा फाइनल मैचों को भी टेलीकास्ट किया। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन ने औलम्पिक खेलों के उद्घाटन समारोह तथा समापन समारोह को भी जीवन्त टेलीकास्ट किया।

मित्तल कोर्ट, नारीमन प्वाईंट, बम्बई में डाक तार विभाग द्वारा किराये पर इमारतों का लिया जाना

3477. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने मित्तल कोर्ट, नारीमन प्वाईंट बम्बई में 3,25,000/- रु० प्रतिमाह की दर से जनवरी, 1983 से किराए पर इमारतें ली हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए हुए समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके मालिकों तथा जिस पार्टी के साथ समझौता हुआ है, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) किन विशिष्ट कारणों से इतने अधिक किराए पर विभाग को ये इमारतें लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इस सौदे के लिए उन्हें किसने प्राधिकृत किया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। परंतु अदा किया गया किराया 3,24,750 रु० हैं न कि 3,25,000 रुपए।

(ख) पट्टा पांच वर्षों के लिए है। इसके लिए कोई अग्रिम अथवा ऋण की सुविधा नहीं है। किराए में कर और अन्य व्यय शामिल हैं। अन्य नियम एवं शर्तें, मानक लीज फार्म जनरल-8 के अनुसार है।

(ग) एम० जी० मित्तल एंड कंपनी।

(घ) तेजी से विकसित हो रहे इस वाणिज्यिक क्षेत्र में काउंटर सुविधा सहित पर्याप्त डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मित्तल कोर्ट में स्थान किराए पर किया गया है। उचित किराया मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर, पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्किल ने किराया मंजूर किया था।

फ्री प्रेस जर्नल हाउस, नारीमन प्लाईंट, बम्बई में डाक तार विभाग द्वारा किराए पर इमारतों का लिया जाना

3478. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने फ्री प्रेस जर्नल हाऊस, नारीमन प्वाईंट, बम्बई में 3,40,000/- रु० प्रतिमाह की दर से अक्टूबर, 1983 से किराए पर इमारतें ली हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए हुए समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके मालिकों तथा जिस पार्टी के साथ समझौता हुआ है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) किन विशिष्ट कारणों से इतने अधिक किराए पर विभाग को ये इमारतें लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और इस सौदे के लिए किसने प्राधिकृत किया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पट्टा 1.10.83 से पांच वर्षों के लिए है। इसके लिए कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है। किराए में कर और अन्य व्यय शामिल हैं। अन्य नियम एवं शर्त मानक-लीज फार्म जनरल-8 के अनुसार हैं।

(ग) पट्टे का समझौता मैसर्स ददलानी रीयलर्टस प्राईवेट लि० के साथ हुआ था। श्रीमती रेशमा ददलानी, श्रीमती जया० आई० ददलानी, श्रीमती शर्मीला आर० ददलानी, मास्टर विशाल एम० ददलानी, मास्टर आई० ददलानी, जितेन्द्र आर० ददलानी, मोती टी० ददलानी, इंदुर टी० ददलानी, रमेश टी ददलानी, अंजना एम० ददलानी, संजीव आई० ददलानी, विष्णी टी० ददलानी इस फार्म के मालिक हैं।

(घ) बंबई महानगर के लिए आवक-डाक का निपटारा तीन अलग-अलग छंटाई कार्यालयों में किया जाता था। स्थान की भारी कमी थी जिसके कारण, आवक डाक का संतोषजनक निपटान नहीं हो पाता था। उचित किराया मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्किल ने इस भवन को किराए पर लेने की मंजूरी दी थी।

डाक एवं तार विभाग द्वारा "पिनहइरो एपार्टमेंट" बांद्रा, बम्बई में किराए पर आवास का लिया जाना

3479. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक एवं तार विभाग ने "पिनहइरो एपार्टमेंट" बांद्रा, वम्बई में मार्च, 1983 से 1,20,000 रुपये प्रतिमाह की दर से आवास किराए पर लिया है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किए गए करारनामे में उल्लिखित अन्य विस्तृत शर्तें क्या हैं;

(ग) उस आवास के मालिक कौन हैं, और किसके साथ करारनामा किया गया है; और

(घ) डाक प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त आवास इतनी ऊंची दर पर लेने के क्या विशिष्ट कारण हैं और इसके लिए उन्हें किसने मंजूरी दी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पट्टे की अवधि पांच वर्ष है। अन्य नियम एवं शर्तें मानक लीज़ फार्म जनरल-8 के अनुसार हैं।

(ग) श्रीमती सुधा वी० सेठ, वी० सी० शाह, श्रीमती सुशीला सी० सेठ, कुमारी रीना

वी० सेठ, मास्टर सौमिल वी० सेठ, श्रीमती मीरा कांति गांधी, के० ए० गांधी, मास्टर विक्रम के० गांधी, मास्टर निखिल के० गांधी, श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा, मास्टर मनदीप सिंह सलूजा, कुमारी अमृतपाल सलूजा, मास्टर नरेन्द्रपाल सिंह सलूजा, श्री •राजू महालिंग शेट्टि, श्रीमती विमला, चन्द्रकांत महालिंग शेट्टि, श्रीमती पार्वतम्मा महालिंग शेट्टि, मास्टर भरत चन्द्रकांत महालिंग शेट्टि, मास्टर सत्यदेव अशोक, मास्टर हर्षवर्धन अशोक महालिंग शेट्टि ।

(घ) बांद्रा में डाकघर शिफ्ट करने के लिए यह स्थान किराए पर लिया गया था । उचित किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर, पोस्टमास्टर जनरल महाराष्ट्र सर्किल ने अदा किए जाने वाले किराए का निर्णय लिया ।

डाकघर को धमेटा से समकद, हिमाचल प्रदेश, स्थानान्तरित किया जाना

3480. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) में धमेटा डाकघर को पांच वर्षों में तीसरी बार धमेटा मेन बाजार से समकद में एक अन्य गांव में स्थानान्तरित किया गया है जो कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है और कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है और एक ऐसे डाकघर की इमारत में किया गया है जिसका किराया अधिक है किन्तु स्थान पहले वाली इमारत से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थानान्तरण पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस डाकघर को फिर से धमेटा के मेन बाजार में स्थानान्तरित करने का है ताकि इस घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और डाक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं, डाकघर दो बार स्थानांतरित किया गया था । पहले फरवरी, 80 में और फिर मई, 84 में । नए भवन में जगह काफी अधिक है । पहले भवनों का किराया 180/- रु० प्रतिमाह था जबकि नए भवन का किराया 450/- रु० प्रतिमाह है ।

(ख) पहले भवन में जगह कम थी । धमेटा गांव को डाम क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है । धमेटा के सम्मिलित क्षेत्र का जनसंख्या अब समकद गांव में रह रही है । अब धमेटा के केवल 25 प्रतिशत क्षेत्र में ही आबादी है । राज्य सरकार के अधिकांश बड़े कार्यालय और शिक्षा संस्थान भी समकद में स्थापित है न कि धमेटा में, डाकघर स्थानांतरित करते समय पहली बार 30/- रु० और दूसरी बार 60/- रु० खर्च हुए ।

(ग) और (घ) जी नहीं, मौजूदा भवन में काफी जगह है तथा यह बेहतर और उपयुक्त है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में हिन्दी का प्रयोग

3481. **श्री एस० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हिन्दी के प्रयोग पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया गया और उसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी के कार्य की प्रगति निराशाजनक है और यहां तक कि ठेकेदारों की हेराफेरी के कारण भागा बांध में निर्मित हिन्दी विकास भवन की इमारत भी ढह गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दूरदर्शन में तदर्थ आधार पर कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

3482. **श्री निहाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन में तदर्थ आधार पर काम करने वाले तृतीय श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या 30 दिसम्बर, 1976 के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 23011/6/75/ई (डी) के अनुसार वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त किए बिना तदर्थ कर्मचारी की सेवाएं एक वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ायी जा सकती हैं और मंजूरी जून के प्रारम्भ में ली जाती है; और

(ग) क्या तदर्थ कर्मचारियों के मामले में वित्त मंत्रालय से मंजूरी ले ली गयी थी और अब तक कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री

(श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में श्रेणी-तीन का एक कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1983 से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

दूरदर्शन के लिए विदेशी फिल्मों के चयन हेतु समिति

3483.. **श्री निहाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के लिए विदेशी फिल्मों के चयन हेतु एक समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस समिति के सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) इस समिति को, उसके उचित कार्यकरण हेतु, सरकार द्वारा क्या मार्ग निदेश जारी किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) विदेशी टी० वी० कार्यक्रमों के चयन तथा संबंधित मामलों के बारे में दूरदर्शन को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें श्रीमती पुपुल जयकर, अध्यक्ष, फेस्टिवल आफ इण्डिया, प्रो० यशपाल, परामर्शदाता, योजना आयोग, डा० नारायण मेनन, अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी और श्री एस० एस० गिल, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल हैं। समिति के सदस्यों का चयन कला, संस्कृति, विज्ञान और संचार के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के आधार पर किया गया है। समिति का मार्गदर्शन लोगों को सूचित करने, शिक्षित करने तथा उनको मनोरंजन प्रदान करने के दूरदर्शन के उद्देश्यों द्वारा किया जाता है।

भविष्य निधि संगठन के प्रत्येक भविष्य निधि निरीक्षक को आवंटित प्रतिष्ठान

3484. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है और भविष्य निधि संगठन के प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्त भविष्य निधि निरीक्षकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक भविष्य निधि निरीक्षक को आवंटित प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या एक निरीक्षक को आवंटित प्रतिष्ठानों की संख्या के संबंध में कर्मचारी संगठनों से कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की महिला कर्मचारियों के लिए "क्रेश" (शिशु गृहों) का प्रबन्ध

3485. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इन महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितने केन्द्रों में "क्रेश" की व्यवस्था उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि किसी "क्रेश" की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन विभिन्न केन्द्रों में "क्रेश" की व्यवस्था करने का है जहां 30 से अधिक महिलाएं नौकरी करती हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तापीय एककों में प्लांट लोड फेक्टर

3486. **श्री एन० डेनिस**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्य सरकारों (राज्य विद्युत बोर्डों) को निदेश दिए हैं कि वर्ष 1983-84 में चालू किए गए तापीय एककों से कम से कम 51 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर की उपलब्धि की व्यवस्था करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुच्छेद 172 का निर्वचन

3487. श्री के० मालन्ना
श्री एन० ई० होरा } : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से यह सिफारिश की है कि अनुच्छेद 172 के सही निर्वचन के संबंध में भारत के महान्यायवादी से यह परामर्श किया जाए कि क्या एक बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए जाने पर उसके विधान मंडल का कार्यकाल बढ़ा हुआ माना जा सकता है और क्या विधान सभा की अवधि में परिवर्तन करने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :(क) निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार को की गई यह सिफारिश कि संविधान के अनुच्छेद 172 के सही निर्वचन के लिए भारत के महान्यायवादी से इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए परामर्श किया जाए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा, किसी विधान सभा की पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के अंत में ऐसी रीति से प्रवृत्त की जा सकती है कि राष्ट्रपति शासन पांच वर्ष की ऐसी अवधि समाप्त हो जाने पर भी चालू रहे।

(ख) निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार, महान्यायवादी से परामर्श किया गया था और इस विषय में महान्यायवादी की राय की एक प्रति आयोग को सम्यक् रूप से भेजी गई थी। महान्यायवादी ने अपनी राय में इस बात का सही संकेत किया है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करने की शक्ति का किसी भी समय, यहां तक कि किसी विधान सभा की पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से ठीक पूर्व भी, प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु यह तब जब अनुच्छेद की अपेक्षाओं का अन्यथा अनुपालन कर लिया गया है।

चमकदार अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

3488. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमकदार अखबारी कागज के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो बाजार में साधारण अखबारी कागज तथा सफेद छपाई वाले कागजों के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) जी, हां।

(ख) आयातित ग्लेण्ड अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि से बाजार में साधारण अखबारी कागज और सफेद कागज के मूल्यों में कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्या ग्लेण्ड अखबारी कागज का उत्पादन देश में नहीं होता है और इसकी समूची आयातित मात्रा केवल उपभोगताओं को ही दी जाती है। इसके अलावा, वृद्धि केवल नाममात्र ही है अर्थात जुलाई-सितम्बर की तिमाही के लिए 200/- रु० प्रति टन।

सीरे पर आधारित उद्योगों की स्थापना

3489. **श्री राम लाल राही** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस देश में उत्पादित सीरे की वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खपत और सीरे पर आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रति उदासीनता का रवैया अपनाया है।

(ख) सीरे से अल्कोहल तैयार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि इंजनों और वाहनों को चलाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इंजनों और वाहनों को चलाने के लिए सीरे से तैयार अल्कोहल का प्रयोग किया जाया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं। सरकार अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए सीरे को अल्कोहल में परिवर्तित कर के प्रयोग करने को प्रोत्साहन दे रही है।

(ख) और (ग) ईंधन के रूप में पेट्रोल के स्थान पर अल्कोहल इस्तेमाल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, ब्राजिल मोटर फयूल के योगज के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है।

भविष्य निधि इंसपेक्टरों पर कार्यभार

3490. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि एक प्रतिष्ठान की बकाया राशि का आंकलन करने में और नियोक्ताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने के मामले दर्ज करने में असाधारण विलम्ब होने तथा योग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाने में असफल रहने का कारण भविष्य निधि इंस्पेक्टरों पर काम का भारी दबाव होना है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी संगठनों के साथ परामर्श करके भविष्य निधि इंस्पेक्टरों के कार्यभार के संबंध में कोई वैज्ञानिक मानदंड निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) यह नहीं कहा जा सकता कि अलग-अलग प्रतिष्ठानों की ओर बकाया राशियों को आंकने और नियोजकों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर करनें में होने वाले विलम्ब तथा हकदार कर्मचारियों को भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत लाने की असफलता का मात्र कारण यह है कि भविष्य निधि निरीक्षकों के पास काफी कार्यभार है।

(ख) वित्त मंत्रालय के "कर्मचारी निरीक्षण यूनिट" ने अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण का अध्ययन किया है और भविष्य निधि निरीक्षकों समेत विभिन्न संवगों के लिए कार्य-मानदण्डों के संबंध में सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को निरीक्षण दौरे और लम्बी अवधि की नियुक्ति के लिए लंदन और टोक्यो भेजना

3491. **श्री भीखाभाई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई० आई० एल० के निरीक्षण विभाग से निरीक्षण दौरे और दीर्घावधि नियुक्ति के लिए कितने अधिकारी लंदन और टोक्यो भेजे गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित उम्मीदवारों के बीच भेद-भाव किया जाता है;

(ग) ई० आई० एल० के आरम्भ से तमाम वर्षों के दौरान कितने सामान्य उम्मीदवार विदेशों को भेजे गए हैं; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान ई० आई० एल० से विदेशों को भेजे गए आरक्षित अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) क्रमश: 46 और 17।

(ख) जी नहीं।

) और (घ) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने निरीक्षण विभाग से अब तक 62

आम उम्मीदवार और 1 आरक्षित उम्मीदवार लंदन और टोकियो में निरीक्षण दौरे/लम्बी अवधि की तैनाती पर भेजे हैं।

उत्तर प्रदेश के बदायूं तथा बरेली जिलों में पोलीथीन पर आधारित उद्योगों को स्थापित करना

3492. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बदायूं तथा बरेली जिलों में पोलीथीन पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिए हाल में ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल उद्योग का समर्थन

3493. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ ने सरकार से पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल उद्योग का समर्थन देने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ताकि व्यवसाय के इस क्षेत्र में भारतीय फर्मों की अधिक भागीदारी हो; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

बड़े औद्योगिक घराने के एक लाख रुपये से अधिक का वार्षिक पारिश्रमिक पाने वाले कार्यकारी अधिकारियों का ब्यौरा

3494. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1-7-1984 को (उपलब्ध जानकारी के अनुसार) निम्नलिखित बड़े औद्योगिक घराने की कम्पनियों और परस्पर संबंधित कम्पनियों के उन कार्यकारी अधिकारियों जैसे संयुक्त : उप प्रबन्ध निदेशकों, प्रेजिडेंट्स, वाइस प्रेजिडेन्ट्स कार्यकारी निदेशकों और

अन्य पदनाम रखने वाले कार्यकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनको कुल उपलब्धियों (सभी परिलब्धियों सहित) एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है उनकी अर्हतायें क्या हैं और संबंधित कम्पनियों के निदेशकों से यदि उनका कोई सम्बन्ध है तो वह क्या है :

(एक) बिड़लाज (दो) जे० के० सिंघानिया (तीन) मोदीज (चार) आई० टी० सी० लि० कलकत्ता और (पांच) श्री राम ग्रुप (डी० सी० एम०); और

(ख) क्या इन सभी मामलों में कम्पनी विधि बोर्ड की स्वीकृति ली गई थी; यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) 31-12-82 तक इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रश्न में उल्लिखित पांच औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित 115 कम्पनियां थीं। इनमें से कुछ तो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां थीं। यह केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों या उनकी सहायकों के प्रबन्ध निदेशकों पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबन्धकों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की परिभाषा के अन्तर्गत) के सम्बन्ध में है कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा पारिश्रमिक और नियुक्तियों का अनुमोदन किया जाता है। इसी प्रकार से केवल इन कार्यकारियों, जो निदेशकों के सम्बन्धी है और जिनका मासिक परिश्रमिक 3,000 रु० प्रतिमाह से अधिक होता है, के संबंध में अनुमोदन दिया जाता है।

इस प्रश्न में उन कार्यकारियों, जिनके पारिश्रमक को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियमित नहीं किया जाता है, सहित इन कम्पनियों में सभी कार्यकारियों की, जो 1 लाख रु० प्रतिमाह से अधिक पारिश्रमिक ले रहे हैं, की व्यापक सूचना नहीं रखी जाती है और इस सूचना के संकलन करने में लगने वाला प्रयास सम्भवतः प्राप्त किये जाने वाले परिणामों का भी समानुपातिक नहीं हो तथापि, किसी व्यक्ति विशेष या कम्पनी के सम्बन्ध में कोई सूचना अपेक्षित हो तो, वह माननीय सदस्य को सम्बन्धित कम्पनी से एकत्र करने के पश्चात प्रस्तुत की जा सकती है।

12.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : बोलिये, बागड़ी जी, आप क्या कह रहे हैं।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं आप से मिला भी था। (**व्यवधान**) 84 बंधुआ मजदूर, 20-25 औरतें दो साल से यमुनागर जिले, बिकानेर जिले, फाजिल्का, भिवानी और मेरी कांस्टीच्युएंसी में नाजायज कब्जे में हैं। (**व्यवधान**) अगर इस तरह से नौजवान लड़किया और हरिजनों की औरतें 6-6 महीने तक नजायज कब्जे में रहें तो देश में इससे वड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिले थे और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे लिख कर

दे दीजिए, ऐसे नहीं दीजिए क्योंकि यह कान्करेन्ट सब्जेक्ट है और लेबर का भी सवाल है । आपने मेरा हवाला दिया है और फाजिल्का, अबोहर के बारे में कहा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : होम मिनिस्टर साहब सामने बैठे हैं और एक मेम्बर खड़े होकर यह कह रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिए । मैं होम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा । आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं होम मिनिस्टर साहब से बोल दूंगा क्योंकि आपने फाजिल्का और अबोहर का जिक्र किया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : और बिकानेर के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : मुझे दोनों का पता है । बिकानेर भी मेरा है । वहां मेरा उद्गम है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह समाचार पत्रों में आया है । सरकार को एक्शन लेना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर कार्यवाही करूंगा । मैं उन्हें पूछूंगा । मैं बोलूंगा । मैं चीफ मिनिस्टर को भी लिखूंगा । मैं होम मिनिस्टर को भी बोल दूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : बिकानेर का क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : बिकानेर की तो मैं बात कर रहा हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कल हम सब विपक्षी नेता एक साथ आपको श्रीलंका की स्थिति के बारे में और वहां निरन्तर हो रही मौतों के बारे में मिले थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताएं, आप जो कहें वह मैं कर देता हूं । मैंने कब इन्कार किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । आज तमिलनाडु में सम्पूर्ण स्कूल और कालेज बन्द हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इकट्ठे होकर मुझे बता दीजिए, जो आप चाहते हैं, यह मैंने कल भी कहा था ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि विदेश मंत्री को श्रीलंका की स्थिति के बारे में विस्तृत और नवीनतम विवरण दें और फिर सभा सम्पूर्ण स्थिति पर चर्चा करे ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आप कुछ कहें, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि श्रीलंका में सशस्त्र सेनाओं द्वारा सभी तमिल लोग मार दिये जायें। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु में क्या हो रहा है ? अब कार्यवाही करने का समय है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मैंने श्रीलंका के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार ने हमें कई बातों का आश्वासन दिया है किन्तु एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया है। (**व्यवधान**) वहां बड़े पैमाने पर जातिसंहार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं सभा में अपनी इच्छा के अनुसार चलूं अथवा आपकी इच्छा के अनुसार ? कल मैंने आप सब के साथ बैठक की थी। आप भी वहां थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। समस्या यह नहीं है कि हम उसको नहीं करना चाहते हैं। यह सामूहिक बुद्धिमानी है जिस पर यहां सहमति अवश्य होनी चाहिए। अतः आप कुछ भी निर्णय करें, चाहे आप तारीख निश्चित करें···

एक माननीय सदस्य : इस पर आज चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे हल करने का यह तरीका नहीं है। आपने स्वयं कल निर्णय किया था। आपने कुछ बातों का पूर्वानुमान भी लगाया था और हम भी कुछ बातों का पूर्वानुमान लगा रहे थे। सरकार उस पर चिन्तित है जैसेकि उसने आपको बताया है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो कुछ किया जा सकता है, सरकार कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप इस पर कब चर्चा करना चाहते हैं, वह तो आपको करनी है तथा मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। हम इस पर इस सभा में चर्चा करेंगे जैसे कि आपने फैसला किया है। अतः आप ऐसा करें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : हम माननीय विदेश मंत्री से एक नवीनतम विवरण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह एक नवीनतम विवरण देंगे। कल वे इस बात पर सहमत थे कि जब भी कहेंगे वे नवीनतम विवरण रखेंगे। आपने कहा कि यह 21 तारीख को दिया जाना चाहिए और उस दिन हम इस पर विचार करेंगे।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : इसमें बहुत विलम्ब होगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरे प्रिय मित्र इसमें कभी भी विलम्ब नहीं हुआ। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : विवरण इससे पहले दिया जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम हर बात पर विचार करेंगे । मैं स्थिति से अवगत हूं । (**व्यवधान**)

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : महोदय, सभा का कार्य स्थगित कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे प्रिय मित्र, इसमें स्थगन करने का कोई प्रश्न नहीं हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप आइये और चर्चा कीजिये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आता । जब मैंने यह आप पर छोड़ दिया है और यह आपके विचारार्थ है तो आप फिर से मिलें और आप मुझे बतायें कि हम इस सम्बन्ध में कब मिलें ।

श्री के० मायातेवर : महोदय, श्रीलंका में तमिलों की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भगवान, आप क्या कर रहे हैं ? मैं नहीं जानता ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, क्या मैंने चर्चा पर आपत्ति की है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आप पर छोड़ता हूं । आप अपने सदस्यों से चर्चा कीजिए । जब भी आप कहेंगे कि चर्चा होनी चाहिए तो सरकार तैयार है, आप तैयार हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री के० मायातेवर : यदि आप इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे तो तमिलनाडु में भी ज्वालायें भड़क उठेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु में ज्वालायें क्यों भड़केंगी ? किस कारण ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ नहीं, मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । मैं चाहता हूं कि आप आपस में मिल लें ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, हमें समझदार और व्यावहारिक बनना चाहिए । आपको इस देश को चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केवल दर्शक ही बनी रहेगी या···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है,

(व्यवधान)**

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला जलगांव में केला उत्पादक दयनीय स्थिति में हैं। सूखा के कारण केला की फसल सामान्य से एक तिहाई हुई है, इस पर रेलवे विभाग ने हमारे डिवीजन से दिल्ली और उत्तर तक भाड़े में रियायत पर 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले के सम्बन्ध में कुछ करे ताकि 50 प्रतिशत तक रियायत दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। हां, श्री तिवारी।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, यू० एन० आई० जो देश में अग्रणी समाचार एजेन्सियों में से एक है, में भारी अव्यवस्था चल रही है। यू० एन० आई० के लगभग 100 पत्रकार और गैर-पत्रकार हड़ताल पर हैं। आपने हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है। इसी तरह एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां धनराशि का भारी कुप्रबन्ध हुआ है और पत्रकार···(**व्यवधान**)। इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, बोनस की मांग को लेकर 17 लाख रेल मजदूरों ने हड़ताल करने का फैसला किया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : 377, दे दीजिए।···(**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री : इसके बारे में किसी न किसी रूप में ब्यान आए नहीं तो डिसकशन होना चाहिए। साथ ही, एच० इ० सी० के कर्मचारी 9 तारीख से हड़ताल पर है।···(**व्यवधान**)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने कह तो दिया है।''' **(व्यवधान)**

श्री नीरेन घोष (दमदम) : राजधानी शहर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके सुल्तान पुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसे यातनायें दी गई और वह मर गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार पत्र की खबर के अनुसार नहीं चल सकता। हमें तथ्यों का पता लगाना है।

इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तथ्य प्राप्त करने के बाद हम इस पर विचार करेंगे।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद फतेहपुर आदि में बुरी तरह से सूखा पड़ा है। श्री एन० डी० तिवारी कुछ नहीं कर रहें हैं। जानवरों के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : प्राइम मिनिस्टर और एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवाइए। ''' **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं, रोका कब है।

(व्यवधान)

12.12 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन अधिसूचना और विधि आयोग के प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, कम्पनी सचिव (दूसरा संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई० सी०

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एस० आई०/710/2 एम० (1) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र, जो 11 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई० सी० एस० आई०/710/2/एम (1) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 8573/84]

(2) भारत में ईसाइयों में विवाह-विच्छेद के आधारों (भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के) बारे में विधि आयोग के नब्बे वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 8574/84]

(3) कतिपय अप्रचलित केन्द्रीय अधिनियमों के निरसन के संबंध में विधि आयोग के 96वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 8575/84]

(4) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 से 26 तक विवाहोत्पन्न कार्यवाहियों में अन्तरिम भरणपोषण के आदेश तथा बच्चों के भरणपोषण के बारे में विधि आयोग के 98वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 8576/84]

तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 के अधीन अधिसूचनायें

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मैं तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (यात्रा भत्ता) नियम, 1984 जो 26 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 473 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1984, जो 12 जुलाई, 1984 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 8577/84]

12.12½ म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

80वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 80वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.13 म०प०

सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति

21वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा शाही (बेगू सराय) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करती हूं।

12.13½ प०म०

सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति

बैठकों का कार्यवाही-सारांश

श्रीमती कृष्णा साही (बेमूसराय) : मैं सभा पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांशों को सभा पटल पर रखती हूं।

12.14 म०प०

अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 57वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उस समिति का 57वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14½ म० प०

जीवन बीमा निगम विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिये और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिये अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.15 म०प०

जीवन बीमा निगम विधेयक

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिये और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिये अनेक निगमों की स्थापना के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख (खंड 1 और 2) सभा पटल पर रखता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : कल शून्य काल के दौरान··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक राजनैतिक मंच नहीं है। कुछ सकारात्मक बात कीजिए। इसके बारे में आप सदन से बाहर मंच पर लड़ाई लड़ें। आप ऐसा क्यों नहीं करते ? माननीय सदस्य अनावश्यक रूप से उन बातों को उठाना चाहते हैं जिनको यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि दो सबजेक्ट्स हैं···

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस के मुताल्लिक कहना है तो शुक्रवार को कहिएगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : प्राइस राइज···

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । गंगवार जी, आप समझदार आदमी हो कर ऐसी जिद् करते हैं। जब मैंने आपको कहा है कि जो आप कहेंगे वह कर दूंगा और बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी जो तय करेगी वह करूंगा, फिर भी आप जिद करते हैं ।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहां विचार विमर्श नहीं किया जायेगा। इसको कार्य मंत्रणा समिति निर्धारित करेगी । आप इसे अनावश्यक रूप से उठा रहे हैं ।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात । आप अपने मैम्बर को बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में भेज दीजिएगा। या आप आइएगा, मैं आपको भोजन भी कराऊंगा, मिष्ठान भी खिलाऊंगा और जो कहेंगे वह करूंगा । न गवरमेंट विरोध कर रही है न अपोजीशन विरोध कर रहा है, दोनों मियां बीबी राजी हो तो क्या करेगा काजी ?

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या करूं ?. बहुगुणा जी, आप अपने मेम्बरों को इतना भी नहीं समझा सकते ?

12.16 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच, बारास्ता प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर, एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश के महानगर इलाहाबाद में सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान प्रयागराज स्थित है और इसी प्रकार फैजाबाद में अयोध्या। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री प्रयागराज जाते हैं। जो तीर्थ-यात्री प्रयागराज आते हैं उनमें अधिकांश अयोध्या भी जाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कई प्रमुख विभागों के मुख्यालय इलाहाबाद में होने के कारण फैजाबाद संभाग से भी बड़ी संख्या में लोग इलाहाबाद आते जाते रहते हैं। इलाहाबाद-फैजाबाद रेल मार्ग प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर जनपदों के मुख्यालयों से होकर गुजरता है। परन्तु इलाहाबाद-फैजाबाद रेलवे पर कोई द्रुतगामी यात्री गाड़ी नहीं चलने से यात्रियों को बड़ी ही कठिनाई एवं असुविधा का सामना करना पड़ता है। दोनों नगरों के बीच जो पैसेंजर गाड़िया चलती हैं वे कब छूटेंगी, कहां रुक जायेंगी और कब अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचेगी, कोई भी बता नहीं सकता। इन परिस्थितियों में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि इलाहाबाद फैजाबाद के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जाय । इस संबंध में पहले भी इस सम्मानित सदन के माध्यम से मान-

नीय रैल मंत्री से निवेदन कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों द्वारा भी जनता द्वारा बराबर मांग होती रही हैं। परन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल सका है। एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का यदि आकलन कराया जाये तो वे पूर्णतया अनुकूल ही होंगी।

अतएव मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद फैजाबाद के बीच शीघ्र ही एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाय जो बीच में केवल प्रताप गढ़ एवं सुल्तानपुर जनपदों के मुख्यालयों पर रुके।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, 377 का जवाब मंत्री लोग नहीं देते है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देते हैं।

श्री राम विलास पासवान : कभी नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जानकारी है। 382 में से 268 का उत्तर दिया गया था।

(दो) मध्य प्रदेश के शहडोल, सतना तथा रीवा जिलों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से आधे से अधिक जिलों में बर्षा न होने के कारण उन जिलों में अकाल की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेषकर रीवा संभाग में उन सभी चारों जिलों में वर्षा न होने से पीने के लिए पानी की विशेष कठिनाई अभी से उत्पन्न हो गई है। शुरू में थोड़ा वर्षा होने से जो बोनी की गई थी वह भी सूख गई है। इससे सूखे की स्थिति स्पष्ट सामने दिखाई दे रही है।

अतः भारत सरकार से निवेदन है कि रीवा संभाग के उन सभी चारों जिलों, जिला शहडोल, सीधी, सतना व रीवा के लिए राहत कार्य हेतु पर्याप्त राशि स्वीकृत की जावे व साथ ही म० प० शासन को निर्देश किया जावे कि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करे।

(तीन) सशस्त्र सेनाओं के युद्धाभ्यास के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने हेतु राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सहायता

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मे नियम 377 के अन्तर्गत निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

प्रतिवर्ष सर्दियों में जनवरी एवं फरवरी में थल सेना का अभ्यास राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं गंगा नगर जिलों में होता है, जिस में मिलिटरी के बड़े वाहनों, जीप ट्रकों एवं ट्रैक्टरों आदि का प्रयोग होता है जिसके कारण प्रतिवर्ष राज्य की सड़कों का करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। थल सेना एवं सीमावर्ती सड़क संस्था उन क्षतिग्रस्त सड़कों

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

की कोई मरम्मत एवं सुधार नहीं करती और राज्य भी सीमित साधनों के कारण उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार नहीं कर पाता जिसके कारण आवागमन बन्द हो जाता है और सीमावर्त्ती क्षेत्रों की जनता को बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। यह समस्या हर साल बनी रहती है।

इस बारे में मैंने लोक सभा में प्रश्नों, एवं रक्षा मंत्री का ध्यान पत्रों द्वारा आकर्षित किया और गत वर्ष यानि सन् 1984-84 में राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण के अधिकारियों एवं थल सेना के प्रतिनिधि कमान्ड के अधिकारी प्रतिनिधि क्षतिग्रस्त सड़कों का संयुक्त निरीक्षण किया और निम्न नुकसान का तखमीना (एस्टीमेट) किया :—

जाधपुर	—	53.52 लाख
बाड़मेर जिला	—	40.86 लाख
जैसलमेर जिला	—	34.77 लाख
कुश		129.15 लाख

बीकानेर एवं गंगा नगर जिलों की सड़कों के नुकसान का तखमीना नहीं किया।

अतः केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि राजस्थान सरकार को तुरंत से तुरंत 129.15 लाख की राशि अदा करें ताकि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा सके और भविष्य में प्रति वर्ष केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि अभ्यास समाप्त होते ही क्षतिग्रस्त सड़कों का तखमीना कर मार्च माह में ही केन्द्र सरकार नुकसान की राशि राज्य सरकार को अदा करे ताकि समय पर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य सम्पन्न हो सके।

(चार) अहमदाबाद और साबरमती के बीच चलने वाली 49 अप तथा 50 डाउन साबरमती शटल रेलगाड़ी को आगे कड़ी तक चलाने की आवश्यकता

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : मैंने संसद के पिछले सत्र में वैस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद और साबरमती के बीच चल रही 49 अप 50 डाउन साबरमती शटल को आगे कड़ी तक चलाने की मांग की थी। रेल मंत्री जी और रेल अधिकारियों को भी इस बारे में पत्र लिखा था। यह सब कुछ करने पर भी यह गाड़ी कड़ी तक चलाने की संभावना नहीं है। ऐसा मुझे जवाब मिला था। और इनके थोड़े दिन के बाद हमारे आश्चर्य के बीच यह गाड़ी को कड़ी तक नहीं पर कलोल तक तो आगे बढ़ाई गई। कड़ी और अहमदाबाद के बीच हर रोज की दो गाड़ियां ही चलती हैं। जब कि कलोल और अहमदाबाद के बीच 15 से अधिक गाड़ियां चल रही हैं। इसका मतलब है कि यह गाड़ी कड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि कलोल वालों ने भी इसकी मांग की थी कड़ी के इर्द गिर्द के 50 हजार की आबादी के लिए यह गाड़ी बहुत महत्व रखती है और अहमदाबाद जाने के लिए रेल की ओर से जिनको अब बहुत कम सुविधा मिल रही है। ऐसे विस्तार के लोगों की यह वाजिब बात न मानी जाने से वहां बहुत रेल के प्रति दुर्भावना पैदा हुई है और जोरों का आंदोलन होने की संभावना है। रेलवे तन्त्र कड़ी में इंजिन घुमाने

की और इंजिन में पानी भरने की सुविधा भी है। अतः मेरी माननीय रेल मंत्री जी के प्रार्थना है कि अहमदाबाद जाने की इस ट्रेन को कड़ी तक कर दें।

(पांच) नदियों के कटाव के कारण पीड़ित पटना के दानापुर, दीघा तथा मनेर के दियारा क्षेत्र के गावों के लोगों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्रीरामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार में एक तरफ बाढ़ की विभषिका कहर ढा रही है तो दूसरी ओर हजारों व्यक्ति गंगा तथा दूसरी नदियों के कटाव के कारण निराश्रित होकर मारे मारे फिर रहें हैं।

पटना जिले के दानापुर, दीघा तथा मनेर के दियारा क्षेत्र के दर्जनों ग्राम या तो गंगा नदी के पेट में चले गए या कटाव के शिकार हैं। मेरू निर्वाचन क्षेत्र पटना के दानापुर और दीघा प्रखंडों के दियारा हल्के के गंगहारा, दलीपचक, भौरी टोला, कासिमचक, गोसाई टोला, रघुनाथ टोला, चकिया टोला और नकटा दियारा ग्राम गंगा नदी के भीषण कटाव से पीड़ित हैं। उन ग्रामों के सैकड़ों घर और हजारों एकड़ जमीन कट कर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। फलस्वरूप लोग निराश्रित हो कर दर-दर भटक रहे हैं। उनका कोई पुरसां हाल नहीं है। मैं उनकी दयनीय स्थिति स्वयं अपनी आंखों से 12.8.84 को उक्त ग्रामों का भ्रमण कर देख आया हूं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कटाव से ग्रामों की रक्षा करने का काम तो करे ही, अभी सबसे बड़ी आवश्यकता कटाव पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें आर्थिक सहायता देने की है। सरकार उनके लिए अविलंब भूमि अर्जित कर उन्हें बसाने की व्यवस्था करे। उन्हें आर्थिक तथा दूसरे प्रकार की सहायता करे, पीने के पानी के लिए चांपा कल, आश्रय के लिए तिरपाल तथा गंगा नदी के पार आने जाने के लिए जेटी तथा मोटर बोटों का प्रबंध करें। ऐसा करके ही हजारों कटाव पीड़ितों की कारगर सेवा की जा सकती है। आशा है सरकार का ध्यान इन बातों की ओर शीघ्र आकृष्ट होगा।

(छः) केरल में खाना पकाने की गैस की अत्यधिक कमी

श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल (मुवत्तुपूजा) : महोदय केरल राज्य में पिछले कुछ महीनों से खाना पकाने की गैस की अत्यन्त कमी है। उपभोक्ताओ को भरे हुए गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के लिये तीन महीने से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि केरल राज्य को खाना पकाने की गैस की तुरन्त सप्लाई करने के लिए व्यवस्था करें।

(सात) गुलमर्ग स्थित पर्वतारोहण संस्थान की तरह गोवा में एक जल-खेल संस्थान खोलने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (गोवा) : महोदय, गुलमर्ग में स्थित पर्वतारोहण तथा स्काइंग संस्था की भांति एक जल क्रीड़ा संस्था होनी चाहिए तथा उसको गोवा में स्थापित किया जा सकता है।

संस्था द्वारा जीवन रक्षा के अतिरिक्त, तैराकी, 'वाटर स्काइंग' सर्फ-राइडिंग, स्कूबा डाविंग विण्ड सर्फिंग तथा नौकायन में प्रशिक्षण दिया जायेगा। सारे देश से शिक्षा संस्थाओं / राज्य विभागों अथवा होटल प्रतिष्ठानों में सलंग्न प्रायोजित अभ्यर्थियों को दल के रूप में बुलाया जायेगा। इस

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

प्रशिक्षण के द्वारा उन सुख-सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि होगी जो सारे देश में स्थित विभिन्न स्थानों पर देश के भीतर ही छुट्टियां मनाने वालों को आमोद-प्रमोद / मनोरंजन के साधन के रूप में उपलब्ध हो सकेगी। और इसके साथ ही उपकरणों की देखरेख करने वाले प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे।

इस संस्था को मान्डवी नदी के मुहाने पर एक उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। स्थान को अध्ययन करने के पश्चात् चुना जा सकता है। इसका प्रबन्ध भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा सकता है।

(आठ) भाखड़ा नहर में पड़ी दरारों से पीड़ित राजस्थान के किसानों को मुआवजा

श्री बीरबल (गंगानगर) : राजस्थान प्रदेश का जिला श्री गंगानगर के उन किसानों को जिनकी फसलें भाखड़ा नहर में दरार पड़ने से फसलों को पानी ट्यूबवैलों के लिए बिजली न मिलने के कारण नष्ट हो गई है मुआवजा देने की सरकार व्यवस्था करे। क्योंकि हमारा पड़ौसी राज्य हरियाणा ने तो मुआवजा देना तय कर दिया है और राजस्थान सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मुआवजे का हुक्म राजस्थान सरकार को फरमावें ताकि भाखड़ा के किसानों को कुछ राहत मिल सके।

(नौ) कृषि मंत्रालय में तथा राष्ट्रीय बीज निगम में कृषि और बीजों का ज्ञान रखने वाले व्यावसायिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : महोदय, उच्च किस्म के बीजों के अत्यधिक महत्वपूर्ण आदन होने के बावजूद, जिस पर कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक सफलता निर्भर करती है, सरकार ने फसल / रोपण-वार देश के लिए बीजों की अधिकतम वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया है।

वास्तव में अच्छी किस्म के धान के बीजों सहित भूसी सहित चावल का झूठा लेबल लगा-कर चोरी-छिपे बीजों का निर्यात किया जाता रहा है। भारत सहित विश्व में कोई भी देश बीजों के सिवाय चावल को धान के रूप में न तो निर्यात करता है और न आयात करता है।

राष्ट्रीय बीज निगम के प्रबन्ध सहित कृषि मंत्रालय के व्यवसायीकरण किये जाने की आवश्यकता है। और राज्यों में भी ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, कपास में जो कीड़ा लग गया है···

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए क्या करें ? कुछ गड़बड़ हो ही गई है···

श्री मनीराम बागड़ी : दवाई से भी वह नहीं मरते हैं।

एक माननीय सदस्य : बीज कुछ गड़बड़ रहा है।

12.29 म.प

आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में मत संख्या 10 तथा 11 पर एक साथ विचार किया जाएगा, जिसके लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया है। श्रीमती गीता मुखर्जी अपने सांविधिक संकल्प को प्रस्तुत कर सकती हैं और बोल सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी पंसकुरा महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।' सबसे पहले इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अध्यादेश—सरकार ने संसद के सत्र के प्रारम्भ होने से केवल 9 दिन पहले इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया। अब यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इस सरकार को ऐसा करने की प्रथा हो गई है। मैं इस प्रथा का पुरजोर विरोध करता हूं। वास्तव में मेरे विचार में आतंकवादी गतिविधि को रोकने के नाम पर यह घृणित अध्यादेश वास्तव में विधि की सामान्य प्रक्रिया का सुव्यवस्थित हनन करने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें अपराधों का विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। सामान्य कानून से संरक्षित नागरिकों को सताने के लिए यह सरकार के पास पहले से ही अधिकारों में न केवल एक और अधिकार मौजूद की वृद्धि है बल्कि कांग्रेस पार्टी की लड़खड़ाती सरकार के लिए पुलिस राज तथा अघोषित आपात काल की ओर एक आयाम है।

12.32 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रख्यापित अध्यादेश के बारे में मेरा यह विचार है। और जिसको शीघ्र ही एक कानून का रूप दे दिया जायेगा।

यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार का यहां केवल अकेला ही अध्यादेश अथवा कानून नहीं है। ऐसे अनेक कानून पहले से ही मौजूद हैं जो कार्यकारी व्यवस्था को असामान्य शक्तियां प्रदत्त करते हैं। वे हैं—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसे कल ही और मजबूत बनाया गया है। इसके बाद ई० एस० एम० ए० है। इसके अलावा सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम हैं इसी प्रकार के अन्य अधिनियम हैं। इसके अलावा अशांत क्षेत्र अधिनियम है तथा अन्य विभिन्न निष्ठुर कानून हैं।

इस अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद ग्रस्त घोषित कर सकती है और उस क्षेत्र के नागरिकों को वर्तमान न्यायिक संरक्षण के घेरे से बाहर रख सकती है। यदि कोई क्षेत्र आतंकवाद ग्रस्त घोषित किया जाता है तो उन लोगों पर, जिन पर पुलिस द्वारा विभिन्न आरोप लगाए जाते हैं। विशेष न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा और बन्द कमरे में चलाया

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

जाएगा जो साक्ष्य कानूनों के बारे में विशेष अनुबन्धों के अन्तर्गत होगा और ऐसे मामलों में अपील करने की बहुत सीमित गुंजाइश होगी। यदि आप विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को देखें तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जायेगा। मैं इसके बारे में विस्तार में बाद में बताऊंगी।

अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाने के लिए पुलिस असाधारण लाभ की स्थिति में होगी और अभियुक्त अपना बचाव करने के लिए असाधारण हानि की स्थिति में होगा। अब मैं यह आरोप लगाती हूं कि जब एक बार कोई क्षेत्र आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो किसी व्यक्ति पर सूची में सूचीबद्ध आरोप लगाए जाते हैं और तथाकथित सम्बद्ध आरोपों का लगाया जाना विशेषकर पुलिस की दया पर निर्भर करेगा। यही इस अध्यादेश की मंशा है। और यही इस अध्यादेश का विषय है। आओ हम देखें कि क्या मैं आधारहीन आरोप लगा रही हूं। सबसे पहले तो मैंने यह कहा कि आप बड़ी संख्या में लोगों को सामान्य कानूनी संरक्षण के घेरे से बाहर कर रहे हैं। इसीलिए यह आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम—जो इस समय एक अध्यादेश है—केवल पंजाब के लिए ही नहीं है परन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि जब भिंडरांवाले की गुंडी चढ़ी हुई थी तो उस समय सरकार ने इस प्रकार के अध्यादेश के बारे में कभी नहीं सोचा। उसके बाद ही सरकार ने यह सोचा कि यह बहुत आवश्यक है। महोदय, वास्तव में यह अकेले पंजाब से निपटने के लिए नहीं है। स्वयं सरकार ने ही यह स्पष्ट कर दिया है कि देश का कोई भी क्षेत्र आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसलिए यह एक अल्प कालीन अध्यादेश नहीं है। यह हमारे कानूनी उपबंध में एक स्थानीय उपबन्ध बनने जा रहा है। आओ हम देखें कि यह सरकार कैसे और कब किसी क्षेत्र को आतंकवाद ग्रस्त घोषित करती है।

महोदय हमारे समय में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया था। हमें इस बात की जरा भी कल्पना नहीं थी कि "आतंकवाद, शब्द का अर्थ किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए इतना व्यापक हो सकता है। और उसके बाद संक्षिप्त मुकदमे चलाने के लिए सरकार द्वारा विशेष न्यायालय गठित किए जा सकते हैं और उसके साथ-साथ अन्य सम्बद्ध बातें भी हो सकती हैं। अध्यादेश के अनुसार एक आतंकवादी वह व्यक्ति है जो लोगों की मनमाने ढंग से हत्या किए जाने में शामिल है अथवा हिंसा से सम्बद्ध है अथवा जनता के लिए आवश्यक संचार-व्यवस्था में व्यवधान डालने से सम्बद्ध है अथवा सम्पति को नुकसान पहुंचाने के कार्य से सम्बद्ध है जिससे कि :

(एक) 'जनता को या जनता, के किसी वर्ग को डराया जा सके।'

उसके बाद कई अन्य बातें हैं

(दो) कानून द्वारा स्थापित ऐसी सरकार जो बल प्रयोग करती है अथवा आतंक पैदा करती हैं आदि-आदि।

मनमाने ढंग से हत्या किए जाने की परिभाषा तो ठीक है। सेवाओं में व्यवधान की परिभाषा क्या है ? आज के भारत में—क्या आप किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का नाम बता सकते हैं—चाहे यह मूल्यों में वृद्धि के बारे हो, चाहे यह

केन्द्रीय सरकार की किसी अलोकतांत्रिक कार्रवाई के विरोध में हो अथवा चाहे यह किसी ऐसे सामाजिक कानून के लिए भी हो जिसकी मांग महिलायें करती रहीं थीं—हमने तो हरिजनों, अनुसूचित जातियों अथवा कमजोर वर्गों के लोगों पर होने वाले अत्याचारों का भी विरोध किया है —ये ऐसे कार्य हैं जिससे संचार साधनों में व्यवधान पड़ा ? इनसे किस प्रकार व्यवधान पड़ा ? यह इसलिए किया गया कि उनके पास अपनी मांगें मनवाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने विरोध करने के तभी सम्भव तरीकों का सहारा लिया। यदि टेलीफोन व्यवस्था फेल हो गई है तो लोकतांत्रिक आंदोलन की ओर से संचार में व्यवधान डालने का एक साधन **रास्ता रोको, रेल रोको** बंद का आयोजन करना आदि आदि हैं। मेरे विचार से मेरे राज्य के सत्तारूढ़ दल सहित सभी दल यदि अपनी कठिनाइयों को दूर करवाना चाहते हैं तो उन्हें विरोध करने के ऐसे ही तरीके की शरणा लेनी पड़ती है। अभी कल ही पश्चिम बंगाल में हमारे एक केन्द्रीय मंत्री ने कांग्रेस वालों को हर प्रकार के तरीके से विरोध करने का आह्वान किया था! महोदय, मुझे विश्वास है कि उसमें यह शामिल होगा। इसके आगे यह कहा गया है 'जनता को अथवा जनता के किसी वर्ग में भय पैदा करना जहां तक 'पूर्ण रूप से जनता' का सम्बंध है तो वह तो मैं समझ सकती हूं परन्तु, जनता के किसी वर्ग में डर पैदा करने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। महोदय आप एक मजदूर नेता हैं अथवा कम से कम आप एक मजदूर नेता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मजदूर नेता रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब, किसी यूनियन के कार्यकर्ताओं के लिये यह बात कितनी गंभीर बन जाती है यदि वे अपनी कोई मांग उठाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि जनता के एक वर्ग में अर्थात उस संगठन के विशेष मालिक में डर की भावना पैदा होगी। इसलिए, चूंकि जनता के एक वर्ग में डर पैदा किया जा रहा है इसलिए यह एक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि मैं इस विषय को बहुत आगे तक ले जा रही हूं। जी नहीं, महोदय, यह बहुत से शब्दों में लिखित है।

इसलिए, महोदय, इस अध्यादेश की घोषणा ऐसी अनेक परिस्थितियों में की जा सकती है जिनके बारे में सरकार यह सोचे कि वह उनका सामना करने के लिए बाध्य हो सकती है। इसलिए मैं यह कहती हूं कि यह एक अधिशुल्क है जो सरकार की असक्षमता और उसकी इच्छाशक्ति की कमी के कारण जनता से मांगा जा रहा है ताकि विभिन्न राजनीतिक प्रश्नों को समय रहते गंभीरता से निपटाया जा सके और इस प्रकार की नीति अपनाई जा सके जिससे कि वास्तव में लोगों की आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकें।

महोदय, यह बात यहां ही समाप्त नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई अपराध 6 महीने पहले भी किया होगा तो इस अध्यादेश के लागू होने पर छह महीने पुरानी बातों के लिए अब किसी व्यक्ति पर चलाए जा सकने वाले सभी मुकद्दमें चलाए जा सकते हैं। इस पर और छह महीने लग सकते हैं। जहाँ तक अपराधों का प्रश्न है और जहाँ तक उस व्यक्ति ये शर्तें लागू होती हैं, उस बारे में यह पिछली तारीख से प्रभावी होगा।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

महोदय यदि क्षेत्र के बारे में अब यह स्थिति है तो उस कानूनी प्रक्रिया का क्या हाल होगा जिसकी इस अध्यादेश के द्वारा कल्पना की जा रही है। सर्वप्रथम तो जहां सरसरी तौर पर मुकदमा चलेगा, बंद कमरे में मुकदमा चलेगा और जहां अभियुक्त पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा बल्कि पुलिस द्वारा उनकी सीधे रिपोर्ट की जाएगी और न्यायालय उनके अपराधों पर विचार करेगा।

महोदय, इसके अधीन कौन-कौन से अपराध लाए जाने का विचार है ? सभी प्रकार के अपराध इसके अन्तर्गत लाये जाने का विचार है। इनकी दो पृष्ठों की लम्बी सूची है। मुझे यह सारी सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उनमें से कम से कम कुछेक के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये वे अपराध हैं जिनके बारे में लोगों पर सरसरी तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा।

जब मैंने विधेयक की सूची को देखा, तो मुझे दो बातों पर आश्चर्य हुआ। पहले तो इन अपराधों की सूची सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने अथवा इस प्रकार का षडयंत्र करने से लेकर सामान्य चोरी की घटना अथवा डाका डालने और अपराधिक डांट-डपट तक शामिल है। यह सही है कि राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक आदि को नुकसान पहुंचाने से सम्बन्धित अपराध इस प्रकार के कानून के अन्तर्गत आने चाहिए इसके विपरीत कोई नहीं जा सकता और ये बातें उसमें निश्चित रूप से हैं। इसके बाद विस्फोटक अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, भारतीय रेल अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आयुद्ध अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, अपहरण रोधी अधिनियम, नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कार्यों को रोकने सम्बन्धी अधिनियम, सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान होने से रोकने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत अनंत अपराध हैं जो आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक की सीमा के अन्तर्गत लाए गए हैं। मैं दो बातें जानना चाहती हूं। इनमें से कई अधिनियम 1982 और 1984 के हैं प्रकटतः इन अधिनियमों को कोई भी पुराने नहीं कह सकता। इन अधिनियमों में विभिन्न अपराध सूचीबद्ध हैं और उनके लिए बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत सूचीबद्ध अपराधों को भी इस अध्यादेश के अन्तर्गत लाया गया है ताकि उन लोगों को सामान्य कानूनी सहायता से वंचित किया जा सके। जब इस तरह के पहले ही प्रावधान थे और कुछ विद्यमान अधिनियमों के ये हिस्से थे, तो सामान्य कानून के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में क्या कठिनाई थी। यदि वास्तव में आप न्याय की प्रक्रिया में कुछ हेरा-फेरी करना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ अतिरिक्त तो करना ही पड़ेगा और वही कुछ न कुछ अब यह किया गया है।

इस विधान की एक मजेदार बात और है। ये अनुसूची के उल्लिखित अपराध ही नहीं हैं, बल्कि इनसे सम्बन्धित अपराध भी उसमें शामिल हैं। यही इसकी एक रोचक बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस रिपोर्टों में किसी बात को भी किसी अन्य बात से जोड़ा जा सकता है। मैं इस बारे में आपको कुछ व्यक्तिगत अनुभव सुनाती हूं कि अपराधों को कैसे एक-दूसरे से जोड़ा जाता है। जब मैं युवा थी, मेरे पर यह चार्ज लगाया गया था कि मैं दक्षिण-पूर्व एशिया में सशस्त्र क्रांति कराने से सम्बन्धित हूं। आरोप यह था कि मैंने कोई प्रदर्शन आयोजित किया था और इसी सिल-

सिले में, मेरे पर चार्ज लगाया गया था। मैं दक्षिण-पूर्व एशिया की सशस्त्र क्रांति की बात कर रही हूं, भारत की नहीं। मेरे पर यह भी आरोप लगाया गया था कि मैं तीर कमानों से सज्जित सन्थाल विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही थी उस समय मैंने वह इलाका भी नहीं देखा था, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपको झांसी की रानी बनाना चाहते थे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है और मैं नहीं सोचती कि कभी उनके स्तर तक मैं पहुंच भी सकती हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस किसी को भी ऐसा विकराल दैत्य बना सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अपराध की बात बहुत खतरनाक है।

फिर इस अध्यादेश में सबसे जघन्य प्रावधान यह है : भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक संशोधन करने की बात कही गई है। श्री वेंकटसुब्य्या यहां मौजूद हैं और इससे पहले कि मैं इसके गुणावगुणों पर विचार करूं वे यह बात मेरे से अवश्य पूछेंगे कि मैंने ही बलात्कार के मामलों से सम्बन्धित कानूनों में साक्ष्य सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के लिए जोर-शोर से आवाज उठाई थी। अब श्रीमान जी, अब इसको देखने का यह नजरिया नहीं होना चाहिए। उस मामले का क्या हुआ? उस मामले में, हमारे समाज की उस महिला का जिक्र था, जिस पर भारी अन्याय होता है और वह एक ऐसा जघन्य अपराध है, जिसकी शिकार केवल औरतें ही हो सकती हैं। इसी बात से सम्बन्धित वह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। यहां यह कहा गया है कि कुछ मामलों में वे लोग अर्थात अभियुक्तों को स्वयं यह सिद्ध करना होगा कि वे बेकसूर हैं। यह बात पुलिस नहीं सिद्ध करेगी। यही परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार कोई भी इस परिकल्पना को पढ़ कर यह अनुमान लगा सकता है कि कैसे सारे मामले को बुहार दिया गया है और यह कितना अनावश्यक है। महोदय, इस अध्यादेश के खंड 50 का संशोधन क्या कहता है? मैं उदाहरण देती हूं—

"जहां कोई व्यक्ति उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो जो किसी ऐसे क्षेत्र में किया गया है—

(क) जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाये रखने के लिए उपबंध करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) जिसमें लोक शान्ति में व्यापक विघ्न एक साल से अधिक अवधि के लिए रहा है,

और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब किसी ऐसे सशस्त्र दल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों का जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, यह उपधारणा की जाएगी, आदि···"

महोदय, अब मैं असली मुद्दे पर आती हूं। यहां यह सब क्या हो रहा है ? हम प्रायः कहते हैं कि कहीं बम फेंका गया। कुछ आतंकवादी आते हैं, बम फेंकते हैं और चले जाते हैं। जी हां, यह होता है और मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रही हूं। कुछ हत्यायें होती हैं। कोई व्यक्ति स्कूटर में आता है, बम फेंकता है और भाग जाता है। पुलिस क्या करती है ? क्या वे अर्थात पुलिस मौके पर उपस्थित होती है ? अधिकतर वह मौजूद नहीं होती है। आतंकवादी भागने में सफल हो जाते हैं। आतंकवादी और पुलिस अनुपस्थित होंगे। लेकिन क्या होगा ? कुछ लोग जो इस 'डैम' घटना के बारे में कुछ नहीं जानते, वे वहां मौजूद होंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : कृपया 'डैम' शब्द का प्रयोग न कीजिए। यह असंसदीय है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम 'डैम-फूल' हैं। यदि श्री रवीन्द्र वर्मा मुझे यह सलाह देते हैं कि मैं इस शब्द का प्रयोग न करूं, तो मैं इसे वापिस लेती हूं।

गृह मंत्री (श्री पी०वी०नरसिंह राव): उन्होंने एक सलाह दी है ? और आपने क्या संशोधन किया है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 'डैम' शब्द जो असंसदीय है. उसे हटाया जा रहा है।

तो कुछ तमाशबीन वहां खड़े हैं और पुलिस उस समय वहां आती है। पूरे हालात ये हैं। इस संशोधन के अनुसार जो लोग मौके पर मौजूद होंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वे बेकसूर हैं। जरा कल्पना कीजिए। केवल इतना ही नहीं, अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के अनुसार उन्हें किन परिस्थितियों में स्वयं को निर्दोष साबित करना होगा। मामले दूसरे राज्यों को भेजे जा सकते हैं। यह अपेक्षा की गई है कि विशेष अदालतें एक राज्य के मामले की सुनवाई दूसरे राज्यों में भी कर सकती हैं। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो आतंकवादी नहीं है, जिसके पास संचार के बढ़िया साधन नहीं है और पीछे से उसे ऐसा समर्थन प्राप्त नहीं है। जो आतंकवादियों को बहुधा प्राप्त होता है, इस निर्दोष व्यक्ति को अपना बेकसूर होना सिद्ध करना होगा। इस धरती पर वह यह कैसे सिद्ध करेगा कि वह बम फेंके जाने से सम्बन्धित नहीं है। ऐसा वह कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा। मुझे मणिपुर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी है। इम्फाल में क्या हो रहा है। एक दिन एक खास जगह कुछ आतंकवादियों ने बम फेंका, गोलियां चलाई और वे भाग गए। यह हमारा दुर्भाग्य था कि उसी क्षेत्र में हमारे दल का तीन दिन के लिए एक पार्टी-स्कूल चल रहा था। वे लोग अन्दर थे, उन्हें नहीं पता था कि वहां बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद जब कानून लागू करने संबंधी तंत्र के प्रतिनिधि वहां आए, उन्होंने हमारे पार्टी-स्कूल के छात्रों को

गिरफ्तार कर लिया, उन्हें उन दूसरे लोगों की जानकारी ही नहीं थी, जो आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध थे। उन्होंने इन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यह आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र था ।

केवल यही एक मामला नहीं है। इसके अलावा भी कई मामले हैं। आजकल का अनुभव हमें यही बताता है कि सामान्यत: ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पुलिस तंत्र की दक्षता का स्तर ही यही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह कहा जा सकता है कि यह प्रावधान केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 121 क या 122 आदि के अन्तर्गत अपराधों के लिए है। इसका अर्थ है : सरकार की केवल खिलाफत करने के बारे में। लेकिन यहां 'सम्बन्धित अपराध का प्रश्न पैदा होता है। कौन जानता है कि सम्बन्धित अपराध क्या होगा ?

उदाहरणार्थ, वास्तव में पुलिस मेरे बारे में, मेरे भूतकाल के बारे में, मेरे वर्तमान के बारे में, इन धाराओं से सम्बन्धित अपराध के रूप में कुछ भी लिख सकती है। स्वाभाविक रूप से इस अपराध से सम्बन्धित किसी बात के लिए भी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह हुआ है कि मुझे मेरे पर लगाए गए अभियोग से बचाव करने संबंधी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसका सही अर्थ यही है।

जनतांत्रिक अधिकारों का यही केवल संक्षेपण नहीं है इसके अलावा अन्य कई है। हो सकता है कि वे इतने घृणित न हों लेकिन फिर भी ये कानून की वर्तमान प्रक्रिया के अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन हैं। संक्षिप्त विचारण में सामान्यत: तीन महीने की जेल की सजा दी जा सकेगी। लेकिन यहां अत्यन्त गम्भीर अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण का सहारा लिया जा रहा है। विचारण (ट्रायल) संक्षिप्त होगा लेकिन व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। इसलिए यद्यपि विचारण संक्षिप्त हो सकता है लेकिन सजा इस तरह की (संक्षिप्त) नहीं होगी। सजा एक लम्बी अवधि के लिए होगी। इसमें अन्य परिवर्तन भी हैं।

अब मैं, इसके निहितार्थों और जनता व्यापक रूप से इसके बारे में किस तरह अनुभव करती है, इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा। आप सोच सकते हैं कि विपक्ष की ओर से है और वामपंथी विपक्ष की ओर से···

श्री रवीन्द्र वर्मा : आज **वाम पंथ** का लबादा पहनकर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दक्षिणपंथी विपक्ष हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह एक गलत विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा मतलब था—सही विपक्ष।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जब तक हम सत्ता में नहीं आते मैं वामपंथी सदस्य की ही एक सदस्य रहूंगी।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

मैं कह रही थी कि केवल विपक्ष के ही लोग हैं जो इस संशोधन पर गंभीर रूप से विक्षुब्ध अनुभव करते हैं। यह सर्वविदित है कि आर्थिक मोर्चे पर स्थिति सरकार के हाथ से निकलती जा रही है। मूल्य बढ़ रहे हैं। हमारे यहां बेरोजगारी है, लोगों में असन्तोष है, श्रमिक आंदोलन आदि हैं। इसलिए, सभी प्रकार के दमनात्मक कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सामने हैं। उन्हें तत्काल अवपीड़क करने वाले उपायों के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन यदि वहां किसी ऐसे प्रावधान के बारे में कोई बात है जो किसी न्यायिक प्रक्रिया जैसी लगती हो तो लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है। यह तर्क है संशोधन के लिए।

1.00 म० प०

प्रत्येक स्तोत तक कि स्टैट्समैन ने भी इसका पुरजोर निरनुमोदन किया है अपितु मैं इसके सम्पादकीय में उद्धरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस प्रकार के सभी राज्यों के संसाधन उनके अपने जति भाईयों द्वारा चलाए जाते हैं, हमारे वामपंथी लोगों द्वारा नहीं। इस समाचार पत्र ने 10 जुलाई को विओन्ड द ला (कानून से परे) शीर्षक में लिखा है :

> "यह अध्यादेश उतना ही खास है जितना कि यह अपने कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है; सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों सहित सभी संसद सदस्य, यदि वे उस किसी सरकार के इरादों की जो इस प्रकार के घृणित कार्यकारी आदेशों पर निर्भर रहना पसन्द करती है, कलई खोलने में अपेक्षा बरतते हैं, अपने निर्वाचकों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहेंगे।"

दूसरे पक्ष में बैठे हुए अपने माननीय सदस्यों के लाभार्थ मैंने इसे उद्धृत किया है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाना है और पुनः चुने जाने के लिए मत मांगने हैं। इस प्रकार के क्रूर उपायों से उन्हें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि लोग अपने उत्पीड़न करने अथवा अन्य किसी बात के लिए नाम पर हाथ उठाकर उनका समर्थन करेंगे। उन्हें कम से कम गम्भीरता से इसे अपने उन जाति भाइयों की चेतावनी समझनी चाहिए और इस समय इस क्रूर अध्यादेश का विरोध करना आम हित मानना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन के निरनुमोदन का अपना संकल्प पेश करती हूं

(श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आप अच्छा बोली हैं अन्य उनके व्यक्तियों की तुलना में आपने बेहतर बातें कहीं हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं माननीय गृह मंत्री की इस प्रसंशोक्ति से सहमत हूं कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने अन्य सदस्यों की तुलना में बेहतर भाषण दिया है। इस मामले में दो राय नहीं हो सकतीं। मेरी माननीय मित्र ने मामले को इस तरह बनाने का प्रयास किया है कि यह एक अत्यन्त क्रूर कानून है और इससे इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह अध्यादेश 14 जुलाई को प्रख्यापित किया गया था क्योंकि

देश के कुछ भाग में' उदाहरण के लिए पंजाब में स्थितियां कुछ इस प्रकार की थीं कि यदि सरकार की ओर से कोई विलम्ब किया जाता तो स्थिति और बिगड़ जाती। संसद के प्रति किसी तरह की अवमानना प्रदर्शित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है लेकिन अत्यंत वाध्यकारी परिस्थितियों के कारण सरकार को यह अध्यादेश लागू करना पड़ा।

इस संशोधन को पेश करने वाले मेरे माननीय मित्र ने कहा कि इस अधिनियम के द्वारा आप दलों के मजदूर संघसम्बन्धी आम अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और मजदूर संघों की न्याय संगत गतिविधियों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह मजदूर संघों की न्याय संगत गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार किया गया है। विघटन से तात्पर्य है कि हानि पहुंचाना और ऐसे काम करना जो देश की संप्रभुता अथवा अखण्डता के विरुद्ध हों। मैं नहीं समझता कि ये मजदूर संघों की न्याय संगत गतिविधियां हैं। अधिनियम में अनुसूचित अपराधों को स्पष्ट बताया गया है। किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने वाले कार्य में इस सूची में रखा गया है विधेयक के खण्ड 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है।

'आतंकवादी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्तियों की निर्मम हत्या करता है या हिंसा करता है या समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं या संचार साधनों को भंग करता है या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है और इन कार्यों को इस दृष्टि से करता है कि :

जनता या जनता का वर्ग भयभीत हो जाए; या विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; या

विधि द्वारा स्थापित सरकार प्रपीड़ित या आतंकित हो जाए; या

भारत की प्रभुता या आखण्डता खतरे में पड़ जाए।

केवल किसी विघटनकारी कार्य को, जो कुछ बातों को प्रोत्साहित करता है, विघटनकारी माना जा रहा है, मजदूर संघों की सामान्य वैध गतिविधियों को नहीं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि देश की क्षेत्रीय अखण्डता और सार्वभौमिकता की रक्षा करना और देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी गतिविधियों को कुचलना है।

मैं इस कानून के कुछ पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। यह विधेयक केवल उन विशेष अपराधों के बारे में है, जो अपराध प्राय: आतंकवादियों द्वारा किये जाते हैं। उन अपराधों का इस अनुसूची में उल्लेख किया गया है और राज्य के विरुद्ध युद्ध जैसे अपराध इसमें आते हैं।

उन्होंने (श्रीमती मुखर्जी ने) इस बात पर भी आपत्ति की है कि इतने तमाम अपराधों को

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

इस अनुसूची में क्यों शामिल किया गया है। इन अपराधों में से बहुत से अन्य अधिनियमों में भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में रेलवे, संचार से संबद्ध अपराधों को शामिल किया गया है और ये पहले से ही उसमें थे। हमने केवल इन अपराधों को शामिल किया है और उनको एक अनुसूची के अन्तर्गत रखा है जिससे इन्हें विघटनकारी गतिविधियों से जोड़ा जा सके।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप साध्य को सिद्ध मानकर तर्क कर रहे हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि आपने इतने तमाम अपराधों को अनुसूची में शामिल किया है। मैंने केवल इतना पूछा है कि ये अपराध चूंकि उन कानूनों में भी हैं तो आप लोगों को उस प्रक्रिया से वंचित क्यों कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इन अपराधों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जिससे कि न्यायालयों और सरकार को उन तत्वों की पृथकतावादी गतिविधियों से कारगर ढंग से, दृढ़ता से निपटाने में आसानी रहे, उन्हें विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है। विशेष न्यायालय अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों पर विचार करेंगे और उन अपराधों में सरकार के विरुद्ध युद्ध, हत्या रेलवे लाइनों, टेलीग्राफ लाइनों की तोड़-फोड़ और विमानों का अपहरण जैसे अपराध शामिल हैं। विशेष न्यायालयों में सैशन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति राज्य, जिसमें कि विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा, के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी

श्रीमती मुखर्जी इस बात का उल्लेख कर रही थीं कि हमने कानून अपने हाथों में ले लिया है। हमने ऐसा नहीं किया है। इस बात में रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है। इस मामले में **विधि संबंधी** पहलू यह है कि इसमें सारी सावधानी बरती गई है। जिस राज्य में विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी विशेष न्यायालयों के आदेशों के सम्बन्ध में अपीलें सीधे उच्चतम न्यायालय में की जा सकेंगी। हमने केवल अन्य न्यायालयों में जाने की बीच की स्थिति को समाप्त किया है और ये अपीलें सीधे उच्चतम न्यायालय में की जा सकेंगी।

सदन इस बात को समझेगा कि बंद कमरे में विचारण (ट्रायल) की व्यवस्था करने का कारण केवल यह है कि न्यायालय साक्षी की पहचान को गोपनीय रख सके। वास्तव में यदि कोई आवेदन किया जाता है और यदि अभियोक्ता (प्रासीक्यूटर) यह चाहता है और न्यायाधीश यह अनुभव करता है कि यह विचारण खुले न्यायालय में किया जा सकता है तो ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए उसमें पहले से ही प्रावधान है। यह अभियुक्त के अथवा अन्य किसी के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों को कम करना नहीं है। यदि न्यायालय यह अनुभव करता है कि किन्हीं वैध कारणों की वजह से साक्षी की पहचान गोपनीय रखी जानी है तो न्यायालय इस प्रकार का निर्देश दे सकता है। यदि मुकदमें की परिस्थितियों में इस प्रकार का कोई संरक्षण आवश्यक नहीं है तो इस प्रकार का कोई निर्देश आवश्यक नहीं होगा। इन मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेष अभियोक्ता (प्रासीक्यूटर) नियुक्त किया जाएगा। सामान्यतः उसी न्यायिक क्षेत्र (जोन) के अन्तर्गत

अथवा बाहर राज्य के भीतर ये न्यायालय स्थापित किये जाएंगे। विचारण के लिए राज्य से बाहर किसी विशेष न्यायालय के अनुरूप एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय गठित करने के लिए प्रावधान किया गया है बशर्ते कि राज्य सरकार की राय में इस प्रकार का कदम आवश्यक हो। निष्पक्ष एवं शीघ्रता से विचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की राय प्रभावी होगी। केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही इस प्रकार के अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है। माननीय सदस्य ने साक्ष्य अधिनियम का हवाला दिया है। यह विशेष परिस्थितियों में किया गया है। साक्ष्य अधिनियम संशोधन किया गया है और इसमें एक 111 क नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसके अनुसार भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 121, 121 क, 122 और 123 के अन्तर्गत अपराध को दोषी होने या अपराध का षड़यन्त्र करने या प्रयास करने या अपराध के लिए उत्तेजित करने के लिए संदेह किया जा सकता है। खण्डन करने के अधिकार की भी व्यवस्था की गई यद्यपि हमने साक्ष्य अधिकार में संशोधन करने का प्रयास किया है। यदि अशांत घोषित क्षेत्र में, अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसे विधिवत रूप से अशांत घोषित किया गया है या ऐसा क्षेत्र जिसमें एक महीने से जनता की शांति भंग हो रही है, हथियार या विस्फोटक पदार्थ पाये जाते हैं और इनका प्रयोग वहां तैनात सशस्त्र सेनाओं पर हमला करने या उनका मुकाबला करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान पर यदि किसी व्यक्ति पर उक्त किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसे इन अपराधों का दोषी समझा जाएगा। इस मामले में हमने निरंकुश अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है।

इन अपराधों के बारे में एक बार बात और उठाई गई है। सम्बन्धित अपराधों का आशय है कि इनमें इनसे सम्बन्धित दो अपराधों को और शामिल किया जाए। उदाहरणतया, हत्या अनुसूचित अपराध है जबकि दंगा नहीं है। यदि दोनों अपराध किए गए हैं तो दोनों का मुकदमा सम्बन्धित अपराध के रूप में चलाया जाए। इन दो अपराधों को एक साथ जोड़ने में कोई गलत काम नहीं है। यदि मुकदमे के दौरान यह माना जाता है कि अभियुक्त ने इस मामले में और भी छोटे-छोटे अपराध किए हैं तो ऐसे अपराध सम्बन्धित अपराध बन जाते हैं।

माननीय सदस्य ने संक्षिप्त विचारण का उल्लेख किया है। संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था केवल उन मामलों में ही की गई है जिनमें अधिकतम दण्ड तीन वर्ष की सजा है। अपराध दण्ड संहिता के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत भी जिन मामलों में अधिकतम दण्ड दो वर्ष की सजा है उनमें संक्षिप्त विचारण हो सकता है। यह व्यवस्था पहले ही है।

उन्होंने बन्द कमरे में मुकदमा चलाने की बात कही है। मैं इसका उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। हम न्यायापालिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। विशेष अदालतों की स्थापना देश में उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों के कारण की गई है। आप उन परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। पंजाब और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आतंकवादियों ने आतंक फैलाया है, निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की हैं, सम्पत्ति लूटी है, संचार व्यवस्था भंग की है और लोगों को तथा ग्रुपों को धमकी दी गई है। वे सुरक्षा सेनाओं के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और शस्त्रागारों को लूट रहे हैं। श्वेत पत्र में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। शीघ्र न्याय दिलाने और ऐसे उपद्रवों पर रोक

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

लगाने जिनसे देश की प्रभुसत्ता को खतरा है, यह विधेयक लाया गया है। जो अध्यादेश पहले जारी किया गया है। इन प्रभुत्व विशेषताओं की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

यह बात कही गई है कि इसे पूरे देश पर लागू क्यों किया जा रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप सब जानते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या की जा रही है। एक भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री शैजा की अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है। त्रिपुरा में भी कुछ गड़बड़ी रही है। हम मुख्य मंत्री जी से कह रहे हैं कि इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाए ताकि उस क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिए उचित कार्यवाही की जा सके। अतः ये घटनाएं केवल पंजाब में ही नहीं हो रही हैं बल्कि देश के अन्य भागों में भी हो रही हैं। अतः हमने सोचा है कि यह विधेयक केवल पंजाब या चंडीगढ़ पर ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों पर भी लागू होगा। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

"मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि आतंकवादी कुप्रभावित क्षेत्रों में कुछ अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित आतंकवादी क्षेत्र विशेष न्यायालय अध्यादेश, 1984 का अध्यादेश संख्या 9 का निरनुमोदन करती है।"

"कि आतंकवादी-कुप्रभावित क्षेत्रों में कुछ अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अब श्री सत्य साधन चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के दल का शासन काल भारतीय इतिहास में अंधकार का काल रहा है और जो ये कानून बनाए जा रहे हैं इनसे पूर्ण अंधकार फैल जाएगा। इन कानून को प्रस्तुत करने वाले गृही मंत्री को इसका औचित्य सिद्ध करना होगा। उद्देश्य और कारणों के विवरण में इसे यह कहकर न्यायोचित ठहराया है कि संसद सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और कार्यवाही की मांग की है। स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने यह मांग पंजाब के लिए की है। पंजाब में जब आतंकवादी निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर रहे थे तो हमने कठोर कार्यवाही की मांग की परन्तु उस समय कुछ नहीं किया गया, उपद्रव समाप्त हो गया है और स्वर्ण मंदिर में अधिकतर अपराधी मारे जा चुके हैं और सैनिक कार्यवाही में वहां से समाप्त किए जा चुके हैं और कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में 'कार सेवा' की जा रही है, और वहां 119 वर्ष पुराना सरबत सम्मेलन बुलाया जा रहा है—यह सम्मेलन बुलाने की बात मेरी

समझ में नहीं आती–और पुलिस और सेना की सहायता से स्वर्ण मंदिर में 4 दिन उनके कब्जे में है तो अब यह कानून बनाने की क्या जरूरत है। सरकार की नीयत पर मुझे संदेह है मैं सरकार की ईमानदारी पर संदेह करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार का इसके पीछे अप्रत्यक्ष उद्देश्य है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं लगेगा परन्तु मुझे विश्वास है कि आतंकवादी कुप्रभावित क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन अधिनियम लाने के पीछे सत्तारूढ़ दल की जो साजिश और अप्रत्यक्ष उद्देश्य है उसके बारे में लोगों को बाद मे पता चलेगा

विधेयक का उद्देश्य देश की प्रभुसत्ता की सुरक्षा करना बताया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, खराब से खराब काम सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर किए गए हैं। आज देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के नाम पर कानून और व्यवस्था के नाम पर वे न केवल मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने में लगे हुए हैं बल्कि संविधान में जिन सीमित अधिकारों की गारन्टी दी गई है वे लोगों को उन अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं।

यदि माननीय गृह मन्त्री का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाना है तो कृपया वह यह बतायेंगे कि हमारे विरोध के बावजूद और इन गतिविधियों पर नियंत्रण भी हमारी मांग के बावजूद भी असम और पंजाब में इस प्रकार की गतिविधियां किस प्रकार जारी हैं ?

हम भारत में नई प्रवृत्ति देख रहे हैं। ये सभी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन द्वारा पैदा की गई है। असम में बन्द के सभी अवसरों पर यहां तक जिला प्रशासन के कर्मचारियों की पत्नियों ने भाग लिया ? फिर भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहां तक कि जब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया था, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। ऐसा क्यों ? असम में प्रशासन ने यह स्वीकार किया था कि प्रशासन आंदोलन को भड़का रहा था और प्रशासन अखिल असाम विद्यार्थी संघ और जन संग्राम परिषद् द्वारा चलाया जा रहा था। आपका प्रशासन इसमें शामिल है और आपके पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं। क्या माननीय गृह मन्त्री मुझे यह बतायेंगे कि वह गतिविधियों पर किस तरह नियंत्रण पाने जा रहे हैं जब उनका प्रशासन इसमें शामिल है ? पंजाब में भी प्रशासन का इसमें हाथ था। क्योंकि ये सामान्य आन्दोलन नहीं है, भाषायी और क्षेत्र भावनायें इसमें शामिल हैं। आन्दोलनकर्ता अथवा आन्दोलन के नेता लोगों की निराशा का फायदा उठाते हैं क्योंकि उनकी लोक तांत्रिकआशाओं को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में शक्तिशाली लोकतांत्रिक आन्दोलन के अभाव में आन्दोलन के नेता लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। यह एक राजनीतिक प्रश्न है। जिसको राजनीतिक पहलू से हल करना होगा। वास्तव में कोई भी विधान राजनीतिक समस्याओं, उठाए गए उन राजनीतिक प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश, ब्रिटेन के लोगों की तरह सरकार प्रशासनिक और वैधानिक उपायों के माध्यम से समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है।

वे कहते हैं कि वे आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। यहां मैं एक बहुत ही संगत प्रश्न उठाता हूं। कुछ समय पहले पंजाब में एक नेता को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि

[श्री सत्य साधन चक्रवर्ती]

सेना के लोगों ने उसके कब्जे से हथियार बरामद किए थे एक में उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि बाद उसने वचन दिया था कि वह कार सेवा में भाग लेना और कार सेवा का रहा है ? इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उसने अपने आपको सुधार लिया है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यदि कोई कांग्रेस (आई) का कठपुतली बनने को इच्छुक है तो वह आतंकवादी अथवा उग्रवादी नहीं रह जाता चाहे उसके पास बिना लाइसेंस के हथियार ही क्यों न हों। आप बिना लाइसेंस के बन्दूक अथवा हथियार रख सकते हैं लेकिन आपको कांग्रेस आई के कहने के अनुसार चलने को तैयार होना होगा। यदि आप उनकी राजनीतिक आकांक्षा में उनके इच्छुक बनते हैं तो आप आतंकवादी नहीं हैं। आप एक उग्रवादी नहीं है। आप कानून से ऊपर हैं। शासक दल द्वारा आपकी रक्षा की जाएगी। अन्यथा आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे ?

अब, देखें, गृह मन्त्री महोदय, आज आप क्या कर रहे हैं ? आपने अकाली दल को गैर कानूनी घोषित नहीं किया है। यह एक राजनीतिक दल है। उनके सभी नेता जेल में हैं। पंजाब पर सेना का कब्जा है आप अपनी सभी राजनीतिक गतिविधियां करने को स्वतन्त्र हैं। यहां तक कि आप गुरुद्वारा अधिनियम में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कार्य में दखल दे रहे हैं और सभी गुरुद्वारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है ? पंजाब में आप स्वतन्त्रता से कार्य कर सकते हैं। सेना की उपस्थिति के बावजूद भी आप लोगों को बसों में भरकर अमृतसर ले जा सकते हैं, जहां हमारेसंसदीय मन्त्री श्री बूटासिंह लोगों को सम्बोधित करते हैं; जिससे पंजाब के कांग्रेस आई के नेताओं ने भाग लिया; लेकिन कोई अन्य दल इतनी आजादी से कार्य नहीं कर सकता। यह सब आपने पंजाब में किया। और स्थिति का फायदा उठाते हुए अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप गुरुद्वारा अधिनियम में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप गुरुद्वारे पर नियंत्रण कर सकते हैं ! इसका मतलब यह हुआ कि अकाली नेताओं के होते हुए आप सिख धर्म के नेता बनना चाहते हो।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : सिख ऐसी मांग कर रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अतः आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ? आप देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करने के नाम पर सेना का उपयोग कर रहे हैं। और कानून और व्यवस्था के नाम पर आप अपने राजनीतिक विरोधियों की गतिविधियों को सीमित कर रहे हैं। आप अपने लिए क्षेत्र खुले रख रहे हैं क्योंकि आप लोगों से अलग हो गए हैं। ये कानून और ये प्रशासनिक तन्त्र आपकी सहायता करेंगे क्योंकि आप लोगों से अलग हो गए हैं। अन्यथा आपने लोकतांत्रिक परिस्थितियां पैदा की होती जहां सभी दल कार्य कर सकते और लोगों के पास जा सकते। आखिर-कार लोकतंत्र क्या है ? लोगों के पास जाना और उनके सामने अपने विचार रखना और उससे लोगों के दिलों को जीतना है। आप ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

ठीक इसी तरह की बात आपने कश्मीर में की है। वहां सरकार गिरा दी गई है। वहां कर्फ्यू क्यों लगाया गया था ? यह इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस (आई) के अलावा कोई दल वहां बैठकें न कर सके। यहां तक कि हमारे दल का नेता कामरेड ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद को होटल में ठहराया गया था और यहां तक उनका बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया ? ऐसा क्यों किया गया कि किसी भी अन्य दल को लोगों के पास जाने की, उनसे अपील करने की अनुमति नहीं दी गई है। लोकतंत्र में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज है। वे लोगों के पास जा सकते हैं, वे लोगों से अपील कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, जब कभी सदस्य पश्चिम बंगाल के बारे में बोलते हैं, माननीय सदस्य तत्काल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यह राज्य का मामला है, लेकिन अब यह जम्मू और कश्मीर का उल्लेख कर रहे हैं। क्या यह उनकी दलील के एकदम विरुद्ध नहीं है। कृपया उनसे पूछिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मुझे खेद है, माननीय मंत्री जी अनावश्यक रूप से अनभिज्ञता दर्शा रहे हैं, क्योंकि यह कानून सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन यहां मैं आपका राजनीतिक उद्देश्य बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आप हर जगह क्या कोशिश कर रहे हैं।

अब, महोदय, माननीय मंत्री जी त्रिपुरा का उल्लेख कर रहे थे।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : वह किसी भी तरीके से बोल सकते हैं लेकिन वह ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हां, मैं ऐसा कर सकता हूं। आप त्रिपुरा का उल्लेख कर रहे थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इस अधिनियम की मांग नहीं की थी, लेकिन सीमा की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल की और अधिक बटालियनों की मांग की थी। इसलिए त्रिपुरा में इस अधिनियम के औचित्य को आवश्यक बताने की बजाए आपको वहां और अधिक सीमा सुरक्षा बल के जवान भेजने चाहिये। इस कारण मैंने कहा था कि मुझे शासक दल के उद्देश्य पर संदेह है। वे एकदलीय शासन अधिनायकवाद को लाने के उद्देश्य से देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए सभी कुछ दाव पर लगा रहे हैं। कल जब कुछ महोदय बोल रहे थे, मुझे वास्तव में यह अजीब लगा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लुईस-चौदह यह कहा करते थे 'मैं देश हूं। मेरे विरुद्ध जाना देश के विरुद्ध जाना है।' आज भी वे यह कहते हैं 'कांग्रेस (आई) देश है, इंदिरा गाँधी देश है। यदि आप कांग्रेस (आई) के विरुद्ध जाते हैं, यदि आप श्रीमती गांधी के विरुद्ध जाते हैं, तो इसका मतलब कि आप देश द्रोही हैं और आप देश के विरुद्ध जा रहे हैं।' ठीक यही आप करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : उनमें यह अत्यधिक आवेश है।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: यह आवेश नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि हलवे का स्वाद खाने से पता चलता है। क्या आपका पता इस बात से चलेगा कि आप यहां क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता इस बात से चलेगा आप क्या करते हैं, और आप विरोधी दलों की गतिविधियों को रोकने में सभी सख्त कानूनों का प्रयोग कर रहे हैं--जब कोयला खानों के मजदूर हड़ताल करते हैं, जब श्रमिक हड़ताल करते हैं, तब लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, आप उनकी आवाज को दबाने के लिए इन सभी कठोर कानूनों का उपयोग करते हैं। (व्यवधान)

यह अजीब बात है कि 'आतंकवाद' की नई परिभाषा दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् माननीय गृहमंत्री की सूचना के लिए, जिनके लिए यह माना जाता है कि उन्हें अच्छी तरह सूचित किया होगा, यहां लोगों से आतंकवाद हो सकता है, यहां सरकार द्वारा चलाया गया सीमित और छोटे स्तर का आतंकवाद भी हो सकता है। भारत में आप आज क्या देखते हैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई आतंकवाद की छुटपुट घटनाएं हैं। उन्होंने असम में ऐसा किया है। और उन्होंने पंजाब में भी ऐसा किया हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या: वह अनुभव द्वारा इसे जानते हैं।...

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: जी हां। और 'आतंकवादी' की क्या परिभाषा है? आतंकवाद ऐसा कार्य है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए आतंक पैदा करो और सत्ता को हथिया लो। आपने कोई भेदभाव नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति जो संचार व्यवस्था में गड़बड़ी करता है, वह आतंकवादी है। क्या यह आतंकवाद की सच्ची परिभाषा है? मंत्री महोदय को इसकी व्याख्या करनी है। किसी को भी आतंकवादी कहा जा सकता है।

प्रो० रूप चन्द पाल: स्वयं मंत्री भी

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: ऐसा भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी अनुमति से मैं भी एक मिनट ले लूं। आपके दल को 11 मिनट आवंटित किए गए हैं। आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं। आपको पता है कि कभी-कभी हम अन्तिम सदस्यों को अवसर नहीं दे पाते हैं। कम समय लेकर आप अपने ही साथियों की सहायता कर रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। मुझे सभी दलों के सभी सदस्यों को अनुमति देनी है। मैं यह कह रहा हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : धन्यवाद ! मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा। धैर्य रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उसी उद्देश्य से मैं अधिक समय न लेने के लिए कह रहा हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतिहास की विडम्बना है। पश्चिम बंगाल में निवारक नजरबन्दी थी। महोदय, वे साम्यवादियों को जेल में डालने के लिए निवारक नजरबंदी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु उनके आन्तरिक झगड़े के कारण कांग्रेस (इ) के अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। साम्यवादी और कांग्रेस (इ) के लोग, जिन्होंने निवारक नजरबन्दी का समर्थन किया था, जेल में थे। मुझे नहीं पता कि मंत्री महोदय का क्या होगा क्योंकि आपको नही पता इसे किसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जाएगा। हिटलर ने पहले साम्यवादियों को नष्ट कर दिया था। फिर उसने उदारवादियों पर हमले शुरू किए। यह इतिहास का अध्याय है।

1.34 म. प.

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मुझे प्रसन्नता है कि अध्यक्ष पीठ पर अब सभापति महोदय हैं।

सभापति महोदय : परन्तु समय बढ़ाने के लिए नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप अत्यन्त उदार व्यक्ति हैं।

विधेयक में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र को आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। भारत एक संघ राज्य है। कानून और व्यवस्था स्थापित करना राज्यों का काम है। संविधान कानून और व्यवस्था बनाये रखने का अधिकार राज्यों को देता है। इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। अब यह केन्द्र सरकार है कि जो राज्य सरकार का उल्लेख किए बगैर राज्य सरकार से कोई परामर्श किए बिना, राज्य सरकारों की

[श्री सत्य साधन चक्रवर्ती]

राय की प्रतीक्षा किये बिना राज्य सरकारों की राय लिए बिना किसी राज्य विशेष, पूरे राज्य को आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है। क्या यह संघ राज्य के सिद्धांतों की पुष्टि करती है ? गृह मन्त्री को उत्तर देना होगा। यदि किसी राज्य सरकार विशेष की यह राय है कि वह राज्य आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र नहीं है और यदि सरकार की राय यह है कि वह राज्य आतंकवादियों से प्रभावित है, क्या इससे राज्य और केन्द्र के बीच तनाव उत्पन्न नहीं होगा ?

इस बात का निर्णय करने के लिए कि कोई क्षेत्र विशेष आतंकवादियों से प्रभावित है अथवा नहीं आप किस-किस एजेन्सी पर निर्भर करेंगे ? संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य विशेष में कतिपय वारदातें होती हैं, राज्य पाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देगा। ऐसी स्थित में जब तक केन्द्रीय सरकार स्वेच्छाचारी न बने, राज्य पाल को मंत्रि परिषद् की राय पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने उन्हें सत्ता मे लाने के लिए मत दिया है न कि सरकार को। मेरी समझ में नहीं आता कि यह उपबन्ध क्यों बनाया गया है। मंत्री महोदय को इसे स्पष्ट करना होगा, यह हमारे संविधान में निहित गणराज्य सिद्धांत, यद्यपि वे सीमित हैं, के विरुद्ध है।

अवधि क्या है—छह माह। फिर आप इसे किस्तों में बढ़ाते जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जाए ? यह खतरनाक है। ये असाधारण शक्तियां हैं। जिन्हें अनिश्चत काल तक के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पूरा निर्णय एक राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक निर्णय है। सभी विधि शास्त्रियों, सभी राजनैतिक तानाशाही लागू करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। तानाशाही को भी कानूनी तानाशाही बनाया जा सकता है। तानाशाही भी संविधान पर अथवा गैर-कानूनी हो सकती है। यदि कोई वस्तु विशेष कानूनी है तो वह इसे लोक तांत्रिक नहीं बनाती है अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने अमरीकी विधान परिषद् द्वारा पारित अनेक कानूनों को रद्द करते हुए यह काफी स्पष्ट कर दिया है और उन्हें अधिकारातीत घोषित कर दिया क्योंकि वे संविधान की लोकतांत्रिक आस्था के विरुद्ध थे। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस अनिश्चित अवधि के बारे में स्पष्ट करें।

गृह मन्त्री को यह स्पष्ट करना होगा कि विशेष न्यायालय राज्य से बाहर क्यों होंगे ? उन्हें स्पष्ट करना होगा। इससे अपराधी पर प्रभाव पड़ेगा और मंत्री महोदय ने पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं कि यह आवश्यक क्यों होना चाहिए।

दो नई बातें आरम्भ की गई हैं—बन्द कमरे में मुकद्दमा चलाना। पहले अपराधी कमरे में मुकद्दमें की मांग कर सकता था। अब यह आम बात बन रही है। यह सब सरकारी अभियोक्ता पर निर्भर करता है जिसे अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं जो कानूनों के नियमों के विरुद्ध है, और···

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : न्यायाधीश पर भी निर्भर कर सकता है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : संक्षिप्त विचार पर भी। यह सब क्या है। क्या यह न्याय-पालिका पर अघोषित आंशिक युद्ध नहीं है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : अभियोक्ता ही नहीं, न्याया धीश भी सिफारिश कर सकता है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यहां अपराधी की कोई मर्जी नहीं है।

आपको रोम के कानून, रोम के विधि शास्त्र की भली-भांति जानकारी है जो एंग्लो-सेक्सोन विश्व पर शासन करता है। रोम के नियम के अनुसार दोष सिद्ध करने का दायित्व अभियोक्ता का है न कि अभियुक्त का। जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वह निर्दोष है। यह रोम के कानून का मुख्य सिद्धांत है। अब यह उल्टा होने जा रहा है। दोष सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर आ रहा है।

जैसा कि मैंने सरकार की ईमानदारी के प्रश्न पर पहले कहा था, अपने अनुभव से हमने देखा है कि इन कानूनों का अपने राजनीतिक विपक्षियों के विरुद्ध कैसे उपयोग किया जाता है और निर्दोष लोगों को कैसे परेशान किया जाता है। अपने अनुभव से हम सरकार को यह भी चेतावनी देना चाहते हैं कि पुलिस पहले ही से सहज गोली चलाने वाली है, पुलिस को अधिक अधिकार देना कार्यकारी को अधिक अधिकार देने से लोगों के न्यूनतम मूल अधिकार छिन जायेंगे। इसमें यह खतरा है। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा कर रहे हैं या नहीं। परन्तु यह विधेयक कानून को क्रियान्वित तन्त्र के हाथों को और मजबूत करेगा और कानून को लागू करने वाले तन्त्र के नाम पर वे केवल लोगों के मूल अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए मैं इसके बारे में सरकार को चेतावनी देता हूं।

मैं पुन: अमरीकी संघवादी, अमरीकी स्वतन्त्रता के योद्धा, मेडीसन को उद्धृत करता हूं जो कहते हैं कि, "यदि कार्यकारी प्राधिकारी अच्छे लोग हैं।' तो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की कोई जरूरत नहीं है। आप भ्रमशील हैं। आप गलती कर सकते हैं। सरकार और कार्यकारी प्राधिकारी, जो गलती कर सकते हैं, को न केवल लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें न्याय पालिका के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए।"

यहां वे न्याय पालिका के अधिकारों में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोगों के अधिकारों में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने पहले ही कहा था। यह कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि एक व्यक्ति जो किसी स्थान विशेष में रहता है और जिसका हिंसा से कोई सम्बन्ध नहीं है को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है और यह सिद्ध करना उसका काम है कि वह निर्दोष है।

अत: आप जो करना चाहते हैं मैं उसे रोकने का अनुरोध करूंगा। आप इस पर विचार कीजिए और विधेयक को वापस ले लीजिए और इस समय भारतीय लोगों को प्राप्त स्वतन्त्रता न छीनिए।

श्री जगन्नाथ राव (बरहाम पुर) : सभापति महोदय, इस उपाय अं अध्यादेश पर विरोधी दलों की आलोचना घिसीपटी है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : बचाव पक्ष भी घिसा पिटा है। विधेयक भी घिसापिटा है।

श्री जगन्नाथ राव : यह कहा गया है कि अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संसद का अधिवेशन 9 दिन बाद आरम्भ होने वाला था। किन्तु मेरे मित्रों को इस मामले के महत्व को समझना चाहिए। कई लोग जेलों में बन्द हैं और उन पर मुकद्दमें चलाए जाने थे। दूसरे राज्य सरकार को, कुछ क्षेत्रों को आतंकवादी प्रमाणित क्षेत्र घोषित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी थी; न्यायायिक जोनों में विशेष अदालतों की नियुक्त की जानी थी और इस बात का ध्यान रखा जाना था कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सेवा कर रहे सत्र न्यायाधीशों में से हो। यह भी प्रक्रिया पूरी की जानी थी और आधार भूत ढांचा तैयार किया जाना था। इसमें समय लगता है। इसलिए 14 जुलाई को अध्यादेश जारी किया गया और पंजाब सरकार द्वारा तुरन्त कदम उठाये गए और जब तक संसद का आरम्भ हुआ पूरी तैयारी हो चुकी थी और मेरे मित्र राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने में सरकार भी नेक नीयत या मन्त्री महोदय द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने पर शक कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या बेईमानी की है।

विरोधी पक्षों में सामान्य डर यह हैं कि इन उपायों का प्रयोग विरोधी दल के नेताओं के विरुद्ध किया जाएगा। यदि विरोधी सदस्य या कोई नेता आतंकवादी बन जाता है तो यह डर ठीक है। तब वे शक उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जायेगा। यदि वह आतंकवादी नहीं है तो उसे इस उपबन्ध या आतंकवादी की परिभाषा से कोई नुकसान नहीं होगा।

दूसरे इस कानून से कोई नई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यह प्रक्रिया संबंधी कानून है जिसके द्वारा दांण्डिक अपराधों के मुकद्दमों की सामान्य प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। यह अध्यादेश की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के सम्बन्ध में मुकद्दमों के संक्षिप्त विचारण सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसके अन्तर्गत एक विशेष न्यायालय द्वारा और एक विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकद्दमें का संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। इसमें यही सब है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपराधी प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया अथवा अभियुक्त के स्वयं के बचाव के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह केवल प्रक्रियात्मक संशोधन है। जिसका उद्देश्य आतंकवादियों पर न्यायालयों में तेजी से मुकद्दमें चलाना है।

एक आतंकवादी की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है। जो एक सामान्य हत्या डकैती अथवा संचार अस्त-व्यस्त करने वाले मामले से संबद्ध व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति है जो अन्धाधुंध हत्या, हिंसा में लिप्त है जो लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी घृणा और असन्तोष पैदा करके समाज के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई में बाधा पहुंचाता है। यह सभी गम्भीर अपराध हैं जिससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है? इसलिए एक आतंकवादी की परिभाषा के अन्तर्गत इन सभी अपराधों को इक्ट्ठा कर दिया गया है। एक आतंकवादी वह है जो यह अपराध करता है और यह सभी अपराध अध्यादेश की अनूसूची के अन्तर्गत गम्भीर और

जघन्य है। इसलिए यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अपराध का मुकद्मा विशेष न्यायालय द्वारा चलाया जाएगा। यह मेरा प्रथम निवेदन है।

आपत्ति गुप्त मुकदमें के बारे में उठायी गयी है। गुप्त मुकदमें साक्षी तथा अभियुक्त को संरक्षण मिलता है। एक ऐसे मामले में जिसमें एक आतंकवादी लिप्त हो और यदि मुकदमा खुले न्यायालय में चलाया जाता है तो क्या साक्षी सत्य बोलने की शपथ लेने के बाद निडर होकर साक्ष्य दे सकेगें। उसे उन आतंकवादियों का डर होगा जो अभी भी बाहर हैं। इसलिए साक्षी को संरक्षण देने के लिए गुप्त मुकदमें की व्यवस्था की गयी है। यह अभियुक्त के स्वयं अपने हित में भी है। यदि अभियुक्त को खुले मुकदमें में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर उपस्थित भीड़ गुस्से में आकर अभियुक्त के प्रति हिंसक हो सकती है। इसलिए हिंसा की पुनरावृति को रोकने और साक्षी को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए गुप्त मुकदमें की व्यवस्था की गई है। किन्तु सरकारी वकील को यह छूट है कि अदालत को पूरा मुक्द्मा या उसका एक भाग खुले न्यायालय में चलाए जाने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय इसके लिए सहमत हो सकता है। इसलिए, गुप्त मुकदमे से अभियुक्त के अधिकार न तो समाप्त होते हैं न ही कम होते है और न ही यायालय को मामले को मनमाने ढंग से निपटाने की शक्तियां प्राप्त हो जाती है इसलिए विपक्ष द्वारा उठायी गयी इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है।

अब मैं धारणा पर आता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत कुछ परिस्थतियों में धारणा की जा सकती है। किन्तु इस धारणा का खण्डन किया जा सकता है। अभियुक्त को यह साबित करने का अधिकार दिया जाता है कि उसके विरुद्ध प्रतिपादित धारणा मिथ्या और परिस्थितियां अन्य प्रकार की हैं। इसलिए उसे यह सबित करना होगा कि यह निर्दोष है और यह कि उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत धारणा के कारण दण्ड नहीं दिया जा सकता। कतिपय परिस्थतियों से एक धारणा को बल मिल सकता है। उदाहरण के लिए इसी प्रकार का एक मामला लें। एक अशांत क्षेत्र में गोली चलती है और निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है व्यक्ति दर्शक की भान्ति खड़ा है और पुलिस द्वारा मुजरिम के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अथवा न्यायालय द्वारा यह अनुमान लगान ठीक है कि यह उसी गिरोह का सदस्य है जिसने गोला बारी की अथवा यह सच है कि दिवाली के दिन होने वाली आतिशबाजी का दर्शक था? इसलिए धारणा वहां पर अवश्य होगी। दूसरे यदि किसी विधिपूर्ण जमघट का सदस्य अपराध के स्थल पर उपस्थित हो भले ही उसने कोई सक्रिय भाग न लिया हो, अपराधकर्ता के समान दोषी माना जाएगा। यही कानून है। यदि आप सामान्य इरादे को लें तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में हमारे पास **वीरेन्द्र कुमार बनाम किंग एम्परर** का मशहूर मामला है जिसमें 4 व्यक्ति एक डाकपाल की हत्या में शामिल थे। केवल एक व्यक्ति डाकघर के अन्दर गया और उसने उसकी हत्या की; बाकी व्यक्ति केवल बाहर घूम रहे थे; किन्तु उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया हालांकि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रिवि कान्सिल ने यह फैसला दिया कि उनका इरादा एक ही था, हालांकि वह बाहर खड़े

[श्री जगन्नाथ राव]

निगरानी रखे हुए थे कि कोई भी व्यक्ति वहां न आने पाए; इसलिए वे भी उतने ही दोषी थे जितना वह व्यक्ति जिसने हत्या की। यह परिस्थितियां हैं जिनमें धारणा बनाई जाती है। किन्तु अभियुक्त यह साबित करने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। किसी भी स्थिति में इस विशेष न्यायालय विधेयक का आशय केवल अनुसूची में शामिल अपराधों के मुकद्दमों को तेजी से निपटाने से है न कि भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी अपराधों को- केवल वही अपराध जो गम्भीर और जघन्य किस्म के हैं। धारणा भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं तक ही सीमित है—धारा 121 का राज्य के विरुद्ध युद्ध का संचालन है; धारा 121 के युद्ध करने का षड्यन्त्र; तीसरे हथियार जमा करना, चौथे अपराध को भड़काना तथा इसी प्रकार। केवल इन्हीं मामलों में और अशान्त क्षेत्र में यह धारणा बनाने की अनुमति दी जा सकती है न कि सभी अपराधों के मामले में। धारणा केवल उन्हीं चार धारणाओं के मामले में लागू होगी जिन्हें मैंने गिनाया है—राज्य के विरुद्ध युद्ध का संचालन युद्ध का षड्यन्त्र तथा अन्य। विशेष न्यायालयों की स्थापना, अभियुक्त के स्वयं को बचाने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करती न ही बन्द कमरे में मुकदमा स्वयं के बचाने के अधिकार को समाप्त करता है न ही खण्ड 20 के अन्तर्गत नई धारा 111 क प्रस्तुत की जा रही है, इस सामान्य सिद्धान्त को समाप्त करती है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो जाए उसे निर्दोष ही माना जाएगा।

इस सिद्धान्त को भी छोड़ा नहीं जा रहा है; वह अभी भी है। यह साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत केवल धारणा है जो कि कुछ अपराधों के सम्बन्ध में जो कि सीमित हैं। कुछ परिस्थितियों में लागू किए जाने अपेक्षित हैं। यह विधेयक केवल मुकदमे में शीघ्रता लाने से सम्बन्धित है, जिसमें अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ अपराधों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ करना है ताकि शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

उच्चतम न्यायालय को एक अपील की गई है। उच्चतम न्यायालय नियम बना सकता है, और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमे के अन्तरण का प्रावधान है। यदि पब्लिक प्रोसीक्यूटर' यह समझता है कि किसी अपराध का मुकदमा प्रभावित क्षेत्र के भीतर चलानका अभियोगी अथवा साक्षी के हित में नहीं है तो वह मुकदमे को राज्य के बाहर किसी स्थान पर अन्तरण का निवेदन कर सकता है। यह केवल अभियोगी अथवा साक्षी के पक्ष में होगा।

इससे अभियोगी को कोई कठिनाई उत्पन्न न होगी। मान लें, पंजाब राज्य में जो कि आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र है, वहां गोपनीय तरीके के भी मुकदमे चलाना सम्भव नहीं है, संभवतः राज्य यह निवेदन कर सकता है कि मामले पड़ौसी राज्यों में अन्तरित कर दिए जाएं। यह सभी सम्बन्धितों के हित में होगा। अतः, मैं विपक्ष से निवेदन करूंगा कि उस चीज को न पढ़ें जिसका अस्तित्व ही नहीं है। सरकार जो प्रावधान अथवा कानून ला रही है उसमें किसी आशंका की कल्पना न करें। सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है। यह उपाय आतंकवादियों पर शीघ्र मुकदमा चलाये जाने के उद्देश्य से है ताकि उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो सके। अभी भी आतंकवादी बाहर हैं। जब कुछ क्षेत्रों में छानबीन होती है तो आतंकवादी राज्य के दूसरे क्षेत्रों में अपना सिर उठाने लगते हैं। अभी भी वहां आतंकवादी आन्दोलन चल रहा है और इसे राज्य के अन्य

क्षेत्रों में फैलने से रोका जाना चाहिए । यह केवल कठोर उपायों द्वारा किया जा सकता है और विपक्ष स्वयं भी कठोर उपाय किया जाना चाहता है । परन्तु जब सरकार कठोर उपायों सहित आगे बढ़ती है तो विपक्ष इसे कठोर और अधिनायकवादी कहता है अथवा कहता है कि इसे किसी विशेष उद्देश्य से लाया गया है ।

अतः हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं पढ़नी चाहिए जो अस्तित्व में ही नहीं है । हम सरकार की ईमानदार और स्पष्टवादी भावना को देखें और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस उपाय को स्वीकार किया जाए ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, इस आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 के स्टेटमैंट ऑफ रीजन्स एण्ड ऑब्जैक्टस में कहा गया है कि—

> "आतंकवादियों के क्रियाकलापों के कारण देश के कुछ भागों में विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है ।"

और बीच में है कि—

> "ऐसी स्थिति में उचित और निष्पक्ष रूप से दंडित विचारण करना बहुत कठिन हो गया है ।"

माननीय सरकार कहती है कि—

> "सरकार को संदेहों से परे हो जाना चाहिए ।" लेकिन इस सरकार ने कभी कोशिश नहीं की कि इस सन्देह से परे कहीं चली जाती ।

माननीय, सरकार के पास बहुत सी ताकत और कानून हैं और हमारे इण्डियन पीनल कोड में भी बहुत से कानून हैं, खास तौर पर रौबरी, इंटेमिडेशन, हार्बरिंग क्रीमिनल आर्म्स एक्ट, मर्डर आदि के लिए जिनको बनाया गया है । सारी चीजों के लिए कानून हैं । विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि कि क्या आपने कभी नोटोरियल औफेंडर्स के खिलाफ इस कानून का उपयोग किया, क्या कभी स्मगलर्स के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया और जो लोग रिलीजस प्रीचिंग हमारे देश में करते हैं, उस कम्यूनल हेट्रेड के खिलाफ कभी इसका प्रयोग हुआ ? यदि कभी किया भी तो जैसा कल इसी मुद्दे पर हुई बहस के दौरान किसी माननीय सदस्य के द्वारा हाजी मस्तान का नाम लिए जाने पर सरकारी पक्ष के लोग चिल्लाने लगे । इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, माननीय, कि यदि आप अदालतों पर समय-समय पर दिए गए फैसलों को देखें तो उनसे यही मालूम पड़ता है कि पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के कारण अपराधियों को छोड़ दिया जाता रहा है । क्या स्पेशल अदालतें स्थापित करने से पहले आपने इस बात का अध्ययन किया कि पिछले अदालतों के फैसलों में क्या लिखा हुआ

[श्री राजेश कुमार सिंह]

है । उनमें साफ लिखा है कि पुलिस की लापरवाही और सरकार की काली करतूतों के कारण अपराधी को छोड़ने के लिए अदालतें मजबूर थीं। क्या आपने कभी उसको सुधारने की कोशिश की। क्या आपने कभी नेशनल सीयूरिटी एक्ट का प्रयोग भिंडरांवाले के खिलाफ किया । वैसे तो आप टेरारिस्ट्स की बातें करते हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताइये कि क्या आपने कभी नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट का प्रयोग भिण्डरांवाले के विरुद्ध भी किया। क्या कारण थे, और आप क्यों नहीं कर सके । आपके पास कानून हैं, लेकिन उनके पीछे सरकार की मंशा और लक्ष्य क्या हैं, मैं अब उनकी तरफ जाना चाहता हूं । मान्यवर यदि आप इसकी डैफिनीशन को देखें—

> "आतंकवादी" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्तियों की निर्मम हत्या करता है या हिंसा करता है या समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं या संचार साधनों को भेज सकता है।"

मान लीजिए कि कहीं रेलवे के मजदूर स्ट्राइक कर डालें या किसान महाराष्ट्र की तरह रास्ता रोको आन्दोलन शुरू कर दें तो आप फौरन यह कहेंगे कि वे टेरारिस्ट हो गए । आपके बिल के माध्यम से ये मजदूर आन्दोलन करने वाले डिमोंस्ट्रेशन की बात करने वाले टेरेरिस्ट हो गए और उस लिस्ट में आ गए ।

आपकी टैरेरिट्स की परिभाषा इतनी बिकृत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है । इससे साफ जाहिर है कि श्रमिक का डैमोक्रेटिक राइट और किसान की आवाज का जो अधिकार है उसके पीछे आपकी साजिस यह है कि जनता अपनी मांगों को लेकर जब सरकार पर दवाब डालेगी तो आप उसके डैमोक्रेटिक राइट्स को किस तरह से समाप्त करेंगे और किस तरह से छीनेंगे ।

लाइक मिलैट्री कोर्ट्स, इस सैक्शन को आप देखेंगे तो इससे लगता है कि इन अदालतों के बारे में लोगों की धारणा होगी कि मिलैट्री कोर्ट । ये आम न्यायालय नहीं होंगे । आप आम जनता को न्याय देने के लिए कोर्ट न बनाकर मिलैट्री कोर्ट स्थापित करेंगे ।

इसके सैक्शन 12 (1) में लिखा है—

> "विशेष न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां बन्द कमरे में की जाएंगी ।"

> "धारा 7 (1) : संहिता या किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, अध्यादेश की अनुसूची में बताए गए अपराधों पर विचारण केवल विशेष न्यायालयों द्वारा ही होगा ।"

जहां अदालतें हैं, अगर वहां स्पेशल कोर्ट की स्थापना हो जाती है तो उन अदालतों का भी जूरिस्डिक्शन खत्म हो जाता है जो अदालतें नार्मल फंक्शन कर रही हैं । आपने स्पेशल कोर्ट बनाये, इसमें एक खासियत और है कि एक महीने से अधिक जब कहीं स्थिति अच्छी नहीं है, किसी सेना पर हमला कर दिया या कहीं बलवा हो गया तो वहां स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की स्थिति बन जायेगी।

आपने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि जिसने अपराध किया हो या न किया हो, लेकिन उसे अपराधी "प्रज्यूम कर लिया जायेगा।" वह अपराधी है। दुनिया के किसी भी न्याय में ऐसी बात नहीं लिखी है कि मैंने अपराध नहीं किया है, फिर भी अपराधी हूं।

मैं चम्बल और आगरा के बीच के इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे यहां एक डाकू विरोधी एक्ट है, उसके अन्तर्गत किसी को भी बन्द किया जा सकता है कि तुम डाकू को शैल्टर देते हो। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक मलखान सिंह डाकू था। वह हमारी कांस्टीटुएन्सी के एक गांव में गया और उसने वहां किसी से 5 किलो अनाज, चना मांगा। वह 5 किलो चना किसान ने उसे दे दिया। डाकू पैसे देना चाहता था, उसने पैसे नहीं लिये तो डाकू ने स्टेनगन दिखाकर कहा कि पैसे लो। जब वह डाकू वापस चला गया तो किसी ने पुलिस को कह दिया। पुलिस आई और उसको पकड़कर ले गई। उसकी बीवी ने कलैक्टर के सामने यह कहा कि मेम साहब हम जंगल में रहते हैं, हमने तो डाकू मलखान सिंह को 5 किलो चना दिया है लेकिन अगर आप होतीं तो आप पलकों पर बिठाकर उसे परांठे खिलातीं। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं।

आपने परिस्थितियों को देखा है। लोग डर के मारे गवाही नहीं देते हैं। अगर कोई टेरेरिस्ट हमारे घर पर आकर राइफल के बल पर हम पर काबू कर लेता है तो इसमें हमारा क्या दोष है ? आप हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं कर पायेंगे लेकिन मैं वहां मौजूद रहूंगा, मेरी इच्छा नहीं है मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, मैं निर्दोष हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बन्दी बना लिया जायेगा और यही नहीं मुझे अपने निर्दोष होने का सबूत अदालत में स्थापित करना पड़ेगा। यह क्या मजाक है ? यह क्या न्याय है ? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये।

मान लीजिये कि कोई पुलिस अधिकारी किसी से जैलेसी रखता है और उसे ले जा कर बन्द कर देता है। अभी तक तो यह होता था कि वह अधिकारी साबित करे कि हमने रौबरी की है, डकैती की है या किसी को शैल्टर दिया है, लेकिन आज हमको यह सोचना पड़ेगा और फिर उसका ट्रायल कैमरा में होगा। वह कैसे साबित कर पायेगा कि वह निर्दोष है ? एक तरफ उस पर पुलिस का दबाव है और दूसरी तरफ उसका मुकदमा बन्द अदालत में चलता है। पब्लिक प्रासीक्यूटर या विटनेस यह भी कह सकते हैं कि विटनेस का नाम और पता रिकार्ड में नहीं आना चाहिये। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल गवाह होते हैं, जो पुलिस थाना में बैठते हैं और गवाही देते हैं। ऐसे गवाह का नाम रिकार्ड पर नहीं होगा और डिफेंस कौंसल यह नहीं कह पायेगा कि वह प्रोफेशनल विटनेस है। क्या सरकार ने गम्भीरता से सोचा है कि वह कानून और जूरिप्रुडेंस का कितना मजाक उड़ा रही है ?

यह भी व्यवस्था की गई है कि अपील हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। या तो कोई प्राइम मिनिस्टर के सामने समर्पण कर दे और कार सेवा में लग जाए, वर्ना उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। अगर कोई इन्नोसेंट व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो क्या वह वैस्ट बंगाल से आकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेगा ? आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हालत है और

[श्री राजेश कुमार सिंह]

लाइयर की फीस कितनी है। क्या सरकार ने कभी आम आदमी की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचा है ?

उत्तर प्रदेश में कई नौजवानों को डाकू कहकर गोली से उड़ा दिया गया। आप उन लोगों की लिस्ट मंगाकर देखिये। आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही को देखिये कि ऐसे कितने लोगों को मारा गया है। इस सरकार ने देश में ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि देश के सब नागरिकों को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। यह कितना बड़ा अन्याय है कि पेशेवर गवाहों की गवाही के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी करार दिया जा सकता है ? इण्डियन एविडेंस 1872, जूरिसप्रुडेंस, न्याय शास्त्र के अनुसार किसी को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाय। लेकिन इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पहले अपराधी घोषित कर दिया जायेगा और तब वह अपने आपको निर्दोष साबित करे। मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी की असफलताओं की कीमत देश के साधारण नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मुट्ठी भर उग्रवादियों का दमन देश के नार्मल लाज और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो सारे देश के लिये यह कानून बना डाला गया है। (**व्यवधान**) अगर उग्रवादी सारे ,देश में हैं, तो फिर इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार का प्रशासन इतना ढीला और निकम्मा है कि वह उग्रवादियों को काबू नहीं कर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरागांधी की सरकार ने ही यह स्थिति पैदा कर दी है। उनके इस सन्देह के पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। आपातकाल के समय की तरह से वे सिविल लिबर्टीज को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति तथा एक पार्टी की तानाशाही कायम करने की साजिश हो रही है जिसको रोका जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सदन से दरख्वास्त करूंगा कि लोकशाही को बचाने का प्रयत्न होना चाहिए तथा स्वस्थ परम्परायें कायम की जानी चाहिए तथा जो न्याय है वह सर्वसाधारण को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसमें डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। प्रो० चक्रवर्ती प्रारम्भ में बहुत असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने हमारे प्रधानमन्त्री के शासन काल के प्रति राष्ट्र की सबसे बुरी अवधि कहके अनुदार टिप्पणियां की थीं, वह यह भूल गए कि प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह शासन काल स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास का सबसे उज्ज्वल काल है। हाल ही में दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। मार्च, 1973 में निर्गुट सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के 103 देशों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया।

एक स्थानीय सदस्य : जनता का 60 करोड़ रुपये बर्बाद किया गया। यह एक अपराधपूर्ण बर्बादी थी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : आप देश की प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि पर विचार क्यों नहीं करते ? आप लागत की बात क्यों करते हैं ? ओलम्पिक में कितना धन व्यय किया गया ? क्या आपका

कहने का अभिप्राय यह है कि हमें खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए ? मुझे दुःख है कि उन्होंने तथ्यों की पूर्ण जानकारी होते हुए भी यह टिप्पणियां की। तथ्य तथ्य हैं उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री चक्रवर्ती ने एक और टिप्पणि की। उन्होंने सरकार की सेवा पर आशंका व्यक्त की। केवल इसलिए कि सरकार कानून ला रही है और श्रीमान, मुझे दुःख है कि उनके पास सरकार पर शंका व्यक्त करने के कोई कारण नहीं हैं। उद्देश्यों और कारणों का कथन पढ़ने के पश्चात भी जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति आतंकवादियों की अपराधपूर्ण गतिविधियों के कारण खराब है। वे निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं, सम्पत्ति लूट रहे हैं, संचार के साधन नष्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार जघन्य अपराध कर रहे हैं जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का जीवन दूभर हो गया है और देश की सुरक्षा और अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या वह **नहर रोको आंदोलन** से मना कर सकते हैं ? क्या वह **रास्ता रोको आन्दोलन** मना कर सकते हैं ? न केवल आंदोलन किया गया वरन **नहर** भी काट दी गई, एक बार नहीं वरन दो बार, जिसके कारण हरियाणा और राजस्थान में जहां लोग भूखे मर रहे हैं, गड़बड़ी पैदा कर दी गई। वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। महोदय, वे भूल जाते हैं कि सरकार ने **रेल रोको** के दिनों में रेलें न चलाने का निर्णय लिया ताकि निर्दोष लोग न मारे जाएं।

वे यह समझने में विफल हुए हैं कि किन परिस्थितियों में सरकार को इस विधान को लाने हेतु बाध्य हुई।

आतंकवादी कौन हैं ? क्या मुझे शब्द कोष में देखना होगा ? मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इसकी परिभाषा सुविस्तृत नहीं है, इस विधेयक की धारा 2 में आतंकवादी की परिभाषा है, इसमें उल्लेख है।

"···(ज) "आतंकवादी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्तियों की निर्मम हत्या करता है या हिंसा करता है या समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं या संचार साधनों को भंग करता है या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है और इन कार्यों की दृष्टि से करता है कि—

(एक) जनता या जनता का वर्ग भयभीत हो जाए; या

(दो) विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; या

(तीन) विधि द्वारा स्थापित सरकार प्रपीड़ित या आतंकित हो जाए; या

(चार) भारत की प्रभुत्ता या अखंडता खतरे में पड़ जाए;···"

यह विधेयक इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ लाया गया है न कि इस देश के अज्ञान सज्जन नागरिकों के खिलाफ।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

पंजाब में गत दो वर्षों के दौरान क्या हुआ ? मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसे बार-बार दोहराया गया है, भारत को आजादी मिले सैंतीस साल हो गए हैं, और सम्भवतः यह पहला मौका है कि इस प्रकार का विधान लाया गया है ।

नागालैण्ड में गड़बड़ी थी । वहां उसका हल निकाला गया है । वहां लोकप्रिय सरकार है । मिजोरम में गड़बड़ चल रही है । अब आप वहां लोकप्रिय सरकार बनाइये । तब हमारा आनन्द मार्ग था । जिसने देश में तबाही मचाई । आप अब इसका नाम नहीं सुनते ।

पश्चिम बंगाल में 1967 से 1971 के बीच क्या हुआ, जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सरकार थी ? इससे पश्चिम बंगाल के मेरे साथियों की भावनाओं पर चोट पहुंचेगी । लेकिन क्या यह सच नहीं है कि अज्ञान लोगों को मारा जा रहा है था ? तब से भी कोई ऐसा विधान नहीं लाया गया है, उसके बाद 1978 में असम में क्या हुआ जब जनता पार्टी देश के भाग्य का मार्ग दर्शन कर रही थी ? अब असम में लोकप्रिय सरकार है ।

अब, जब हम पंजाब की ओर आते हैं तो हमें पीछे देखना पड़ता है । ऐसा क्यों ? वहां आतंकवाद का पूर्व नियोजित, नियमित, सुनियोजित और सुव्यवस्थित अभियान था । किसलिए ? क्यों ? वास्तव में पंजाब और हरियाणा 18 वर्ष पहले एक था । हरियाणा राज्य 18 वर्ष पहले, 1 नवम्बर, 1966 को बना था । उस समय वहां कोई गड़बड़ी नहीं थी, जब दो भाई अलग-अलग हो गए तो छोटे मोटे विवाद हैं । लेकिन पंजाब में हमने 1973 में आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पास होते देखा । आपको याद होगा कि 1970 में चण्डीगढ़ पंजाब को दिया गया था ।

शाह आयोग के निर्णय में रोपड़ और चण्डीगढ़ सहित पूरे खरड़ जिले को हरियाणा को दे दिया गया था । किन्तु सन्त फतेह सिंह अनशन पर गए और दरबार साहिब की छत पर स्वयं को कुर्बान करने की धमकी दी । परिणामस्वरूप सरकार ने निर्णय किया कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा । और उसके बदले में अबोहर और फाजिल्का तहसील मे 114 गांव हरियाणा को दिए जाने थे । फिर 1976 में रावी-व्यास नदी के जल पर निर्णय लिया गया । पैंतीस लाख फिट पानी हरियाणा को दिया जाना था और इतना ही पंजाब को । मैं राजस्थान को दिये जाने वाले हिस्से पर नहीं बोलूंगा । उसमें कोई विवाद नहीं है । जब 1970 में इस निर्णय में संशोधन किया गया तो सारे पंजाब में प्रसन्नता तथा खुशी का वातावरण था । जब चण्डीगढ़ पंजाब को दिया गया था तो हरियाणा के 11 युवकों को पुलिस द्वारा मौत के घाट उतारा गया क्योंकि उन्होंने कानून को बेकायदा अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की थी और इस निर्णय में संशोधन का विरोध किया था । पंजाबी खुश थे । 1977 से 1980 तक वे अकाली ही थे, जो पंजाब में कर्णधार थे । सरकार का नेतृत्व प्रकाश सिंह बादल कर रहे थे । उनके पास भारत सरकार में सरदार धनसिंह गुलशन और सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जैसे अपने प्रतिनिधि थे । जब जनता पार्टी सत्ता में थी, उस समय चण्डीगढ़ की कोई मांग नहीं थी, पानी के बारे में कोई विवाद नहीं था, इस तरह की कोई बात नहीं थी ।

अब 1980 के बाद जब कांग्रेस पुनः सत्ता में आई·····

सभापति महोदय : क्या इस संक्षिप्त विधेयक में हमें इन सब बातों पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं आतंकवाद का जिक्र कर रहा हूं, मैं उस पृष्ठभूमि का उल्लेख का रहा हूं और अव्यवस्थित स्थितियों का हवाला दे रहा हूं जो विदेशी शक्तियों के बल पर पैदा हुई हैं। मैं कल के विभिन्न समाचार पत्रों का हवाला देता हूं। पाकिस्तान ने 20 वर्ष पहले किस प्रकार खालिस्तान की कल्पना की थी, शायद इस सभा के सभी सदस्यों ने सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर को पढ़ा होगा. पंजाब में विशेष रूप से पानी और चण्डीगढ़ के मामलों को बहाना मान-कर गलतफहमी पैदा की गई। इसीलिए मैं यहां इसका उल्लेख कर रहा हूं, अन्यथा इसका उल्लेख करने की क्या जरूरत थी। इन विवादों का समाधान किया जा सकता था। बैठक एक बार नहीं की गई बल्कि 26 बार बैठकें हुईं. त्रिपक्षीय बैठकें हुईं और जब भी कोई बातचीत की जानी होती थी, ये आतंकवादी ऐसी स्थिति पैदा कर देते थे ताकि समाधान न निकल सके। गलतफहमी देने वाला असली व्यक्ति कौन था ? इस अव्यवस्था के पीछे कौन था ? जब स्थिति काबू से बाहर हो गई और स्थानीय पुलिस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकी तो भारत सरकार ने वहां सीमा सुरक्षा (बी० एस० एफ०) तथा केन्द्रीय आरक्षी बल (सी०आर०पी०) भेजने की वांछनीयता पर विचार किया। जब सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० कर्मियों पर दरबार साहिब की छत से गोलियां चलाई गई तो वहां सेना भेजने का एक बहुत दुःखद निर्णय लेना पड़ा था। जो अस्पष्ट था वह स्पष्ट हो गया। सेना द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद, जब सेना की कार्यवाही के बाद तथ्यों का पता चला, उस समय वहां से कितनी अमरीकी लड़कियां बरामद हुई थीं ? निहंग के भेष में कितने पाकिस्तानी वहां थे ? इन्हीं परिस्थितियों से भारत सरकार यह विधान लाने के लिए बाध्य हुई है।

इसी वर्ष 9 मार्च को हरियाणा के उपाध्यक्ष, चौधरी वेदपाल जब जी० टी० रोड़ पर अपनी कार में सवार थे तो 8-00 बजे शाम को उनकी कार पर 56 गोलियां चलीं। यह उनके सौभाग्य की बात है कि वे बाल-बाल बचकर निकल गये, श्रीमती शांति देवी, विधान सभा सदस्य वहां थीं। उनका ड्राइवर मारा गया, उनका बन्दूक धारी घायल हुआ। सरदार दरबारा सिंह की बाल-बाल जान बच गई। भगवान ने उन पर कृपा की। पंजाब के न्यायालय 'नहीं' नहीं कह पाए जब जमानत के आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, मुझे खुशी है कि गृहमन्त्री ने यह विधान लाने की वांछनीयता समझी जिसमें गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की अनुमति नहीं थी, वास्तव में क्या हो रहा है ? ये विधायी उपाय किसलिए हैं ? प्रो० चक्रवर्ती इस विषय में बहुत उत्सुक थे ? केवल जूता पहनने वाला व्यक्ति ही जानता है कि जूता कहां से काट रहा है। आपको ऐसे मामले में बन्द कमरे में मुकदमा चलाना होगा। अन्यथा न्याय का प्रबन्ध नहीं हो सकेगा।

साक्षी को मुकदमे के लिए न्यायालय जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और मुझे खुशी है कि इस विधान ..... (**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इससे अशासन की विफलता सिद्ध होती है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : विष फैलाने वालों के कारण, आतंकवादियों के कारण, प्रशिक्षण, जो आपकी पार्टी द्वारा बंगाल में दिया जा रहा है, के कारण ..... (**व्यवधान**)

[श्री चिरंजी लाल शर्मा[

सभापति महोदय : शर्मा जी, आप सत्यसाधन बाबू की तरफ नहीं देखते आप मुझे देखते हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : उनका चेहरा इतना आकर्षक है कि मैं उनका चेहरा देखने के लिए विवश हो जाता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या ये स्नेहमयी बातें आतंकवाद की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं ?

श्री चिरंजीलाल शर्मा : यहां मैं धारा 12 का उल्लेख करते हुए गृह मन्त्री के प्रति शुभ कामना अवश्य प्रकट करूंगा। धारा में यह उल्लेख है-—

"विशेष न्यायालय, अपने सामने किसी कार्यवाही में साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से साक्षी का परिचय और उसका पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो वह ठीक समझे।"

"संरक्षित स्थान में कार्यवाहियां करना अपने आदेशो या निर्णयों में या मामले के ऐसे किसी लेख में, जो जनता की पहुंच में है, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना;"

यह विगत के लम्बे अनुभव के आधार पर हुआ है कि इस विधान में यह उपबंध पुनःस्थापित किया गया है। क्यों ? मेरा तात्पर्य है कि आतंकवादियों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि आने वाले महीनों और वर्षों तक साक्षी अभियोजन के लिए साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने हेतु विचार नहीं करेंगे क्योंकि वे इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि साक्षी के रूप में उपस्थित होने के बाद वे जीवित नहीं रहेंगे।

इसलिए सरकार इस विशिष्ट उपबन्ध के लिए प्रशंसा पाने के हकदार हैं। यहाँ तक कि किसी भी फैसले में साक्षियों के नाम नहीं दिये जाएंगे। मान लीजिए कि विशेष न्यायालय किसी आतंकवादी पर मुकदमा चला रही है और अपने निष्कर्ष में वह उसे बेगुनाह पाती है और वह छोड़ दिया जाता है तो कम से कम उसे यह पता नहीं चलेगा कि साक्ष्य देने की धृष्टता किसने की है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप विषय से मत हटिये।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बिना लाइसेंस के शस्त्रों का हवाला देकर सरकार की ईमानदारी, सत्य निष्ठा और उद्देश्य पर प्रहार कर रहे थे। उनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस के हथियार हैं तो वह सरकार का पिट्ठू है, सरकार का समर्थक है और उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें सरकार की नेक नियती पर क्यों शक करना चाहिए। मेरे विचार से वे एक प्रोफेसर हैं और वे कानूनी व्यवसाय में रह चुके हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : नहीं, कानूनी व्यवसाय में नहीं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा यह भी विचार नही है कि उनके पास बिना लाइसेंस दार कोई हथियार नहीं है । इस प्रकार मैं फिर यह कहता हूं कि कानून और व्यवस्था का विषय राज्य का है और जहा तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, भारत सरकार इसके बीच में कहीं नहीं आती । इसलिए वे इस बात की भी चिंता न करें ।

उसके बाद वे कहते हैं कि हम देश की अखंडता के नाम पर सेना का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उन्होंने बहुत खराब बातें कही हैं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह बातें पंजाब में सेना के प्रयोग सम्बन्धी विशेष संदर्भ में कही गई हैं । बजट सत्र में, जो कि अभी मुश्किल से तीन महीने पहले ही हुआ था उसमें समस्त विपक्ष की यह एकमत से राय थी कि पंजाब को सेना के हवाले कर दिया जाय ।

श्री चित्त बसु : उत्तेजित मत होइए

श्री चिरंजी लाल शर्मा: नहीं मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा । पूरे विपक्ष की यह मांग थी और बल्कि सरकार की और प्रधान मंत्री की यह कहकर भर्त्सना की गई थी कि वह सेना भेजने में क्यों हिचकिचा रहीं हैं । माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय सेना भेजना उचित नहीं समझा था । वह अकालियों और अन्य इच्छुक दलों को इस बात के लिए काफी अवसर दे रही थी कि वे बात-चीत के लिए आगे आएं, विचार-विमर्श करें और कोई निष्कर्ष निकालें । सेना तभी भेजनी पड़ी जब मामला इस हद तक पहुंच गया । अब, मेरा तात्पर्य है विपक्ष के लोग यह चाहते हैं कि सेना हटा ली जाय । प्रो० चक्रवर्ती के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है । क्या उन्हें यह पता है कि सेना की कार्रवाई के बाद भी पंजाब में सेना की उपस्थिति बनाए रखने के लिए हालात पैदा किए जा रहे हैं । भाखड़ा नहर को क्या हुआ अर्थात नहर तोड़ो ? और यह कार्य तब किया गया है जबकि सेना वहां उपस्थित है । यदि वर्तमान परिस्थियों में वहा से सेना हटा ली जाती है तो गजब हो जाएगा । अब भी क्या आप यह सोचते हैं । कि आतंकवाद समाप्त कर दिया गया है ? क्या आप यह सोचते हैं कि पंजाब में और आतंकवादी नहीं हैं ? क्या आप यह सोचते हैं कि पंजाब में पूरी तरह से शांति स्थापित हो गई है और इसलिए अब वहां से सेना हटा ली जानी चाहिए ? यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो मेरे बुद्धिमान दोस्त का उक्त तर्क वजनदार नहीं है ।

यह विधान का एक भाग है जिस पर मेरे विचार से विपक्ष को बिना किसी स्पर्धा के अपनी सहमति प्रदर्शित करनी चाहिए थी बल्कि यह विधान लाने के लिए उन्हें सरकार को बधाई देनी

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

चाहिए थी क्योंकि यह कानून और व्यवस्था बनाने के लिए है और वह भी देश की अखंडता, एकता और एकात्मता के हित में है।

इन शब्दों के साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैंने सेना के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था कि सेना का कार्य उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है न कि सत्ता दल अर्थात कांग्रेस (आई) के हितों की रक्षा करना। इसका लाभ उठाते हुए आप वहां बिल्कुल यही कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे खेद है कि मुझसे पहले अभी-अभी बोले मेरे प्रतिष्ठित मित्र के विचारों से भिन्न विचार रखने के कारण मैं इस अध्यादेश, जो अब एक विधेयक है को लाने के लिए सरकार को बधाई नहीं दे सकता। यदि आप मुझे यह कहने की अनुमति दें तो मैं इस स्तर पर यह टिप्पणी करने का इच्छुक हूं कि यह अध्यादेश जो अब एक विधेयक और कुछ नहीं है बल्कि हमारे देश में उभरती तानाशाही को वैध बनाने का एक विशुद्ध प्रयास है। यह कहते हुए मैं वास्तव में बहुत निराश हूं। कि सरकार की यह कार्यवाही एक ऐसी राजनीतिक स्थिति से निपटने में राजनीतिक घबराहट दर्शाती है जो गत दशाब्दियों से इस सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम रहा है। यह विधेयक और अध्यादेश के वर्तमान कानूनों, न्याय की वर्तमान प्रणाली, हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली और अन्ततः बड़ी संख्या में हमारे लोगों की बुद्धिमता में सरकार के विश्वास की कमी को दर्शाता है। उसने उन संस्थाओं में विश्वास खो दिया है जिनका निर्माण हमारे देश में इस प्रणाली ने सुपर ढांचों के रूप में किया है। और इस प्रकार की कार्रवाइयों से न केवल मुझे और इस पक्ष के अन्य सदस्यों को बल्कि आपके पक्ष के कुछ लोगों को भी विश्वास होने लगा है कि आप किसी नई प्रणाली की तलाश में हैं। श्री साठे यहां हैं जो उस नई प्रणाली के बारे में कुछ बता सकते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं अथवा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारा यह देश और देश के बाहर रहने वाले हमारे महान लोकतांत्रिक लोग उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने, सुरक्षित रखने तथा और अधिक मजबूत बनाने के लिए कृत्य संकल्प हैं जो हमने बनाई हैं। इसलिए घबराइए नहीं और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास रखिये जो इस महान देश ने विकसित की हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जनता में भी विश्वास रखिये।

श्री चित्त बसु : जी हां, यह स्वाभाविक है। वह लोकतांत्रिक संस्था केवल लोगों की इच्छुक भागीदारी से ही सुरक्षित रह सकती है। इस अध्यादेश से और इससे पहले लाए गये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (द्वितीय संशोधन) विधेयक से तथा आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम बनने से और आगे किये जाने वाले अन्य दमनकारी उपायों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस समय सरकार के पास लगभग वे सभी अधिकार हैं जो आपातकालीन अवधि के दौरान उसके पास थे, यद्यपि उन्होंने इसे आपातकाल घोषित नहीं किया है। लोगों का आपके बारे में यही विचार है। चाहे कोई भी प्रावधान हो, चाहे आपके कुछ भी स्पष्टीकरण हों, चाहे मेरे मित्र

श्री शर्मा द्वारा कुछ भी स्पष्टीकरण दिए जाए, चाहे गृह मंत्री द्वारा कोई भी तर्क दिया जाए, परन्तु कुल मिलाकर यह प्रभाव पड़ा है कि आप वर्तमान प्रणाली के विकल्प के रूप में कोई नई प्रणाली खोज रहे हैं और लोगों को इस बात का विरोध करना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : राजतंत्र अथवा राजवंशीय राष्ट्रपति प्रणाली ?

श्री चित्त बसु : राजवंशीय राष्ट्रपति प्रणाली

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु मेरे विचार से इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है।

श्री चित्त बसु : वह ठीक है, परन्तु ऐसा ख्याल है। खैर, मैंने अपना ख्याल बता दिया है, मुझे खेद है कि मेरे ख्याल को आपने पसन्द नहीं किया

महोदय, इसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में सोचें, तो मैं देखता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत समूचा देश आता है, निश्चित रूप से अधिसूचना जारी होने के बाद ही ऐसा होगा। आप इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर सकते हैं जो कुछ निश्चित, क्षेत्रों में निश्चित समय पर लागू होंगे··· (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कुछ खास परिस्थियों में भी।

श्री चित्त बसु : हां, कुछ खास परिस्थितियों में भी, वह तो ठीक है। क्या इसका मतलब यह है कि आपका न स्थिति का अन्दाजा यह है कि देश के प्रायः सभी भागों में इस तरह के विशेष न्यायालय, आतंकवादी-विरोधी गतिविधियों की आवश्यकता है ? अन्यथा, इसका प्रभाव क्षेत्र कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित होता जिसके बारे में आप निष्कर्ष पर पहुंचे हो कि यहां खतरा है और इससे निपटने का यही खास तरीका है। पंजाब की बात मैं समझ सकता हूं। जब पंजाब अग्नि परीक्षा जैसी भयानक स्थिति के बीच से गुजर रहा था, आप ने दूसरे हथकण्डे अपनाये जैसे कि सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम अशांत क्षेत्र अधिनियम और अन्य सभी अधिनियम जो आपके पास उपलब्ध थे; परन्तु आपने उस समय ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता पर विचार नहीं किया। अभी भी मुझे प्रसन्नता होती यदि गृह मन्त्री महोदय इस प्रकार का जायजा पेश करते कि प्रायः सभी राज्यों में पंजाब जैसे अथवा असम जैसे खतरे हैं और इसलिए इस तरह के व्यापक और विस्तृत प्रभाव क्षेत्र वाले कानून की आवश्यकता है। वे इस प्रकार का जायजा पेश करें और उसका औचित्य बतायें। आप केन्द्र और राज्यों के बीच के संघीय संबंधों को असंतुलित कर रहे हैं। आप किसी विशेष क्षेत्र, जैसे पश्चिम बंगाल को घोषित कीजिए जो निदित क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में 40 लाख के पंजीकृत बेरोजगार युवक हैं। आप बखूबी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पृथकवादी विद्रोह की सम्भावनाएं हैं।

किसी समय यह आपका निर्धारण होगा। आपका क्या निर्धारण है ? यह सरकार का

[श्री चित्त बसु]

प्रतिवेदन है। यह राज्य पुलिस का प्रतिवेदन है जिस पर आप विचार करेंगे अथवा आपकी अपनी गोपनीय आसूचना है।

मान लीजिए आप यह महसूस करते हैं कि देश के किसी विशेष भाग को आतंकवादी क्षेत्र के रूप में घोषित करना है। उस राज्य सरकार की क्या भूमिका तथा स्थिति है जो वहां पर शासन चला रही है। वह आपकी पार्टी भी हो सकती है ? उनसे ऊपर जाकर आप यह घोषित कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक विशेष भाग आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। क्या इससे केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित होंगे ? अत: इससे विद्यमान राजनैतिक प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जायेगी।

जहां तक अपराधों का सम्बन्ध है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें सभी को समाविष्ट किया गया है---व्यक्तियों की अकारण हत्या करना। समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं अथवा संचार साधनों को अस्त-व्यस्त करना। जनता अथवा जनता के किसी वर्ग को डराने के विचार से सम्पत्ति की क्षति, विभिन्न धर्मों भाषा अथवा क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियों अथवा समुदायों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव ! विधि द्वारा स्थापित सरकार पर दबाव डालना अथवा उसके साथ अनुचित ढंग से व्यवहार करना अथवा भारत की प्रभुसत्ता अथवा एकता को खतरा पैदा करना— अर्थात् डकैती, कत्ल, विमान अपहरण। इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए विशिष्ट दन्ड उपबन्ध मौजूद हैं। अत: आप उन सभी को एक कानून के अन्तर्गत को लाना चाहते हैं ? विमान अपहरण —विरोधी कानून मौजूद है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विमान अपहरण का अपराध करता है, तो उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कत्ल करने का दोषी है, तो उससे निपटने के लिए कुछ उपबन्ध मौजूद हैं। आप इन सभी अपराधों को एक कानून के अन्तर्गत क्यों लाना चाहते हैं ताकि "उपयुक्त तथा शीघ्र मुकद्दमा" चलाया जा सके ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : और साक्षियों को संरक्षण देने के लिए।

श्री चित्त बसु : अत: यहां पर लगाये गये सभी आरोप अस्पष्ट हैं और सामान्य तौर पर कहे गए हैं। बिना सोच विचार के कार्य करने वाली नौकरशाही तथा सहज ही गोली चलाने वाली पुलिस ही ऐसी एजेन्सियां हैं जो खुश होगी और जो आपको बधाई देगी। इसके अलावा आपको कोई भी बधाई नहीं देगा।

इसके पश्चात् मैं प्रमाण के दायित्व की बात को लेता हूं। इसको आपने अभियुक्त पक्ष से अभियोजित पक्ष पर डाल दिया है। इससे मौजूद विधिशास्त्र प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जायेगी।

श्री पी० वेन्कटसुब्बैया : नहीं, नहीं, कुछ अधिनियमों में पहले ही ऐसी व्यवस्था है।

श्री चित्त बसु : शायद आप बलात्कार के मामलों का उल्लेख कर रहे हैं। यदि उस उदाहरण को प्रस्तुत करना है तो, मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। अपराध विधि में इस उपबन्ध की व्यवस्था की गई थी ताकि उस निर्धन, निर्दोष, असहाय महिला की सहायता की जा सके। जिसके साथ

पुलिस संरक्षण में बलात्कार किया गया। और जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकी। यदि आपकी यह धारणा है तो मुझे आप पर दया आती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हाल ही में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्री चित्त बसु : फिर गुप्त मुकदमों की व्यवस्था है जिससे यह आशंका होती है कि मुकद्दमें में आप कोई मनमाना फैसला लेने वाले हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : गुप्त मुकदमों में भी वकील उपस्थिति होंगे। गुप्त मुकदमें में केवल यह अर्थ है कि बाहर के व्यक्तियों को कार्रवाई देखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री चित्त बसु : आतंकवादी हर एक जगह हैं। यहां तक कि सभा में भी। अदालत के कमरों पर भी आतंकवादियों का कब्जा हो जाऐगा। आपने खुली अदालतों का त्याग कर दिया है; आपने सामान्य कानूनी उपायों का त्याग कर दिया है। यह निश्चित है कि ऐसा ही करते-करते आप इस संसद के दरवाजों को भी बन्द कर देंगे।

सभापति महोदय : आप आतंकवाद को पंजाब से इस सभा तक ला रहे हैं।

श्री चित्त बसु : यदि खुली अदालतें खतरनाक हैं। सामान्य कानून उचित नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक दिन, वह दिन दूर नहीं है, आप यह कहेंगे 'हम संसद के दरवाजे ही बन्द करते हैं।"

एक माननीय सदस्य : ये तो पहले ही बन्द हैं।

श्री चित्त बसु : इसलिए ये उसी बात के संकेत हैं कि हमारे देश के लोकतन्त्र के लिए बुरे संकेत हैं।

महोयय, मैं जे० बी० कृपलानी द्वारा उस समय कही गई बात, जब वे आपकी पार्टी में थे, दोहराना चाहता हूं। यह बात उन्होंने लोकतन्त्र की रक्षा में आपकी भूमिका के प्रति कही थी। जब इस सभा में निवारक नजरबन्दी की आवश्यकता पर बाद विवाद हो रहा था, तब उन्होंने शासक दल को सम्बोधित करते हुए कहा था; "यह विपक्ष नहीं है, ये गुन्डे नहीं हैं, ये काला-बाजारिए नहीं है ये साम्यवादी भी नहीं हैं ये आप ही हैं जो इस नवजात लोकतन्त्र के सबसे बडे शत्रु हैं।"

इसलिए महोदय, वे लोकतन्त्र के लिए खतरा हैं। हम नहीं। विपक्ष लोकतन्त्र के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा है। मैं सोचता हूं कि यदि कृपलानी जीवित होते, तो वे खुद ही इन शब्दों को दोहराते। अत: इन्हें इन शब्दों पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री जा स इस विधयक का वापस लेने का और इस प्रकार लोकतंत्र

[श्री चित्त बसु]

की जड़ो को मजबूत करन का अनुरोध करता हूं। लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने से ही देश की ताकत, सम्पन्नता और एकता में वृद्धि हो सकती है।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेम पुर) : सभापति महोदय, हमारे विद्वान मंत्री जी ने स्पेशल कोर्ट अध्यादेश को बिल का रूप देने के लिए इस सदन में जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं कुछ कहनें के लिए यह कहना चाहता हूं कि मैं एक साधारण किसान परिवार का हूं, देहात से आया हूं। मैंने सोचा था कि ये हमारे विरोधी दल के बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, ये कुछ ऐसी भूमिका निभायेंगे जिससे यह लगे कि इस सदन में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। ये एक ऐसा माहौल बनायेंगे जिससे देश में शांति हो और देश का माहोल अच्छा बने, किन्तु बड़ी निराशा हुई, विरोधियों के अन्दोलनों से।

हमारे विरोधी हमें माफ करेंगे, हमें अफसोस यह है कि इस वक्त सती को उपदेश कौन दे रहा है, जो बाजारू औरतें हैं वह दे रही हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रोफेसर बड़े लर्नेड हैं, वह ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, लेकिन जिनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, वोट में विश्वास नहीं, वह हमको उपदेश दे रहे हैं प्रजातन्त्र का उनके नेता जो विश्व के बड़े नेता थे, हमें यान है कि अपनी बात मनवाने के लिए अपने जूते मेज पर पीटते थे। अगर उनके यह अनुयायी हैं तो आप अभी भी उनसे कम बोल रहे हैं;

क्या यह बात सत्य नहीं कि आप उस दल को बिलांग करते हैं, आपके वह नेता आदर्श हैं— जिन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए अपने साथियों को हथौड़े से पिटवाकर मारा ? इतना ही नहीं, अपने विरोधियों की लाशों को निकालकर उससे वैर साधा। आज वह उपदेश देना चाहते हैं प्रजातंत्र का ? यह भी उसके आर्गूमेंट में आता है, जैसा आपने कहा था।

हमें अफसोस है कि हमारी सरकार इतनी उदार है कि अभी जो करना चाहिए वह नहीं कर रही है। अभी-अभी अखबार में हमने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मिलट्री के सेनापति, राष्ट्रपति का बहिष्कार करेंगे। क्या यह देशद्रोह नहीं है ? हमारी सरकार उनके खिलाफ क्या कर रही है ?

संविधान जलाया जा रहा है। कुछ लोगों को जेल में बन्द किया गया और तुरन्त छोड़ दिया गया, क्या यह उदारता नहीं है ? मैं तो कहता हूं कि शासन को इतना उदार नहीं बनना चाहिये। आज इतना उदार बनने का ही फल मिल रहा है।

दिल्ली में खालिस्तान का नारा लगाया जाता है और हम खामोश बैठे हैं। अभी एक मामूली स्पेशल कोर्ट की बात है, कितना हल्ला मचा रहे हैं ? पंजाब में इतने कांड हुए, निरीह लोगों

की हत्यायें हुई, यह ऐलान किया गया कि सच्चा अकाली वह है, जो कम से कम तीन हिन्दुओं को मारे।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला (संगरूर) : 35 को।

श्री राम नगीना मिश्र : अब भी कहा जा रहा है कि खालिस्तान लेकर रहेंगे। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। स्टेशन जलाए जाते हैं और ट्रेनें लूटी जाती हैं। ये स्पेशल अदालतें तो बहुत पहले बननी चाहिए थीं। माननीय सदस्य आतंकवादियों को दो साल तक डीटेन करने के बारे में कह रहे हैं। जो लोग देश के टुकड़े करने जा रहे हैं, जो बगावत करने जा रहे हैं, उनको केवल दो साल तक रोककर क्या करेंगे ? उनके खिलाफ और कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं विरोधी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सदन में उन्होंने कभी किसी अच्छे कदम का समर्थन किया है। हमें वे दिन याद हैं, जब पंजाब में आतंकवाद का जोर था। उन्होंने कभी भी प्रधानमन्त्री से आग्रह नहीं किया कि वह पंजाब की घटनाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं।

जब आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गया और प्रधानमन्त्री ने देखा कि देश के टुकड़े हो जाएंगे और तब उन्होंने फौज इस्तेमाल की, तो यह देखकर शर्म आती है कि विरोधी खेमे के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि पंजाब में फौज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज विरोधी दलों के मन में बौखलाहट है। आम जनता में यह चर्चा है कि पता नहीं, विरोधी दलों की क्या सूझ-बूझ है कि वे देश के टुकड़े करने जा रहे हैं। आप गांवों में जाइए, सब लोगों का यही मत है। कुछ नेताओं ने जरूर कहा कि यह कार्यवाही ठीक हुई है, यह पहले होनी चाहिए थी। मैं उनकी सराहना करता हूं।

जब यह बिल सदन में आया, तो विरोधी दलों को इसमें अमंडमेंट देने के बजाए सरकार के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव लाना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि स्पेशल अदालतें पहले बननी चाहिए थीं। उन्हें यह संशोधन देना चाहिए था कि जो लोग देश के टुकड़े करने जा रहे हैं, जो राष्ट्रपति और सेना के उच्च अधिकारियों का बायकाट करने जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन वे क्या कर रहे हैं ;

गाय और भैंस पर जो जोंक लगती है, वह केवल खून पीती है, दूध नहीं पीती है। उसी तरह उन लोगों को हर बात में केवल बुराई नजर आती है, अच्छाई किसी बात में नजर नहीं आती है। यह चश्मे का अन्तर है। इनकी दृष्टि में कोई विकास का काम अच्छा नहीं है, देश की रक्षा का काम अच्छा नहीं है।

हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भारत वर्ष का एक नौजवान अंतरिक्ष में गया और सकुशल पृथ्वी पर लौटकर आया। सारे देश में इस पर खुशी मनाई गई। लेकिन विरोधी दल के एक बड़े नेता ने कहा कि इससे देश का भला नहीं होगा। उनसे पूछिए कि किस बात से देश का भला होगा। यह वह देश है, जहां हम एक सुई भी नहीं बना सकते थे। उस देश का एक नौजवान

[श्री राम नगीना मिश्र]

सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में गया है । अगर इन लोगों के हाथ में देश के शासन की बागडोर आएगी, तो देश को रसातल में ले जाएंगे । एक बार लोगों ने इनको शासन दिया था । उस समय इन्होंने क्या चमत्कार किया ?—इन्होंने केवल यह काम किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार को समाप्त करो, उनके घर की खुदाई करो, उनको जेल में बन्द करो। (व्यवधान) यह भी एक तर्क है। कोई बात सिद्ध करने के लिए बाहरी बातें भी कहनी पड़ती हैं।

एक आदेश दिया जाता है : मारो मत, छोड़ो। हम कहते हैं कि इसको मत मारो, छोड़ दो । लेकिन प्रोफेसर साहब के पास बहुत बुद्धि है। वह इसको उल्टा पढ़ देते हैं वह कहते हैं : मारो मत छोड़ो। इसका इलाज क्या है ? मार, मत छोड़ो—ये पिटवा देते हैं, हम तो कहते हैं छोड़ने के लिए और ये पीटने के लिए कहते हैं। इसमें हमारा दोष क्या है ? यह स्पेशल अदालतें इसलिए बनी हैं कि जितने भी आततायी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए जिससे कि देश में शांति स्थापित हो। लेकिन ये कहते हैं कि उनको क्यों बन्द किया जा रहा है। और बन्द कमरे में सुनवाई करने की जो व्यवस्था की गई है वह तो मैं समझता हूं आतंकवादी के हक में हो रहा है कि कहीं उसके ऊपर अन्याय या जुल्म न होने पाए। एक अत्याचारी जिसने 10-20 कत्ल किए हैं उसको अगर खुली अदालत में पेश कर दिया जाए तो क्या वहां की जनता इसको बर्दाश्त करेगी ? अदालत के फैसले के पहले ही जनता अपना फैसला दे देगी। इसलिए मैं सोचता हूं बंद कमरे में कार्यवाही करना उसके हक में रहेगा, वहां पर यह पता चल सकेगा कि कहीं उसको गल्ती से तो मुजरिम नहीं बनाया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि विरोधी दल को इसकी तारीफ करनी चाहिए न कि विरोध।

अभी एक बुजुर्ग नेता, सुभाष बाबू के दल से सम्बन्ध वाले, ने कहा कि हमारे दरवाजे लोक-सभा के लिए बन्द हो जायेंगे। मैं समझता हूं इन विरोधियों का कोई आदर्श होते तो कोई पैरेलल नियम बनाकर पेश करते और कहते कि शासक दल इन नियमों को एक्सेप्ट करे, इससे देश में शान्ति आ सकेगी पैरेलल नियम तो इन्होंने कभी बनाए नहीं क्योंकि ये जानते हैं कि कभी शासन में तो आना नहीं है इसलिए केवल विरोध ही करो। केवल विरोध करने के लिए ही विरोधी दल नहीं हुआ करते हैं लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, इस देश के विरोधी दलों की भूमिका तो यह होनी चाहिए थी कि अगर शासक दल ठीक से काम न करे तो उसको सजेस्ट करें कि राष्ट्र की भलाई के काम करो। और जब हम राष्ट्र के हित में काम करते हैं तो ये चाहते हैं कि देश में आतंक फैले हैं। हमारे कम्युनिस्ट भाइयों की तो वह थ्यौरी है कि देश में जितनी अराजकता फैलेगा, उनका उतना ही काम होगा। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि यह भारतवर्ष है, रूस और चीन नहीं है। यह देश बड़े-बड़े ऋषियों का देश है जिन्होंने तपस्या करके एक एक चीज की रिसर्च की थी। यह दुर्भाग्य है कि अभी आप लोग जीवित हैं; आपकी पार्टी जीवित है। वह दिन दूर नहीं जब लोक सभा के दरवाजे आपके लिए बन्द होंगे, किसी और के लिए नहीं। मान्यवर, मैं थोड़ा सा भावावेश में आ गया था विरोधी दल की बातें सुनकर।

जहां तक इस बिल का सवाल है मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब हम लोग देहात में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे भाई, पंजाब में इतना रक्तसंहार हुआ, आज भी तमाम हथियार,

बम और बन्दूकें मिल रही हैं, आज भी डकैतियां हो रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं—क्या ऐसे लोगों के कैसेज भी स्पेशल अदालतों में पेश हो सकेंगे जिन्होंने दस-दस, बीस-बीस कत्ल किए हैं उनके फैसले इन अदालतों में होंगे या नहीं ?

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आपको मालूम नही कि आपकी मिलिट्री के 80 प्रतिशत वीपन्स टेरोरिस्ट्स के हाथों में है । आपकी सरकार क्या करती रही ?

श्री राम नगीना मिश्र : जिसमें शक्ति होती है वह धैर्य रखता है। हमारी पार्टी और श्रीमती इन्दिरा गांधी में शक्ति है । वे तब तक बर्दाश्त करती हैं जब तक कि पानी नाक तक नहीं आ जाता । यदि पानी नाक तक आ जाए तो तुरन्त फैसला करती हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसा चमत्कार किया कि आपका कोई नामलेवा नहीं रहेगा । इसलिए आप परेशान हो रहे हैं । पंजाब के आतंकवादियों ने इतना नरसंहार किया, वे इतने हथियार ले आए थे कि अगर हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी एक हफ्ते भी लेट हो गई होतीं तो उन्होंने कश्मीर और पंजाब को देश से अलग ही कर दिया होता ।

3.00 **म. प.**

इतने हथियारों को लाने में जो तमाम लोग शरीक हैं; तो क्या अदालत में फैसला करने के लिए आपने कोई प्रावधान किया है । जिन्होंने दस-बीस कत्ल किए, राष्ट्र को तोड़ने का काम किया, उनके लिए दो साल की सजा होगी या उसके लिए भी कुछ प्रावधान है । जब ऐसे लोगों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसे अत्याचारियों के हौंसले पस्त नहीं होंगे । आप जान लीजिए यदि पंजाब में ऐसा न हुआ होता तो और भी प्रदेशों में ऐसी स्थिति न होती । शास्त्री जी जानते हैं कि बिहार में भी कुछ लोग इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करने के लिए सिर उठा रहे हैं ।

सभापति महोदय : मिश्र जी अब आप परसों अपना भाषण जारी रखिएगा ।

———

3.01 **म प**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का 26वाँ और 27वां प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग का पहला और दूसरा प्रतिवेदन

सभापति महोदय : अब हम अगली मद लेंगे । श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

करती हूं कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1978-79 और 1979-81 से सम्बन्धित क्रमशः 26वें प्रतिवेदनों, जो क्रमशः 22 दिसम्बर, और 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा-पटल पर रखे गए थे तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के जुलाई, 1978 से मार्च, 1979 तक और अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 तक से सम्बन्धित क्रमश. पहले और दूसरे प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 22 दिसम्बर 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखे गए थे, विचार करती है।"

जैसी कि इस सभा के माननीय सदस्यों को जानकारी है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का छब्बीसवां प्रतिवेदन 22 दिसम्बर, 1980 को और आयुक्त का सत्ताइसवां प्रतिवेदन 18 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखा गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की इन दो प्रतिवेदनों के अतिरिक्त अनुसूचित जतियों औरअनुसूचित जनजातियों के आयोग का प्रथम प्रतिवेदन 22 दिसम्बर, 1980 और आयोग का इसका प्रतिवेदन 11 अगस्त, 1982 को सभा-पटल पर रखा गया था।

आयुक्त और आयोग ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन चार प्रतिवेदनों पर माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए विचार किए जाए।

भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से सचेत है। इन समुदायों, जो हमारी जनसंख्या का चौथाई भाग है, के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की भारी चिंता और वचन बद्धता इस सरकार द्वारा 1980 में सत्ता में आने पर आरम्भ किए गए सुदृढ़ उपायों में परिलक्षित होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की गति को तेज करने को 14 जनवरी,1982 को प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20 सूत्री-आर्थिक कार्यक्रम में सूत्र संख्या 7 के रूप में सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप-योजना से सम्बद्ध करके भारी निवेश किया गया है। यह प्रक्रिया जारी है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक उत्साह से जारी रखी जाएगी।

आगामी सातवीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की नीति पर विचार किया जा रहा है और हमने गृह मंत्रालय में संसद के दोनों सदनों के अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के माननीय सदस्यों के साथ दो बैठकों में इस नीति पर विचार विमर्श करने की पहल है। हम उन माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने हमारे आमंत्रण पर निरन्तर अनुकूलप्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस चर्चा में भाग लिया और उन दोनों बैठकों में अपने मूल्यवान सुझाव दिए।

आयुक्त ने अपने 26वें और 27वें प्रतिवेदन में क्रमश: 313 सिफारिशें और 381 सिफारिशें की हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने पहले और दूसरे प्रतिवेदनों में क्रमश: 273 और 626 सिफारिशें की हैं।

अब ये चारों प्रतिवेदन विचार के लिए हमारे सामने हैं। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि उन प्रतिवेदनों में की गयी विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों से हम अत्यन्त लाभान्वित होंगे। धन्यवाद

*श्री **बाजूबन रियान** (त्रिपुरापूर्व) : सभापति महोदय, यहां सदन के समक्ष विचार के लिए दोनों की दो-दो रिपोर्टें प्रस्तुत की गई है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की है तथा दूसरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कुल मिलाकर चार रिपोर्टों पर चर्चा की जा रही है यद्यपि यह रिपोर्टें चर्चा के लिए काफी विलम्ब से आयी, तथापि इन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक और उपयोगी है। यह रिपोर्टें सभा-पटल पर 22 दिसम्बर, 1980 और 11 अगस्त, 1981 को रखी गई किन्तु हम आज इतने लम्बे अर्से के पश्चात इन पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार से सदन द्वारा इन पर काफी पहले चर्चा की जानी चाहिए थी। आयोग तथा आयुक्त ने इन रिपोर्टों को तैयार करने में काफी मेहनत की है। उन्होंने मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए कई राज्यों का दौरा किया अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की। उन्होंने तथ्य और आंकड़े एकत्र किए और विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए चलायी जाने वाली कल्याण योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेशों का अध्ययन किया।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : गणपूर्ति भी हो, तो भी कम से कम शिष्टाचार तो होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह कोई मामूली मामला नहीं है कि वहां ऐसी मौजूदगी हो।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : अभी थोड़ी देर पहले, एक हमारे नेता बड़ी उदारवादी बात कह रहे थे। उन लोगों की यही उदारवादी बात है ?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ऐसे कोई नहीं आएगा, आप कौरम बेल बजाइए।

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोरम के लिए घंटी बजायी जा रही है··· अब कोरम है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

***श्री बाजूबन रियान** : इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी इन रिपोर्टों में शामिल की गई है। उन्होंने इन समस्याओं के व्यापक विश्लेषण के पश्चात इन्हें हल करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें की हैं। मंत्री महोदया ने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में स्वयं स्वीकार किया है कि इन चार रिपोर्टों में काफी सिफारिशें की गई हैं किसी रिपोर्ट में 273 सिफारिशें हैं, किसी में 381 सिफारिशें और किसी में लगभग 700 सिफारिशें हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इन सिफारिशों को, जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त और आयोग द्वारा काफी मेहनत से तैयार किया गया कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं मुख्य प्रश्न यह है कि इसे कौन देख रहा है इन रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होगा कि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत कुछ कर रही है और हमारे देश के कमजोर वर्गों को इससे लाभ मिल रहा है। किन्तु वास्तव में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई है। इन चार रिपोर्टों में बहुत सी सिफारिशें की गयी हैं किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि उनमें से कितनी सिफारिशें राज्य सरकारों तथा विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की गयी हैं। हमने अभी देखा है कि इस सदन के बहुत से सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं में रुचि नहीं रखते। हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा काफी लम्बे अर्से के पश्चात हो रही है और सातवीं लोक सभा में शायद यही एक अवसर है जब इस महत्वपूर्ण गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही हो। तब भी हम यह देख रहे हैं कि सदस्य के न्यूनतम कोरम को पूरा करने के लिए कोरम की घंटी बजानी पड़ रही है। यह एक दयनीय स्थिति है। यह एक आइना है जिससे आप भली-भांति अन्दाजा लगा सकते हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए देश भर में विभिन्न राज्यों में शासन तंत्र तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कितनी रुचि ली जाएगी। हम जहां कहीं गए, हमने पाया कि आदिवासी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग भुखमरी की स्थिति में हैं।

उन्हें रहने के लिए मकान या सिर छुपाने तक के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है।

जिन लोगों ने कुछ शिक्षा पायी है और हायर सेकेण्डरी स्तर से अधिक पढ़े हैं और तकनीकी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के एक सदस्य के रूप में मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु विभिन्न राज्यों और

* बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

प्रतिष्ठानों का दौरा करने के मौके मिले हैं ; मैंने देखा है कि अनेक सरकारी उपक्रमों और सरकारी विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दी गयी रोजगार आरक्षण अनुपात व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत की गयी रोजगार आरक्षण व्यवस्था का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। छोटी श्रेणी की नौकरियों में रिक्त पदों को भरते समय भी जिनके बारे में राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर फैसला किया जाता है इन लोगों को कहीं भी अपेक्षित नौकरियां नहीं दी गयी हैं। यह बात गम्भीर और शोचनीय मामला है, महोदय इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अच्छे स्कूलों में अध्ययन करने और बेहतरीन परिणाम प्रदर्शित करने के वास्तव में कोई अवसर नहीं मिलते हैं ; इस कारण मैं इस बात से सहमत हूं कि इनके लिए व्यावसायिक अध्ययन में प्रवीण होना अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्थान पाना और अच्छी नौकरी पाना बहुत कठिन है। परन्तु यदि सरकार ऐसा चाहे तो उसे कम से कम निम्न श्रेणी के बेरोजगार देने चाहिए जिनके लिए उनकी जो भी कम से कम शिक्षा है वह पर्याप्त है। ऐसे अनेक किस्म के काम हैं जिनमें अधिक शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी की और अन्य प्रतिष्ठानों में 'घ' श्रेणी की नौकरियां हैं। उन नौकरियों में आठवीं श्रेणी तक की शिक्षा पर्याप्त है। यहां तक कि जो व्यक्ति केवल हस्ताक्षर करना जानता है वह भी अपना काम और दायित्व पूरा कर सकता है। देश भर में किसी भी राज्य में आपको एक भी विभाग ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर यह कोटा भी पूरा भरा गया हो। आप केन्द्रीय सरकार का कोई भी विभाग लें, चाहे यह डाक और तार विभाग हो अथवा कोई राष्ट्रीयकृत बैंक हो अथवा भारतीय तेल निगम या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 'घ' श्रेणी का कोटा किसी भी विभाग में नहीं भरा गया है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार के अवसर नहीं देना चाहती है ? यदि वे इच्छुक होते, तो कम से कम छोटे दर्जे की नौकरियां देने में कोई दिक्कत नहीं आयी होती।

भूमि सुधार के नाम पर पिछले 37 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने भारत में अनेक कानून बनाये हैं। उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों को बड़े जमीदारों और जोतदारों की फालतू जमीन गरीब अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में बांटने के लिए आदेश जारी किए हैं। लेकिन क्या वास्तव में इनकी क्रियान्विति हुई है। इन रिपोर्टों में हमने देखा है कि देश के किसी भी राज्य में पूरे तौर पर इनकी क्रियान्विति कहीं भी नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि भूमि के कब्जे को लेकर सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों के बीच लगातार विवाद और झगड़े होते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अनेक स्थानों में हमने देखा है कि सरकार ने कागजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच फालतू जमीन बांट दी है और कागज सौंप दिए हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग उस जमीन पर कब्जा करके उसे सुरक्षित रख रख पाते हैं अथवा नहीं। जब वे गरीब लोग अपनी जमीन जोतने गए तो उन्हें मार दिया गया।

[श्री बाजूबन रियान]

कई स्थानों पर उन : पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। कई अन्य स्थानों पर पूरी पीढ़ी का सफाया कर दिया गया था। यह तस्वीर है भूमि सुधारों की, जो हम सब जगह देखते हैं। यदि इस सरकार की नियत सही होती, तो वह पूरे देश में 'बारगा' कानून अथवा भूमि सुधार के अन्य विधानों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू कर सकती थी। उन राज्यों में, जहां वामपंथी मोर्चा सरकार सत्ता में है, इन विधानों को सही ढंग से लागू किया गया है और उसके परिणामस्वरूप अनुसूचित, जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को काफी हद तक भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया है और वे पूर्ण स्वामित्व के अधिकार के साथ अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से यह पूछूंगा कि क्या वे ऐसे किसी भी राज्य में, जहां काफी लम्बे समय से कांग्रेस दल सत्ता में रहा है और आज भी है, 'बारगा' आदि कानूनों को इतने प्रभावपूर्ण ढंग से लागू कर सके हैं? क्या ऐसा कोई भी उदाहरण बता सकते हैं? बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में तो यह देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग उस भूमि पर अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं। जो पहले से ही उनके कब्जे और स्वामित्व में थी और उनकी भूमि का स्वामित्व प्रभावशाली लोगों को दिया जा रहा है। सरकार ने एक विधान पारित किया है जिसके अन्तर्गत यह भूमि पुनः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दे दी जाएगी। परन्तु वास्तव में आप उन लोगों को कितनी भूमि वापिस दे सके हैं? उस दिशा में ईमानदारी से कितना प्रयास किया गया है? इन प्रतिवेदनों से यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग, जिन्हें हम 'हरिजन' कहते हैं, सदा ही अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। उन पर होने वाले इन अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से 1955 में नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित प्रशासकीय ढांचा स्थापित करें। परन्तु क्या वास्तव में उनके अधिकारों की रक्षा हुई है? इन प्रतिवेदनों में विभिन्न राज्यों के उन हरिजनों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े भी दिए गए हैं, जो अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। यदि आप चाहें तो मैं ये आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं पर मेरे विचार से आज सभी ने ये प्रतिवेदन पढ़े हैं और उक्त आंकड़े स्वयं देख चुके हैं। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि अनुसूचित जनजातियों और हरिजनों को यद्यपि ब्रिटिश शासन से आजादी मिल चुकी है परन्तु वे अभी भी भारत के लोगों के अधीन हैं। उनके साथ अभी भी गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में हम चार प्रतिवेदनों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों का शैक्षिक स्तर बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कुछ स्थानों पर उक्त जातियों के छात्रों को वजीफे दिए जा रहे हैं और कई स्थानों पर इनके लाभ के लिए होस्टल बनाए गए हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इन होस्टलों को उचित ढंग से चलाया जा रहा है और उनका उचित रख-रखाव किया जा रहा है और क्या उन्हें दी जाने वाली वजीफे की राशि उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त

है। यदि वजीफे की राशि अपर्याप्त है तो क्या ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका अपने घरों से धनराशि प्राप्त करने का कोई स्रोत है ? मेरा यह अनुभव है कि केन्द्रीय सरकार की वजीफा योजना के अन्तर्गत इन छात्रों को, जो विभिन्न राज्यों में होस्टलों में रहते हैं और माध्यमिक स्तर से नीचे पढ़ रहे हैं, 100 रुपए से काफी कम राशि वजीफे के रूप में मिलती है। किसी जगह यह वजीफा 30/-रुपये है। किसी जगह 45-/रुपये और कहीं-कहीं 60/-रुपये है। देश के विभिन्न राज्यों में वजीफे की अलग-अलग दरें हैं। लेकिन महोदय, जिन राज्यों में वामपंथी मोर्चे की सरकारें हैं, जैसे त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को दिए जाने वाले वजीफे की दर कुछ अधिक है। यदि केन्द्रीय सरकार हमें और धनराशि मुहैया कराए, तो हम सम्भवत: और भी अधिक वजीफा दे सकेंगे। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र जैसे अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में वजीफे की दर मात्र 45/-रुपए प्रति माह है। मुझे यह ज्ञात नहीं कि 45/-रुपए महीने में कोई छात्र दोनों समय का खाना भी खा सकता होगा। महोदय, संसदीय समिति के सदस्य के रूप में मुझे कई बड़े होटलों में जाने का मौका मिला। वहां मुझे एक मुर्गा 45-/रुपए से भी अधिक का मिला। इसलिए भारत मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को एक मुर्गे की कीमत से भी कम वजीफा दिया जा रहा है। ऐसी हालत में ये छात्र पढ़ाई के क्षेत्र में क्या कर पाएंगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में यह स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों की वजीफा की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, भारत के पूर्वोत्तर भाग में आदिवासी आन्दोलन और आतंकवादी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। समाचारों में ऐसा बताया गया है कि त्रिपुरा में भूमि पर अत्यधिक दबाव होने के कारण जिसकी वजह से अदिवासी अपनी भूमि पर अधिकार खोते जा रहे हैं, वे आतंकवादी गतिविधियों की ओर मुड़ रहे हैं। मैं इस कथन को स्वीकार नहीं करता। मणिपुर नागालैंड मिजोरम आदि जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसे ही आन्दोलन चल रहे हैं। त्रिपुरा सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी एक ही प्रकार के आन्दोलनों में ग्रस्त हैं। यह सच है कि त्रिपुरा में भूमि की समस्या है। महोदय, वर्ष 1985 में 1962 में और भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 के दौरान बंगलादेश भारत, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आए। नेहरू लियाकत अली समझौते में यह व्यवस्था, की गई थी कि भारत में आने वाले किसी भी शरणार्थी को आश्रय दिया जाएगा। इन्ही कारणों से भारत में भारी संख्या में आए शरणार्थियों को पहले त्रिपुरा में आश्रय दिया गया और बाद में वे यहीं बस गए। यदि भारत सरकार इन शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में बसाती तो त्रिपुरा में भूमि पर इतना ज्यादा और गम्भीर दबाव न होता।

त्रिपुरा के आदिवासी अपनी जीविका के लिये भूमि पर निर्भर करते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश से आये शरणार्थी भी भूमि से ही जीविका का साधन जुटाते हैं। ऐसा इसलिए है कि आपकी मेहरबानी से त्रिपुरा में कोई भी उद्योग नहीं लगा गया है। यदि त्रिपुरा में कुछ उद्योग होते, तो सीमा पार से आये शरणार्थियों को इन उद्योगों में रोजगार मिल जाते और उन्हें जीविका निर्वाह के लिये भूमि पर ही पूर्णत: निर्भर रहना नहीं पड़ता। इससे भूमि पर इतना भार नहीं पड़ता। यदि इन

[श्री बाबूबन रियान]

शरणार्थियों को अन्य राज्यों में भी पुनर्वास दिया जाता, तो भी भूमि पर पड़ने वाला भार बहुत कुछ कम हो जाता और भूमि पर कब्जा करने से संबंधित ये उग्रवादी आन्दोलन बिल्कुल ही नहीं होते ।

परन्तु महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलने वाला आतंकवादी आन्दोलन केवल भूमि संबंधी समस्या के कारण नहीं । उसमें कुछ ईंधन भी डाला गया है, इस बात को आप भी जानते होंगे । बंगाली शरणार्थी नागालड, अथवा मणिपुर या त्रिपुरा नहीं गये, फिर भी इन राज्यों के आदिवासी क्यों नाराज हैं ? ये आदिवासी विद्रोह क्यों कर रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं। इन क्षेत्रों के आदिवासी इसलिये नाराज हैं कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार उन्हें घटिया तथा दूसरे दर्जे के नागरिक मानकर उन्हें नीचा दिखाती है केन्द्रीय बजट में उनके लिये जो थोड़ा-बहुत प्रावधान होता है, वह उन तक नहीं पहुंच पाता क्या आप अपने 37 साल के लंबे शासन काल में त्रिपुरा में एक कागज मिल नहीं लगा सकते थे , क्या आप त्रिपुरा में फलों को डिब्बे में बन्द करने का उद्योग अथवा फल परिरक्षण उद्योग नहीं लगा सकते थे । क्या आप त्रिपुरा में गन्ने या कृषि पर आधारित या रबड़ पर आधारित कोई उद्योग नहीं लगा सकते थे ? आप ऐसा ब खूबी कर सकते थे, परन्तु आ ऐसा करना ही नहीं चाहते थे ।

आप ने आदिवासियों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं बनाई हैं उसका मूल उद्देश्य चुनावों के दौरान आदिवासियों का वोट बटोरना है । आप उनकी आर्थिक समस्याओं के समाधान में बिल्कुल रुचि नहीं रखते । यदि आप रुचि रखते तो उनके विकास के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते थे । महोदय, आप जानते हैं कि त्रिपुरा की वामपन्थी सरकार ने स्वायत्तशासी जिला परिषद् का गठन किया है। परन्तु केन्द्रीय संरकार धन नहीं दे रही है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है ? त्रिपुरा के सभी वर्गों के लोग मांग कर रहे हैं कि संविधान की छठी सूची के अंतर्गत स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन किया जाये जिससे उक्त परिषद आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये पूरी शक्तियों तथा स्वायत्तता के साथ काम कर सकें। मैं मांग करता हूं कि इसकीअ नुमति दी जाये । रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के नियमों को कार्यान्वित करने वाला कोई नहीं है । राज्य सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं जो कुछ धन दिया जा रहा है, उसे बरबाद कर दिया जाता है । योजनाएं विफल हो जाती हैं । मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि योजनाएं विफल हो जाती हैं और धन बरबाद होता है क्योंकि उसकी देख रेख करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कोई तंत्र नहीं है। क्या आप त्रिपुरा में छठी सूची को लागू करके एक नया अध्याय खोलने का अवसर देंगे । मैं आपको त्रिपुरा आने का निमंत्रण देता हूं ताकि आप स्वयं देख सकते हैं कि त्रिपुरा की वामपंथी सरकार आदिवासी कल्याण के लिये आपके द्वारा दिये गय धन का किस प्रकार उपयोग कर रही है ।

महोदय, हमारे देश के हरिजन निरंतर पीड़ा, दवाब और अत्याचार के शिकार रहे हैं आप "टाइम्स आफ इण्डिया" अथवा स्टेट्समैन आदि कोई भी अग्रणी समाचार पत्र किसी

दिन देखिये, आप् देखेंगे कि हरिजन मारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं प्रतिदिन ऐसा होता है। कभी विहार में, कभी महाराष्ट्र में कभी उत्तर प्रदेश में कभी तमिलनाडु आदि में उनके मारे जाने की ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। वे भारी तादात में मारे जा रहे हैं। हमने सुना है कुछ राज्यों में सामूहिक हत्याओं की साजिस में पुलिस शामिल होती है। मैं इस सभा से नम्र निवेदन करूंगा कि हरिजनों को इन सामूहिक हत्याओं और इस तरह के अन्य अत्याचारों से बचाने का कोई उपाय निकालें।

महोदय, ये चार रिपोर्ट सभा में चर्चा के लिये बहुत विलंब से लाई गई हैं। उन पर बहुत पहले से ही चर्चा हो जानी थी। फिर भी मैं आशा करता हूं कि इन रिपोर्टों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा और सरकार उन्हें सही मायने में कार्यान्वित करेगी। इस आशापूर्ण टिप्पणी के साथ मैं समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, आज हम अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त की वर्ष 1978-79 और 1979-81 की रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह सदन कम-से-कम साल में एक या दो बार उन तमाम लोगों के लिये दिल की गहराई के साथ चिन्ता तो कर लेता है, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्र के निर्माताओं ने, विधान के निर्माताओं ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया था, चिन्तन किया था।

श्री सूरज भान : 5 साल के बाद एक बार चर्चा हो रही है।

श्री डी० पी० यादव : डिस्कशन तो हम किसी न किसी तरह हर साल कर ही लेते हैं।

एक जमाने में जब कुछ लोगों को अछूत कहा जाता था तो उसके मेदभाव के अलग-अलग क्राइटीरिया थे। जो लोग छुआछूत से जाने जाते थे, उनको हमने अछूत कहा, जो पहाड़ की तलहटी में रहते थे, उनको शिड्यूल्ड ट्राइव कहा और सामाजिक व शैक्षणिक तौर से पिछड़े हुए थे, उनको पिछड़ा वर्ग कहा। लेकिन इन तमाम चीजों को समझने और जानने के लिये जब तक हम इसके इतिहास में नहीं जायेंगे तो शायद यह देश को गुमराह करना होगा कि हमने समाज के उस उपेक्षित कमजोर तबके के लिये कुछ नहीं किया है। अगर हम कुछ नहीं करते तो संविधान में जिन धाराओं का हमने समावेश किया है—अर्थात धारा 15, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 35, 38, 46, 164, 244, 244-ए, 275, 320-ए, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 371-ए, 371-बी, 371-सी।

पूरे संविधान में हर जगह, हर क्षण हमने इस बात की कोशिश की कि समाज के वे उपेक्षित वर्ग, किसी भी स्थिति में कानून के दायरे में फंसकर, जिन लोगों ने आज तक उस समाज का शोषण किया, वह पुनः उनके शोषण में नहीं आ सकें। इसलिये हमने भारत के संविधान में ही उन तत्त्वों

[श्री डी० पी० यादव]

को रखा और उन चीजों का समावेश कर दिया जिससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की सुरक्षा हम कर सकें।

बहुत बड़ा सवाल उठता है कि रिजर्वेशन जहां पर जितना परसैंटेज चाहिए, हम पूरे आंकड़ों के मुताबिक नहीं कर सके। मैं यह अनुपात कहता हूं कि यह आफिशियल मशीनरी की कमी रही कि हम रिजर्वेशन बहुत जगह उतना नहीं कर सके, लेकिन सबसे मौलिक सवाल जो हमारे सामने है, सवाल रिजर्वेशन परसैंटेज का नहीं है, सवाल विचार के बदलाव का है कि हमारे विचार में परिवर्तन हुआ है या नहीं ?

निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ है और ऐसा हुआ है कि आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का—हर व्यक्ति कम-से-कम अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ लेता है।

अगर डा० भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने हमको कुछ सिखाया, हमको कोई दान दिया, तो वह रिजर्वेशन के परसेंटेज का दान नहीं दिया, बल्कि वह दान है विचारों का बदलाव और परिवर्तन तथा अधिकारी की लड़ाई लड़ने की क्षमता। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पिछले 37 सालों में उन्होंने निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त किया है।

सैवन्थ प्लान डाकुमेंट के पेराग्राफ 13 में इकानोमिक क्राइटीरिया के सवाल को लेकर बहुत बहुत वावैला किया गया है। मैं भी अपने आपको इस बारे में दोषी मानता हूं, क्योंकि जब यह डाकुमेंट बना, तो मैं भी प्लानिंग मिनिस्ट्री की कानसल्लेटिव कमेटी का सदस्य हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह बात मुझसे भी स्लिप कर गई।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपको भी ठगा गया।

श्री डी० पी० यादव : जी नहीं मुझे ठगा नहीं गया। बाद में मैंने इस बारे में पता लगाया। यह किसी मिनिस्ट्री की एडवाइस नहीं थी। प्लान फ्रेमर्ज, एडवाइज़र्ज़ के मन में यह बात आई थी। अनौपचारिक डिसकशन्ज में यह सवाल आया था। इसलिए सम्भवतः वह पैराग्राफ इनएडवर्टेन्ट्ली जोड़ दिया। इसको होम मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं घुसाया गया। सरकार की यह मंशा नहीं है।

रिवाज यह है कि प्लान डाकुमेंट को एक्सपर्ट्स बनाते हैं और कभी कभी कोई बात हमसे भी स्लिप कर जाती है। चार मुख्य मंत्रियों ने तो उस डाकुमेन्ट को देखा ही नहीं। उन्होंने नैशनल डवैलपमेन्ट कौंसिल की मीटिंग का बायकाट कर दिया। उन्हें यह सवाल उस मीटिंग में उठाना चाहिए था।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : जो चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग में मौजूद थे, उनको यह सवाल उठाना चाहिए था।

श्री डी० पी० यादव : सरकार की यह मंशा नहीं थी। (**व्यवधान**) ये डाकुमेंट सबजैक्ट टु करेक्शन तो होते ही हैं।

जब तक हम संविधान अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) और 340 में परिवर्तन न करें, तब तक रिजर्वेशन के संदर्भ में "इकानोमिक" वर्ड कभी नहीं आ सकता है। भारत के संविधान में पहले संसोधन के समय जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 340 पर बोलते हुये जो कहा था, उनको कई बार दोहराया गया है। उन्होंने कहा था कि "इन बाडी एंड इन स्पिरिट" कभी भी हमारा मतलब "इकानोमिक" वर्ड को जोड़ने का नहीं है। देश के महान नेता और तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 340 में उसका प्रावधान नहीं है। यह बात इस सदन को, और इस सदन की मार्फत सारे देश को, समझ लेनी चाहिए।

कल परसों हमारे दल के संसद सदस्य प्रधानमन्त्री से मिले थे। प्रधानमन्त्री ने साफ-साफ कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में इकानोमिक क्राइटेरिया को एनडोर्स करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बावैले को समाप्त किया जाए और देश को गुमराह न किया जाए। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र इस बात को समझेंगे कि सरकार की कोई इनटेन्शन नहीं थी। जब हम पुनः प्लानिंग कमीशन के साथ बात करेंगे, तो इसके सुधार के लिए जो भी उपाय होगा, वह हम करेंगे, सत्तारूढ़ दल के सदस्य होने के नाते हम यही कह सकते हैं।

कभी-कभी हमारे सामने सवाल आता है कि अमुक राज्य में इतने हरिजनों पर अत्याचार हुए। मेरे जैसा व्यक्ति यह सोचता है कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। पर अगर अत्याचार होता ही है तो हमसे हरिजन तपें और चमकें। जो तपेगा, वही चमकेगा।

अगर आज हरिजन पर अत्याचार होता है, तो हरिजन उसके खिलाफ आवाज उठाता है। अन्तर यही है कि पहले जब हरिजनों पर अत्याचार होता था, तो हरिजन बोल नहीं सकते थे, अखबार उसको छापते नहीं थे, लेकिन आज अगर एक भी हरिजन पर भी किसी भी तरह का अत्याचार होता है, तो क्या थाना, क्या एम० एल० ए०, क्या एम० पी०, क्या अखबार, सारे के सारे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज उठाते हैं और सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करती है। सरकार स्टेटमेन्ट लेकर पार्लमेन्ट और विधान सभाओं में आती है। आप देखेंगे अभी हाल में हमारे प्रदेश बिहार में हरिजनों पर कई जगहों में अत्याचार हुए हैं मुलजिमों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं और कलप्रिट्स को सजायें दी गई हैं। इस मामले में हमारे हरिजन भाई और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाई काफी संतुष्ट हैं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचार का हम विरोध करते हैं, उनको कंडेम करते हैं लेकिन इसके विरुद्ध उनको संघर्ष करना किसने सिखाया ? उसको

[श्री डी० पी० यादव]

संघर्ष करना सिखाया हमारे संविधान ने, पं० जवाहर लाल नेहरू की थ्यौरी ने और राष्ट्र के निर्माता महात्मा गांधी ने ।

अब मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का कितना परसेंटेज है । क्लास टू और वन में कुछ जगह खाली रह गई हैं लेकिन इस खामी को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं पिछली कमी भी पूरी की जा रही है । हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, हमारी नीति बिल्कुल साफ है और देश की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीयत साफ है । हमारा गंतव्य और हमारी दिशा बिल्कुल साफ है कि हरिजन, आदिवासी तथा अन्य पिछड़े हुए लोगों को ऊपर ले जाना है । इस मामले में हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है ।

कभी-कभी कहा जाता है कि अमुक राज्य में हरिजनों पर अत्याचार हो गया और वहां की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी । हो सकता है हममें कुछ सच्चाई हो पर मैं इस बात को ज्यादा अहमियत देता हूं कि आज उनके विचारों ने करवट ली है । उनमें अंगड़ाई आई है और इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना होगा ।

जानने की बात यह है कि सरकार ने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांपोनेन्ट प्लान में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो सुविधायें हैं उनके लिए प्रचार और प्रसार श्री राम विलास पासवान को भी उतना ही करना चाहिए जितना कि डी० पी० यादव को करना है । यह नहीं होना चाहिए कि राम विलास पासवान जी सभी जगह यह भाषण करें कि हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है जबकि डी० पी० यादव और उनका हरिजनों की हितों की रक्षा करता जाए । मैं पासवान जी से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को जरूर कहिए कि अमुक-अमुक सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध हैं (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मण्डल कमीशन की रेकमेंडेशन को क्या आपने लागू करवा लिया है ? (व्यवधान)

श्री डी० पी० यादव : लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । पिछली बार मैंने पासवान जी का एक भाषण सुना था । इन्होंने कहा कि गाय को माई कहते हैं लेकिन माई मर जाती है तो हरिजनों के कंधे पर फेंक देते हैं । इसमें मेरा एक सुधार है । गाय को माई तो हिन्दुस्तान में लगभग सभी लोग कहते हैं और गाय को सबसे अधिक पालने का पेशा यादवों का है, मैं भी उसी कम्युनिटी से आ रहा हूं । यादवों की गाय मरती है तो उसको फेंकने

वाले होते हैं चमार और पासवान जी की जाति के जो लोग हैं उनकी गाय जब मरती है तो उसे कौन फेंकता है ? तब भी उसको चमार ही फेंकता है। ·· ··(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : हमारे संबंध में जो आपको बोलना है, बोल दीजिए। मैं इसको कैलेरिफाई करना चाहूंगा।

श्री डी० पी० यादव : पासवान जी, आप मुझे पूरी बात कहने दीजिए। गाय को मां कहा जाता है और मां जब मर जाती है तो हरिजनों के लिए छोड़ दी जाती है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि गाय जब मर जाती है तो चाहे दुसाध की गाय हो या यादव की गाय हो या ब्राह्मण की गाय हो, तो उसको चमार ही फेंकता है। इसलिए हरिजन या ब्राह्मण का सवाल नहीं है। सवाल प्रोफैसन का है। इस प्रकार देश को गुमराह करने की बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान : जब इन्होंने उल्लेख मेरे नाम किया है, इसलिए वह भरे बोलने के समय में नहीं जाएगा। मैं इसको कैलेरिफाई करता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने जो उस दिन कहा था, वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा था। मैंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था के तहत कौन जाति है, जो मैला ढोने का काम करती है। इन्होंने एलीगेशन लगाया है,···(**व्यवधान**)···उस दिन मैंने कहा था कि यह वर्ण व्यवस्था का दोष है। एक गरीब ब्राह्मण भी, एक मूर्ख ब्राह्मण और बिना पढ़ा ब्राह्मण भी समाज में अपने को श्रेष्ठ साबित करता है, दूसरों से पांव छुआता है और दूसरी ओर पढ़ा लिखा शैड्यूल्ड कास्ट भी करोड़-पति जगजीवनराम जी जैसे व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था में ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। मैंने कहा था जो लोग मां को गाय कहते हैं, उनको मां कहलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मर जाने के बाद जिस तरह मां का दाह-संस्कार किया जाता है तो गाय का दाह-संस्कार क्यों नहीं किया जाता है। ···(**व्यवधान**)···**

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज न किया जाएगा।

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी, समाज को गुमराह करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस सदन का सहारा लेकर समाज को गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे राम विलास पासवान हों या डी० पी० यादव।···(व्यवधान)**···मैं भी इसके लिए लड़ता हूं। जितना आपके दिल में इस व्यवस्था के खिलाफ बात है, उतनी मेरे दिल में भी है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हरिजन बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है।···(**व्यवधान**)**···

** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[श्री डी० पी० यादव]

सभापति महोदय : किसी भी व्यवधान को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री डी० पी० यादव : आपने भी अपने जनता पार्टी के मैनिफैस्टों में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा था। काका कालेलकर की रिपोर्ट मंडल कमीशन से अच्छी थी, लेकिन जनता पार्टी के जमाने में आपने उसको लागू नहीं किया। उस वक्त श्री मोरार जी देसाई से पूछा जाता कि आपने क्यों काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और दो साल के बाद आपने मंडल कमीशन बैठाया। ** (**व्यवधान**) **

आपने उसको लागू नहीं किया। उस पर आपने एक मंडल कमीशन बना दिया। आपने तो सोचा था कि मंडल कमीशन के कार्यकाल में ही आपकी सरकार की लाईफ खत्म हो जाएगी। फिर इस बीच में चौधरी चरण सिंह प्रधान मन्त्री होकर आये थे। पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन के लिए वे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर कर सकते थे लेकिन कोई आर्डर नहीं किया। जिन लोगों ने हरिजनों की खुलकर हत्यायें की, उनके विरुद्ध चौधरी साहब ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया न उनका कोई विरोध किया। उस वक्त का भी आप सारे का सारा क्लेम और दोष श्रीमती इन्दिरा गाँधी पर थोपना चाहते हैं और यह निराधार बात कहकर थोपना चाहते हैं कि वे एन्टी हरिजन हैं, एन्टी मुसलमान हैं, एन्टी वेकवर्ड हैं। कम से कम में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

माननीय सभापति जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन पिछड़ी हुई जातियों में रहने के लिए हमने क्या किया। आज समाज में परिवर्तन हो रहा है। लेण्ड रिफार्म्स के द्वारा हम निश्चित रूप से कमजोर वर्गों को बसने के लिए जमीनें दे रहे हैं। इसके लिए कानून बनाये गए हैं। गृह मंत्री के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय से बराबर इस बात की हिदायत दी जाती है कि जिस हरिजन या आदिवासी के पास मकान नहीं है, उसको रहने के लिए जमीन दी जाए। मकान बनवाया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० इकोनोमिक डवलपमेंट के प्रोग्रामों के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जितना किया है, उसका उदाहरण पिछले इतिहास में नहीं है। जहां तक उनको ऋण का सवाल है, उनके विकास के लिए हमने हरिजनों को तहेदिल से ऋण दिया है और दूसरी आर्थिक सहायता दी है। ये हमने इसलिए नहीं दिये हैं कि हम उन्हें कोई भीख दे रहे हैं। ये हमने उन्हें इसलिए दिये हैं कि वे समाज

** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

में बराबरी पर आकर निर्माण में बराबरी का हिस्सा ले सकें। हमने उनके लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाकर उनकी उन्नति के काम किये हैं। मैं जब मंत्री था। शिक्षा मंत्रालय में मंत्री था तो रिकार्ड इस बात का साक्षी है कि इंडीयन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी में मैंने हरिजनों के लिए कोटा निश्चित कराया था। मैंने जब देखा कि इसमें हरिजन आगे नहीं आ रहे हैं तो हमने यह रिजर्वेशन लागू करवाया। आज भी आई० आई० टी० में हरिजनों और आदिवासियों के लिए 20 से 25 परसेंट तक का रिजर्वेशन लागू है।

जहां तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जी से इतना ही कहूंगा कि हमारे यहां बिहार में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है, वह तो है ही लेकिन वहां अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे कि मुसहर, डोम, डाढ़ी और मेहतर जो कि निश्चित रूप से उन्नति की दौड़ में अभी भी बराबर नहीं आ रही हैं। इन जातियों के लिए एक सुपर स्पेशल कम्पोनेंट प्लान होना चाहिये। इन जातियों के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनके जातीय सम्मेलनों से उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाए। माननीय मंत्री जी आप उनके प्रतिनिधियों को बुलाइये और उनसे बात कीजिए। उनसे बात कर आप उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पता लगाइये।

इन चन्द शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मान्यवर, मेरे साथी अभी बोल रहे थे। उनके विचार हमने सुने। उन्होंने हमारे साथी राम विलास पासवान जी पर कटाक्ष किया। (**व्यवधान**)

मान्यवर, मनुस्मृति के विषय में जो यहां बात आई थी, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सफाई करने वाला आदमी है, क्या उसको घृणा की दृष्टि नहीं देखा जाता ? क्या उनको बुरी नजर से नहीं देखा जाता। क्या उनकी स्थिति सही है। क्वा सरकार की नजर में उनका सब काम ठीक चल रहा है। क्या उनको सताया नहीं जाता। क्या उनको वेतन ठीक मिल रहा है। क्या सरकार को इन सब बातों का पता है। मान्यवर मैं इस बारे में अपने जनपद की एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस बात को बाद में इशारे के तौर पर कहना चाहता था, लेकिन अब इसको पहले कह रहा हूं। अभी हमारे साथी ने कहा कि हमारी सरकार उदारवादी है। उदारता बरतती है। उदारता का एक उदाहरण मेरे सामने मौजूद है। सन् 1976 में जब उत्तर प्रदेश में तिवारी जी मुख्य मंत्री थे। (**व्यवधान**)

उस वक्त श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बैराज का शिलान्यास किया। उसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। सारी कालोनियां बिजनौर में बनीं। बिजनौर ट्रेजरी से रुपया निकालकर सारा काम

[श्री मंगल राम प्रेमी]

किया गया और सारा भार बिजनौर जिले पर पड़ा और बिजनौर के नाम से उसका शिलान्यास हुआ था लेकिन जनपद बिजनौर की तरफ और मुजफ्फर नगर के पास विद्याभूषण नगर बसाया गया और सारे पट्टे रद्द कर दिये गये। यह मंत्रियों का हाल है। आप ये सारे पट्टे देख लीजिए, मेरे पास हैं। उस बैराज से तीन किलोमीटर इधर की तरफ विद्याभूषण नगर बसाया गया। इसके लिए जनपद मुजफ्फर नगर और जनपद बिजनौर में कशमकश है। सरकार इस ओर ध्यान दे। जिन हरिजनों को सन् 1948 में बसाया गया था। वेस्ट बंगाल से, ढाका से कुछ बंगाली हरिजनों को निकाला गया था और वे बंगाली जनपद बिजनौर में बसे थे और अभी तक रह रहे हैं। उस बैराज से चार किलोमीटर इधर। वे सन 48 से लेकर अब तक अपनी जमीनों के ऊपर काबिज थे। कुछ जमीनें उनकी बैराज में चली गईं, कुछ सड़क में चली गई और जो बची थी वह विद्याभूषण नगर में चली गई।

ये मिनिस्ट्रों के कारनामे हैं। (**व्यवधान**)*

मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। ये हरिजन जो आकर बसे थे, उनके पट्टे मैं लाया हूं। मैं इनको सभा पटल पर रखना चाहता हूं। सारे रसीदें और पट्टे मेरे पास हैं। इसकी जांच सरकार करवा ले।

श्री आर० एन० राकेश : सभापति महोदय, रखवाइये इनको।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले नोटिस नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि इसमें क्या है।

श्री मंगल राम प्रेमी : रिपोर्ट के विषय में मैं नहीं कह सकता लेकिन बहुत से उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं। एक अभी मथुरा जिले में एक भैंसा गांव है।

4.00 **म. प.**

मथुरा जिले में एक भैंसा गांव है। रिफाइनरी थाने के अन्तर्गत आता है।···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपके पास पट्टे ज्यादा हैं, और टाइम कम है।

···(**व्यवधान**)···

श्री मंगल राम प्रेमी : आपको तकलीफ नहीं हो रही है बल्कि इन लोगों को हो रही है क्योंकि ये लोग अपनी गंदगी को सुनना नहीं चाहते हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)...

4.01 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अपनी भाभी के साथ एक उन्नीस साल की लड़की सफाई का काम करने के लिए गांव में गई। यह 31 तारीख की घटना है। उस लड़की को जबरदस्ती गुण्डों और भूतपूर्व प्रधान के लड़कों ने घर में खींच लिया। रात भर उसके साथ बलात्कार किया लेकिन भाभी अपनी जान बचाकर भाग गई। परिवार वाले वहां आए और कहने लगे कि लड़की को वापस दे दो। अगर वह होती तो तभी देते। रात को 12 बजे कुएं में लाश फेंक दी। सुबह के समय लाश मिल गई। पुलिस वालों ने उन पर हमला किया और कह दिया कि लाश नहीं जाएगी। लाश बरामद होने के बाद भी कोई नहीं पकड़ा गया। यह आपकी सरकार के कारनामे हैं।

...(व्यवधान)...

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : आप, उस समय कहां थे ? आपने लड़ाई क्यों नहीं की ? हम ऐसी बात नहीं सुन सकते।

श्री मंगल राम प्रेमी : जो मुझे करना चाहिये था, वह मैंने किया। आपके शासन की यह हालत है। अगर आप लोग ऐसे ही बीच में बोलेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। आप लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसे केसेज का पता है, जहां पर नौकरी से रिवर्ट किया गया है। सफाई कर्मचारियों के साथ तो हिन्दुस्तान में बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं आप लोगों को एक रिकार्ड भी दिखा देना चाहता हूं। एक गढ़वाल का मामला है। एक सफाई कर्मचारी को चपरासी के पद पर रखा गया था लेकिन चौकीदार का काम दिया हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश तक लिखा-पढ़ी हो गई। लेकिन आज तक उसको चपरासी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

प्रो० सत्यदेव सिंह : आपने, संसद के सदस्य के रूप में क्या भूमिका निभाई ?

...(व्यवधान)...

श्री मंगल राम प्रेमी : आप लोगों ने क्या किया, यह भी तो सुन लीजिए।

...(व्यवधान)...

श्री मंगल राम प्रेमी: बैराज का मामला काफी दिनों से चल रहा है। इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए। यह मुजफ्फर नगर में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो दोनों जनपद आपस में टकरायेंगे और पता नहीं इसकी नौबत कहां तक पहुंच जाएगी ? ** को हमारी सेंटर की सरकार अगर समझती है तो दोबारा मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिये था। उनको मिनिस्टर बना दिया है, इसलिए मैं सदन के अन्दर स्पष्टीकरण दे रहा हूं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिये था। ... (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, **उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। तो वे उनका नाम किस तरह ले सकते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० सत्यदेव सिंह : महोदय, उनका व्यबस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री राम प्यारे पनिका : **उत्तर प्रदेश में एक मन्त्री हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। वे कैसे उनका नाम ले सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा। अब श्री आर० आर० भोले अपना भाषण करेंगे।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई-दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। इससे सदस्यों को देश के इन कमजोर वर्गों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

सभी जानते हैं कि कुछ धार्मिक मान्यताओं के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को नुकसान उठाना पड़ता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जाति प्रणाली पर धार्मिक मान्यताओं का कुप्रभाव पड़ा है फिर भी जाति प्रणाली न केवल अनुसूचित जातियों में बल्कि अन्य वर्गों में भी बनी हुई है। इसका कारण यह कि प्रत्येक जाति यह समझती है कि वह दूसरी जाति से श्रेष्ठ है और वह जाति उससे नीचे है। ऊंची जातियों को भी इस भावना से नुकसान होता है। ऊंची जातियों में भी विशेषकर महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की 100 से अधिक उपजातियां हैं। दुर्भाग्यवश यह सारे समाज में फैली हुई हैं और इस भेदभाव की प्रकृति के कारण हमारे देश को नुकसान होता है। हमारा समाजप्रगति और विकास नहीं कर सकता। हमारा आदर्श धर्म निरपेक्ष है। यह बहुत ही अच्छा आदर्श है परन्तु क्या हमारे समाज का जो वर्तमान ढांचा है। उसमें इस आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि चुनाव के समय भी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को एक किनारे कर दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का उल्लंघन ज्यादातर चुनाव प्रचार के समय ही किया जाता है। उम्मीदवारों का चुनाव इस आधार पर नहीं किया जाता कि वह भारतीय है, वह एक विशिष्ट समाज से सम्बन्धित है बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वह एक विशेष जाति का है और अपने चुनाव क्षेत्र में अधिक मत प्राप्त करने में समर्थ है। यह सच्चाई है और इसलिए इन जहरीले विचारों को समाप्त करने हेतु हमें बड़ी ताकत से लड़ाई लड़नी है।

मुझे बहुत खुशी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोग और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग आजादी के पहले की तुलना में अब अधिक अनुपात में शिक्षा प्राप्त हैं, पढ़े-लिखे हैं, विधानमण्डलों के सदस्य हैं और विभिन्न व्यवसायों में हैं तथा उन्नति कर रहे हैं। कन्तु ये इन दर्शनात्मक बातों से ऐसा आभास होता है कि कमजोर वर्गों के सभी 22.5% लोग अब अच्छी स्थिति में है। यदि अन्य ऊंची जाति के लोग यह सोचें कि चूंकि कुछ लोग संसद सदस्य हैं, कुछ व्यक्ति कलक्टर हैं, कुछ लोग अधिकारी हैं, इसलिए सारे राष्ट्र का 22.5% काफी उन्नत है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ी गलती करेंगे और ऐसा समझना सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। आजादी के 35 वर्षों के बाद भी देश के इस वर्ग के मुश्किल से 2% या 3% लोग उन्नति कर सके हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि समुदाय का 95 या 97% भाग, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हैं, भी विकसित हैं। वे ऐसे लोग हैं, जो सबसे ज्यादा कष्ट उठा रहे हैं। यह सच है कि हमने विशेष संघठक योजनायें चलाई हैं। यह भी सच है कि हमने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया है। यह भी सही है कि जनजाति विकास कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया है और भी कई कार्यक्रम वहां चलाए जाते हैं। किन्तु इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया जा रहा है।

मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण सम्बन्धी समिति का सभापति था। मेरी समिति ने सारे भारत की यात्रा की थी और मैंने देखा कि इन कार्यक्रमों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने यह देखा है कि इन कार्यक्रमों को कितनी अकुशलता से क्रियान्वित किया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम उनके लाभ के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। किन्तु मुझे यह कहने में कोई सन्देह नहीं है कि इन करोड़ों रुपयों, जो खर्च किए जाते हैं, में से शायद केवल 20 या 30% लाभ ही इन बदनसीब लोगों को जाता है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि हमें यह देखना होगा कि इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उतनी कुशलता, ईमानदारी और निष्ठा से किया जाए जितना हमारे लिए सम्भव है।

अनुसूचित जातियों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसने धर्मपरिवर्तन करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। वे लोग महाराष्ट्र में, उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में हैं।

दुर्भाग्यवश उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी कि पहले थी जबकि वे अनुसूचित

[श्री आर० आर० भोले]

जातियों में थे। ये बौद्ध लोग जिन्हें कुछ लोग नक्ष बोद्ध कहते हैं संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें वे कलिपय मिलने चाहिए जो उन्हें विशेष रूप से भारत सरकार की सेवाओं में पहले प्राप्त थे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे अभी भी उसमें सफल नहीं हुए हैं और वे ऐसा करने के लिए न केवल उस सरकार को बल्कि इसमें पूर्ववर्ती सरकार को भी रजामंद नहीं कर सके।

महाराष्ट्र में फूले विकास निगम हैं। यह निगम किसी अन्य राज्य के विकास निगम की तरह है ; मुझे सूचना मिली है कि यह फूले विकास निगम, जो 1978 में बनाया था, अब महाराष्ट्र में लगभग बन्द किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीकों से ऐसा किया जा रहा है। यह एक कम्पनी की तरह है। कम्पनी की आम सभा प्रायः वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। लेकिन जहां तक इस विकास निगम, जो कि एक कम्पनी की तरह है, क्या सम्भव है, एक वर्ष में तीन आम सभाएं बुलाई गई थीं प्रत्येक बैठक में एक तिहाई निदेशकों को आवश्यक रूप से सेवा निवृत कर दिया गया। 78 निदेशकों में से लगभग 11 निदेशकों को 3 अथवा 4 महीनों की अवधि के अन्दर सेवा निवृत कर दिया गया। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इन खुले विभाग निगम को समाप्त कर रही है और चुनावों से पूर्व यह एक बहुत ही घातक कदम होगा। मुझे डर है कि पिछड़ी जातियों के लोग अनुसूचित जातियों के लोग भी यह सोचेंगे कि क्या इस प्रकार के कार्य के लिए वोट दें।

स्वाभाविक है कि अनुसूचित जाति के बहुत से लोगों में भय पैदा हो गया जब उन्हें पता चला कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक मापदण्ड के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया गया है। यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकार अथवा योजना विभाग को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लोगों को यह देखकर भयभीत होना स्वाभाविक है कि उनके सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन स्थान या आर्थिक कसौटी रखी जा रही है।

इस देश में सारी समस्या ग्रामीण समस्या है। यहां निर्धन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में है। यहां समाज के सबसे निम्न वर्ग में भी गरीबी से ग्रस्त लोग हैं। 80 प्रतिशत भूमि 21 प्रतिशत घरानों के पास है, राट्रीष्य सम्पत्ति के 50 प्रतिशत पर हमारी जनसंख्या के 18 प्रतिशत लोगों का अधिकार है और हमारी 40 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्पत्ति पर 4 घरानों का अधिकार है। यह स्थिति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे निम्न स्तर के लोग हैं। वे लोग सबसे अधिक गरीबी से ग्रस्त लोगों में से हैं ? वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग में से हैं और उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं मेरे विचार में जब तक कि कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता और कृषि मजदूरों सीमान्त मजदूरों ग्रामीण लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक उद्योग की तरह भूमि पर काम पर नहीं लगाया जाता ये सभी समस्याएं—वास्तव में हम सदन में तो समस्याएं उठाते हैं वे अधिकतर ग्रामीण समस्याएं हैं—हल नहीं होंगी। इसलिए निर्धन लोगों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति के लोगों और अन्य लोगों की रक्षा के लिए कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के लिए गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

हम निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इन सभी कार्यक्रमों को लागू करना होगा। हमें खर्च की जा रही सारी राशि को सार्थक बनाना होगा। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि सदन में इस विषय पर चर्चा की जा रही है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह सही है कि जब हम लोग कोई बात कहते हैं, तो बहुत लोगों को वह अच्छी नहीं लगती होगी, कड़ुवी लगती होगी, बुरी लगती होगी। अभी मैं विदेश गया था। मैं तीन चार मुल्कों में गया था। एक महीने तक मैं अमरीका रहा। वहां पर जैसी जैकसन काले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही हिन्दुस्तान के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि विदेशों में हम सब काले हैं, भले ही यहां हम बैकवर्ड या फार्वर्ड आदि बन जाएं। अब वह अमरीका के काले लोगों का प्रतीक बन चुका है। पहले 90 प्रतिशत गोरे लोग उसके विरुद्ध थे, क्योंकि सैट-पर-सैट काले लोग उसके साथ है। लेकिन कुछ समझदार गोरे लोग कहते हैं कि जैसी जैकसन अमरीका के लिए वरदान है, क्योंकि उसके कारण अमरीका की राजनीति में पहली बार काले लोगों को यह आभास हुआ है कि वे उस देश के सर्वोच्च पद के लिए भी खड़े हो सकते हैं। कल तक वे लोग देश की मुख्य धारा से अलग थे; मगर आज जैकसन ने उनको देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : इससे पहले मार्टिन लूथर किंग थे।

श्री राम विलास पासवान : आपने सही कहा है कि इससे पहले मार्टिन लूथर किंग थे, अब्राहम लिंकन भी थे। लेकिन आज जैसी जैकसन एक सिम्बल बन चुका है। इस देश में एक स्वस्थ परम्परा तब बनेगी, जब शिड्यूल्ड कास्ट्स के किसी मामले पर दूसरे लोग, अदर दैन शिड्यूल्ड कास्ट्स, उनकी हिमायत करें और उनकी लड़ाई लड़ें और जब दूसरे लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ें। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हिन्दुस्तान का मानस है, वह संसद में भी परिलक्षित होता है। जब भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का मामला आता है, तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग ही बोलते हैं, लड़ते हैं। उस पक्ष के जो लोग बोले हैं,..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : रिकार्ड देखने से क्या फायदा है ? मैंने उप मंत्री के विरुद्ध कोई बात नहीं कही है। **(व्यवधान)**

[राम विलास पासवान]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह सही है, तो मैं इसे हटा सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने "सभा" कहा है। सभा में विपक्ष भी शामिल है। आप क्यों शोर मचा रहे हैं ? चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (अदिलाबाद) : जिस ढंग से उन्होंने हमारी ओर इशारा किया है, वही हमारे बोलने का कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे अपनी तरफ अपनी अंगुली करते हैं, तो वह अंगुली उनकी तरफ भी होती है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : वास्तव में हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण में अधिक रुचि रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी रुचि रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : श्री पासवान ने चौ० चरण सिंह को छोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसको छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा, वह एक अलग बात है। लेकिन अभी श्री डी० पी० यादव बोल रहे थे। जब वह इधर थे, तो किस लहजे में बोलते थे और आज किस लहजे में बोले हैं ? श्री चन्द्रपाल शैलानी जब इधर थे, तो कैसे बोलते थे और अब कैसे बोलते हैं, यह मैं जानता हूं।

लेकिन मैं इतना जरूर धन्यवाद दूंगा, अपने भाई परमार जी को धन्यवाद दूंगा, चौधरी सुन्दर सिंह जैसे लोगों को, डागा जी जैसे लोगों और कुंवर राम जी जैसे लोगों को धन्यवाद दूंगा और कभी-कभी पनिका जी को लेकिन बराबर नहीं, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सही बात उठाते हैं बात और सही बात को उठाना चाहिए और इसमें सरकार को कहीं बुरा भी नहीं लगना चाहिए। सब चीज एम० एल० ए० और एम० पी० के टिकट के लिए ही नहीं होती है, कभी-कभी जो रिकार्ड में चीज होती है जिसको आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी उसके लिए भी संजोकर रखनी चाहिए।

मैं यह कह रहा था कि देश की स्वस्थ परम्परा तभी चलेगी जब एक गरीब की लड़ाई दूसरे लोग भी लड़ें, एक अछूत की लड़ाई दूसरे लोग भी लड़ें और इस परिस्थिति में जिस तरह मैं हूं, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मंडल कमीशन के सम्बन्ध में जब लोगों ने विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की कि शैड्यूल्ड कास्ट्स का क्या मतलब है, मंडल कमीशन तो बैकवर्ड क्लासेज के लिए है तो मैं पहला आदमी था कि दो बार इसी सदन में डिबेट हुई और मैंने कहा कि समस्याएं सबकी

बराबर हैं। इस देश में जब तक वर्ण-व्यवस्था है, जब तक जाति के नाम पर ऊंच और नीच है, तो नीच और छोटी कहलाने वाली जाति को विशेष अवसर देना पड़ेगा। जैसे हम बैकवर्ड स्टेट्स के लिए विशेष अवसर मांगते हैं, बैकवर्ड कंट्रीज के लिए विशेष अवसर मांगते हैं ऐसे ही जो कम्युनिटी बैकवर्ड है उसको भी हमें विशेष अवसर देना पड़ेगा और इसके लिए गोलबन्दी करनी पड़ेगी चाहे शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों चाहे बैकवर्ड क्लासेज के लोग हों, चाहे प्रोफेसर दण्डवते साहब जैसे लोग हों, राम दुलारी सिन्हा जैसी लोग हों, ये लोग ऊंची जाति में भले ही पैदा हुए हों, लेकिन मैं जानता हूं कि आप दिल और दिमाग से हम लोगों के साथ हैं···

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आप बराबर इन्फीरिआरिटी काम्पलैक्स से सफर करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : इसीलिए कि हमको हजारों साल से इन्फीरियर बनाकर रखा गया··· **(व्यवधान)**···इन्क्लूडिंग योरसेल्फ, तो हजारों साल से जिसको आपने दबाकर रखा है उस के मन में आग होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, चर्चाधीन प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 1978-79 और 1979-81 की अवधियों से सम्बन्धित क्रमश: 26वें और 27वें प्रतिवेदनों, जो क्रमश: 22 दिसम्बर, 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखे गए थे, विचार करती है···।"

श्री राम विलास पासवान : आप हिन्दी नहीं समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हिन्दी समझ सकता हूं। मैं हिन्दी बोल भी सकता हूं। आप नहीं जानते।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वे किसी व्यक्ति पर छींटाकशी नहीं कर रहे हैं।

वे सामाजिक प्रणाली पर प्रहार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह बताना चाहिए कि प्रतिवेदनों में कौन-कौन सी बातें स्वीकार करने योग्य हैं और कौन-कौन सी बातें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

श्री राम विलास पासवान : आप पिछड़े वर्गों के चैम्पियन हैं। परन्तु जब आप पीठासीन होते हैं, तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : जब कार्य मंत्रणा समिति में यह चर्चा हो रही थी कि हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा होनी चाहिए। तो यह सुझाव दिया गया था कि ऐसा करने की बजाए हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी चर्चा वहां उल्लिखित अवधि तक ही सीमित रहेगी।

[श्री राम विलास पासवान]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा मतलब केवल यहां रखे गए प्रस्ताव से है।

श्री राम विलास पासवान : आपने इन प्रतिवेदनों को नहीं देखा है। यदि आपने इन प्रतिवेदनों को देखा होता, तो आपको पता होता कि इन प्रतिवेदनों में अस्पृश्यता सहित सभी बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदनों में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको स्वीकार्य न हों। आप केवल वह बातें बताए जहां आपके विचार से अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय किया गया है। दूसरे सदस्यों को भी इसका पता लगना चाहिए।

खेल विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय और संसदीय विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वे सामान्य चर्चा करना चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं है। उन्हें विचाराधीन रिपोर्ट तक सीमित रहना चाहिए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : 3 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : पांच प्रतिवेदनों के लिए आपने केवल तीन घंटे दिये हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इस समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां पर किसी भी वक्ता के समय पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। कल भी 2 घंटे का समय दिया गया था, किन्तु इसमें कितना समय लगा ? इसलिए मुझे समय की चिन्ता नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपने केवल 7 दिन और लोक सभा की अध्यक्षता करनी है। व्यर्थ में कटुता क्यों पैदा कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी और चीज की अध्यक्षता के लिए फिर से आ सकता हूं। तब मैं चाहूंगा कि आप भी वहां पर बैठे हों।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं हम वहां बैठेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब समय जो हमने खर्च किया है, आवंटित समय में शामिल नहीं होगा। अब कृपया आरम्भ करें।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्स गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सदस्यों को कन्फाइन न करें क्योंकि कन्फाइन करने से हमारे सभी विचार नहीं आ सकेंगे, वह चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों। यह बड़ा व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है इसलिए सभी को आप बोलने दें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी श्री डी० पी० यादव ने ठीक ही कहा कि हमारे संविधान की जो विभिन्न धारायें हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, वीकर शेक्संस और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के हित की बात कही गई है। अभी 1980-81 की जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल (15), (16), (17), (19), (23), (25), (29), (35), (38), (46), (164), (244,) (244-ए), (275), (320), (330), (333), (336), (340), (341), (342), (371) और (371 ए, बी, सी)—यह जितनी भी सारी की सारी धारायें हैं, यह वीकर सेक्शंस के लिए बनाई गई है। इसलिए संविधान के निर्माताओं के दिमाग में यह बात थी कि हजारों साल से इन लोगों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए यदि सही ढंग से संविधान में बात नहीं रखी गई तो हो सकता है कि हिन्दुस्तान के मानस को सही न्याय न मिल सके। लेकिन 38 साल की आजादी के बाद भी आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे दुख: के साथ कहना पड़ रहा है कि तीन साल से कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर ही नहीं है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं। तीन साल से लगातार मांग होने के बाद भी अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और अब तो आप जा ही रहे हैं, यह तो विदाई समारोह है। इस रिपोर्ट को आप पढ़िए, इस में कहा गया है कि जो छुआछूत की भावना है उस पर, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसका कोई प्रभाव नहीं है। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिवर्ष नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनटचेबिलिटी आफेंसेस एक्ट, की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए। लेकिन वह पार्लियामेंट में पेश नहीं हो रही है। आप जब मंत्री महोदय जवाब देंगी, तो इस के बारे में बतलाइएगा।

आप कहीं भी चले जाइए, शहर में तो खाना पीना एक साथ होता है, लेकिन गांव में अभी भी छुआछूत विद्यमान है। सब के बीच में नहीं कह रहा हूं। बैकवर्ड, फारवर्ड और बैकवर्ड शैड्यूल्ड कास्ट के बीच में ही है। सबके बीच में मौजूद है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए कोई कड़ा विधान नहीं है। जो विधान है, उसमें आपने दोनों चीजें रखी हैं। इस आदमी को सजा होगी और इतने रुपए जुर्माना होगा, लेकिन कोई आदमी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। आप आंकड़े दे सकते हैं कि इतने लोगों को सजा हुआ है। हुआ क्या किसी को 50 रु० जुर्माना और किसी को 30 रुपए जुर्माना। क्या संसार में ऐसा कोई मुल्क है, जहां आदमी आदमी में नफरत की जाती हो? लेकिन

[**श्री राम विलास पासवान**]

इस देश में आजादी के 37 साल बीत जाने के बाद भी एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करता है। इसलिए गाँधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े थे कि आजादी के 37 साल बीत जाने के बाद लोग एक आदमी से दूसरे आदमी छुआछूत को माने। जबकि पालतू कुत्ते और बिल्ली से भी इतना प्यार किया जाता है, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है।

आजादी के इतने बर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार इतना भी नहीं कर सकती है कि सिर पर मैल ढोने के सिस्टम को खत्म कर दे। आप हमको समझा रहे हैं, आँकड़े देकर, कि सरकार ने तुम्हारे लिए इतना कर दिया और सरकार ने तुम्हारे लिए उतना कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन की तरफ से लेटैस्ट रिपोर्ट बन्धुआ मजदूरों के संबंध में निकली है! यह ताज्जुब की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों को गुलाम बना कर रखा जाए। उसको बन्धुआ मजदूरी का जीवन व्यतीत करना पड़े। उन बन्धुआ लोगों में 98 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। रिकार्ड के मुताबिक 66 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट्स 18 परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शेष बुद्धिष्ठ, क्रिश्चियन और मुसलमान हैं। जो शैड्यूल्ड कास्ट से कन्वर्ट किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 98-99 परसेंट लोग शैड्यूल्ड कास्ट कम्यूनिटी के लोग हैं। आप रोज अखबारों में, चाहे टाइम्स आफ इंडिया हो, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्स हो, चाहे स्टेट्समैन हो और चाहे इंडियन एक्सप्रैस हो, दिल्ली में जहां सरकार बैठी हुई है, वहां कहा जाता है कि हम शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को एडमीशन में नहीं लेंगे। आप जेएनयू में चले जाइए, वहां कहा गया है तुम शैड्यूल्ड कास्ट के हो तुमको कोड़े से पीटना चाहिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कहां हुआ है। आप हमें कोई केस लिख कर भेजिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह : आपस में इस प्रकार की भले ही भाषा बोलते हों, लेकिन हमारी नेशनल पालिसी बड़ी क्लीयर है।

श्री चन्द्रजीत यादव : वहां के छः लड़कों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कहा गया चमार हो, तुमको पेड़ से बंधवा कर पीटा जाए, तब तुम पढ़ोगे। वह आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है और वह जेएनयू की काउन्सिल का मैम्बर चुना गया है।

श्री राम-विलास पासवान : श्रीमती शीला कौल हमारी एजूकेशन मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में दर्जनों मामले इस प्रकार के भेज चुका है। उसको निलम्बित तक नहीं किया गया। एक्ट क्या है और फैक्ट क्या है, यह सब हमको मालूम है। एक्ट अलग है और फैक्ट

अलग है। फैक्ट यह होता है कि अगर वह पुर्जा के लिए अप्लाई करेगा तो रातों रात उसका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। जे० एन० यू० के विषय में यह फैक्ट है। हमने यहां ये बातें कितनी बार कही है ये यहां जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के एम० पी० बैठते हैं, वे बतायेंगे, चव्हाण साहब यहां हमेशा बैठते हैं, ये बता देंगे।

विदेशों में हमारा देश सबसे अधिक बैकवर्ड देश है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है ? हमारे देश में शिक्षा की क्या स्थिति है ? 36.23 प्रतिशत लोग यहां साक्षर हैं जिनमें से शैड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत केवल 26.38 है। हमारे यहां 10.93 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं और उनमें हरिजन महिलाओं का प्रतिशत केवल 1 है। आपको इस पर विचार करना पड़ेगा।

सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में बहुत कहा जाता है। अभी आपने सेवंथ फाईव ईयर प्लेन का एप्रोच पेपर निकाला है। उसके बारे में हमारे डी० पी० यादव जी स्पष्टीकरण दे रहे थे। आपका जो एप्रोच पेपर है उसमें जो कहा गया है उसके बारे में डी० पी० यादव जी कह रहे थे कि उसमें प्रधान मंत्री की साजिश नहीं है, उनकी कोई सांठगांठ नहीं है। मैं इसके बारे में प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि आप प्रधान मंत्री जी के स्पोक्समेन नहीं हैं। स्पोक्समेन हमारी मंत्री जी हैं। जब वे बोले तो बतायें कि यह एप्रोच पेपर में नहीं है।

> "आरक्षण के इस मामले में, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में ···आर्थिक मापदण्डों की जांच की जानी चाहिए।"

आजादी के 37 सालों के बाद सेवंथ फाईव ईयर प्लान में यह जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी ? मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी इसमें इस बात को जोड़ने का काम किया है उनके दिमागों में आजादी के 37 सालों से यह मंथन चल रहा है कि किस तरह से शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को खत्म किया जाए। इस चीज़ को एग्जामिन किया जाना चाहिए कि क्या यह किया जा सकता है ? हमारे संविधान की धारा 46, धारा 335 धारा 64 में क्या है, क्या अधिकार दिये गये हैं। यह संविधान की धारा 16(4) है—

> "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं हैं, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।"

यह आपका आर्टिकल 16 (4) कहता है और आपका प्लानिंग कमीशन एप्रोच पेपर में क्या देता है। यह आर्टिकल 46 है—

> "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की बिशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

[**श्री राम विलास पासवान**]

यह संविधान कहता है । संविधान के आर्टिकल 335 में है—

"संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा ।"

आपके संविधान में यह है और आप सेवंथ फाईव ईयर प्लान का एप्रोच पेपर निकालते हैं उसमें कहते हैं कि इकोनोमिक क्राइटेरिये की जांच करनी चाहिए। यह चीज निकल जाती है और हमारे मंत्री लोग बैठे रहते हैं । इससे तो ऐसा लगता है कि हमारे ब्यौरोक्रेट जैसे उन्हें चलाते हैं वैसे वे चलते हैं । यदि यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के किसी एम० पी० को प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि संविधान में संसोधन किये बगैर रिजर्वेशन नहीं हट सकता है तो मैं प्रधान मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने कि यह चीज लिखी है । अगर आप यह कार्यवाही नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपकी नीयत साफ नहीं है और सरकार की मिली-भगत से यह काम हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा था कि इसको खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि सरकारी सेवा में आप देखिये, एजूकेशन में आप देखिये, एजूकेशन की मेरे पास फिगर्स हैं । शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है । पूरे हिन्दुस्तान में 2748 प्रोफेसर हैं और उसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के मिलाकर कुल 20 हैं । आप कहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि रिजर्वेशन रहे या नहीं । रीडर हैं 8165 और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के कुल हैं 52 ।

4.46 **म० प०**

(श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

प्राध्यापक हैं 20826 और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के हैं 185 । ये 1981 के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है । सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या हालत है । शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज है 2.90 परसेंट और शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटज है 0.66 परसेंट । ग्रुप बी में 5.11 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट और 1.35 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं । सेना में जहां कि कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन होता है । जाट रेजीमेंट, अहीर रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट । **(व्यवधान)**

थल सेना में शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज 0.44 है और ट्राइब्स का परसेंटेज 0.23 है । चव्हाण साहब देख लीजिए । शायद आपको आगे मौका मिले । **(व्यवधान)**

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : अब इनको काफी मार पड़ी है। अब ये पुलिस में और सेना में भर्ती करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : नौसेना के अधिकारियों ने तो रिपोर्ट तक नहीं दी कि उसके पास कितने कर्मचारी हैं। वायु सेना में शेड्यूल्ड कास्ट हैं 0.156 परसेंट और ट्राइब्स हैं 0.0067 परसेंट। यह हालत है और यहां सैवंथ फाइव इयर प्लान में कहते हैं कि इसका क्राइटेरिया देखो, एजूकेशन और इकानमी को जोड़ा जा सकता है, एजूकेशन और सोशल प्वाइंट को काटा जा सकता है कि नहीं। इसको बनाने वाले कौन लोग हैं ?

भूमि सुधार में क्या हो रहा है। यह कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। सरप्लस लैण्ड घोषित की गई 4043423 एकड़। सरकार ने कब्जा लिया 2666654 एकड़ में। बाकी जमीन बड़े लोगों के लिए छोड़ दी गई। वितरित की गई 1840617 एकड़ और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को कितनी दी गई। आप शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की बात करते हैं। इसमें लाभान्वित लोगों की संख्या है 7334652 और इसमें कुल शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स जोड़कर हैं 723294. हंडरेड परसेंट गरीब शेड्यूल्ड कास्ट हैं। बंधुआ मजदूर शेड्यूल कास्ट है, लेकिन जब जमीन वितरित की जाती है तो 73 लाख में से 7 लाख शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत कितनी साफ है। सरकार कहती है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए स्वर्ग बनाया हुआ हैं। बैंक के ऋण में किसी को एक एक पैसा लबसिडी नहीं मिल रही है। ऋण लेने के लिए पचास परसेंट घूस देनी पड़ती है। गाय-भैंस के लिए चार हजार रुपया अगर मिलता है तो उसमें से एक हजार रुपया घूस के लिए देना पड़ता है जबकि गाय की कीमत पांच सौ या सात सौ रुपये ही होती है।··· (**व्यवधान**) इस तरह की समस्याएं हैं। आप हमको शिक्षा नहीं देते हैं। हमको बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं। आप हमको जमीन, घर और पानी नहीं दे सकते लेकिन कम से कम हमारे जीवन की रक्षा की बात तो कर सकते हैं। जिस दिन शेड्यूल कास्ट्स लोगों के बीच में एकता की भावना आयेगी उस दिन वह अपने अधिकार, सम्मान और इज्जत ले लेंगे। भीख देने से हमको इज्जत नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 52 परसेंट बैकवर्ड क्लास और 22 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन है और इस प्रकार कुल मिलाकर 80 प्रतिशत ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को फाड़कर फेंक दिया। लेकिन यहां पर तो सब लोग मुंह में जाली लगाकर बैठे हैं। मैं जानता हूं, आपके भरोसे पर इज्जत और सम्मान नहीं मिलने वाला है। आज, हमारी बात आपको बुरी लग रही है।··· (**व्यवधान**)

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : आपको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। आप गुमराह कर रहे हैं।····· (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मुझे मालूम है, ट्रेजरी बेंचेज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भीतर

[**श्री राम विलास पासवान**]

से कह रहे होंगे कि हम सरकारी पक्ष में होते हुए अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं लेकिन कम से कम राम विलास पासवान विरोध पक्ष में होकर हमारी बात को रख रहा है। इनकी भावना हमारे साथ हैं।''' (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका : पासवान जी ने चूंकि हम लोगों की तरफ इशारा किया है, इसलिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। राम विलास जी उस दल के नेता के साथ रहे हैं जो हिन्दुस्तान में हरिजनों का दुश्मन है और उनको वोट भी नहीं देने देता था। आप, हरिजनों और आदिवासियों की बात नहीं करते।''' (**व्यवधान**)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : देहली और मैनपुरी काण्ड किसने किया ? 17 हजार लोगों को मरवा दिया गया।''' (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका : एमरजेंसी के समय कांग्रेस ने जो जमीन दी थी, उनको जनता सरकार ने हड़प लिया। ''' (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मेरे जैसा आदमी गर्व के साथ कह सकता है कि जब मैं ट्रेजरी बेंच में था और जब बेलछी की घटना हुई थीं तो इस हाऊस में सबसे ज्यादा लड़ने वाला राम विलास पासवान ही था। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल बेलछी की घटना को ले कर पूरी जनता पार्टी में उथल-पुथल मच गई और मेरे पास उसका सबूत है यहां पर माननीय गृह मंत्री जी ने 1980-81 में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े दिए, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन तीन सालों के रिकार्ड को आप उठा कर देख लीजिए, यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे उठ कर कह दें कि मैंने जो कुछ कहा है, गलत है, लेकिन इन्होंने यहां जवाब दिया है 1980,1981 और 1982 इन तीन सालों में कुल मिलाकर 1505 हरिजनों की हत्या की गई हैं जब कि बेलछी में केवल 8 आदमियों की हत्या हुई थी। इस प्रश्न को लेकर हमारी वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि उस समय विरोधी दल में हुआ करती थीं, हाथी पर चढ़ कर गयी थीं। वैसे मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि विरोधी पक्ष में होने के नाते उन्होंने अपने कर्त्तव्य का निर्वाह किया। लेकिन बेलछी में केवल 8 आदमियों की हत्या को आप इतना महत्व दे रहें हैं, जब कि वर्ष 1980 में 294 हरिजनों की, वर्ष 1981 में 271 हरिजनों की और वर्ष 1982 में 279 हरिजनों की हत्याएं हुई और कुल मिलाकर 1505 हरिजनों को बूचर किया गया। आज आप पूछते हैं कि उस समय कौन नेता थे।

सभापति महोदया, ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले दिनों हरिजनों पर अत्याचार की जितनी घटनाएं घटी हैं, मैं यहां किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन 6 जुलाई को रायबरेली जिले

में, जो कि राजीव गांधी जी की कांसटीटूएंसी है है, अमेठी में ग्यारह हरिजनों को बूचर किया गया लेकिन यहां कहा गया कि वह हरिजन और हरिजन के बीच का झगड़ा था। चलिए, अब मैं उसको छोड़ कर आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि मैं भी आपको प्रदेश से आता हूं, मुझसे आज भी लोग पूछते हैं कि वहां किसने आग लगाई, किसने घरों में भूसा भरकर 11 बच्चों और महिलाओं को झुलसा कर गैस से मरवा दिया। बिहार में यह कैसी घटना वहां के आदिवासी क्षेत्र में घटी। आज उसके बारे में कहा जाता है कि लोग कलहन स्टेट की मांग कर रहे है लेकिन क्यों करते हैं। क्या कभी उसके कारणों को जानने की कोशिश की गई। क्योंकि वहां के आदिवासी अपने अधिकारों को मांगते हैं और आपने उनको रोकने का काम किया। कल तक उनको जो जमीन के अधिकार प्राप्त थे, लकड़ी के अधिकार प्राप्त थे, आज आपने अधिकारों से वंचित कर दिया। वह कलहन राष्ट्र की मांग नहीं थी, कलहन मूवमैंट से सम्बन्धित सारे सबूत मेरे पास हैं। मगर आपकी पुलिस ने क्या किया। हम भी मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश को तीन भागों में प्रशासनिक दृष्टि से बांटा जाए, बिहार को भी दो हिस्सों में बांट देना चाहिए और मैं खुले आम मांग करता हूं कि प्रदेश को भी तीन-चार भागों में बांट दिया जाए। उसका कारण यह है कि वहां प्रशासनिक क्षमता नहीं रह गई है। आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं, आज तक उनका शोषण किया जाता रहा है। यदि आज वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उसमें क्या बुरा करते हैं। वहां आपकी पुलिस ने एक-दो नहीं बीस-बीस और 25-25 आदमियों को बूचर किया है और मारा है। इसीलिए मैंने कहा कि यह गम्भीर मामला है।

आज हमारे मुंह में आवाज नहीं है, भले ही आप हमको डरा लो, धमको लो, मारना हो मार लो, पीटना हो पीट लो, लेकिन बिहार में भूमिहीनों को भूमि देने का कानून बनता है गरीबों के लिए, लेकिन भूमि दी जाती है भूमि सेना को। प्रशासन भी वहां उसका साथ देता है। यह भूमि सेना क्या है वहां के बड़े-बड़े भूमि पतियों का एक आर्गेनाइजेशन है। जब कोई गरीब या मजदूर मिनिमम वेजेज एक्ट की बात करता है, मजदूरी मांगता है तो उसको गोलियों से भूनने का काम किया जाता है। यदि कल को उसका हिंसा पर से विश्वास उठ गया और वह हिंसा की पताका ले कर चलता है तो उसको ऐसा अधिकार है और आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा।

इसलिए सभापति महोदया, अन्तिम बात को मैं कह कर खत्म करता हूं। आपने बहुत दिनों तक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सताया है, शोषण किया है और आपके समय में हरिजन लोगों पर, शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर जो अत्याचार और जुल्म हुए हैं, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमें खाना मत दो, आप हमें कपड़ा मत दो, आप हमें रहने के लिए मकान मत दो, आप हमें पानी मत दो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि हमारे जीवन की रक्षा हो सके। जहां जहां ये घटनाएं घटी हैं, बीसियों लोग मारे जाते हैं, क्या कभी सरकार का ध्यान गया है कि वहां सड़कें भी हैं या नहीं ? पिपरा में घटना घटी, वहां पर भी कोई सड़क नहीं थी, देवली में घटना घटी, वहां भी कोई सड़क नहीं थी, साधुपुर में घटना घटी, वहां पर भी रोड़ नहीं थी, रामपुरा में घटना घटी, वहां पर भी रोड़ नहीं

[श्री राम विलास पासवान]

था और यदि एक जगह रोड़ थी भी, तो कफालटा में शादी करने जा रहे 18 लोगों को मार दिया गया। इसी तरह दुर्ग जिले के रेस्तरां में भी 29 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। ये सब किस के राज में हुआ है, यह सब 1980 के बाद, आज तक की घटनाएं हैं और पिछले चार वर्षों में शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर जुल्म और अत्याचार हुआ है और उसने पिछले सारे रिकार्ड को तोड़ दिया है। मैं इस सरकार पर चार्ज करता हूं कि यह सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है, इस सरकार की उन खूनियों के साथ मिली भगत है और यह सरकार उन खूनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं कर पा रही है। और उसका नतीजा हो रहा है

5.00 म० प०

सारी की सारी घटनायें घट रही हैं। और मैं गृह राज्य मंत्री जी आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपने बढ़ते हुए कातिल के हाथ को नहीं रोका तो जैसे संसार में छोटी छोटी बातों को लेकर लोग यू० एन० सी० में जा सकते हैं, हमारे लिये भी कोई प्लेटफार्म है जहां हम अपनी आवाज को उठाने के लिये स्वतंत्र होंगे। यदि हम लोग नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गूंगे हैं, नासमझ हैं। आज कमजोर वर्गों को जीने का अधिकार यदि छीन लिया तो देश में क्रान्ति होगी जिसमें हम और आप दोनों नहीं रहेंगे। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी के साथ कहता हूं कि यह जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट है जो संविधान की भावना के अनुकूल है इस पर गहराई से विचार करें और यदि आपने 1, 2 सिफारिशों को भी इम्प्लीमेंट कर दिया तो बहुत बड़ा उपकार होगा। और मैं जब यह बात कहता हूं, मैंने कहा था कि आपके दल में भी लोग हैं जो दिल से चाहते हैं, माननीय शिव शंकर जी बैठे हुए हैं जब कभी भी हम लोग वीकर सैक्सन का मामला ले कर उनके पास जाते हैं तो वह न्याय करते हैं क्योंकि उनके दिल में उनके प्रति हमदर्दी है। लेकिन एक्का, दुक्का आदमी के करने से कुछ होने वाला नहीं है। असल चीज सरकार की नीयत का प्रश्न है। सरकार की नीयत क्या है ? जब हम सरकार की नीयत को देखते हैं तो हमें शंका होती है, और माननीय शिव शंकर जी आप सरकार से पूछिये कि सातवीं योजना में इकोनामिक क्राइटीरिया को केसे लाया गया ? कैसे कहा गया कि आरक्षण का आधार इकोनामिक क्राइटीरिया हो सकता है ? हकीकत को आप छिपा नहीं सकते ? माननीया राम दुलारी सिन्हा जी आप गृह राज्य मंत्री भी हैं मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो गहराई से विचार करें और ऐसा आश्वासन दें कि जो कातिल हाथ में जिसने हमारे जीने का हक छीन लिया है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगी और ऐसे कातिल हाथ को प्रोटेक्शन नहीं देंगी।

इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अरविन्द नेताम (कांकर) : सभापति महोदया जी, आज हम लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स

और ट्राइब्स कमिशनर की 26वीं और 27वीं रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से होना यह चाहिए कि प्रत्येक रिपोर्ट पर अलग अलग चर्चा होनी चाहिये, और 26वीं रिपोर्ट पर बहुत पहले चर्चा हो जानी चाहिये थी क्योंकि 26वीं रिपोर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिये वह आउट आफ डेट भी हो चुकी है।

यह जो 27वीं रिपोर्ट है इसमें सबसे पहले मैं मंत्री महोदया का ध्यान इसके पेज 4 पर जो कमीशन के आर्गेनाइजेशन सैट अप के बारे में कहा गया है उस ओर खींचना चाहता हूं :

> "इस आयोग का गठन करते समय सरकार का इरादा, अन्त में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय को आयोग के साथ मिला देने का था। किन्तु इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संवैधानिक संशोधन अभी तक नहीं किया गया है।"

इस सम्बन्ध में मैं आपका जवाब चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? अगर अभी तक उसको कांस्टीट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है तो मिलना चाहिये। रिपोर्ट में जो स्टेट के आफिसर्स हैं या पोस्ट्स हैं उस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये हुए हैं। राज्यों में जो स्टाफ हैं वह पर्याप्त नहीं है, उनकी सुविधाओं की कमी है। ऐसे बहुत से राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जिनका एरिया तो बड़ा है परन्तु उसके मुताबिक स्टाफ और सुविधायें कम हैं इसलिये पूरी तरह से वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। इनको किस ढंग से स्ट्रेंथन किया जाय, अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें यह सरकार को सोचना चाहिए। अगर लीवर स्टाफ बढ़ने की आवश्यकता हो तो उसको बढ़ाने की सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिये। रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशों और अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है। हर राज्य के राज्यपाल को आदिवासी और हरिजनों के विकास की गतिविधियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भारत सरकार को देनी होती है, कमीशन की 27वीं रिपोर्ट में इस बात से असंतोष जाहिर किया गया है कि जिस ढंग से राज्यपाल की रिपोर्ट भारत सरकार को आनी चाहिये, वह नहीं आ पाती है। डैवलपमैंट; विकास कार्यों का विवरण लिख देना ही रिपोर्ट नहीं होती है। उसके अलावा विकास कार्यों की समीक्षा भी उसमें होनी चाहिये कि उसका कितना लाभ इन लोगों को मिला है।

कमीशन की रिपोर्ट में जो यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो भी रिपोर्ट भेजे वह कम-से-कम समीक्षात्मक हो, उसमें विश्लेषण हो, यह बात सही है। जब भी रिपोर्ट आये, तो इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि यह ज्यादा यूजफुल रिपोर्ट हो। यह भारत सरकार और गृह-मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

सलाहकार समिति के बारे में भी कमीशन की रिपोर्ट में है कि हर राज्य में खास तौर से

[श्री अरविन्द नेताम]

आदिवासी और हरिजनों के बारे में सलाहकार समिति की साल में कम-से-कम 3 बैठकें हों, परन्तु बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां साल में 2 बैठकें ही हुई हैं। उड़ीसा के बारे में तो सूचना कमीशन को उपलब्ध ही नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि जो कम-से-कम 3 बार मीटिंग की सिफारिश है, यह बहुत जरूरी है, इसे कम्पलसरी कर देना चाहिये। इसके अलावा बैठक में क्या कार्यवाही होती है, इसका विवरण भी भारत सरकार को मिलना चाहिये। आजकल केवल खानापूरी करने के लिये राज्य सरकारें इन सलाहकार समितियों की बैठक करती हैं और थोड़े समय में कुछ बातों का उल्लेख कर के बैठक खत्म कर देतीं हैं। मैं चाहता हूं कि कम-से-कम बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही तो गवर्नमेंट के पास आनी चाहिये और उसमें यह भी होना चाहिये कि नीति सम्बन्धी बातों पर वहां चर्चा करते हैं या नहीं।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में भी बहुत सी अच्छी सिफारिशें की गई हैं। एक महत्वपूर्ण बात रिपोर्ट में यह कही गई है कि भारत सरकार को समझ लेना चाहिये कि किस बात को प्रायर्टी दे। अभी तक छटी प्लान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट को ही प्रायर्टी दी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत सरकार को या गृह-मंत्रालय को एक अलग से कमेटी सैट-अप करनी चाहिये, स्टडी-टीम सैट-अप करनी चाहिये जो यह देखे कि प्राथमिकता किस चीज की हो और वह इस बात को तय करे। इसमें लिखा गया है कि अब तक प्लान एलोकेशन में पावर, इरिगेशन को काफी प्राथमिकता दी गई है और इसी कारण से इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट के नाम से बहुत से दूसरे क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। अब फैमिली बैनिफीशियरी प्रोग्राम पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये।

कमीशन ने सिफारिश की है कि टीम बनायें जो इस बात का अध्ययन करे कि प्रायर्टी किस-किस बात को देनी चाहिये। छठी योजना में हम इस बात का प्रयास करते रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप करें अगर कई कई प्लान में इसी तरह करते रहेंगे तो फैमिली बैनेफिट का कार्यक्रम कैसे हो सकेगा। अब समय है कि 7वें प्लान में फैमिली बैनेफिट के प्रोग्राम बनाये जायें। इस बारे में हमें अधिक से अधिक गंभीरता से सोचकर प्रायर्टी फिक्स करनी चाहिये। रिपोर्ट में ट्राइबल कोआपरेटिव डवलपमैंट कार्पोरेशन्ज का उल्लेख किया गया है। राज्यों में जो कार्पोरेशन हैं, उनमें एकरूपता नहीं है। होम मिनिस्ट्री को प्रयास करना चाहिए कि इन कार्पोरेशन्ज में एकरूपता हो। कई राज्यों में आज भी कार्पोरेशन नहीं बने हैं। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय कोशिश करे कि जहां-जहां कार्पोरेशन नहीं हैं, वहीं जल्दी से जल्दी बने।

फारेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बहुत बार कहा गया है कि केन्द्रीय स्तर पर एक ऐपेक्स बाडी जल्दी से जल्दी बनाई जाए, ताकि जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और बन उपज को कलेक्ट

करते हैं, उनको सही कीमत मिले और वन उपज की कीमत के निर्धारण और खरीद में एक-रूपता हो।

लैंड रिफार्म्ज के बारे में बहुत चर्चा हुई है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों में भूमि का वितरण संतोषप्रद नहीं है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय यह कोशिश करे कि लैंड रिफार्म्ज में जितनी भी सरप्लस लैंड है, उसका वितरण हो और महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिजन-आदिवासियों को उसका पोजेशन मिले। कई राज्य ऐसे हैं, जहां वितरण तो कर दिया गया है, परन्तु अभी तक हरिजन-आदिवासियों को पोजेशन नहीं दिलाया जा सका है। अगर यह काम ठीक ढंग से न किया गया, तो गरीबों को भूमि देने की सरकार की सारी नीति विफल हो जाएगी।

बहुत से ट्राइबल काश्तकार पंद्रह बीस साल से खेती करते आ रहे हैं, मगर उन्हें पट्टा नहीं मिला है। फारेस्ट कानजर्वशन एक्ट के बाद भी उन्हें पट्टा मिलने की सम्भावना नहीं रह गई है। ऐसे काश्तकार लाखों की तादाद में हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जहां ऐसे काश्तकार नहीं हैं, जिन्हें पट्टा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदया इस ओर विशेष ध्यान दें कि फारेस्ट कान-जर्वश्न एक्ट के आने के बाद इस समस्या का निराकरण किस ढंग से हो। पिछली बार जब गृह मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई थी, तो मैंने इस बात को उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम यकायक पट्टा देने में असमर्थ हैं। उन्होंने ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया था। आदिवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। गृह मंत्रालय इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे और कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करे।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत से काम हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि छठी योजना में 1980 के बाद इंडिविडुअल बैनिफिशरी प्रोग्राम के अन्तर्गत लोगों को काफी लाभ हुआ है। परन्तु आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत 1980-81 में केवल 25 परसेंट हरिजन-आदिवासी परिवारों को ही कवर किया गया है, जबकि 50 परसेंट परिवारों को कवर करना चाहिए था। आई० आर० डी० पी० में जितने भी परिवार लिए जाते हैं, उनमें कम से कम 50 परसेंट फैमि-लीज हरिजन-आदिवासियों की होनी चाहिए। छठी योजना तक करीब करीब 15 मिलियन फैमि-लीज को लेना था। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है और क्या छठी पंच-वर्षीय योजना तक 15 मिलियन परिवार कवर किए जा चुके हैं या नहीं।

कमीशन की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि छठी योजना में बहुत से आर्थिक कार्यक्रम लिए गए हैं। परन्तु उसकी तैयारी पहले से सरकार ने नहीं की। इसीलिए छटी योजना के शुरू के सालों में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी। उसका कारण केवल यही है कि

[श्री अरविन्द नेताम]

जितनी तैयारी उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए होनी चाहिए उसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया और मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं योजना में भी और बहुत से कार्यक्रम लिए जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी कमजोरी है सरकार की तरफ से कि कोई कार्यक्रम लेने से पहले उसकी किस ढंग से तैयारी होनी चाहिए यह नहीं की जा रही है। इसीलिए विफलता कहिए या प्रगति ठीक से नहीं हो पाती या जितने टार्गेट्स हम अचीव करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है। इन कमियों को दूर करने के लिए भविष्य में सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त कर सकें।

ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खास कर ट्राइबल एरियाज के ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं, छठी योजना की कई स्कीम्स हैं, अगर आपकी परसोनेल पालिसी या ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप इन इलाकों में ठीक न हो, या अनुरूप न हो तो आपका सारा प्रयास विफल हो जायेगा। इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने भी सन 80 में सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी और राज्यों को भी समय समय पर पत्र लिख कर कहा है। विशेषकर क्वांटिफिकेशन आफ फंड्स के बारे में जो उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में सेंट्रल मिनिस्ट्री के बारे में, मैं गृह मंत्री और मंत्रालय का आभारी हूं कि काफी प्रयास उन्होंने किया जिसके कारण और बहुत से मंत्रालय हैं उन लोगों ने इस ओर ध्यान देकर अपने बजट का प्रावधान किया। मैं चाहता हूं कि सातवीं योजना में जो बजट प्रावधान है उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और उनके कार्यक्रम में और विकास होना चाहिए।

परसोनेल पालिसी के बारे में मैं कह रहा था कि महेश्वर दयाल कमेटी का इसमें उल्लेख किया गया है और इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सभी राज्यों को कमेन्ट्स के लिए इसे भेजा गया है जहां जहां आदिवासी क्षेत्र हैं। अभी तक किसी राज्य की राय आई नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और भारत सरकार को विशेषकर होममिनिस्ट्री को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ट्राइबल एरियाज में, अब वक्त आ गया है कि परसोनेल पालिसी क्या है यह तय किया जाय अगर सही ढंग से किसी स्कीम का इम्प्लीमेंटशन करना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो इसके अभाव में जितने भी आपके विकास के कार्यक्रम हैं, जितनी भी नीतियां हैं वह सारी की सारी अधूरी रह जायेंगी। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो महेश्वर दयाल कमेटी की रिपोर्ट है उसके विषय में क्या प्रगति है, कितने राज्यों का जवाब आ गया है, कितनों का नहीं आया है, इसे आप बताएं और नहीं आया है तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खास तौर से इस मसले का उल्लेख करेंगी जब वह जवाब देंगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं सभापति महोदय का आभारी हूं कि मुझे वक्त दिया। वैसे तो बहुत बातें कहने को हैं लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सूरज भान : सभापति महोदया, धन्यवाद आपका···

सभापति महोदय : समय का ध्यान रखकर बोलिएगा।

श्री सूरज भान : समय तो बढ़ा दिया गया है।

सभापति महोदय : बहुत से लोगों को बोलना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर बोलिएगा। ···(**व्यवधान**)···

आपकी पार्टी के पास तो वैसे पांच मिनट हैं।

श्री सूरज भान : वह तीन घंटे के हिसाब से मिला होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को कोआपरेट करना चाहिए क्योंकि बोलना तो है आपको लेकिन दूसरों को भी बोलना है। आपकी पार्टी को वैसे पांच मिनट टाइम मिला है तीन घंटे के हिसाब से, तो उसका तिगुना भी बोलिएगा तो पन्द्रह मिनट बोल लीजिए। इससे ज्यादा मत बोलिएगा।

श्री सूरजभान : हरिजनों पर और तरह की एट्रासिटीज तो होती ही हैं, यहां हमारे बोलने पर भी पाबन्दी लगा दी जाती है।

सभापति महोदय : हाउस में आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हाउस में हरएक को अपने समय के अन्दर ही बोलना होता है।

श्री सूरजभान : लेकिन मुनासिब समय रखा जाए—यह भी तो होना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको बोलना है लेकिन समय के अन्दर बोलना है।

श्री जगपाल सिंह : इस चर्चा के लिए 6 घंटे का समय रखा जाए। आज 6 बजे इसको पोस्टपोन करके 16 तारीख को तीन बजे से 6 बजे तक रखिए।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, जिन रिपोर्टस की बात कही गई है वह 1980 और 1982 में ही सदन की टेबल पर रखी जा चुकी थी इसलिए अब उन पर होने वाले डिस्कशन को पोस्ट-मार्टम ही कहा जायेगा। 1979 की रिपोर्ट में 1977 का जिक्र होगा, उनपर यदि हम आज

[**श्री सूरज भान**]

डिस्कशन करें तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अभी कल ही एक रिपोर्ट सुर्कुलेट हुई है। लोगों को पता है कि 1983 में कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुके थे लेकिन उसको 1984 तक भी पेश न किया जाए तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तीसरी रिपोर्ट जो कल मिली है वह 10 तारीख को टेबल पर रखी गई थी। कमीशन ने सितम्बर, 1983 में ही रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। अब तक सरकार क्या करती रही ? अगर सरकार ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट के साथ आती तब भी बात समझ में आ सकती थी लेकिन वह बात भी नहीं हुई। आखिर इतने दिनों तक चुप बैठने का क्या मतलब है ?

सबसे पहले मैं आदिवासियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे कई जगह घूमने का मौका मिलता है। इत्तफाक से पिछले साल मैं केरल गया था। आदिवासी चंगलों के बादशाह कहलाते थे लेकिन आज उनकी क्या हालत है ?

जंगल से ले तो आए हो पौधा गुलाब का,
मुर्झा न जाए शहर की बासी हवाओं से।

केरल में एक आटापड़ी ब्लाक है। मेरे साथी वहां मुझे एक जगह ले गए और मुझे दिखाया कि यहां पर पांच साल पहले आदिवासियों से कहा गया था कि तुम अपनी झोपड़ियां गिरा दो, सरकार तुम्हें पक्के मकान बनाकर देगी। उन्होंने अपनी झोपड़ियां गिरा दीं। उसके बाद ठेकेदारों ने ठेका ले लिया पक्के मकान बनाने का, लेकिन एक साल बीत गया न तो पक्के मकान बने और न कच्चे। उन ठेकेदारों ने पूरी राशि लेकर उन आदिवासियों से ही कहा कि पत्थर लाओ। वे पत्थर लाए तो नीव भर दी गई। मैंने जिस जगह देखा वहां नीव तो भरी हुई है और उसी पर फिर से फूस की झोपड़ियां डाल ली गई हैं। मुझे वहां पर कुछ कुयें भी खोदे हुए दिखाई दिए लेकिन पानी किसी में भी नहीं है। और एक जगह तो मैं यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वहां पर 8 मकान पक्के बनने थे, आदिवासियों से कहा गया कि झोपड़ियां गिरा दो, उसके बाद 8 मकान तो नहीं बने लेकिन एक मकान बन गया। मैं हैरान था कि कैसे बन गया, यह तो पक्का मकान है और बिजली का कनेक्शन भी है। जब मैं उसकी तह में गया तो पता चला कि एक व्यक्ति को अपनी चावल की मिल लगाने के लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए था और आदिवासी के नाम पर ही प्रायर्टी से बिजली का कनेक्शन आ सकता था। अतः एक मकान इसलिए बनवा दिया गया ताकि आदिवासी की कालोनी के नाम पर बिजली मिल जाए। ऐसे उस अमीर जमींदार को बिजली का कनेक्शन मिल गया।

आज नौकरियों में आदिवासियों की क्या हालत है उसके आंकड़े मैं दोहराना नहीं चाहता। बहरहाल यह मांग की गई है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की बेहतरी के लिए केन्द्र में

सेप्रेट मिनिस्ट्री बनाई जाए लेकिन नहीं बनाई जाती है। 1947 में देश आजाद हुआ और कुछ लाख रिफ्यूजी यहां पर आए। कुछ सालों के कुछ लाख रिफ्यूजियों के लिए रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बना दी गई। लेकिन हजारों सालों से शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के करोड़ों रिफ्यूजियों के लिए कोई मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक सैपरेट मिनिस्ट्री बननी चाहिए अगर आप ईमानदारी से उनकी हालत को सुधारना चाहते हैं। बहराल आवाज उठाने पर कहा गया कि इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनायेंगे, गिनिस्टरी नहीं बनाते। वह डिपार्टमेंट भी पता नहीं कहां है।

यह कमिश्नर की रिपोर्ट जिस पर हम डिसकशन कर रहे हैं, उन कमिश्नर के साथ क्या मजाक हुआ है, वह भी बहुत अफसोसजनक है। 1966 से पहले हर स्टेट में कमिश्नर के दफ्तर होते थे, लेकिन 1966 के बाद सारे दफ्तरों को खत्म कर दिया गया। अब दिल्ली में आर० के० पुरम में एक दफ्तर है। पार्लियामेंटरी कमेटी आन वैलफेयर आफ शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की पहली रिपोर्ट में लिया था कि आपने कमिश्नर के दफतरों को क्यों खत्म कर दिया है। फर्ज कीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई अपलिफ्टमेंट की स्कीम चल रही है। पहले तो कमिश्नर वहां अपने दफ्तर के माध्यम से देख सकता था कि क्या कुछ काम हुआ है। लेकिन अब कोई दफ्तर न होने की वजह से वह उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगा कि स्कीम कैसी चल रही है ? कुम्हार कभी भी अपने घड़े को नहीं कहेगा कि घड़ा टूटा हुआ है। यू० पी० सरकार कहेगी कि स्कीम बहुत अच्छी चल रही है। बड़े साफ शब्द हैं :

"उस आयुक्त को अपनी आंखों और कानों से वंचित कर दिया गया है।"

उसकी आंखें फोड़ दी गई और कान काट दिए गए, ताकि कमिश्नर न सुन सके और न देख सके। प्रदेशों के आफिसरों की बात पर यकीन करे और पार्लियामेंट के सामने अपनी रिपोर्ट दे। इससे और बड़ा मजाक क्या हो सकता है। सदन की परम्परा के अनुसार मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा।। 1966 में गवर्नमेंट के एक सीनियर आफिसर ने कहा था। 'आरक्षण वगैरा सब बकवास है। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह बकवास है, इसको खत्म होना चाहिए। राज्य सभा के सदस्य, श्री डी० बासु-मतारी, जो कि उस समय के लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति ने सर्विस में रहते हुए इसकी मुखालिफत की है, इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही क्या हुई, उसको कमिश्नर फार शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स लगा दिया गया है। जो कहता है कि रिजर्वेशन बकवास है। 1967 में वह कमिश्नर नियुक्त किया गया और 1968 में नेशनल इन्टोरेशन काउन्सिल की मीटिंग में उसको श्रीनगर बुलाया गया। उनसे कहा गया कि आप इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दो कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को देश की मैन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है। उसने लिख कर अपनी सिफारिशें दी हैं। पहली सिफारिश यह है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और दूसरी यह कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और

[**श्री सूरज भान**]

शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को दसवीं क्लास से आगे नहीं पढ़ने देना चाहिए । उन्होंने यह लिखा है, अपनी सिफारिश में ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या नाम है ?

श्री सूरज भान : उनका नाम श्री एन० के० बोस है । वह सरकारी सेवा में वरिष्ट मानव शास्त्री हुए थे।

श्री राम प्यारे पनिका : उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं ।

श्री सूरज भान : मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं । उसको कमिश्नर बनाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि रिजर्वेशन खत्म करो और शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को दसवी जमात से आगे न पढ़ने दिया जाए । हम 80 संसद सदस्यों ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी । उसमें सरदार बूटा सिंह जी के भी दस्तखत हैं, जो आज मिनिस्टर है और श्री दलबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं, जो आज मिनिस्टर है । हमने मांग की कि इस आदमी को तुरन्त निकालो । आप सुनकर हैरान होंगे कि उसको नौकरी से निकालने के बजाय एक्सटेंशन दी गई । तीन साल के बाद चार साल रखा गया । इस प्रकार इस सरकार से इन्साफ की क्या उम्मीद की जा सकती है । यदि इस किस्म की नीति है तो इन्साफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है । मेरे साथी यादव जी ने कहा है भूल से यह पैरा लिखा गया है । सातवीं 5 वर्षीय योजना के ऐप्रोच पेपर में मैं कहना चाहता हूं कि यह जानबूझ कर लिखा गया । 1966 में एक कमेंटी श्री बी० एन० लकूर, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के सैक्रेटरी हैं, की अध्यक्षता में बनी । उनसे कहा गया कि बताओ कौन-कौन सी कास्ट और कौन-कौन सी ट्राइब शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से निकाल दी जाए । उनसे कहा गया आपने इस काम को अपने काम के अलावा तीन महीने में करना है और रिपोर्ट पेश कीजिए । जिस व्यक्ति ने कभी हिन्दुस्तान के किसी कोने में झोंपड़ी तक न देखी, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर, उसने पौने तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और उसमें कहा गया है कि 35 को शैड्यूल्ड कास्ट्स से निकाल दो और 65 को शैड्यूल्ड ट्राइब्स निकाल दो । सन् 1967 में मैं इत्तिफाक से पार्लियामेंट में आ गया था । हमारे शोर मचाने के बाद लोकोर कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गई । उस तरफ के लोगों ने भी हमारा साथ दिया लेकिन फिर भी सरकार खामोश नहीं रही। उसने एक पैरीमल कमेटी बिठाई और उसको कहा गया कि यह बताओ कि हिन्दुस्तान में अनटचेब्लिटी है कि नहीं है । अगर पेरीमल कमेटी यह रिपोर्ट दे देती कि अनटचेब्लिटी खत्म हो गई हैं तो हिन्दुस्तान में रिजर्वेशन खत्म हो जाती । पेरीमल कमेटी ने अपनी इन्टेरिम रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि अनटचेब्लिटी बदस्तूर कायम है । लेकिन उस कमेटी के एक मेम्बर श्री आर० अच्युतन थे जो कि केरल के थे

उनसे एक डिसेन्टिंग नोट लिखाया गया और तीन लाख रुपये का वायदा कर के लिखाया गया। इस हाउस में मैंने उस वक्त भी यह बात कही थी और पूरे सबूत दिये थे। उनसे डिसेन्टिंग नोट लिखाया गया कि हिन्दुस्तान में अनटचेब्लिटी कहीं नहीं है। कमेटी यह रिपोर्ट दे रही है कि अनटचेब्लिटी कायम है और डिसेन्टिंग नोट यह लिखाया गया। उसकी पब्लिसिटी की गई। कमेटी की रिपोर्ट को अमेंड किया गया। एक मिस्टर एस॰ एम॰ संजय्या थे जो पार्लियामेंट के मेम्बर भी थे। जब गवर्नमेंट को यह नजर आया कि रिपोर्ट गवर्नमेंट की मंशा से अलग जा रही है, कमेटी हमारे खिलाफ जा रही है तो कमेटी के दफ्तर को ताला लगा दिया गया। उसका चार्ज छीन लिया गया। मिस्टर एस॰ एम॰ संजय्या के घर पर बैठ कर अपने खर्चे पर गवर्नमेंट की बनी हुई कमेटी की रिपोर्ट को तैयार किया गया। अपने खर्चे पर टाईप और साइक्लोस्टाइल कराया गया। यह सारा कुछ हुआ।

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह भूलचूक से नहीं लिखा गया है। जो कुछ भी लिखा गया है वह जानबूझ कर लिखा गया है। अगर आप कहते हैं कि भूलचूक से लिखा गया है तो इसी हाउस में अपने बिल पर बोलते हुए मैंने पिछले महीने की 27 तारीख को इस रहस्य का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह जो लिखा गया है वह स्वर्गीय डा॰ अम्बेदकर की सिंगल हैडेडली दी हुई चीज को छीनने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी में हरिजनों के नुमाइन्दे मंत्री बैठे हैं। वे भी इस पर पानी फेर रहे हैं। क्या जब यह कहा गया उस वक्त मंत्री यह नहीं कह सकते थे ? अगर यह भूलचूक से लिखा होता तो पिछली 27 तारीख को मैंने कहा था, फिर इस महीने की दो तारीख को यह जनसत्ता में छपा, उस पर हाउस में शोर मचा। हमने कहा कि आप हाउस में कहो कि आप रिजर्वेशन का आधार खत्म करना चाहते हैं। आप खामोश रहें। फिर इंडियन एक्सप्रेस में छपा तब भी आप खामोश रहे। मैं श्री वासनिक का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा और वे तथा उनके साथी प्रधान मंत्री के पास गये। प्रधान मंत्री ने इस पर कहा—"मैं हैरान हूं कि यह कैसे हो गया।" प्रधान मंत्री नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की चेअरमैन हैं, वहां वे मौजूद थीं, उनके केबिनेट मंत्री मौजूद थे और सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। 12 जून को मीटिंग हुई और उसमें यह एप्रोच पेपर पास हो गया। मैं यह मानता हूं कि रिजर्वेशन को कांस्टीच्युशन को अमेंड किये बगैर नहीं हटा सकते हैं। यह बात तो ठीक लगती है। लेकिन मेरे बिल की जो बेकग्राऊंड थी जिसको कि माना नहीं गया वह यह थी कि आर्टिकल 335 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। सिम्पल एक्जीक्युटिव आर्डर के तहत रिजर्वेशन का तरीका चलाया जा रहा है। इसलिए एक्जीक्युटिव आर्डर को बदलने के लिए कांस्टीच्युशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनना चाहिए था जो कि आज तक नहीं बनाया गया। जानबूझ कर नहीं बनाया गया। एक्जीक्युटिव आर्डर को तो जब चाहे बदला जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को मान लेता हूं कि यह भूलचूक हो गई है। लेकिन इसे

[श्री सूरज भान]

श्री यादव के कहने से, या श्री वासनिक के स्टेटमेंट देने से या आल इंडिया रेडियो पर आ जाने से नहीं माना जाएगा। यह तो श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जी इस हाउस में खड़े हो कर कहें और हाउस को कांफिडेंस में ले कर कहें कि हम इस पैरे को डिलीट करने जा रहे हैं। तब बात समझ में आएगी। वरना यह पैरा कायम है। सैवंथ फाइव इयर प्लान पहली अप्रैल 1985 से लागू हो जाएगा और अप्रोच पेपर को आप अप्रूव कर चुके हैं। कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव आर्डर के आधार पर चल रहा है। आप हाउस को कान्फीडेंस में लें। कहें कि यह पैरा हम डिलीट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स की बात कहां है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैडिंग के नीचे यह पैरा लिखा हुआ है। इससे ज्यादा सुबूत और क्या चाहिए। सभापति महोदया, एक बार डा० अंबेडकर ने कहा था—

> "अधिकारों की रक्षा कानून से नहीं होगी, वरन् सभा की सामाजिक और नैतिक जागरूकता से होती है।
>
> यदि समाज द्वारा मूल भूत अधिकारों का हनन किया जाता है तो कोई संसद, न्यायपालिका शब्दों के वास्तविक अर्थों में उनकी रक्षा नहीं कर सकती है।"

कानून है, विधान में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन है, लेकिन सोसायटी मानने को तैयार नहीं है। अगर रिजर्वेशन को इस लाइट में लेंगे कि घर में एक आदमी बीमार है तो उसको दवाई के साथ साथ दूध की भी जरूरत है, फल की भी जरूरत है। सोसायटी ने हजारों साल से उसको पिछड़ा हुआ रखा है। उसको परिवार के लोगों के साथ बराबर लाने के लिए उसको इस किस्म का ट्रीटमेंट दें, दवाई, दूध, फल दें। इस लाइट में लेंगे तो किसी के मन में कोई कसमसाहट नहीं होगी। इस नजरिए से लेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा।

अट्रासिटीज की बात कहना चाहता हूं। अभी श्री रामविलास पासवान जी कुछ आंकड़े दे रहे थे। तीन साल के सिर्फ आंकड़े मिले हैं लेटेस्ट। 1980, 1981 और 1982 के। कुल कत्ल हुए 1315, रेप हुए 1780 ग्रीवियस हुई 4273 और आगजनी के किस्से हुए 4469 लेकिन आंकड़ों से कई बार सही पिक्चर दिमाग में नहीं आती है। सिर्फ इतना लगता है कि बहुत हो गया है। ये सरकारी आंकड़े हैं। एक प्रश्न के जवाब में बताए गए हैं। लेकिन अट्रासिटीज कैसी होती है। कल का इंडियन एक्सप्रेस शायद कुछ साथियों ने पढ़ा हो। एक हरिजन महिला जो कि होम गार्ड में काम करती है। उसके साथ रेप किया गया। उड़ीसा की घटना है। और वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाती है। थाने में उसके साथ क्या सलूक होता है। यह सुन लीजिए

"अगली सुबह तक वह रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई, तो श्री मोहन राव उस पर चिल्लाए 'चली जाओ' तुम हरिजन लोगों पर इस देश में हमेशा से ही बलात्कार होता आया है। वास्तव में, तुम ही हो बलात्कार के लिए।"

यह पुलिस अफसर कहता है। थाने में उस औरत को कहता है जो रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। जब चीफ ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट के पास वह रिपोर्ट पहुंचती है तब जाकर कार्यवाही करते हैं।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा में किसकी सरकार है ?

श्री सूरज भान : सरकार किसी की भी हो। मैं इसके बीच में पालीटिक्स को नहीं लाना चाहता। जो ज्यादतियां हो रही हैं, वे खत्म होनी चाहिएं।

स्कालरशिप के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज जितनी स्कालरशिप मिल रही है वह ना काफी है। मैं चाहता हूं कि उनके स्कालरशिप के अमाउंट को प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एंप्लाइजका डी० ए० प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ सकता है तो क्या किताबों और कापियों की कीमत नहीं बढ़ती। शेड्यूल्ड कास्ट जो कपड़ा पहनता है, क्या उसकी कीमत नहीं बढ़ती ? इसीलिए मेरा यही कहना है एक सेंटेंस में कि इसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ना चाहिए।

कुछ लोग यह कहते हैं कि साहब कम नम्बरों वाले शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का एडमीशन हो जाता है एम०बी०बी०एस० में। मैं केरल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस पर एडीटोरियल है और हाईकोर्ट तक यह केस गया है। एक छात्र के फिजिक्स में 17 नंबर, कैमिस्ट्री में 18, बाटनी में 24 जियालाजी में 26, टोटल 85, लेकिन एडमीशन के लिए टोटल हो गया 440। दूसरा स्टूडेंट तो और भी इंटेलीजेंट है। फिजिक्स में जीरो, कैमिस्ट्री में जीरो, बाटनी में जीरो, जियालाजी में दो और टोटल हो गया 428 और उसको एडमीशन मिला मेडिकल में। जो लाखों रुपया केपीटेशन फीस के रूप में ले लेते हैं, उनकी बात कोई नहीं कहता। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस रिजर्वेशन के बारे में व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। जबसे रिजर्वेशन हुआ है, तबसे क्या मिलना चाहिये था और क्या मिला है ? स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के बारे में बहुत जिक्र हुआ है। 1980 में यह योजना लागू की गई और पांच करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया। लेकिन, एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया। यह बात मैं इस हाऊस में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 1979-80 में जो इसकी गाइड-लाइन्स हैं, उसमें शेड्युल्ड हैं, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए राज्य में ट्राइबल सब प्लान भी है। पापुलेशन अगर देखें तो पन्द्रह परसेंट है लेकिन अलाटमेंट कितना हुआ ? 1979-80 में 4.3 परसेंट, 1980-81 में 7.39 परसेंट और 1981-82 में 8.48 परसेंट।

[श्री सूरज भान]

राज्यों की बात तो और है लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट में केवल पांच मिनिस्ट्रीज ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनायी।

श्री राम प्यारे पनिका : 13 मिनिस्ट्री हैं।

श्री सूरज भान : मैं, आपकी फिगर्स मान लेता हूं। टोटल मिनिस्ट्रीज जबकि 29 या 30 के करीब है। बाकी मिनिस्ट्रीज को क्या सांप सूंघ गया ? मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना अमाउन्ट स्टेट्स को दिया गया, वह लैप्स हुआ। अगर वे कहें कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की हालत सुधारने के लिए धन नहीं तो अच्छा हो लेकिन जो अलाट हुआ, वही लैप्स होता है इसका मतलब है, वह दिल से नहीं चाहते कि उनकी हालत सुधरे यह बात साफ है। आर्मी की जो सिविल साइड की रिजर्वेशन है उसमें जीरो परमेंट रिजर्वेशन दिया हुआ है। क्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आर्मी के लिए दाखिला नहीं है ? भर्ती के लिए वह जाता है तो कह दिया जाता है कि आज जांटों, राजपूतों और दूसरी कौम की भर्ती हो रही है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जात-पात खत्म हो गई और दूसरी तरफ यह हालत है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स को इस मुल्क में जिन्दा रहने का हक नहीं है तो कम से कम उसे अपने आपको इस देश के लिए कुर्बान करने का मौका तो दीजिए। वह भी, आप नहीं देना चाहते। अगर उसका साइज कम है, छाती कम है और फिजिकल स्टैण्डर्ड में ठीक नहीं बैठता, तब तो ठीक है। लेकिन, जो हर लिहाज से फिजिकल फिट है, उसको क्यों नहीं भर्ती किया जाता ? जात-पात के आधार पर जो आपने रेजीमेंट बनायी हुई हैं, उनको एबोलिश कीजिए। जाट और सिख रेजीमेंट है तो चमार रेजीमेंट भी बनाइये। सुभाष या डा० अम्बेडकर उनका नाम से रख रख सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रीमिनेशन आपने किया हुआ है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सबको खत्म कर दीजिए। मुझे कोई एतराज नही है। अगर चाहें तो इसका नाम की जगह नम्बर भी रखा जा सकता है।

मैं आपके नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूं। हमें कहा जाता है कि शेड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते; स्यूटेबल कैन्डीडैटस नहीं मिलते। मैंने पीछे इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक प्रश्न भी किया था, उसके उत्तर में जो कुछ आंकड़े मुझे दिए गए, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे मैं कह नहीं सकता कि सरकार के आंकड़े कहां तक सही हैं, मुझे तो वे गलत नजर आते हैं। लेकिन एम्पलायमैंट एक्सचेंजेज के लाइव रजिस्टर में बीलो मैट्रिक 12 लाख 48 हजार, मैट्रिक 4 लाख 76 हजार लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राब्इस से अलग बताये गए हैं, जिनके नाम वहाँ लिखे हैं। सरकार हमें यहाँ आंकड़े दे रही है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि इन जातियों के लोग उपलब्ध नहीं है। लाइव रजिस्टर पर इंटर पास दो लाख 19 हजार लोग हैं, जो बेकार बैठे हुए हैं। इसी तरह ग्रेजूएट्स की संख्या 94

हजार हैं जिन्होंने एम्पलायमेंट ऐक्सचेंजेज में नाम लिखाये हुए हैं। पोस्ट ग्रेजूएटस की सख्या 8 हजार हैं और वे भी अपना नाम लिखाकर बेकार बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपस में आपका कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। सर्विसेज में तो इससे भी ज्यादा धांधली मची हुई है। आजकल वहां गैर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो यूनियन है, उसको तो मान्यता है, लेकिन जो शैड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स की यूनियन है, जो संविधान को सही मायनों में लागू करवाना चाहते हैं, उनको कोई मान्यता नहीं है। उन्हें भी मान्यता मिलनी चाहिये।

अंत में, जूंकि आप समय नहीं दे रही हैं' एक और निवेदन करके खत्म करता हूं। इस मामले में भी हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। क्योंकि हमारे देश में जितनी जातियां हैं, उनके धर्म गुरुओं के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहता है, चाहे सिक्खों के धर्म गुरु हों, मुसलमानों के धर्म गुरु हों या किसी दूसरी जाति के हों, लेकिन डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कोई छुट्टी नहीं है गुरु रविदास जी और महर्षि बाल्मीकि के जन्म-दिवसों पर कोई सार्वजनिक छुट्टी नही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वैसे तो मैं सारी बातें समय की कमी के कारण कह नहीं पाया, लेकिन हरिजनों, शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जजबात के साथ आप कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे। हमारे यहां पूना पैक्ट के नतीजे के तौर पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। यदि पूना पैक्ट न हुआ होता तो आज हिन्दुस्तान की शक्ल ही कुछ दूसरी नजर आती। डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने तमाम जजबात को कुचल कर हरिजनों के हित में सब कुछ किया, लेकिन आज आप पूना पैक्ट को भी बिट्रे कर रहे हैं आप इस बात का मौका मत दीजिए कि इन लोगों को भी कुछ एन्टी नेशनल ताकतें भड़काने का काम करें।

धीरे धीरे स्थिति न हो जाए, इसलिए आपको अभी से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आप कब तक इनके सब्र को आजमायेंगे। इसलिए आखिर वार्निग के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें इस एप्रोच पेपर में आई हैं उनका बदलिए और इनके साथ भौंडा मजाक मत कीजिए और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनके लिए कुछ करिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : माननीय सभापति महोदया, आज यहां चार रिपोर्टों पर चर्चा हो रही है और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कई सदस्यों ने कहा कि इस पर पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं कि ऐसी रिपोर्टों पर काफी पहले चर्चा होनी चाहिए थी। यद्यपि लोकसभा में इसी विषय पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई है, और हमारे गृह मंत्री महोदय ने भी, चाहे इस समय के रहे हैं या कोई दूसरे, हर वर्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एम० पीज को बुलाकर मीटिंग की है। इसलिए इस विषय पर आम तौर पर चर्चा होती रही है। चूंकि इस समय यहां कमीशन की रिपोर्ट भी है, कमिश्नर साहब ने जो कुछ रिपोर्ट दी है, उस पर चर्चा होना भी आवश्यक है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

मैं यहां विस्तार में न जाते हुए, कुछ रचनात्मक सुझाव ही रखना चाहता हूं। यहां कई साथियों ने कहा कि हमारे संविधान में वीकर सैक्शन के कल्याण के लिए 26 धाराएं हैं, जो उनकी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से रखी गई हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं, उनके शैक्षिक सुधार के लिए हैं और नाना प्रकार की दूसरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। इन धाराओं के रखे जाने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि ये लोग भी समाज के अन्य लोगों की भांति अपना जीवन बिता सकें, राष्ट्र की मुख्य-धारा से जुड़ जाएं। मान्यवर, यह बात भी सही है कि पिछले 37 सालों में इस दिशा में काफी प्रगति हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं हो सकी। उसका कारण यह है कि हमारे हिन्दुस्तान के अंदर, हमारे समाज की रचना कुछ इस प्रकार की है कि हम अपनी आशाओं को मूर्त रूप नहीं दे सके, और उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके, जितनी हमने अपेक्षा की थी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में काफी दिनों से एक आन्दोलन चल रहा था कि वहां के एक कालेज का नाम बदल कर डा० अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो जाए। मुझे याद है, वहां की असेम्बली में भी वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया था कि मराठवाड़ा कालेज का नाम डा० अम्बेडकर विश्व-विद्यालय हो जाना चाहिए। लेकिन हमें दुख है कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि डा० अम्बेडकर के नाम से इस देश में कोई विश्व-विद्यालय हो। केवल इसलिये कि डा० बाबा अम्बेडकर अनुसूचित जाति के थे और हरिजन जाति के थे। तो यह परिस्थिति है इसको भी हमें देखना पड़ेगा, और मैं मांग करता हूं कि कुछ ऐसे कदम हमें उठाने पड़ेंगे कि जो सर्वसम्मति से असेम्बली से प्रस्ताव पास हुआ उसको इम्पलीमेंट किया जाय। यह दिखाता है हमारे समाज की मनःस्थिति क्या है। संविधान की 26 धाराओं के अनुसार जो कार्यक्रम होना चाहिये था वह नहीं हो सका। समय कम है मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन यह बात सही है कि सर्विसेज में 37 वर्ष बाद भी हमारा कोटा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने पूरा नहीं किया। हमने विभिन्न अवसरों पर कहा कि इसके लिये अपौईंटिंग अथोरिटी को दंड दिया जाय। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी अधिकारी को दंड दिया गया हो जिसने सरकार के निदेशानुसार शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की भर्ती नहीं की।

प्रोमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। आप देखें किस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और हरिजन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका दो, तीन साल तक कैरेक्टर रोल ठीक रहता है, लेकिन प्रोमोशन के साल उनके सी० आर० में अनसेटिस-फैक्टरी रिपोर्ट दे दी जाती है और इस तरह से हमारा बेक्लाग बढ़ता जाता है जो हजारों और लाखों की संख्या में है। इसलिये मेरा कहना है कि आप एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाइये। आखिरकार रिजर्वेशन इस देश में अनन्तकाल तक नहीं चलाया जा सकता है। संविधान के अनुसार यदि सुविधाएं देनी हैं तो उसके लिये हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा और गैर रेस्पांसिबिल अधिकारियों

को दंड देना होगा तभी रिजर्वेशन पूरा होगा, अन्यथा इसी तरह से 2, 3, 4 परसेंट ही रिजर्वेशन रहेगा।

जहां तक इकोनामिक कार्यक्रम का सवाल है, खुशी की बात है कि 1980 के बाद हमारी पार्टी सत्ता में आयी और श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं, उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और गृह मंत्रियों को गाइड लाइन्स दीं कि किस तरह से काम किया जाय जिससे हरिजनों पर ऐट्रासिटीज बन्द हों और उनके इकोनामिक डेवलपमेंट में तेजी आये। लेकिन दुख की बात है कि यहां से जो गाइड लाइन्स दी जाती हैं उन पर राज्यों के मुख्य मंत्री और सरकारें तवज्जह नहीं देतीं। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम में क्या कमी है ? पहली तो यह कि बैंक सहयोग नहीं देते, गरीबों को दिये जाने वाले पैसे में से परसेंटेज लेते हैं, जो पशुओं के डाक्टर हैं वह भी पैसा लेते हैं और ब्लाक वाले समय पर सब्सिडी नहीं देते हैं। जो सहायता दी भी जाती है वह समय पर न दिये जाने की वजह से उस पर इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि वह सब्सिडी से ज्यादा हो जाता है। जो गाइडलाइन्स हमारी नेता ने दी है उनका इमप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और उस के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिये स्वतंत्र मिनिस्ट्री होनी चाहिये और शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के विकास के कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जाय। केवल कमिश्नर की रिपोर्ट से ही काम नहीं चलेगा, इसको इमप्लीमेंट और मानीटर करने के लिये हर राज्य में केन्द्र सरकार के कमिश्नर या राज्यों के डायरेक्टर नियुक्त किये जायें। और जो सरकारें हमारी नेता द्वारा दी हुई गाइडलाइन्स को इमप्लीमेंट न करें, चूंकि यह केन्द्रीय विषय है, ऐसी सरकारों को सेंसर किया जाय और आवश्यकता पड़ने पर उनको डिसमिस कर दिया जाय चाहे वह किसी पार्टी की भी सरकार हो।

जहां तक और विकास कार्यक्रम की बात है अभी हमारे भाई श्री नेताम ट्राइबल एरिया के बारे में बोल रहे थे।

जहां तक एप्रोच पेपर के 13वे पैराग्राफ के बारे में बात है, यहां जैसे ही बात आई, मैं अपनी पार्टी की होम स्टेंडिंग कमेटी का कन्वीनर हूं, उसकी हैसियत से मैं गृह मंत्री से भी मिला, प्लानिंग मिनिस्टर से भी मिला और प्रधानमंत्री से भी मिला। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी उसको ध्यान से देखा है कि रिजर्वेशन समाप्त करने की बात है, लेकिन जो भी पैराग्राफ आया है वह औबजैक्शनेबल है, उसको समाप्त होना चाहिए। उसके बारे में क्लैरीफिकेशन भी आना चाहिए।

खुशी की बात है कि जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर से अपने एक साथी के साथ मिला, उन्होंने साफ कह दिया कि कहीं नहीं है। वैसे भी यह संभव नहीं है। कांस्टीट्यूशन के प्रावधान में 26 में कहीं ऐसा नहीं है। अगर इसे हटाना भी है तो कांस्टीट्यूशन में बगैर अमैंडमैंट के नहीं हो सकता है। अगर किसी अधिकारी ने यह पैरा जोड़ दिया है तो वह हटना चाहिये।

[श्री राम प्यारे पानिका]

आज देश में छूत-छात की भावना, छोटे-बड़े की भावना काफी हद तक समाप्त हो रही है। इसके बारे में हमने काफी किया है। एक बात सही है, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे थे तो हमने जो समानता का अधिकार कांस्टीट्यूशन में दिया है, जब तक उस अवसर को प्राप्त करने की हमें समानता नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है।

जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या वैकवर्ड किसी भी कम्युनिटी का हो, वीकर सैक्शन का हो, जब तक एजूकेशन में समानता नहीं होगी कुछ लाभ नहीं होगा। एक बच्चा पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला और एक जिला परिषद् के दूरदराज में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला दोनों ग्रेजुएशन कर लें, दोनों अगर आई० ए० एस० में बैठते हैं तो उनको क्या समानता का अधिकार मिला है? इसलिये जब तक अवसर प्राप्ति के साधन सम्पन्न नहीं होंगे, निश्चित तरीके से इस समता का कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय तक यह रिजर्वेशन चलता रहेगा जब तक यह समता नहीं आ जाये।

मैंने यह भी कहा था कि बुद्धि किसी बाप की बपौती नहीं है। अगर अवसर मिले तो धीरे धीरे सब समान रूप से आगे आ सकते हैं।

अभी हमारे भाई पासवान जी आये हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, कोई राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इन हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण के कार्यक्रमों में अपने राजनीतिक हित ढूंढना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने ही इसका कोई ठेका नहीं ले रखा है, यहां कांग्रेस के दूसरे माननीय सदस्य भी हैं।

सभापति महोदया, आप जानती हैं कि 1980 का चुनाव जब हुआ था तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदश में क्या हुआ था? हमारे हरिजन भाई अपने वोट नहीं डालने पाये थे और एक दल के नेता जो पिछड़े लोगों की बात करते हैं, इस देश की सत्ता हथियाना चाहते हैं, उसके नेता इन लोगों को वोट नहीं डालने देते। मुझे खुशी है कि भाई रामविलास जी ने उस दल को छोड़ दिया है। आज श्री कर्पूरी ठाकुर भी यही काम करते हैं, जात-पांत की राजनीति चलाते हैं। मैं कहता हूं कि समय की मांग है कि अगर देश में एकता को लाना है, हरिजनों को उठाना है तो आज देश में ऐसी पार्टी जो जाति, धर्म और सम्प्रदाय की बात करती हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिये। मैं भाई पासवान जी से कहता हूं कि उनके लिये वह उचित स्थान नहीं है जहां आप बैठे हैं। आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सम्बन्ध ऐसी जाति से थे···

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, 6 बज रहे हैं।

सभापति महोदया : 7 बजे तक बैठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदया, मुझे 15 मिनट दिया है, मुझे अभी और बोलना है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : अभी 7 बजे तक हाउस बैठेगा, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हो चुकी है ।

श्री सूरज भान : सबको जाना है, कल 15 अगस्त है ।

(व्यवधान)

6.00 **म० प०**

श्री मल्लिकार्जुन : सभापति महोदया, कार्य मंत्रणा समिति में इस पर पहले ही विचार हो चुका है । क्योंकि बृहस्पतिवार को हमारे पास अधिक फार्म है, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इसमें सहयोग किया जाए ताकि कम से कम आज इस पर चर्चा पूरी हो जाए और मंत्री जी उत्तर बाद में दे देंगे ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदया, बीस पच्चास सदस्य बोलने वाले हैं । यह चर्चा आज किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकती । इसलिए आप इसको परसों तक रखिए । यह एक इम्पार्टेंट इस्यु है । कल 15 अगस्त है । हम सभी जल्दी जाना चाहते हैं ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

6.00 **म० प०**

अध्यक्ष महोदय : उस दिन हमने देखा था कि हमारे पास समय नहीं होगा, इसलिए हमने सोच समझ कर यह तय किया था । जब समय निकल सकता है, उसी हिसाब से हम डिसकशन रख लेते हैं । आप देख लीजिए कि आपने कब डिसकशन करना है । मैं तो हर वक्त बैठने के लिए तैयार रहता हूं ।

श्री सूरज भान : हम सब ने 15 अगस्त के लिए जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : समय कहाँ से निकालेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : मैंने सुझाव दिया था कि अगर आज 12 बजे शुरू कर देते, तो 6 बजे तक यह हो जाता। चूंकि इसको 3 बजे से शुरू किया गया है, इसलिए आज इसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप परसों टाइम निकाल लीजिए। यह एक ऐसा इस्यु है, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने कमेटी में जो तय किया था, मैंने वही टाइम रखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : परसों लंच-आवर खत्म कर दीजिए और एक घंटा ज्यादा बैठ जायेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, बृहस्पतिवार को, आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया जाना है। उसके अलावा, दोनों ओर से यह मांग है कि हम दहेज-निषेध पर भी चर्चा करें।

इस प्रकार और एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। परन्तु, समय की कमी के कारण, विपक्ष सभी सदस्यों के लिए यह संगत होगा कि वह सहयोग करें ताकि आज चर्चा पूरी हो सके (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यवहारिक होना चाहिए। ये जो भी हमारे सामने है उसे पूरा करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज केवल यह कठिनाई है कि कई सदस्य जाना चाहते हैं। यही एक समस्या है अन्यथा हम देर तक बैठ सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : परसों प्राइस राइज पर कालिंग एटेन्शन नोटिस रखा गया है। एक तरीका यह हो सकता है कि परसों इसको खत्म कर दिया जाए, चाहे रात के 12 बजे तक बैठना पड़े। ऐसी बात उठाई जाती है कि फलां नहीं है वगैरह। इसलिए मैं सब बातों को साफ कर देना चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि दूसरी ओर के माननीय सदस्य परसों किसी भी समय तक बैठने को तैयार हों, तो हम सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, बैठना चाहिए। अब सदन 16 अगस्त, 1984 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित किया जाता है।

6.04 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 16 अगस्त, 1984/25 श्रावण, 1906 (शक) के म० पू० 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली-110002